पंजी. संख्या UPHIN/2018/77444 ISSN 2582-1288 Refereed & Peer Reviewed

₹ 200 वर्ष : ८ अंक : ३ जून–अगस्त २०२६

शोधादर्श

संदर्भित एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिकी

न भाषा भेद होगा न व्यक्ति भेद होगा और न ही होगा देश भेद

महेन्द्र अश्क
साहित्य शोध संस्थान
24 जुलाई, 1945 - 30 नवम्बर, 2024

आवरण : मृदुला त्यागी

हिंदी पत्रकारिता 200 साल

Visit us https://shodhadarsh.in/ https://fliphtml5.com/exploring/?q=shodhadarsh https://www.facebook.com/profile.php?id=100015119258287 DOI Impact Factor 10.16

शोधादर्श
संदर्भित एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिकी
SHODHADARSH

जनजागरूकता अभियान

हर घर में हो
भारतीय संविधान

त्रैमासिक RNI- UPHIN/2018/77444

शोधादर्श

संदर्भित एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिक पत्रिका

वर्ष : ८ अंक : ३, जून-अगस्त २०२६

मूल्य २००

doi.org/10.5281/ इम्पेक्ट फैक्टर(२०२६) : १०.१६

ISSN 2582-1288

संपादकीय कार्यालय/पत्रव्यवहार

शोधादर्श, साईं एंक्लेव, निकट देवता धनौरा, नजीबाबाद-२४६७६३ बिजनौर (उप्र)

https://shodhadarsh.in/

Refereed & Peer Reviewed Research Magazine

संपादक
अमन कुमार
संयुक्त संपादक
डॉ. गुर्रमकोंडा नीरजा
एसो. प्रोफेसर (हिंदी विभाग, द.भा.हिं.प्र.सभा, चेन्नई)
प्रबंध संपादक
डॉ. दिनेश कुमार गुप्ता
असि. प्रोफेसर (रक्षा एवं सामरिक अध्ययन विभाग, दयानंद वैदिक कॉलेज, उरई, जालौन)
सहयोगी संपादक
डॉ. विजयेन्द्र प्रताप सिंह
असि. प्रोफेसर (हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय, गोंडा, अलीगढ़)
डॉ. अंजू बंसल
सहायक प्रोफेसर (हिंदी विभाग, वर्धमान कॉलेज, बिजनौर, यूपी)
डॉ. अरविन्द कुमार सिंह
अनुभाग संपादक
प्रो. नीलम गुप्ता
प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली)
डॉ. संजय कुमार
प्रोफेसर (मनोविज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज)
डॉ. आराम सिंह
प्रोफेसर (भौतिक विज्ञान विभाग, दयानंद वैदिक कॉलेज, उरई, जालौन)
डॉ. धीरेन्द्र कुमार सिंह
असि. प्रोफेसर (शिक्षा शास्त्र विभाग, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर)
डॉ. नरेन्द्र पाल सिंह
पूर्व प्राचार्य (वाणिज्य विभाग, साहू जैन पी.जी. कॉलेज, नजीबाबाद)
डॉ. धर्मेन्द्र कुमार सर्राफ
असि. प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र विभाग, डॉ. हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय, सागर)
डॉ. मुकेश कुमार
प्रोफेसर (सायनोबैक्टीरियल विविधता, पॉलीहाउस प्रौद्योगिकी और इकोफिजियोलॉजी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार)
डॉ. विपिन कुमार
सहायक प्रोफेसर एवं प्रमुख (औषध बनाने की विद्या विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार)
डॉ. धर्मेंद्र कुमार
सह-प्राध्यापक (शिक्षक शिक्षा विभाग, वर्धमान कॉलेज, बिजनौर)
डॉ. दीपक कुमार
प्राचार्य (वनस्पति विभाग, आर.एस.एम. पीजी कॉलेज, रामपुर घोघर, मुरादाबाद)
उपसंपादक- अक्षि त्यागी
Email- shodhadarsh2018@gmail.com

शोधादर्श का समीक्षा मंडल

हिंदी

प्रो. ऋषभदेव शर्मा (पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी, द.भा.हिं.प्र.स. ख़ैरताबाद, हैदराबाद), डॉ. श्रीपति कुमार यादव (हिंदी विभाग, सतीशचंद महाविद्यालय, बलिया), डॉ. ओ.पी.सिंह (वर्धमान पी.जी. कॉलेज, बिजनौर), डॉ. सृष्टि कुशवाहा (मदनमोहन मालवीय पी.जी. कॉलेज, कालाकांकर, प्रतापगढ़)

संस्कृत

प्रो. वीरपाल सिंह (राजकीय महाविद्यालय, गोंडा, अलीगढ़)

पत्रकारिता

डॉ. ओमप्रकाश सिंह (काशी विद्यापीठ, वाराणसी), डॉ. दिग्विजय सिंह राठौर (वीरबहदुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर)

भूगोल

डॉ. एल.एस. बिष्ट (पूर्व विभागाध्यक्ष भूगोल, साहू जैन पी.जी. कॉलेज, नजीबाबाद), डॉ. निरंकार सिंह त्यागी (पूर्व विभागाध्यक्ष भूगोल, वर्धमान पी.जी. कॉलेज, बिजनौर)

दर्शनशास्त्र

डॉ. संजय कुमार त्यागी (विवेक कॉलेज, बिजनौर)

शिक्षाशास्त्र

डॉ. बनवारी लाल मीणा (सह-आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, दिल्ली), डॉ. बेगराज यादव (विभागाध्यक्ष, मौ. मुहम्मद अली जौहर महाविद्यालय, किरतपुर)

वाणिज्य

डॉ. चंचल कुमार (एनआईआईटी, नजीबाबाद, बिजनौर)

चित्रकला

डॉ. मृदुला त्यागी (कार्यवाहक प्राचार्य, रमा जैन पी.जी. कॉलेज, नजीबाबाद)

राजनीति विज्ञान

प्रो. नीलम गुप्ता (राजनीति विज्ञान विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली)

रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन

डॉ. चन्द्रेश पाण्डेय (रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन विभाग, गणपत सहाय पी.जी. कॉलेज, सुल्तानपुर)

अर्थशास्त्र

डॉ. शैलेन्द्र सिंह कुशवाह (राजकीय महाविद्यालय, पुरसंडा, हाथरस), डॉ. वन्दना त्यागी (खरखोदा)

समाजशास्त्र

डॉ. अमित कुमार गहलौत (विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, देवता पी.जी. कॉलेज, मोरना)

कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी

डॉ. ओमप्रकाश मौर्य (एसो. प्रोफेसर, आर.एस.एम. पी.जी. कॉलेज, धामपुर)

अंग्रेजी साहित्य और शिक्षा

डॉ. अनुपमा वर्मा (श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, सिटी जामडोली, जयपुर, राजस्थान)

नोट- 'शोधादर्श' के अंक 'सितंबर-नवंबर २०२५' के लिए विगत दो सालों 'सितंबर-नवंबर २०२३' से 'जून-अगस्त २०२५' अंक में प्रकाशित लेख एवं लेखों को प्राप्त उद्धरणों की संख्या के आधार (जर्नल साइटेशन रिपोर्ट्स (जेसीआर) क्लेरिवेट एनालिटिक्स, पूर्व में थॉमसन रॉयटर्स के स्वामित्व में प्रदान किया गया एक डेटाबेस) पर इम्पेक्ट फैक्टर प्राप्त किया गया है।

संपादकीय एवं प्रबंधकीय सलाहकार -

अर्चना चौबे 'राज', रश्मि अग्रवाल, डॉ. उषा त्यागी, डॉ. रजनी शर्मा, आशा सिंह, डॉ. सरिता सिंह, आलोक त्यागी, योगेश त्यागी, अतुल कुमार त्यागी, उपेन्द्र नाथ सिंह, पंकज कुमार त्यागी, नईम इक़बाल 'शन्नी खां', आनंद विभोर यादव

अस्वीकरण- इस अंक में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के हैं जिनसे संपादक मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है। विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र नजीबाबाद, बिजनौर होगा। सभी पद अवैतनिक हैं

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अमन कुमार द्वारा आशीष प्रिंटर्स, मोहल्ला मक़बरा, नजीबाबाद से मुद्रित तथा ए-७, आदर्श नगर, तातारपुर लालू, नजीबाबाद-२४६७६३ ज़िला बिजनौर (उ.प्र.) से प्रकाशित। पंजीकरण संख्या UPHIN/2018/77444 संपादक-अमन कुमार, मोबा. **9897742814**

यूजीसी के शोध मानक अनुसार ही शोध-पत्र भेजें

'शोधादर्श' संदर्भित एवं समीक्षित आलेखों के प्रकाशन की त्रैमासिक पत्रिका है। जिसमें सामाजिक एवं मानविकी सहित अनेक विषयों/उपविषयों से सम्बंधित मौलिक शोध-पत्र, शोध समीक्षा, विचार, लेख आदि का प्रकाशन किया जाता है।

शोधकर्ता हिंदी भाषा में अपने-शोध पत्र भेजें। शोध-पत्र भेजते समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान दें-

- निर्देशित शोध प्राविधि एवं शोध प्रकाशन के मानदंडों के आधार पर अपने शोध-पत्र लिखें।
- आलेख में नई एवं मौलिक उद्भावना/अवधारणा का प्रतिपादन हो।
- शोध आलेख तार्किक एवं शृंखलाबद्ध हो। अनावश्यक शब्दजाल से बचा जाए।
- संदर्भ साहित्य का पर्याप्त अध्ययन हो।
- त्रुटिपूर्ण तथ्यों एवं आंकड़ों और पाठ में व्याकरणक त्रुटियों से बचें। वाक्य में काल की असंगतता से बचें। लेखक के द्वारा आलेख शुद्ध करते समय शब्द/पद/वाक्य का लोप न होने पाए।
- विषय प्रतिपादन में विषय स्पष्ट हो।
- तथ्यों, भावों या विचारों की पुनरावृत्ति से बचें।
- शोध-पत्र २५००-३५०० शब्दों में हों।
- १५० शब्दों का सारांश अवश्य हो।
- संदर्भ ग्रन्थ सूची का उल्लेख अवश्य करें। संदर्भ ग्रन्थ सूची में लेखक का उपनाम, मुख्य नाम, पुस्तक/पत्र/पत्रिका का नाम, प्रकाशन का वर्ष एवं पृष्ठ संख्या अंकित होना चाहिए।
- कम से कम १० संदर्भ अवश्य लगाएं।
- मान्य विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए निर्देशों के अनुसार शोध आलेख में अपेक्षित संशोधन करें।
- पुनः संशोधित पत्र प्रेषित करें।
- शोध-पत्र कम्प्यूटर से Microsoft Office Word में हिंदी में Krutidev 10 के Font Size 12 में टाइप करवाकर भेजें।
- शोध पत्रों की स्वीकृति एवं अस्वीकृति का अंतिम निर्णय सम्बंधित विषय के दो विशेषज्ञों की अनुशंसा (Expert comments of Referees) से संपादक मण्डल द्वारा लिया जाता है। इस सम्बंध में अन्तिम अधिकार संपादक को प्राप्त है जो सभी सदस्यों को मान्य होगा।
- शोध-पत्र स्वीकृत हो जाने पर लेखक को समीक्षा के लिए प्रतीक्षा (समीक्षकों से रिपोर्ट आने तक) करनी होगी।
- शोध-पत्र के साथ 'मौलिक एवं अप्रकाशित' शब्द लिखा होना चाहिए और इसे अन्यत्र न भेजे जाने की पुष्टि हो। इस आशय का घोषणा-पत्र दें।
- शोध-पत्र में सारणी एवं चित्रों का प्रयोग लेख के अंत में संदर्भ या संलग्नक के रूप में करें।
- प्रकाशित शोध पत्र देखें और अपने प्रकाशित शोध-पत्र को विविध माध्यमों से प्रसारित करें ताकि आपके शोध-पत्र की गरिमा बढ़े।

'शोधादर्श' में शोध आलेख प्रकाशन की चरणबद्ध प्रक्रिया के पालन से शोध-पत्र त्रुटिहीन और गरिमापूर्ण हो जाता है।

- शोध पत्र ई-मेल द्वारा निम्न ई-मेल पते पर भेजा जा सकता है-
  shodhadarsh2018@gmail.com

अधिक जानकारी के लिए
मोबा.- 9897742814 (वाट्सएप)
पर संपर्क करें

सदस्य बनें

एक प्रति का मूल्य	: 200 रुपए
वार्षिक सदस्यता	: 1000 रुपए
पांच वर्ष सदस्यता	: 4500 रुपए
प्रति अंक डाकखर्च	: 70 रुपए

सभी लेखकों के लिए वार्षिक सदस्यता डाक खर्च सहित १०००/- (एक हजार रुपए मात्र)

भुगतान करें

SHODHADARSH
INDIAN OVERSEES BANK,
NAJIBABAD
(AC- 368602000000186) IFSC-
IOBA0003686

Editor - Aman Kumar
Union Bank of India, Najibabad
(AC -640202010000415)
IFSC- UBIN0564028

भुगतान पर्ची
Mob- 9897742814 (W) पर भेजें

मौलिकता का प्रमाण पत्र

दिनांक- ..../....../२०....

प्रमाणित किया जाता है कि लेख (शीर्षक) .... मेरे/हमारे द्वारा मौलिक रूप से लिखा गया है और 'शोधादश' में प्रकाशन हेतु आपके पास प्रेषित किया जा रहा है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है। यह लेख पूर्व में कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ है और न ही अन्यत्र प्रकाशन के लिये भेजा गया है।

लेखक का नाम .... लेखक के हस्ताक्षर................

पता...

ई-मेल-मोबाइल नं. -

सदस्यों और लेखकों से विनम्र निवेदन -

'शोधादर्श' पीयर रिव्यूड पत्रिका है जो अपने प्रकाशनकाल में प्रकाशित होगी और सदस्यों/लेखकों को भेजी भी जाएगी। बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, कभी-कभी देर भी हो जाती है, और कई बार प्रकाशन के अन्तिम चरण तक लेखों का चयन होता है। कृपया बार-बार पत्रिका के लिए तकादा करने पर हम तनाव में आ जाते हैं। आशा है पत्रिका प्रकाशन काल के भीतर बार-बार परेशान नहीं करेंगे। सदस्यों को पत्रिका रजिस्टर्ड डाक से भेजी जाती है, जो देर-सबेर आपको मिलना सुनिश्चित है।

प्रकाशन शुल्क सम्बंधी सूचना

महोदय, यह पत्रिका सहयोगी भावना से प्रकाशित की जा रही है। जिसके प्रकाशन में काफी ख़र्च आता है। यदि आप ऑन डिमांड अपना आलेख प्रकाशित कराना चाहते हैं तो आपको लेख प्रकाशन के प्रोसेस हेतु ***एक हजार रुपए (१०००/-)*** का सहयोग करना होगा ताकि आपको पत्रिका की हार्ड कॉपी समय पर उपलब्ध कराई जा सके।

अन्य आवश्यक सूचना

'शोधादर्श' संदर्भित एवं समीक्षित त्रैमासिक पत्रिका है। जो वर्ष में चार बार प्रकाशित की जाती है।

प्रकाशन काल लेख भेजने की अंतिम तिथि

१- दिसंबर-फरवरी अंक- १५ नवंबर
२- मार्च-मई अंक- १५ फरवरी
३- जून-अगस्त अंक- १५ मई
४- सितंबर-नवंबर अंक- १५ अगस्त

नोट- महाविशेषांक अथवा अतिरिक्तांक का मूल्य अलग से निर्धारित होगा।

संपादक
अमन कुमार
QR कोड

पत्रकारिता : अनवरत यात्रा के दो सौ साल

शोधादर्श
संदर्भित एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिक पत्रिका
वर्ष : ८ अंक : ३,
जून-अगस्त २०२६

RNI
UPHIN/2018/77444
ISSN
2582-1288

संपादकीय

अमन कुमार
E-Mail
amankumarnbd@gmail.com
shodhadarsh2018@gmail.com
सचलभाष- ९८९७७४२८१४

भारतीय पत्रकारिता के इतिहासकरों ने विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। आजादी से पूर्व भारत में प्रकाशित लगभग सभी पत्र-पत्रिकाओं का ब्योरा पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर साहब ने 'पत्रकारिता कोश' के माध्यम से उपलब्ध करा दिया है। इनके अलावा नटराजन साहब और कृष्णबिहारी साहब सहित अनेक पत्रकारीय इतिहासकारों ने पहला भारतीय समाचार पत्र "१५ मई १८१८ ई. को कलकत्ता से 'बंगाल गजट' निकला। यह बंगला का पहला पत्र था। इसके सम्पादक और प्रकाशक सभी बंगाली थे। सम्पादक हारूचन्द्र राय और प्रकाशक गंगाकिशोर भट्टाचार्य थे। दोनों आत्मीय सभा के सदस्य और राजा राममोहन राय के सहयोगी थे।" १८२१ ई. में बंगाली भाषा में साप्ताहिक समाचार-पत्र 'संवाद कौमुदी' का प्रकाशन हुआ। "सदियों की गुलामी से जर्जर हुए भारतीय समाज में नये प्राण फूंकने के लिए साहस भरी पहल और अनथक संघर्ष करने वाले राजा राममोहन राय ने अपने अनुष्ठान को मुखर करने के लिए पत्रकारिता को माध्यम बनाया।" राजा राममोहन राय ने सामाजिक तथा धार्मिक विचारों के विरोधस्वरूप 'समाचार चंद्रिका' का मार्च, १८२२ ई. में प्रकाशन किया। इसके अतिरिक्त "राजा राममोहन राय ने १२ अप्रैल, १८२२ को कलकत्ता से फारसी भाषा के 'मिरातुल' अख़बार" एवं अंग्रेजी भाषा में 'ब्राह्मनिकल मैगजीन' का प्रकाशन किया। उदन्त मार्तण्ड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन ३० मई, १८२६ ई. में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। कलकत्ता के कालू टोला नामक मोहल्ले की ३७ नंबर आमड़तल्ला गली से युगलकिशोर शुक्ल ने सन् १८२६ ई. में उदन्त मार्तण्ड नामक एक हिंदी साप्ताहिक पत्र निकालने का आयोजन किया। उस समय अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला में तो अनेक पत्र निकल रहे थे किंतु हिंदी में एक भी पत्र नहीं निकलता था। इसलिए 'उदन्त मार्तण्ड' का प्रकाशन शुरू किया गया। इसके सम्पादक भी श्री युगलकिशोर शुक्ल ही थे। वे मूल रूप से कानपुर संयुक्त प्रदेश के निवासी थे।, यह पत्र पुस्तकाकार (१२ x ८) छपता था और हर मंगलवार को निकलता था।

प्रारम्भिक विज्ञप्ति इस प्रकार थी-

"यह 'उदन्त मार्तण्ड' अब पहले-पहल हिन्दुस्तानियों के हित के हेत जो आज तक किसी ने नहीं चलाया पर अंग्रेजी ओ फारसी ओ बंगले में जो समाचार का कागज छपता है उसका सुख उन बोलियों के जान्ने ओ पढ़ने वालों को ही होता है... देश के सत्य समाचार हिंदुस्तानी लोग देखकर आप पढ़ ओ समझ लेंय ओपराई अपेक्षा जो अपने भावों के उपज न छोड़े, इसलिये बड़े दयावान करुणा ओ गुणनि के निधान सबके कल्यान के विषय श्रीमान् गवरनर जेनेरल बहादुर की आयस से ऐसे चाहत में चित्त लगाय के एक प्रकार से यह नया ठाट ठाटा...।"

इसके कुल ७९ अंक ही प्रकाशित हो पाए थे कि डेढ़ साल बाद दिसंबर, १८२७ ई. को इसका प्रकाशन बंद करना पड़ा, इसके अंतिम अंक में लिखा है- उदन्त मार्तण्ड की यात्रा- मिति पौष बदी १ भौम संवत् १८८४ तारीख दिसम्बर सन् १८२७।

आज दिवस लौं उग चुक्यौ मार्तण्ड उदन्त
अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत।

प्रारंभ में भारतीय पत्रकारिता का उद्देश्य स्वराज था। भरतीय साहित्य का भी तत्कालीन उद्देश्य स्वराज के लिए प्रेरित करना हो गया था। साहित्यकार, पत्रकार और क्रांतिकारियों की ऐसी प्रवृत्ति इस देश में हो गयी थी कि एक ही व्यक्ति में तीनों रूप नजर आने लगे थे। मतलब यह कि जो साहित्यकार था वह पत्रकार भी था और क्रांतिकारी भी था। या यह कह लीजिए कि भारतीयों ने क्रांति के लिए साहित्य और पत्रकारिता को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सशक्त माध्यम के रूप में चुना था। आज जब भारतीय हिन्दी पत्रकारिता को दो सौ साल पूरे हो गये हैं तब हमें अपने मूल उद्देश्यों और कर्त्तव्यों की समीक्षा भी कर लेनी चाहिए और अपने इतिहास से रू-ब-रू भी हो लेना चाहिए।

आशा है यह अंक भी आपको अच्छा लगेगा।

धन्यवाद! संपादक

अनुक्रमणिका

१. हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और विकास ०७
- अमन कुमार
२. नवजागरण कालीन साहित्यकारों की हिंदी पत्रकारिता १३
- अक्षि त्यागी, अमन कुमार
३. हिंदी पत्रकारिता का तिलक युग और साहित्यकारों की भूमिका १८
- अमन कुमार
४. गांधी युगीन हिंदी पत्रकारिता और साहित्यकार २३
- अमन कुमार
५. स्वातंत्र्योत्तर हिंदी पत्रकारिता और साहित्यकार २६
- अमन कुमार
६. सोशल मीडिया और पत्रकारिता का बदलता स्वरूप : एक समकालीन अध्ययन ३३
- डॉ. विजेंद्र प्रताप सिंह
७. डिजिटल मीडिया और बदलता सामाजिक परिदृश्य ३६
- डॉ. प्रणीता पी.
८. स्वतंत्रता पूर्व हिंदी पत्रकारिता के आलोक में बांग्ला भाषी संपादक एवं प्रकाशक ४२
- डॉ. अम्बर कुमार चौधरी
९. स्वतंत्रता की संघर्ष गाथा में पत्रकारिता की भूमिका ४६
- डॉ. संध्या सिंह, डॉ. अजय कुमार सिंह
१०. ग्रामीण विकास में महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण की भूमिका : उन्नत भारत अभियान के संदर्भ में एक अध्ययन ४९
- सोनिका चौहान
११. कुकुरमुत्ता : एक भाषिक अध्ययन ५१
- डॉ. सरस्वती कुमारी
१२. २१वीं सदी में वैश्विक मंच पर हिंदी का स्वरूप ५३
- तृषा सिन्हा
१३. हरित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका ५६
- बबिता कुमावत
१४. भारत-अमेरिका सम्बंधों का पूर्वोत्तर भारत पर प्रभाव : २०२० से ५९
- प्रो. नीलम गुप्ता, भावेश मिश्र
१५. हाइब्रिड युद्धकर्म, दुष्प्रचार और भारत की रणनीतिक स्थिति ६२
- डॉ दिनेश कुमार गुप्ता, स्वीटी कुमारी
१६. ट्रांसजेंडर समुदाय के समक्ष सामाजिक अवरोधों का समाजशास्त्रीय अध्ययन ६९
- तृप्ति अग्रवाल, नंदनी पवार, आंचल, डॉ. उमेश कुमार
१७. अपराध एवं अपराध नियंत्रण के उपाय एक समाजशास्त्रीय अध्ययन ७२
- कुनाल, दीपांशु, मन्तशा, रुक्शा, डॉ. सूर्यकांत भारती
१८. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन की स्थिति ७४
- प्रतिभा चौधरी, फरहाना, कविता, राजकुमारी, कुमकुम, डॉ. उमेश कुमार
१९. किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव ७९
- अलफिशा, लाएबा, आलिया, अफ्शा, सईदा

Refereed & Peer Reviewed Research Magazine
RNI-UPHIN/2018/77444 ISSN-2582-1288
त्रैमासिक मूल्य २००
शोधादर्श
संदर्भित एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिक पत्रिका
वर्ष : ८ अंक : ३, जून-अगस्त २०२६
doi.org/10.5281/
इम्पेक्ट फैक्टर(२०२६) : १०.१६
पंजीकृत कार्यालय
शोधादर्श, ए-७, आदर्श नगर, तातारपुर लालू, नजीबाबाद-२४६७६३ ज़िला बिजनौर (उ.प्र.)
संपादकीय कार्यालय/पत्रव्यवहार
शोधादर्श, साईं एंक्लेव, निकट देवता धनौरा, नजीबाबाद-२४६७६३ बिजनौर (उप्र)
https://shodhadarsh.in/

हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और विकास

अमन कुमार
संपादक
शोधादर्श (त्रैमासिक) एवं ओपन डोर(साप्ताहिक)
नजीबाबाद, बिजनौर मोबा. -९८९७७४२८१४

पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सूचना देना है। सूचना देने का काम मानव तब से करता आ रहा है, जब वह विकास की शैषवावस्था में था, क्योंकि ''आत्माभिव्यक्ति मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मानव जब तक अपने बंधु-बान्धवों, स्वजन-परिजनों, इष्ट-मित्रों आदि के सम्मुख अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त नहीं करता, तब तक उसे आत्मसन्तुष्टि का अनुभव नहीं होता।''[१] इस प्रकार देखा जाये तो आदि मानव भी सूचना प्रेषित करता रहा है और उसके बाद भी यह क्रम जारी रहा। हां, जैसे-जैसे मानव विकास करता गया सूचना-तंत्र में भी विकास होता गया। प्रारम्भ संकेत के माध्यम से हुआ और मौखिक से होता हुआ लिखित तक जा पहुंचा। अब पुनः इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध यम से हम मौखिक की और बढ़ लिये हैं, फर्क यह है कि अब कहने के साथ-साथ दिखाया भी जाने लगा है। अर्थात् आज सूचना-तंत्र अपने विकास की चर्मावस्था पर है। अंतर्जाल पर किसी साईट पर पढ़ा था कि ''पत्रकारिता का आरम्भ सन् १३१ ईस्वी पूर्व रोम में हुआ है। उस साल पहला दैनिक समाचार-पत्र निकलने लगा। उस का नाम था-दिन की घटनाएं। वास्तव में यह पत्थर की या धातु की पट्टी होता था, जिस पर समाचार अंकित होते थे। ये पट्टियां रोम के मुख्य स्थानों पर रखी जाती थीं और इन में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति, नागरिकों की सभाओं के निर्णयों और ग्लेडिएटरों की लड़ाइयों के परिणामों के बारे में सूचनाएं मिलती थीं।'' बाद में ''६० ईसापूर्व में जूलियस सीज़र ने आदेश दिया था कि समाचारों का दैनिक विवरण चौक में चिपकाया जाए।''[२]

मध्यकाल में यूरोप के व्यापारिक केंद्रों में 'सूचना-पत्र' निकलने लगे। उनमें कारोबार, क्रय-विक्रय और मुद्रा के मूल्य में उतार-चढ़ाव के समाचार लिखे जाते थे लेकिन ये सारे 'सूचना-पत्र' हाथ से ही लिखे जाते थे। १४४७ में गुटेनबर्ग ने हैण्डप्रेस मषीन और धातु के चल टाइप बनाने में सफलता प्राप्त की।''[३] इस के फलस्वरूप किताबों का ही नहीं, अख़बारों का भी प्रकाशन संभव हो गया। उसने अपना मुद्रणालय कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि ''कागज के अविष्कर्ता चीन ने १३४० में एक समचार-पत्र ''पीकिंग गजट' का प्रकाशन करके अपने सर्वप्रथम रहने का एक और श्रेय प्राप्त किया। यह एक सरकारी प्रकाशन था, जिसने लगभग १५०० वर्षों तक प्रकाशित होते रहकर एक सार्वकालिक रिकार्ड बनाया। १९१२ में मांचू राज्यवंश के अधःपतन के साथ ही साथ इस पत्र का भी अंत हो गया।''[४]

पत्रकारिता का भारत में उदय

''शुरुआती व्यवस्था के रूप में सूचना या संवाद-पत्रों के माध्यम से ही शासक देश के विभिन्न भागों तथा जनता के विभिन्न वर्गों में हो रहे परिवर्तन और घटनाक्रम से नियमित रूप से अवगत् होता रहता था। मुमकिन है कि आम तरह की खबरों के साथ-साथ कुछ गोपनीय सूचनाएं भी इनमें होती थीं। आम तरह की स्थितियों सम्बंधी सूचनाएं मंत्रियों को उपलब्ध कराई जाती थीं और अक्सर मंत्रिपरिषद में भी इन्हीं सूचनाओं के आधार पर विचार-विमर्श होता था। संवाद-पत्रों के माध्यम से मंत्रियों और सलाहकारों को जानकारियां और समाचार पहुंचाए जाने की व्यवस्था भारत में मुगलकाल से काफी पहले ही शुरू हो चुकी थी। मुगलों ने इस व्यवस्था का विकास किया।''[५] इस काल के हस्तलिखित समाचार-पत्रों का उल्लेख भी मिलता है। ''लीथो, प्रेस आदि के अविष्कार के बहुत पहले के अनेक हस्तलिखित समाचार-पत्र लन्दन की रायल सोसाइटी में रखे हैं, जिनमें भारत के भी हैं। भारत के ये हस्तलिखित समाचार-पत्र १६६० के हैं, जो मुगलदरबार में प्रचलित थे। सिराज-उल-अख़बार और 'उर्दू अख़बार' मुगलकाल के दो खास हस्तलिखित पत्र थे। षिवाजी के एक वाकियानबीस आनाजी रघुनाथ भालेकर द्वारा स्थापित 'बयानी वाकिया' का भी उल्लेख मिलता है। पुराने हस्तलिखित पत्रों में एक नाम आता है 'मुन्तखबत अल-लुबाब'। दिल्ली-किला के अंतिम समाचार-लेखक को इसी तरह के एक पत्र का सम्पादक भी बताया जाता है। उनका नाम था मामराज। उस समय के समाचार-जगत से दो विशिष्ट व्यक्तियों के नाम जुड़े हैं- आसफजाह के मंत्री अजूनुल ओमराह और मिर्जा अली बेग।''[६]

''भारत में अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत में पहला छापाखाना गोआ में सन् १५५७ में स्थापित हुआ था जिसमें मलयालम भाषा में पहली ईसाई धर्म की पुस्तकें छपीं।

दूसरा प्रेस सन् १५७८ में तमिलनाडु के तिनेवली जिले के पौरीकील नामक स्थान पर लगा।

तीसरा प्रेस सन् १६०२ में मालाबार के विपिकोट में पादरियों ने स्थापित किया।

सन् १६१६ में बम्बई में पुर्तगालियों ने जब अंग्रेज भारत आए, एक प्रेस की स्थापना की।

सन् १६७६ में विचूर के दक्षिण में अम्बलकाड़ में प्रेस लगा जिसमें 'कोचीन-तमिल शब्दकोष' छापा गया।

सन् १६६२ में काठियावाड़ के भीमजी पारख ने बम्बई में छापाखाना स्थापित किया।

इसके विपरीत सन् १६७४ में बम्बई में पहला अंग्रेजी छापाखाना स्थापित हुआ इसके लगभग १०० वर्षों बाद।

सन् १७७२ में मद्रास में दूसरा छापाखाना।

सन् १७७६ में कलकत्ता में सरकारी छापेखाने की स्थापना हुई।''[७]

भारत में पहला समाचार पत्र कम्पनी के एक असंतुष्ट सेवक 'विलियम वोल्ट्स' ने १७६८ ई. में निकालने का प्रयास किया, लेकिन अपने इस कार्य में वह असफल रहा। किंतु सितम्बर १७७८ में कलकत्ता के कौंसिल हाल एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में एक नोटिस लगा हुआ पाया गया जो इस प्रकार था-

''जन-साधारण से''

श्री वोल्ट्स जनता को सूचना प्रदान करने के लिए यह तरीका अपनाते हैं। इस नगर में छापाखाना न होने से व्यापारी वर्ग को बहुत नुकसान रहता है और समाज को वे समाचार दिये जाने अत्यंत कठिन हैं, जिनमें हर ब्रिटिश प्रजा की दिलचस्पी है। इसलिए श्री वोल्ट्स उस या उन व्यक्तियों को सर्वाधिक प्रोत्साहन प्रदान करने को तैयार है, जो मुद्रण का काम जानते हैं, प्रेस टाइपों तथा अन्य का प्रबंध कर सकते हैं। इसके साथ ही वह जनता को सूचित करना चाहते हैं कि उनके पास लिखित रूप में ऐसी जानकारी है, जिसमें हर व्यक्ति की गहरी दिलचस्पी होगी। जो जिज्ञासु व्यक्ति चाहें, उन्हें वोल्ट्स के घर में वह सामग्री पढ़ने एवं नकल करने की अनुमति होगी। एक व्यक्ति प्रातः दस से बारह बजे तक इच्छुक व्यक्तियों को इसमें सहायता प्रदान करने के लिए रहेगा।

इसी को हम पत्रकारिता का प्रारम्भ मान सकते हैं। यह समाचार-पत्र अंग्रेजी भाषा में निकलता था तथा कंपनी व सरकार के समाचार ही इसमें छपते थे।

सबसे पहला समाचारपत्र, जिसमें विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त किये गये, वह १७८० में जेम्स आगस्टस हिकी का समाचार-पत्र 'बंगाल गजट' था। समाचारपत्र में दो पन्ने थे और इस में ईस्ट इंडिया कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के व्यक्तिगत जीवन पर लेख छपते थे। जब हिकी ने अपने समाचार-पत्र में गवर्नर की पत्नी पर आक्षेप किया तो उसे ४ महीने के लिये जेल भेजा गया और ५०० रुपये का जुर्माना लगा दिया गया लेकिन हिकी शासकों की आलोचना करने से नहीं रुका। जब उसने गवर्नर और सर्वोच्च न्यायाधीश की आलोचना की तो उस पर ५००० रुपये का जुर्माना लगाया गया और एक साल के लिये जेल में डाल दिया गया। इस तरह उस का समाचारपत्र भी बंद हो गया।

१७६० के बाद भारत में अंग्रेजी भाषा के और कुछ अख़बार स्थापित हुए जो अधिकतर शासन के मुखपत्र थे। भारत में प्रकाशित होनेवाले समाचार-पत्र थोड़े-थोड़े दिनों तक ही जीवित रह सके।

भारत में समाचार पत्रों का इतिहास यूरोपीय लोगों के भारत में प्रवेश के साथ ही प्रारम्भ होता है। सर्वप्रथम भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। १५५७ ई. में गोवा के कुछ पादरी लोगों ने भारत की पहली पुस्तक छापी। १६८४ ई. में अंग्रेज ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी भारत की पहली पुस्तक की छपाई की थी। १६८४ ई. में ही कम्पनी ने भारत में प्रथम प्रिंटिग प्रेस (मुद्रणालय) की स्थापना की।

इस दौरान कुछ अन्य अंग्रेजी अख़बारों का प्रकाशन भी हुआ, जैसे- बंगाल में 'कलकत्ता कैरियर', 'एशियाटिक मिरर', 'ओरियंटल स्टार' मद्रास में 'मद्रास कैरियर', 'मद्रास गजट' बम्बई में 'हेराल्ड', 'बांबे गजट' आदि। १८१८ ई. में ब्रिटिश व्यापारी 'जेम्स सिल्क बकिंघम' ने 'कलकत्ता जनरल' का सम्पादन किया। बकिंघम ही वह पहला प्रकाशक था, जिसने प्रेस को जनता के प्रतिबिम्ब के स्वरूप में प्रस्तुत किया। प्रेस का आधुनिक रूप जेम्स सिल्क बकिंघम का ही दिया हुआ है। हिकी तथा बकिंघम का पत्रकारिता के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों ने तटस्थ पत्रकारिता एवं स्वतंत्र लेखन का उदाहरण प्रस्तुत कर पत्रकारों को पत्रकारिता की ओर आकर्षित किया।

प्रथम साप्ताहिक समाचार-पत्र

पहला भारतीय समाचार पत्र ''१५ मई १८१८ ई. को कलकत्ता से 'बंगाल गजट' निकला। यह बंगला का ऐसा पहला पत्र था जिसके सम्पादक और प्रकाशक सभी बंगाली थे। सम्पादक हारूचन्द्र राय और प्रकाशक गंगाकिशोर भट्टाचार्य थे। दोनों आत्मीय सभा के सदस्य और राजा राममोहन राय के सहयोगी थे।''[८] १८२१ ई. में बंगाली भाषा में साप्ताहिक समाचार-पत्र 'संवाद कौमुदी' का प्रकाशन हुआ। ''सदियों की गुलामी से जर्जर हुए भारतीय समाज में नये प्राण फूंकने के लिए साहस भरी पहल और अनथक संघर्ष करने वाले राजा राममोहन राय ने अपने अनुष्ठान को मुखर करने के लिए पत्रकारिता को माध्यम बनाया।''[९] राजा राममोहन राय ने सामाजिक तथा धार्मिक विचारों के विरोध्स्वरूप 'समाचार चंद्रिका' का मार्च, १८२२ ई. में प्रकाशन किया। इसके अतिरिक्त ''राजा राममोहन राय ने १२ अप्रैल, १८२२ को कलकत्ता से फारसी भाषा के 'मिरातुल' अख़बार''[१०] एवं अंग्रेजी भाषा में 'ब्राह्मनिकल मैगजीन' का प्रकाशन किया।

अंग्रेजों द्वारा सम्पादित कुछ समाचार पत्र-

समाचार पत्र	स्थान	वर्ष
टाइम्स ऑफ इंडिया	बम्बई	१८६१ ई.
स्टेट्समैन	कलकत्ता	१८७८ ई.
इंग्लिश मैन	कलकत्ता	-
फरेण्ड ऑफ इंडिया	कलकत्ता	-
मद्रास मेल	मद्रास	१८६८ ई.
पायनियर	इलाहाबाद	१८७६ ई.
सिविल एण्ड मिलिटरी गजट	लाहौर	-

तत्कालीन परिस्थितियां

जिस समय हिंदी का पहला समाचार पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' प्रकाशित हुआ, उस समय सत्ता मुसलमान शासकों के हाथ से लगभग निकल ही चुकी थी। व्यापार में पुर्तगाली और डचों का प्रभाव भी समाप्त हो गया था। भारतीय जनता अन्धविश्वासों में जकड़ी थी। चारों ओर अराजकता का माहौल था, असुरक्षा का भाव था, सभी के अपने-अपने स्वार्थ थे। ऐसे में चालाकी और मक्कारी से लाभ उठाकर अंग्रेज भारत के भाग्यविधाता बन गये थे। सत्ता के मद में मस्त अंग्रेज किसी भी तरह भारत पर नियंत्रण बनाये रखना चाहते थे। भारतीयों के दमन के लिये नित नयी तरकीबें सोचा करते थे और नये-नये कानून बनाते थे। व्यापार के लिये चन्द अंग्रेजों द्वारा बनायी गयी समिति 'ईस्ट इंडिया कम्पनी' अब राजनीतिक संस्था बन गयी थी। भारत में अंग्रेज चिरकाल तक रहना चाहते थे और यह तभी तक सम्भव था जबकि वह साम, दाम, दण्ड और भेद की नीति को अपनाते हुए भारतीय शासकों और जनता को काबू में किये रहते।

भारत में अंग्रेज शासन स्थापित करने का श्रेय लार्ड क्लाइव को जाता है। 'ईस्ट इंडिया कम्पनी' में साधारण क्लर्क के रूप में भारत आये इस अंग्रेज ने भारतीयों की कमजोरियों का लाभ उठाया और अंततः २३ जून १७५७ ई० में चालाकीपूर्ण तरीके से किये गये अति साधारण युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी राज की मजबूत नींव रख दी थी। इस युद्ध के बाद 'क्लाइव पहली बार १७५७-६० ई. तक बंगाल का प्रथम गर्वनर बना। सन् १७६० में वह स्वदेश लौट गया।''[११]

क्लाइव के चले जाने के बाद मीर जाफर और उसके बाद मीर कासिम बंगाल के नवाब रहे। मीर कासिम की अंग्रेज व्यापारियों से नहीं बन पायी तो अग्रेंजों से फिर १७६० ई. में बक्सर में युद्ध हुआ। यहां भी अंग्रेज ही विजयी रहे। क्लाइव पुनः भारत आया। इस बार वह शक्तिसम्पन्न था। उसने कम्पनी में सुधार की दृष्टि से ''कम्पनी के कर्मचारी, जो व्यक्तिगत व्यापार करते थे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया, उन्हें उपहार तथा भेंट लेने से मना कर दिया गया। इससे कर्मचारियों की आर्थिक कठिनाइयां बढ़ीं। उसे दूर करने के लिए क्लाइव ने उनकी तनखा बढ़ा दी। उसने एक व्यापार संघ की स्थापना की और उसे नमक तथा तम्बाकू के व्यापार का एकाधिकार दे दिया।''[१२] ''क्लाइव ने बंगाल में 'दोहरा शासन' प्रबंध स्थापित किया। कर वसूल करते अंग्रेज सैनिक और फौजदारी विभाग की देख-रेख करता नवाब। इसके बदले में कम्पनी नाम के लिये नवाब को ५३ लाख रुपये सालाना देने लगी। इससे शासन प्रबंध में अनेक दोष आ गये। अधिकार का प्रश्न उत्तरदायित्व से सर्वथा पृथक हो गया।''[१३]

''जनवरी सन् १७६६ में क्लाइव ने सैनिकों का दोहरा भत्ता बंद कर दिया। इस पर कई सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, पर क्लाइव ने उन्हें शीघ्र दबा दिया। इतना महत्त्वपूर्ण कार्य करने के बाद क्लाइव फरवरी १७६७ में इंग्लैण्ड चला गया।''[१४] तत्पश्चात वारेन हेस्टिंग्ज गवर्नर बना। वारेन हेस्टिंग्ज भी १८ वर्श की अवस्था में 'ईस्ट इंडिया कम्पनी' में क्लर्क के रूप में भारत आया था, अपनी योग्यता के दम पर पहले वह बंगाल का गवर्नर बना फिर सारी कम्पनी का गवर्नर जनरल बन गया। हेस्टिंग्ज ने दोहरी सरकार के घिनौने प्रबंध को तोड़ा और कम्पनी के प्रशासन को सुदृढ़ आधार भित्ति पर कायम किया। इतना ही नहीं वरन उसने मराठों, हैदर अली, निजाम, अवध तथा आसपास के शासकों को नियंत्रण में लिया। हेस्टिंग्ज ने १७७३ ई. में रेग्युलेटिंग एक्ट के माध्यम से प्रशासन, न्याय, व्यापार आदि प्रणालियों में सुधार किये परन्तु इस एक्ट में कुछ दोष भी थे। जिन्हें दूर करने के लिये पिट ने सन् १७८४ में ब्रिटिश संसद में भारतीय अधिनियम रखा। जिसे बाद में पिट का भारतीय अधिनियम १७८४ नाम से जाना गया। वारेन हेस्टिंग्ज सन् १७८५ में स्वदेश लौट गया। तब सन १७८६ में लार्ड कार्नवालिस नया गवर्नर जनरल बना। कार्नवालिस को 'भारतीय नागरिक सेवाओं का जन्मदाता' भी कहा जाता है। ''उसने वर्तमान भारतीय संविधान की नींव डाली।''[१५] उसने निजाम को अपने साथ मिलाकर टीपू और मराठों को अकेला कर दिया था। कार्नवालिस भूमि, न्याय, शासन तथा व्यापार सम्बंधी सुधारों के लिए ख्यात है।

सन् १७९३ में सर जान शोअर गवर्नर जनरल बना। वह उर्दू, अरबी, लेटिन तथा ग्रीक भाषाएं भी जानता था और सुप्रीम कोर्ट का सदस्य भी रह चुका था। वह सरल, किंतु पक्षपाती था। उसके बाद लार्ड वेलेजली १७९८ में गवर्नर बना। वेलेजली ने मैसूर, हैदराबाद, अवध को दबाया, कर्नाटक को अपने राज्य मे मिला लिया। अनेक सन्धियों और कूटनीतियों के सहारे उसने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। मात्र ३७ वर्ष की आयु में वह भारत आया और सन् १८०५ तक मात्र ७ वर्ष के कार्यकाल में चौंकाने वाली गति से काम किये। ''लार्ड वेलेजली के बाद हेस्टिंग्ज का नाम उल्लेखनीय है। भारत में शान्ति एवं व्यवस्था के क्षेत्र में इस गवर्नर की अनुपम देन है। देश के पिण्डारियों, डाकुओं और लुटेरे पठानों से बचाने में इसने विशेष योग दिया है। हेस्टिंग्ज वेलेजली की हस्तक्षेप नीति का विरोधी था पर भारत आकर इसे पता चला कि कुछ वैसी नीति का पालन करना आवश्यक है।

भारत में पहली बार हेस्टिंग्ज ने पिण्डारियों एवं पठानों का सफलता से दमन किया। पिण्डारी एक जाति या वर्ग के लोग न थे। वे लूटमार का जीवन व्यतीत करते। जब मराठे युद्ध पर जाते तो ये लोग मराठा सेना के साथ रहते और मौका पाकर मुगल शिविरों को लूट लेते। इस समय इनके प्रमुख सरदार चीतू, वासिल मुहम्मद तथा करीम खां थे। पिण्डारियों के पास १० से १५ हजार तक लुटेरे रहते थे। इसी तरह अमीर खां और मुहम्मद खां के नेतृत्व में हजारों पठान छोटे-छोटे राजाओं की आपसी एवं अराजकता फैली हुई थी। अतः पठानों एवं पिण्डारियों का दमन जरूरी था।''[१६] लार्ड हेस्टिंग्ज ने ''केवल सैन्य क्षेत्र में ही नहीं वरन् शासन के क्षेत्र में भी हेस्टिंग्ज का कार्य उल्लेखनीय है। हेस्टिंग्ज ने भूमि प्रबंध, न्याय, प्रशासन और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किये। सन् १८२२ में 'बंगाल कृषक कानून' बनाकर उसने कृषकों को जमींदारों के अत्याचारों से मुक्त किया। अब किसान को आसानी से भूमि से नहीं हटाया जा सकता था। पंजाब व आगरा के किसानों से लगान वसूल करने के लिए 'महलवाड़ी' व्यवस्था अपनाई। मद्रास में 'रैयतवाड़ी' लागू की। पहले समाचार-पत्र के सम्पादकों को खबर छापने से पूर्व अंग्रेज अधिकारी की अनुमति लेनी होती थी, हेस्टिंग्ज ने यह नियंत्रण हटा दिया। शिक्षा प्रसार की ओर हेस्टिंग्ज और उसकी पत्नी ने विशेष ध्यान दिया।''[१७]

अंग्रेज शासन के बढ़ते प्रभाव और देशी राज्यों में निरन्तर फूट भारतीय जनमानस को कुछ करने की प्रेरणा दे रही थी। मगर क्या? इसका जवाब नहीं मिल पा रहा था। अंग्रेज शासकों ने भारतीयों में तो फूट डाल ही दी थी मगर इस फूट से वह स्वयं भी नहीं बच पा रहे थे। पक्षपात और अन्याय उनके अपने लोागों के बीच भी था। जिससे आहत पीड़ित अंग्रेज यदाकदा आवाज भी उठाते थे परन्तु उन्हें समय रहते दबा दिया जाता था। परन्तु ऑगस्ट्स हिकी को ये अंग्रेज दबा नहीं सके। उसने अपने शासकों की पोल खोलने का मन बना लिया और २६ जनवरी, सन् १७८० को कलकत्ता से 'कैलकटा जनरल एडवाइजर' नामक पत्र निकालकर स्वतंत्रता चाहने वाले भारतीयों को भी अचूक हथियार रखने की राह दिखा दी।

जेम्स ऑगस्टस हिकी ईस्ट इंडिया कम्पनी के मुलाजिम के रूप में भारत आये थे और कलकत्ता से उन्होंने अंग्रेजी में बंगाल गजट समाचार पत्र प्रकाशित किया था। अपनी निष्पक्ष लेखनी से उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा, यहां तक कि वायसराय जैसे ताकतवर औहदेदार वारेन हेस्टिंग्ज के द्वारा किये गये स्वैच्छाचार और कम्पनी के धन का निजी हित में उपयोग किया जाना भी उनकी कलम से नहीं बचा। इन्हीं सुर्खियों के कारण अंग्रेज होने के बावजूद उन्हें कई बार कम्पनी की जेल में भी रहना पड़ा। हिकी अब तो बीते जमाने की कहानी हैं किंतु इसकी सच्चाई बयान करने के लिये अब भी कलकत्ता स्थित नेषनल लाइब्रेरी में उनके प्रकाशन की एक प्रति भी सुरक्षित है, जिसे देख भारत या अंग्रेज पत्रकार ही नहीं दुनियाभर के पत्रकार अपने लिये प्रेरणाप्रद मानते हैं।

अंग्रेजी और बंगला भाषा में प्रकाशित समाचारों के प्रकाशन से अंग्रेजों को विचलित होते हुए भारतीय भविष्यदृष्टाओं ने देख लिया था। इसी से प्रभावित

होकर कानपुर के पंडित युगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से ३० मई १८२६ को 'उदन्त मार्तण्ड' का प्रकाशन प्रारम्भ किया था।

हिंदी पत्रकारिता का उद्‌भव

''हिंदी का पहला समाचारपत्र 'उदन्त मार्तण्ड' ३० मई १८२६ कलकत्ता से प्रारम्भ हुआ।''[१८] यह साप्ताहिक पत्र १८२७ तक चला और पैसे की कमी के कारण बंद हो गया।

१० मई १८२६ में राजा राममोहन राय ने साप्ताहिक 'बंगदूत' का प्रकाशन शुरू किया। वैसे यह बहुभाषीय पत्र था, जो अंग्रेजी, बंगला, हिंदी और फारसी में निकलता था। यह कलकत्ता से निकलता था जो अहिंदी क्षेत्र था। इससे पता चलता है कि राममोहन राय हिंदी को कितना महत्व देते थे? सन् १८३३ में भारत में २० समाचार-पत्र थे, १८५० में २८ हो गए और १९५३ में ३५ हो गये। इस तरह अख़बारों की संख्या तो बढ़ी, पर नाममात्र को ही बढ़ी। बहुत से पत्र जल्द ही बंद हो गये। उन की जगह नये निकले। प्रायः समाचार-पत्र कई महीनों से ले कर दो-तीन साल तक जीवित रहे।

उस समय भारतीय समाचार-पत्रों की समस्याएं समान थीं। वे नया ज्ञान अपने पाठकों को देना चाहते थे और उसके साथ समाज-सुधार की भावना भी थी। सामाजिक सुधारों को लेकर नये और पुराने विचारवालों में अंतर भी होते थे। इसके कारण नये-नये पत्र निकले। उनके सामने यह समस्या भी थी कि अपने पाठकों को किस भाषा में समाचार और विचार दें। समस्या थी - भाषा शुद्ध हो या सब के लिये सुलभ हो? ''१८४५ में काशी से राजा षिवप्रसाद सितारेहिंद ने 'बनारस अख़बार' का प्रकाशन किया।''[१९] राजा शिव प्रसाद शुद्ध हिंदी का प्रचार करते थे और अपने पत्र के पृष्ठों पर उन लोगों की कड़ी आलोचना की जो बोल-चाल की हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। लेकिन उसी समय के हिन्दी लेखक भारतेंदु हरिशचंद्र ने ऐसी रचनाएं रचीं जिनकी भाषा समृद्ध भी थी और सरल भी। इस तरह उन्होंने आधुनिक हिंदी की नींव रखी है और हिन्दी के भविष्य के बारे में हो रहे विवाद को समाप्त कर दिया। १८६८ में भरतेन्दु हरिशचंद्र ने साहित्यिक पत्रिका 'कविवचन सुधा' निकालना प्रारम्भ किया। १८५४ में हिंदी का पहला दैनिक 'समाचार सुधा वर्षण' निकला।

उदन्त मार्तण्ड

उदन्त मार्तण्ड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन ३० मई, १८२६ ई. में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। कलकत्ता के कालू टोला नामक मोहल्ले की ३७ नंबर आमड़तल्ला गली से युगलकिशोर शुक्ल ने सन् १८२६ ई. में उदन्त मार्तण्ड नामक एक हिंदी साप्ताहिक पत्र निकालने का आयोजन किया। उस समय अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला में तो अनेक पत्र निकल रहे थे किंतु हिंदी में एक भी पत्र नहीं निकलता था। इसलिए 'उदन्त मार्तण्ड' का प्रकाशन शुरू किया गया। इसके सम्पादक भी श्री युगलकिशोर शुक्ल ही थे। वे मूल रूप से कानपुर संयुक्त प्रदेश के निवासी थे।, यह पत्र पुस्तकाकार (१२ x ८) छपता था और हर मंगलवार को निकलता था।

पत्र की प्रारम्भिक विज्ञप्ति

प्रारम्भिक विज्ञप्ति इस प्रकार थी-

''यह 'उदन्त मार्तण्ड' अब पहले-पहल हिन्दुस्तानियों के हित के हेत जो आज तक किसी ने नहीं चलाया पर अंग्रेजी ओ फारसी ओ बंगले में जो समाचार का कागज छपता है उसका सुख उन बोलियों के जान्ने ओ पढ़ने वालों को ही होता है... देश के सत्य समाचार हिंदुस्तानी लोग देखकर आप पढ़ ओ समझ लेंय ओपराई अपेक्षा जो अपने भावों के उपज न छोड़े, इसलिये बड़े दयावान करुणा ओ गुणनि के निधान सबके कल्यान के विषय श्रीमान् गवरनर जेनेरल बहादुर की आयस से अैसे चाहत में चित्त लगाय के एक प्रकार से यह नया ठाट ठाटा...।''[२०]

इसके कुल ७९ अंक ही प्रकाशित हो पाए थे कि डेढ़ साल बाद दिसंबर, १८२७ ई. को इसका प्रकाशन बंद करना पड़ा, इसके अंतिम अंक में लिखा है- उदन्त मार्तण्ड की यात्रा- मिति पौष बदी १ भौम संवत् १८८४ तारीख दिसम्बर सन् १८२७।

आज दिवस लौं उग चुक्यौ मार्तण्ड उदन्त
अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत।

हिंदी पत्रकारिता का विकास

हिन्दी पत्रकारिता के विकासक्रम को समझने के लिये हमें काल विभाजन करना ही होगा। बिना काल विभाजन के हम तत्कालीन युग चेतना को नहीं समझ पायेंगे। ''समाचारपत्र युगीन चेतना का दस्तावेज सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय और साहित्यिक विषयों की जितनी भी गतिविधियां होती हैं, उनकी अभिव्यक्ति समाचारपत्रों में होती है। देश और काल की चेतनाओं में परिवर्तन के साथ समाचारपत्रों में होती है। देश और काल-सापेक्ष चेतना और समाचारपत्रों की परम्परा का सामंजस्य स्थापित कर उसकी समीक्षात्मक प्रस्तुति समाचारपत्रों का इतिहास-लेखन है।''[२१]

डॉ. धीरेन्द्रनाथ सिंह ने समाचारपत्रों के इतिहास का काल-विभाजन इस प्रकार किया है-

''आदिकाल या भारतेन्दु-पूर्व की पत्रकारिता	-१८२६ से १८६६ ई.
नवजागरण या भारतेन्दु-युग की पत्रकारिता	-१८६७ से १८८४ ई.
१९वीं सदी के उत्तरार्द्ध की पत्रकारिता	-१८८५ से १९०० ई.
साहित्यिक चेतनाकाल या द्विवेदी-युग की पत्रकारिता	-१९०० से १९१९ ई.
छायावाद युग की पत्रकारिता	-१९१९ से १९३६ ई.
छायावादोत्तर-काल की पत्रकारिता	-१९३७ से १९४७ई.''[२२]

यह काल विभाजन न तो पत्रकारिता के सम्पूर्ण इतिहास को ही व्यक्त कर पाता है और न ही साहित्यिक पत्रकारिता को। अर्थात् उपरोक्त काल-विभाजन अपूर्ण है।

डॉ. सुशीला जोशी ने ''हिंदी पत्रकारिता : विकास और विविध आयाम'' में पत्रकारिता के इतिहास को इस क्रम में विभाजित किया है-

हिंदी पत्रकारिता का उद्‌भव	- १८२६ से १८६७ ई.
हिंदी पत्रकारिता का विकास	- १८६८ से १९०० ई.
हिंदी पत्रकारिता का उत्थान	- १९०० से १९४७ ई.

इस प्रकार किये गये काल-विभाजन को भी पत्रकारीय इतिहास की दृष्टि से पूर्णता के साथ नहीं देखा जा सकता है।

इंटरनेट पर भारत डिस्कवरी[२३] के अनुसार हिंदी पत्रकारिता का काल विभाजन के सम्बंध में सूचना दी गयी है कि ''भारत में हिंदी पत्रकारिता का तार्किक और वैज्ञानिक आधार पर काल विभाजन करना कुछ कठिन कार्य है। सर्वप्रथम राधाकृष्ण दास ने ऐसा प्रारम्भिक प्रयास किया था। उसके बाद 'विशाल भारत' के नवंबर १९३० के अंक में विष्णुदत्त शुक्ल ने इस प्रश्न पर विचार किया, किंतु वे किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचे। गुप्त निबंधावली में बालमुकुंद गुप्त ने यह विभाजन इस प्रकार किया -

प्रथम चरण	- सन् १८४५ से १८७७ ई.
द्वितीय चरण	- सन् १८७७ से १८९० ई.
तृतीय चरण	- सन् १८९० ई. से बाद तक

डॉ. रामरतन भटनागर ने अपने शोध प्रबंध 'द राइज एंड ग्रोथ आफ हिंदी जर्नलिज्म' में काल विभाजन इस प्रकार किया है-

आरंभिक युग १८२६ से १८६७ ई.
उत्थान एवं अभिवृद्धि
प्रथम चरण- (१८६७-१८८३ ई.) भाषा एवं स्वरूप के समेकन का युग
द्वितीय चरण- (१८८३-१६०० ई.) प्रेस के प्रचार का युग
विकास युग
प्रथम युग - (१६००-१६२१ ई.) आवधिक पत्रों का युग
द्वितीय युग- (१६२१-१६३५ ई.) दैनिक प्रचार का युग
सामयिक पत्रकारिता - १६३५-१६४५ ई.

उपरोक्त में से तीन युगों के आरम्भिक वर्षों में तीन प्रमुख पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, जिन्होंने युगीन पत्रकारिता के समक्ष आदर्श स्थापित किए। सन् १८६७ में 'कविवचन सुधा', सन् १८८३ में 'हिन्दुस्तान' तथा सन् १६०० में 'सरस्वती' का प्रकाशन है।

काशी नागरी प्रचारणी द्वारा प्रकाशित 'हिंदी साहित्य के वृहत्त इतिहास' में यह काल विभाजन इस प्रकार किया गया है -

प्रथम उत्थान	- सन् १८२६ से १८६७ ई.
द्वितीय उत्थान	- सन् १८६८ से १६२० ई.
आधुनिक उत्थान	- सन् १६२० ई. के बाद

डॉ. कृष्ण बिहारी मिश्र ने 'हिंदी पत्रकारिता' का अध्ययन करने की सुविधा की दृष्टि से यह विभाजन मोटे रूप से इस प्रकार किया है -
भारतीय नवजागरण और हिंदी पत्रकारिता का उदय
राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति-दूसरे दौर की हिन्दी पत्रकारिता
बीसवीं शताब्दी का आरम्भ और हिंदी पत्रकारिता का तीसरा दौर - इस काल खण्ड का अध्ययन करते समय उन्होंने इसे तिलक युग तथा गांधी युग में भी विभक्त किया।

डॉ. रामचन्द्र तिवारी ने अपनी पुस्तक 'पत्रकारिता के विविध रूप' में विभाजन के प्रश्न पर विचार करते हुए यह विभाजन किया है-

उदय काल	- (सन् १८२६ से १८६७ ई.)
भारतेन्दु युग	- (सन् १८६७ से १६०० ई.)
तिलक या द्विवेदी युग	- (सन् १६०० से १६२० ई.)
गांधी युग	- (सन् १६२० से १६४७ ई.)
स्वातंत्र्योत्तर युग	- (सन् १६४७ ई. से अब तक)

पत्रकारिता के इतिहास के सम्बंध में बहुत सारे विद्वानों ने ''पत्रकारिता का प्रथम दौर, द्वितीय दौर, तृतीय दौर, तिलक युग, गांधी युग को भी स्वीकार किया है, जबकि कुछ विद्वानों ने साहित्य की दृष्टि से 'द्विवेदी युग' को भी स्वीकारा है।

जबकि 'ए हिस्ट्री आफ द प्रेस इन इंडिया' में श्री एस नटराजन ने पत्रकारिता का अध्ययन निम्न प्रमुख बिंदुओं के आधार पर किया है -

बीज वपन काल
ब्रिटिश विचारधारा का प्रभाव
राष्ट्रीय जागरण काल
लोकतंत्र और प्रेस

इंटरनेट की साइट मुक्त ज्ञानकोष विकिपीडिया[२४] पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार-

भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता का
आरम्भ और हिंदी पत्रकारिता

हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण
हिंदी पत्रकारिता का दूसरा युग - भारतेन्दु युग
भारतेन्दु के बाद
तीसरा चरण - बीसवीं शताब्दी के प्रथम बीस वर्ष
आधुनिक युग

भारत में जब हिंदी पत्रकारिता का प्रारम्भ हुआ तब भारतीय जनता में नवजागरण एवं राष्ट्रनिर्माण की परिकल्पना जाग्रत हो रही थी। जो उदन्त मार्तण्ड से प्रारम्भ होकर भारतेन्दु के अन्तिम वर्श तक मानी जानी चाहिए। क्योंकि हिंदी पत्रकारिता अपने प्रारम्भ के कुछ वर्षों में भले ही कुछ विशेष प्रभावकारी सिद्ध न हो सकी हो किंतु 'समचार सुधावर्षण' के बाद हिंदी पत्रकारिता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और भारतेन्दु ने अपने सत्प्रयासों से पत्रकारिता को ऊंचाई प्रदान की। भारतेन्दु की पत्रकारिता को नवजागरण के रूप में देखना पत्रकारिता के हित में ही होगा। अर्थात् पत्रकारिता के प्रथम काल को हमें 'हिंदी पत्रकारिता का नवजागरण काल' ही मानना उचित है।

चूंकि हिंदी पत्रकारिता ने ब्रिटिश कालीन भारत में जन्म लिया, और ब्रिटिश शासन को उखाड़ने के लिये बाल गंगाधर तिलक ने 'स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार' कहकर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उनके समय में पत्रकारिता चर्मावस्था को प्राप्त हो रही थी। इसलिए पत्रकारिता के इस युग को 'तिलक युग' कहना अनुचित नहीं होगा। अन्य विद्वानों ने भी पत्रकारिता के 'तिलक युग' को मान्यता दी है।

तिलक के बाद भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन में सर्वोपरि स्थान आता है, 'महात्मा गांधी' जी का। इसलिए पत्रकारिता के इस युग को 'गांधी युग' कहना अनुचित नहीं होगा। अन्य विद्वानों ने भी पत्रकारिता के 'गांधी युग' को मान्यता दी है। भारतीय परिवेश में पत्रकारिता ने तीव्रता के साथ प्रगति की है। भारत के बदलते हालातों को हम पत्रकारिता के विधिवत इतिहास से भी जान सकते हैं।

स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता की मूल विचारधारा में बदलाव आया है। यह बदलाव आपात् काल के प्रारम्भ (१६७४) तक स्पष्ट देखने को मिलता है। इसलिये सन् १६४८ से १६७४ तक के काल को 'स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी पत्रकारिता' काल मानना चाहिये।

देश ने आजादी के बाद जो हालात आपातकाल में देखे वह कभी नहीं देखने में आये। मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगा दिये गये थे। अभिव्यक्ति के अधिकार को भी आघात पहुंचा परन्तु फिर भी पत्रकारिता अपना काम करती रही। आपात् कालीन पत्रकारिता अध्ययन का विशय है। इस काल की पत्रकारिता ने अपने धर्म को बखूबी निभाया भी। तभी तो इस काल की पत्रकारिता को 'आपात्कालीन पत्रकारिता' मान लेने में कोई बुराई नजर नहीं आती है।

पत्रकारिता का यह सूक्ष्म काल तमाम चुनौतियों का सामना करता हुआ दिखाई देता है। आपात्काल के बाद पत्रकारिता में विशेष परिवर्तन आया है। आज पत्रकारिता के विभिन्न रूप दिखायी दे रहे हैं, पत्रकारिता साधन सम्पन्न हो गयी है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया भी काम कर रही है। आज की पत्रकारिता रंगीन है, वह बासंती परिधान पहने है। आज की पत्रकारिता को हम 'समकालीन पत्रकारिता' कह सकते हैं।

पत्रकारिता को साहित्यिक और राजनीतिक दृष्टि से देखते हुए काल-विभाजन करना हितकर होगा। जो इस प्रकार हो सकता है-

हिंदी पत्रकारिता का जागरण काल	-१८२६ से १८६६ ई.
हिंदी पत्रकारिता का तिलक युग	-१६०० से १६१६ ई.
हिंदी पत्रकारिता का गांधी युग	-१६२० से १६४७ ई.
स्वातंत्र्योत्तर हिंदी पत्रकारिता	-१६४८ से १६७४ ई.

आपातकालीन हिंदी पत्रकारिता -१६७५ से १६७६ ई.

विकास की ओर हिंदी पत्रकारिता -१६८० से २०१० ई.

विकसित हिन्दी पत्रकारिता - २०११ ई. से वर्तमान

इस प्रकार पत्रकारिता का काल-विभाजन करते हुए आगे इसी आधार पर विवेचना करेंगे।

सन्दर्भ

१. डॉ. कमल पुंजाणी, हिन्दी पत्र-साहित्य, कृष्णा ब्रदर्स, अजमेर, प्राक्कथन
२. डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल/चन्द्रमणि रघुवंशी, उ.प्र. श्रमजीवी पत्रकार यूनियन (पंजीकृत) बिजनौर, पृ. ८
३. विजयदत्त श्रीधर, भारतीय पत्रकारिता कोष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. ४
४. डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल/चन्द्रमणि रघुवंशी, उ.प्र. श्रमजीवी पत्रकार यूनियन (पंजीकृत) बिजनौर, पृ. १०
५. जे. नटराजन, भारतीय पत्रकारिता का इतिहास, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, पृ.२
६. हेरम्ब मिश्र, सम्पूर्ण पत्रकारिता, अभिनव भारती इलाहाबाद, पृ. ४
७. डॉ. सुशीला जोशी, हिन्दी पत्रकारिता : विकास और विविध आयाम, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ. १८
८. विजयदत्त श्रीधर, भारतीय पत्रकारिता कोष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. ३५
६. विजयदत्त श्रीधर, भारतीय पत्रकारिता कोष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. ४०
१०. विजयदत्त श्रीधर, भारतीय पत्रकारिता कोष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. ४६
११. डॉ. शंकर बसंत मुदगल, भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, चन्द्रलोक प्रकाशन कानपुर, पृ. १६
१२. डॉ. शंकर बसंत मुदगल, भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, चन्द्रलोक प्रकाशन कानपुर, पृ. १७
१३. डॉ. शंकर बसंत मुदगल, भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास,, चन्द्रलोक प्रकाशन कानपुर, पृ. १७
१४. डॉ. शंकर बसंत मुदगल, भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, चन्द्रलोक प्रकाशन कानपुर, पृ. १७
१५. डॉ. शंकर बसंत मुदगल, भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, चन्द्रलोक प्रकाशन कानपुर, पृ. १६
१६. डॉ. शंकर बसंत मुदगल, भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, चन्द्रलोक प्रकाशन कानपुर, पृ. २०
१७. डॉ. शंकर बसंत मुदगल, दभारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, चन्द्रलोक प्रकाशन कानपुर, पृ. २१
१८. विजयदत्त श्रीधर, भारतीय पत्रकारिता कोष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. ५४
१६. विजयदत्त श्रीधर, भारतीय पत्रकारिता कोष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. १०४
२०. विजयदत्त श्रीधर, भारतीय पत्रकारिता कोष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. ५५
२१. डॉ. धरेन्द्रनाथ सिंह, हिन्दी पत्रकारिता भारतेन्दु-पूर्व से छायावादोत्तर-काल तक, विष्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, पृ. ६
२२. डॉ. धरेन्द्रनाथ सिंह, हिन्दी पत्रकारिता भारतेन्दु-पूर्व से छायावादोत्तर-काल तक, विष्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, पृ. ७
२३. http://bharatdiscovery.org/india
२४. http://hi.wikipedia.org

Refereed & Peer Reviewed Research Magazine
RNI-UPHIN/2018/77444 ISSN-2582-1288
त्रैमासिक मूल्य २००
शोधादर्श
संदर्भित एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिक पत्रिका
वर्ष : ८ अंक : ३, जून-अगस्त २०२६
doi.org/10.5281/
इम्पेक्ट फैक्टर(२०२६) : १०.१६
पंजीकृत कार्यालय
शोधादर्श, ए-७, आदर्श नगर, तातारपुर लालू, नजीबाबाद-२४६७६३ ज़िला बिजनौर (उ.प्र.)
संपादकीय कार्यालय/पत्रव्यवहार
शोधादर्श, साईं एंक्लेव, निकट देवता धनौरा, नजीबाबाद-२४६७६३ बिजनौर (उप्र)
https://shodhadarsh.in/

नवजागरण कालीन साहित्यकारों की हिंदी पत्रकारिता

सन् १८२६ से १८६६ ई.

अक्षि त्यागी
एम.ए.
(हिन्दी एवं गृहविज्ञान)

अमन कुमार
संपादक
शोधादर्श (त्रैमासिक) एवं ओपन डोर(साप्ताहिक)
नजीबाबाद, बिजनौर मोबा. -९८९७७४२८१४

तत्कालीन परिस्थितियां

इस समय देश के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। भारत की सत्ता मुगलों के हाथों से लगभग निकल चुकी थी। पुर्तगालियों का असर भी कम हुआ था और अंग्रेज सम्पूर्ण भारत को अपने अधीन कर चुके थे। ''उन्नीसवीं शताब्दी के दूसरे दषक के भारतीय जनजीवन में ब्रिटिश साम्राज्य की दहषत थी अपनी चालाकी और बर्बरता के बल पर हमारे स्वामी बन बैठे।''[१] अंग्रेजों भारतीयों से सामंजस्य नहीं बना सके थे। तभी ''१८२४ में बर्मा से युद्ध छिड़ गया जो दो वर्श यानी १८२६ तक चला।''[२] देश में तेजी से बदलाव हो रहे थे। ''१८२४ ई. में ही बैरकपुर के सैनिकों के विद्रोह की घटना भी घटित हुई।''[३] अर्थात् यह बदलावों एवं विरोधों का काल था। अंग्रेजी एवं बंगला भाषाओं में अनेक पत्र प्रकाशित होने के बाद जब १८२६ में 'उदन्त मार्तण्ड' ''हिंदी का प्रथम साप्ताहिक''[४] प्रारम्भ हुआ तो भारतीय जनमानस को अपनी बात कहने के लिये समाचार-पत्र के रूप में एक हथियार मिल रहा था। अंग्रेजों के प्रतिबंध लगाने के बावजूद समाचार-पत्र निकालने की इच्छाएं प्रबल हो रही थी। अंग्रेजों की छटपटाहट देखते हुए पत्रकारिता में रोचकता बढ़ रही थी। सन् १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम में कई भारतीय अख़बार अपना असर दिखा चुके थे। साहित्यकार, समाजसेवी और आजादी चाहने वाले राजाओं ने मिलकर जो पत्रकारिता की वह अंग्रेजों पर भारी पड़ रही थी। उस समय का लगभग हर साहित्यकार पत्रकार हो चुका था और साहित्य के माध्यम से कागज के पन्नों पर विरोध के स्वर उकेर रहा था। हद तो तब हो गई जब ''विद्रोह से पूर्व उत्तर-पष्चिमी क्षेत्र के अख़बारों को गहन जांच से गुजरना पड़ता था। इस दौरान एकमात्र आपत्तिजनक लेख प्रकाशित हुआ। इसमें अंग्रेजों को भारत से भगाने के प्रयास सम्बंधी विचार छपते थे, जिससे कई प्रकार का आशंकाएं जन्म लेती थीं। १८५२ में सम्पादकीय पद के दुरुपयोग के दो मामले प्रकाश में आए। एक मामले में न्यायालय से सम्पादक पर उसके विरुद्ध शिकायत के सम्बंध में गवाही देने के लिए सम्मन जारी किया गया और दूसरे मामले में एक सम्पादक को एक अधिकारी के विरुद्ध अपमानजनक लेख प्रकाशित करने के आरोप में दो माह कैद की सजा हुई। इस समय के अख़बार जनमत को स्पष्ट रूप से रखने और जनता की समस्याओं को ठीक से उठाने में असफल रहे।''[५] परन्तु पत्रकारिता को यहां रुकना नही था वरन् उसे बहुत आगे जाना था। पत्रकारिता के माध्यम से जो सपने भारतीयों ने देखे थे। उन्हें अभी पूरा होने था। परिस्थितियां निरन्तर बदल रही थीं। पत्रकारिता की ताकत से घबराते हुए ''लार्ड कैनिंग ने छापाखानों की स्थापना के नियम एवं मुद्रित पुस्तकों व समाचार पत्रों की प्रसार-संख्या पर नियंत्रण रखने सम्बंधी जून १८५७ का अधिनियम लाते समय अपने भाषण में जो कुछ कहा, उससे एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। उन्होंने कहा- ''मुझे ऐसा लगता है कि देशी समाचारपत्रों ने पिछले कुछ हफ्तों के दौरान भारतीयों को जानकारी या सूचना देने की आड़ में जिस तरह की भड़काऊ खबरें प्रकाशित की हैं, उसके सम्बंध में इग्लैंड के लोगों को जानकारी भी नहीं है।

यह सब जान-बूझकर बड़ी चतुराई और होशियारी से किया गया है। तथ्यों को इस कदर तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है कि इसे पढ़ने वालों के दिलो-दिमाग में विरोध और घृणा की भावना घर कर जाए। तथ्यों को गलत ढंग से पेश करने के अलावा, सरकार के सम्बंध में निरंतर दुर्भावनापूर्ण बातें प्रकाशित की जाती रही हैं, सरकार के कार्यों की गलत व्याख्या की जाती रही है और सरकार व जनता के बीच असंतोष भड़काने की हद से ज्यादा कोषिषें की जा रही हैं।

हालांकि मैं यूरोपीय प्रेस के संचालकों की निष्ठा व बुद्धिमता का कायल हूं, किंतु मुझे यह कहना

पड़ रहा है कि उनके द्वारा प्रकाशित कुछ अख़बारों में भी मैंने ऐसी चीजें छपी पाई हैं, जिनका अन्य लोग देशी जनता को गुमराह करने के लिए दुरुपयोग कर सकते है। हालांकि ऐसी खबरें यूरोपीयों के लिए बिल्कुल सामान्य हैं। मुझे खुशी है कि यह विधेयक यूरोपीय प्रेस पर ही विशेष तौर पर लागू नहीं किया जा रहा है, मुझे इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती, और न ही यह न्यायपूर्ण प्रतीत होता है कि यूरोपीय व देशी प्रेस के बीच किसी प्रकार का विभेद किया जाए। लिहाजा, यह विधेयक हर भाषा में मुद्रित सामग्री पर, हर व्यक्ति पर लागू होगा, जो ऐसी छपी सामग्री के लिए उत्तरदायी हो।कृकृ

''मैं परिषद् से यह छिपा नहीं सकता कि मैंने इन प्रस्तावों को बड़े बेमन से पेष किया है। यह एक ऐसा प्रस्ताव है, जिसे अंग्रेजी माहौल में पला-बढ़ा कोई भी व्यक्ति, बिना किसी खेद या हिचक के उन लोगों के समक्ष पेश नहीं कर सकता, जिन्हें अंग्रेजी साम्राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। किंतु हर राज्य के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है, जब उसे जन-कल्याण हेतु छोड़ देना चाहिए, जिनका वह लाभ उठाता रहा है, जिनकी आमतौर पर रक्षा की जाती रही है। इस समय भारत की स्थिति कुछ ऐसी ही है। इस प्रकार का समय हमारे सम्मुख आया है। अख़बारों की आजादी कोई अपवाद नहीं है।''

बंबई से लार्ड एलफिंस्टन ने इस पर प्रतिबंध लगाए जाने के समर्थन में एक कड़ी टिप्पणी की, हालांकि उनके पास इस क्षेत्र के अख़बारों के खिलाफ शिकायत के पर्याप्त कारण नहीं थे। इसका उद्देश्य प्रस्तावित अधिनियम के खिलाफ इंग्लैंड या भारत से सम्भावित विरोध के मद्देनजर गवर्नर-जनरल का हाथ मजबूत करना था।

छापाखानों की स्थापना को नियमित करने और कुछ मामलों में मुद्रित पुस्तकों और अख़बारों के वितरण पर रोक लगाने के लिए १८५७ की धारा संख्या XV पारित हुई। इस कानून में १८२३ ई. के एडम-लाइसेंसिंग कानून को फिर से शामिल किया गया था। इस कानून के तहत सरकार को लाइसेंस प्राप्त किए बिना छापाखाना स्थापित करने पर रोक लगाने का प्रावधान था। सरकार के पास यह अधिकार था कि वह अपने विवेक से लाइसेंस जारी करे और किसी भी समय उसे रद्द कर दे। इस कानून से सरकार को किसी भी अख़बार, पुस्तक या अन्य कोई मुद्रित वस्तु के प्रकाशन या वितरण पर रोक लगाने का अधिकार हासिल हो गया। अंग्रेजी अख़बारों या भारतीय भाषा के अख़बारों के लिए इस कानून में कोई अंतर नहीं था। यह कानून पूरे भारत में एक वर्ष (अर्थात् १३ जून १८५८ तक) के लिए प्रभावी रहा। लाइसेंस प्राप्त करने की पुरानी विधि अप्रभावी हो गई और लाइसेंसधारी छापाखानों के लिए निम्न शर्तें लागू की गईं -

ऐसे किसी प्रेस से ऐसी किसी पुस्तक, पर्चा, अख़बार या अन्य सामग्री मुद्रित नहीं होगी, जो या तो इंग्लैंड या भारत के ब्रिटिश शासन के खिलाफ षड्यंत्र वाला हो या जिसके दृष्टांत या बयान से विरोध का आभास होता हो या इस सरकार के खिलाफ घृणा, विद्वेश व असंतोष की भावना फैलाए या गैर-कानूनी प्रतिरोध उत्पन्न कर उसकी अवमानना करे या उसके कानूनी संस्था या असैनिक या सैनिक कर्मचारियों के कानूनी अधिकार को कमजोर करे।

ऐसी कोई पुस्तक, पर्चा, अख़बार या अन्य सामग्री प्रकाशित नहीं की जाएगी, जिसके धार्मिक विचार और निष्कर्ष में कोई बयान या दृष्टांत ऐसे हों, जो सरकार द्वारा किसी प्रायोजित हस्तक्षेप की देशी कार्यवाही में संदेह या खतरा पैदा करने वाली हो। ऐसी कोई पुस्तक, पर्चा, अख़बार या अन्य सामग्री प्रकाशित नहीं की जाएगी, जिसमें ऐसा कोई निष्कर्ष हो, जो अंग्रेज सरकार और देशी राजाओं, प्रमुखों या इस पर निर्भर या इससे संधि किए हुए राज्यों के बीच की मित्रता को कमजोर करे।''[६]

सन् १८१६ ई. में भारतीय भाषा में पहला समाचार-पत्र प्रकाशित हुआ था। वह बंगाली भाषा का पत्र - 'संवाद कौमुदी' (बुद्धि का चांद) था। उस के प्रकाशक राजा राममोहन राय थे। १८२२ में गुजराती भाषा का साप्ताहिक 'मुंबईना समाचार' प्रकाशित होने लगा, जो दस वर्ष बाद दैनिक हो गया और गुजराती के प्रमुख दैनिक के रूप में आज तक विद्यमान है। भारतीय भाषा का यह सब से पुराना समाचार-पत्र है।

तत्पश्चात अनेक पत्र निकले। इन पत्रों में से कुछ मासिक थे, कुछ साप्ताहिक। दैनिक पत्र केवल एक था 'समाचार सुधावर्षण' जो द्विभाषीय (बंगला हिंदी) था और कलकत्ता से प्रकाशित होता था। यह दैनिक पत्र १८७१ ई. तक चलता रहा। बहुत से पत्र द्विभाषीय (हिंदी-उर्दू) थे और कुछ तो पंचभाषीय तक थे। इससे भी पत्रकारिता की अपरिपक्व दशा ही सूचित होती है। हिंदी प्रदेश के प्रारंभिक पत्रों में 'बनारस अख़बार' काफी प्रभावशाली था और उसी की भाषानीति के विरोध में १८५० ई. में तारामोहन मैत्र ने काशी से साप्ताहिक 'सुधाकर' और १८५५ ई. में राजा लक्ष्मणसिंह ने आगरा से 'प्रजाहितैषी' का प्रकाशन आरम्भ किया था। राजा शिवप्रसाद का 'बनारस अख़बार' उर्दू भाषाशैली को अपनाता था तो ये दोनों पत्र पंडिताऊ तत्समप्रधान शैली की ओर झुकते थे। इस प्रकार १८६७ ई. से पहले भाषाशैली के सम्बंध में हिंदी पत्रकार किसी निश्चित शैली का अनुसरण नहीं कर सके थे। इस वर्ष 'कवि वचनसुधा' का प्रकाशन हुआ और एक तरह से हम उसे पहला महत्वपूर्ण पत्र कह सकते हैं। पहले यह मासिक था, फिर पाक्षिक हुआ और अंत में साप्ताहिक। भारतेन्दु के बहुविध व्यक्तित्व का प्रकाशन इस पत्र के माध्यम से हुआ, परंतु सच तो यह है कि 'हरिश्चंद्र मैगजीन' के प्रकाशन (१८७३ ई.) तक वे भी भाषाशैली और विचारों के क्षेत्र में मार्ग ही खोजते दिखाई देते हैं।

समाचारपत्र व पत्रिकाएं अंग्रेजों की कूटनीति, भारतीय समाज में फैले घोर अन्धविश्वासों और गुलामी की जंजीरों को तोड़ डालने की चाह में निकलते गये।

उन दिनों सरकारी सहायता के बिना, किसी भी पत्र का चलना प्रायः असंभव था। कम्पनी सरकार ने मिशनरियों के पत्र को तो डाक आदि की सुविधा दे रखी थी, परंतु चेष्टा करने पर भी 'उदन्त मार्तण्ड' को यह सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी। इस पत्र में ब्रज और खड़ीबोली दोनों के मिश्रित रूप का प्रयोग किया जाता था, जिसे इस पत्र के संचालक 'मध्यदेशीय भाषा' कहते थे।

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद तो अंग्रेज जैसे बोखला ही गये थे। उन्होंने प्रेस की आजादी छीन ली थी मगर आजादी के दिवानों क हौसलों को वह छीन नहीं पाये। हिंदी पत्रकारिता ने एक कालजयी साहित्यिक पत्रकार भारतेन्दु हरीशचन्द्र के रूप में पाया। ''सन् १८६७ ई. में हिंदी पत्रकारिता को भारतेन्दु हरीशचन्द्र ने एक नया जीवन और संबल प्रदान किया। १० वर्षों बाद भारतेन्दु जी ने सन् १८७६ ई. में 'कवि वचन सुधा' का प्रकाशन किया।''[७]

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (९ सितंबर १८५०-७ जनवरी १८८५ ई.) आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम 'हरिश्चन्द्र' था, 'भारतेन्दु' उनकी उपाधि थी। उनका कार्यकाल युग की सन्धि पर खड़ा है। उन्होंने रीतिकाल की विकृत सामन्ती संस्कृति की पोषक वृत्तियों को छोड़कर स्वस्थ्य परम्परा की भूमि अपनाई और नवीनता के

बीज बोए। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारम्भ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेन्दु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी को राष्ट्र-भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया।

भारतेन्दु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेन्दु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेन्दु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्यासुंदर (१८६७ ई.) नाटक के अनुवाद से होती है। यद्यपि नाटक उनके पहले भी लिखे जाते रहे किंतु नियमित रूप से खड़ीबोली में अनेक नाटक लिखकर भारतेन्दु ने ही हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। उन्होंने 'हरिश्चंद्र पत्रिका', 'कविवचन सुधा' और 'बाला बोधिनी' पत्रिकाओं का सम्पादन भी किया। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरुक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे लेखक, कवि, सम्पादक, निबंधकार, एवं कुशल वक्ता भी थे। भारतेन्दु जी ने मात्र ३४ वर्ष की अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की। पैंतीस वर्ष की आयु (सन् १८८५) में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचनाकर्म पथदर्शक बन गया।

१८२६ ई. से १६०० ई. तक को हम हिंदी पत्रकारिता का प्रारम्भ काल अथवा नवजागरण काल कह सकते हैं। १८७३ ई. में भारतेन्दु ने 'हरिश्चंद्र मैगजीन' की स्थापना की। एक वर्ष बाद यह पत्र 'हरिश्चंद्र चंद्रिका' नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे भारतेन्दु का 'कविवचन सुधा' पत्र १८६७ में ही सामने आ गया था और उसने पत्रकारिता के विकास में महत्वपूर्ण भाग लिया था परंतु नई भाषाशैली का प्रवर्तन १८७३ ई. में 'हरिश्चंद्र मैगजीन' से ही हुआ।

पत्रकारिता का प्रारम्भिक काल होने के कारण काफी परेशानियां सम्पादकों को होती थी। एक तरफ अंग्रेज सरकार तंग करती थी (पिछले अध्याय में हम जिक्र कर चुके हैं) दूसरी तरफ ''समाचार प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती थी। संवाद-दाताओं की बहुत कमी थी। बाहर से भी समाचार कम ही मिल पाते थे।''[८]

पत्रकारिता में हिंदी साहित्यकार

सन् १८२६ से १६०० तक का समय भारतीय जनमानस, भारतीय पत्रकारिता और हिंदी गद्यशैली के लिये महत्वपूर्ण समय था। इस युग में ''पत्रकारिता के मिशन का नेतृत्व भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन', प्रतापनारायण मिश्र, पण्डित बालकृष्ण भट्ट, के. केशवराम भट्ट, रामदीन सिंह, लाला श्रीनिवास दास सम्पादकों ने किया। पूरे युग में नवचेतना जगाने का नेतृत्व भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने किया। किंतु वे पूरे युग की प्रवृत्ति नहीं थे। अतः मुख्य प्रवृत्ति नवजागरण के कारण उस युग का नामकरण नवजागरण काल कहा जायगा।''[६] यह वह काल था जब देश को पत्रकारिता की सर्वाधिक आवश्यकता थी। ''उस समय विक्टोरिया महारानी के राज का जय-जयकार हो रहा था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी नहीं हुई थी फिर भी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने पत्र निकालते समय यह उद्देश्य रखे थे कि भारत अपना स्वत्व यानी स्वाधीनता प्राप्त करे। करों का जो दुःख है वह दूर हो। नारी-नर बराबर हों, संसार में आनंद हो और काव्य में संस्कार हो। इस प्रकार राष्ट्रीय, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी पहलुओं पर इस पत्र ने प्रकाश डालना प्रारम्भ किया।''[१०]

नवजागरण काल में निकलने वाली पत्र-पत्रिकाएं साहित्यिक ही थीं। जो साहित्यिक भाषा में न सिर्फ ब्रिटिश शासन का विरोध कर रही थीं बल्कि भारतीय जनमानस में फैले अन्धविश्वासों को दूर करने का काम भी कर रही थीं। यही वह काल है जिसमें हिंदी गद्यशैली का तीव्र विकास हो रहा था। ''उस युग में जितनी भी पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हुई उनका स्वरूप साहित्यिक तो था पर वह केवल साहित्यिक विचारों तक ही सीमित नहीं थीं। वे साहित्य के माध्यम से युग-सत्य को व्यक्त करती थीं। पत्रों की मुख्य चेतना राष्ट्रीय भावना जगाना, समाज-सुधार, हिंदी भाषा और साहित्यक को नया स्वरूप देना, देश को पराधीनता से मुक्त कराना, स्वदेशी चेतना जगाना लक्ष्य था। युग की स्थितियों की अभिव्यक्ति उन पत्रों में हुई। उस काल के पत्र अपनी युगीन चेतना की अभिव्यक्ति हैं। वस्तुतः देश के निर्माण में उस युग के पत्रों की मुख्य भूमिका थी। उन पत्रों ने हिंदी भाषा और साहित्य को नया स्वरूप प्रदान किया। नाटक, निबंध, उपन्यास, कविताएं, यात्रा-वर्णन आदि सभी विधाओं को परिपुष्ट किया। साथ ही नाटकों तथा काव्यों के माध्यम से जन-मन में राष्ट्रीय चेतना जगायी।

समाज-सुधार के क्षेत्र में आर्य समाज के आन्दोलन ने भारतीयता की भावना को पुष्ट करने तथा हिन्दू कर्मकाण्ड में संशोधन कर नयी दिशा दी। स्वामी दयानंद के आर्य समाज ने पूरे देश और विशेषतः उत्तर भारत में हिंदी, हिन्दू और हिन्दुस्तान को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। आर्य समाज ने हिंदी भाषा को जन-जन तक पहुंचाया और इसे देश की मुख्य भाषा के रूप में स्थापित करने में सहयोग दिया।

'ब्रह्म समाज' और 'प्रार्थना सभा' का भी उस युग में व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ। बंगाल से पंजाब तक सामाजिक सुधार की यह धारा चली। समाज-सुधार का यह आन्दोलन बंग समाज तक ही सीमित रहा। युग की सांस्कृतिक चेतना को जगाने के क्षेत्र में उस युग ने हिंदी रंगमंच को नयी दिशा दी। नाटकों के मंचन की इतनी सूचनाएं और समीक्षा प्रकाशित की गयीं जिससे हिंदी रंगमंच को नयी चेतना मिली और उसका अपना इतिहास और उसकी परम्परा स्थापित हुई। काशी, पटना, कानपुर, लखनऊ और कलकत्ता हिंदी नाटकों के मंचन के प्रमुख केन्द्र थे। पत्रों ने स्थानीय, प्रादेशिक और विदेशी समाचारों से भी जनता को अवगत कराया, अपने पाठकों को ज्ञानवर्धन, मनोरंजन तथा उनकी समस्याओं को उजागर करने तथा उसका समाधान करने में योगदान किया।

भारतेन्दु उस युग के ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, अपनी भाषा का सम्मान, पराधीनता से मुक्ति के लिए संघर्ष करने का संदेश दिया जिसे महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आन्दोलन के व्यावहारिक स्वरूप में देखा जा सकता है।

समाचारपत्रों के इतिहास के इस नवजागरण-काल में हिंदी समाचारपत्रों को अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व प्राप्त हुआ। पत्रों के संचालक या सम्पादक सभी साहित्यकार थे जिनका उद्देश्य साहित्य-सेवा तो था किंतु वह सेवा केवल साहित्य तक ही नहीं बल्कि देश की समस्याओं से संघर्ष करना भी उनका लक्ष्य था।

किसी भी समाचारपत्र के लिए अग्रलेख जरूरी है। उस युग के सम्पादकों के 'कविवचन सुधा', 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका', 'बाला बोधिनी', 'हिन्दी प्रदीप', 'ब्राह्मण', 'क्षत्रिय पत्रिका', 'आनंद कादम्बिनी', 'पीयूष-प्रवाह', प्रभृति पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख जहां जनचेतना जगाने का आह्वान करते हैं, वहीं वे हिंदी निबन्ध की जननी भी हैं। वस्तुतः हिंदी समाचारपत्रों से ही हिंदी निबंधों का उद्भव और विकास हुआ। नवजागरण काल की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। भारतेन्दु के हंसमुख निबंधों का उद्भव उनकी पत्रिका 'कवि-वचन-सुधा' और 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' से ही हुआ। इस प्रकार उस युग में समाचार-पत्रों के

नवजागरण-काल ने हिन्दी-समाचार-पत्रों को सुव्यवस्थित स्वरूप और स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया।''[११]

भारतेन्दु के बाद इस क्षेत्र में जो पत्रकार आए उनमें प्रमुख थे पंडित रुद्रदत्त शर्मा, (भारतमित्र, १८७७ ई.), बालकृष्ण भट्ट (हिंदी प्रदीप, १८७७ ई.), दुर्गाप्रसाद मिश्र (उचित वक्ता, १८७८ ई.), पंडित सदानंद मिश्र (सारसुधानिधि, १८७८ ई.), पंडित वंशीधर (सज्जनकीर्ति सुधाकर, १८७८ ई.), बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमधन' (आनंदकादंबिनी, १८८१ ई.), देवकीनंदन त्रिपाठी (प्रयाग समाचार, १८८२ ई.), राधाचरण गोस्वामी (भारतेन्दु, १८८२ ई.), पंडित गौरीदत्त (देवनागरी प्रचारक, १८८२), राज रामपाल सिंह (हिंदुस्तान, १८८३ई), प्रतापनारायण मिश्र (ब्राह्मण, १८८३ ई.), अंबिकादत्त व्यास, (पीयूषप्रवाह, १८८४ ई.), बाबू रामकृष्ण वर्मा (भारतजीवन, १८८४), पं. रामगुलाम अवस्थी (शुभचिंतक, १८८८ ई.), योगेशचंद्र वसु (हिंदी बंगवासी, १८९० ई.), पं. कुंदनलाल (कवि व चित्रकार, १८९१ ई.) और बाबू देवकीनंदन खत्री एवं बाबू जगन्नाथदास (साहित्य सुधानिधि, १८९४ ई.)। १८९५ ई. में नागरीप्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ होता है। इस पत्रिका से गंभीर साहित्यसमीक्षा का आरंभ हुआ और इसलिए हम इसे एक निश्चित प्रकाशस्तंभ मान सकते हैं। १९०० ई. में 'सरस्वती' और 'सुदर्शन' के अवतरण के साथ हिंदी पत्रकारिता के इस युग का पटाक्षेप हो जाता है।

भारतेन्दु ने सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक दिशाएं भी विकसित कीं। उन्होंने ही बालाबोधिनी (१८७४ ई.) नाम से पहला स्त्री-मासिक-पत्र चलाया। कुछ वर्ष बाद महिलाओं को स्वयं इस क्षेत्र में उतरते देखते हैं - भारतभगिनी (हरदेवी, १८८८ ई), सुगृहिणी (हेमंतकुमारी, १८८९ ई.)। इन वर्षों में धर्म के क्षेत्र में आर्यसमाज और सनातन धर्म के प्रचारक विशेष सक्रिय थे।

प्रमुख पत्र

उदन्त मार्तण्ड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन मई, १८२६ ई. में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। कलकत्ता के कालू टोला नामक मोहल्ले की ३७ नंबर आमड़तल्ला गली से जुगलकिशोर सुकुल ने सन् १८२६ ई. में उदन्त मार्तण्ड नामक एक हिंदी साप्ताहिक पत्र निकालने का आयोजन किया। उस समय अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला में तो अनेक पत्र निकल रहे थे किंतु हिंदी में एक भी पत्र नहीं निकलता था। इसलिए 'उदन्त मार्तण्ड' का प्रकाशन शुरू किया गया। इसके सम्पादक भी श्री युगलकिशोर शुक्ल ही थे। वे मूल रूप से कानपुर संयुक्त प्रदेश के निवासी थे। यह पत्र पुस्तकाकार (१२ x ८) छपता था और हर मंगलवार को निकलता था। इसके कुल ७९ अंक ही प्रकाशित हो पाए थे कि डेढ़ साल बाद ''१९ दिसम्बर १८२७ ई. के (७९वें) अंक के अंत में जो टिप्पणी प्रकाशित हुई, उसमें पत्र के अंतिम दिनों की कसक मिलती है-

आज दिवस लौं उग चुक्यौ मार्तण्ड उदन्त
अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत।''[१२]

इस बीच के अधिकांश पत्र प्रयोग मात्र कहे जा सकते हैं और उनके पीछे पत्रकला का ज्ञान अथवा नए विचारों के प्रचार की भावना नहीं है। 'उदन्त मार्तण्ड' के बाद प्रमुख पत्र हैं -

बंगदूत (१८२६ ई.), प्रजामित्र (१८३४ ई.), बनारस अख़बार (१८४५ ई.), मार्तण्ड पंचभाषीय (१८४६ ई.), ज्ञानदीप (१८४६ ई.), मालवा अख़बार (१८४६ ई.), जगद्दीप भास्कर (१८४६ ई.), सुधाकर (१८५० ई.), साम्यदंड मार्तण्ड (१८५० ई.), मजहरुलसरूर (१८५० ई.), बुद्धिप्रकाश (१८५२ ई.), ग्वालियर गजेट (१८५३ ई.), समाचार सुधावर्षण (१८५४ ई.), दैनिक कलकत्ता, प्रजाहितैषी (१८५५ ई.), सर्वहितकारक (१८५५ ई.), सूरजप्रकाश (१८६१ ई.), जगलाभचिंतक (१८६१ ई.), सर्वोपकारक (१८६१ ई.), प्रजाहित (१८६१ ई.), लोकमित्र (१८३५ ई.), भारतखंडामृत (१८६४ ई.), तत्वबोधिनी पत्रिका (१८६५ ई.), ज्ञानप्रदायिनी पत्रिका (१८६६ ई.), सोमप्रकाश (१८६६ ई.), सत्यदीपक (१८६६ ई.), वृतांतविलास (१८६७ ई.), ज्ञानदीपक (१८६७), कविवचनसुधा (१८६७), धर्मप्रकाश (१८६७), विद्याविलास (१८६७), वृतांत दर्पण (१८६७ ई.), विद्यादर्श (१८६९ ई.), ब्रह्मज्ञानप्रकाश (१८६९ ई.), अल्मोड़ा अख़बार (१८७० ई.), आगरा अख़बार (१८७० ई.), बुद्धिविलास (१८७० ई.), हिंदू प्रकाश (१८७१ ई.), प्रयागदूत (१८७१ ई.), बुंदेलखंड अखबर (१८७१ ई.), प्रेमपत्र (१८७२ ई.) और बोधा समाचार (१८७२ ई.), हरिश्चंद्र मैगजीन (१८७३ ई.), श्री हरिश्चंद्र चंद्रिका (१८७४ ई.), बाला बोधिनी (स्त्रीजन की पत्रिक, १८७४ ई.), भारतमित्र (१८७७ ई.), हिंदी प्रदीप (१८७७ ई.), उचित वक्ता (१८७८ ई.), सारसुधानिधि, (१८७८ ई.), सज्जन-कीर्ति-सुधाकर (१८७८ ई.), क्षत्रियपत्रिका (१८८० ई.), आनंदकादंबिनी (१८८१ ई.), प्रयाग समाचार (१८८२ ई.), भारतेन्दु (१८८२ ई.), देवनागरी प्रचारक (१८८२ ई.), हिंदुस्तान (१८८३ ई.), ब्राह्मण (१८८३ ई.), नागरी नीरद (१८८३ ई.), साहित्य सुधानिधि (१८९४ ई.) पीयूषप्रवाह (१८८४ ई.), भारतजीवन (१८८४ ई.), शुभचिंतक (१८८८ ई.), भारतभगिनी (१८८८ ई.), सुगृहिणी (१८८९ ई.), हिंदी बंगवासी (१८९० ई.), कवि व चित्रकार (१८९१ ई.) साहित्य सुधानिधि (१८९४ई), नागरीप्रचारिणी पत्रिका (१८९५ ई.)। इन पत्रों में से कुछ मासिक थे, कुछ साप्ताहिक। दैनिक पत्र केवल एक था 'समाचार सुधावर्षण' जो द्विभाषीय (बंगला हिंदी) था और कलकत्ता से प्रकाशित होता था। यह दैनिक पत्र सन् १८७१ ई. तक चलता रहा। अधिकांश पत्र आगरा से प्रकाशित होते थे जो उन दिनों एक बड़ा शिक्षाकेंद्र था और विद्यार्थी समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। शेष ब्रह्मसमाज, सनातन धर्म और मिषनरियों के प्रचार कार्य से सम्बंधित थे। बहुत से पत्र द्विभाषीय (हिन्दी-उर्दू) थे और कुछ तो पंचभाषीय तक थे। इससे भी पत्रकारिता की अपरिपक्व दशा ही सूचित होती है। हिन्दी प्रदेश के प्रारम्भिक पत्रों में 'बनारस अख़बार' (१८४५) काफी प्रभावशाली था और उसी की भाषानीति के विरोध में १८५० में तारामोहन मैत्र ने काशी से साप्ताहिक 'सुधाकर' और सन् १८५५ में राजा लक्ष्मणसिंह ने आगरा से 'प्रजाहितैषी' का प्रकाशन आरम्भ किया था। राजा शिवप्रसाद का 'बनारस अख़बार' उर्दू भाषाशैली को अपनाता था तो ये दोनों पत्र पंडिताऊ तत्समप्रधान शैली की ओर झुकते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि १८६७ से पहले भाषाशैली के सम्बंध में हिंदी पत्रकार किसी निश्चित शैली का अनुसरण नहीं कर सके थे। इस वर्ष 'कवि वचनसुधा' का प्रकाशन हुआ और एक तरह से हम उसे पहला महत्त्वपूर्ण पत्र कह सकते हैं। पहले यह मासिक था, फिर पाक्षिक हुआ और अंत में साप्ताहिक। भारतेन्दु के बहुविध व्यक्तित्व का प्रकाशन इस पत्र के माध्यम से हुआ, परंतु सच तो यह है कि 'हरिश्चंद्र मैगजीन' के प्रकाशन (१८७३) तक वे भी भाषाशैली और विचारों के क्षेत्र में मार्ग ही खोजते दिखाई देते हैं। अधिकांश पत्र मासिक या साप्ताहिक थे। मासिक पत्रों में निबंध, नवल कथा (उपन्यास), वार्ता आदि के रूप में कुछ अधिक स्थायी संपत्ति रहती थी, परंतु अधिकांश पत्र १०-१५ पृष्ठों से अधिक नहीं जाते थे और उन्हें हम आज के शब्दों में विचारपत्र ही कह सकते हैं। साप्ताहिक पत्रों में समाचारों और उनपर टिप्पणियों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान था। वास्तव में दैनिक समाचार के प्रति उस समय विशेष आग्रह नहीं था और कदाचित् इसीलिए उन दिनों साप्ताहिक और मासिक पत्र कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण थे। उन्होंने जनजागरण में अत्यंत महत्त्वपूर्ण

भाग लिया था।

उन्नीसवीं शताब्दी के इन २५ वर्षों का आदर्श भारतेन्दु की पत्रकारिता थी। कविवचनसुधा (१८६७ ई.), हरिश्चंद्र मैगजीन (१८७४ ई.), श्री हरिश्चंद्र चंद्रिका (१८७४ ई.), बाला बोधिनी (स्त्रीजन की पत्रिका, १८७४ ई.) के रूप में भारतेन्दु ने इस दिशा में पथ-प्रदर्शन किया था। उनकी टीका-टिप्पणियों से अधिकारी तक घबराते थे और कविवचनसुधा के 'पंच' पर रुष्ट होकर काशी के मजिस्ट्रेट ने भारतेन्दु के पत्रों को शिक्षा विभाग के लिए लेना भी बंद करा दिया था। इसमें संदेह नहीं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी भारतेन्दु पूर्णतया निर्भीक थे और उन्होंने नए नए पत्रों के लिए प्रोत्साहन दिया। हिंदी प्रदीप, भारतजीवन आदि अनेक पत्रों का नामकरण भी उन्होंने ही किया था। उनके युग के सभी पत्रकार उन्हें अग्रणी मानते थे।

आज वही पत्र हमारी इतिहास चेतना में विशेष महत्त्वपूर्ण हैं जिन्होंने भाषा शैली, साहित्य अथवा राजनीति के क्षेत्र में कोई अप्रतिम कार्य किया हो। साहित्यिक दृष्टि से हिंदी प्रदीप (१८७७ ई.), ब्राह्मण (१८८३ ई.), क्षत्रियपत्रिका (१८८० ई.), आनंदकादंबिनी (१८८१ ई.), भारतेन्दु (१८८२ ई.), देवनागरी प्रचारक (१८८२ ई.), वैष्णव पत्रिका (पश्चात् पीयूषप्रवाह, १८८३), कवि के चित्रकार (१८६१), नागरी नीरद (१८८३), साहित्य सुधानिधि (१८६४) और राजनीतिक दृष्टि से भारतमित्र (१८७७), उचित वक्ता (१८७८), सार सुधानिधि (१८७८), भारतोदय (दैनिक, १८८३), भारत जीवन (१८८४), शुभचिंतक (१८८७ ई.) और हिंदी बंगवासी (१८६० ई.) विशेष महत्वपूर्ण हैं। इन पत्रों में हमारे १६वीं शताब्दी के साहित्यरसिकों, हिंदी के कर्मठ उपासकों, शैलीकारों और चिंतकों की सर्वश्रेष्ठ निधि सुरक्षित है। यह क्षोभ का विषय है कि हम इस महत्त्वपूर्ण सामग्री का पत्रों की फाइलों से उद्धार नहीं कर सके। बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, सदानंद मिश्र, रुद्रदत्त शर्मा, अम्बिकादत्त व्यास और बालमुकुंद गुप्त जैसे सजीव लेखकों की कलम से निकले हुए न जाने कितने निबंध, टिप्पणी, लेख, पंच, हास परिहास और स्केच आज हमें अलभ्य हो रहे हैं। आज भी हमारे पत्रकार उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने समय में तो वे अग्रणी थे ही।

ब्रह्मसमाज और राधास्वामी मत से सम्बंधित कुछ पत्र और मिर्जापुर जैसे ईसाई केंद्रों से कुछ ईसाई धर्म सम्बंधी पत्र भी सामने आते हैं, परंतु युग की धार्मिक प्रतिक्रियाओं को हम आर्यसमाज के और पौराणिकों के पत्रों में ही पाते हैं। आज ये पत्र कदाचित् उतने महत्त्वपूर्ण नहीं जान पड़ते, परंतु इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने हिंदी की गद्यशैली को पुष्ट किया और जनता में नए विचारों की ज्योति भी। इन धार्मिकवाद विवादों के फलस्वरूप समाज के विभिन्न वर्ग और सम्प्रदाय सुधार की ओर अग्रसर हुए और बहुत शीघ्र ही साम्प्रदायिक पत्रों की बाढ़ आ गई। सैकड़ों की संख्या में विभिन्न जातीय और वर्गीय पत्र प्रकाशित हुए और उन्होंने असंख्य जनों को वाणी दी। हालांकि "इनमें से बहुत कम पत्र-पत्रिकाएं ही अधिक समय तक चल सकीं। उन दिनों समाचार-पत्रों के प्रति लोगों में विशेष प्रेम नहीं था। इसलिए आर्थिक कठिनाईयां बराबर बनी रहती थीं। फिर भी समय-समय पर समाचार-पत्रों का आविर्भाव होता रहा। इन समाचार-पत्रों द्वारा ही हिंदी-साहित्य में सम्पादन-कला का सूत्रपात हुआ।"[१३]

इस प्रकार देखा जाये तो नवजागरण काल न सिर्फ पत्रकारिता के लिये महत्त्वपूर्ण रहा बल्कि स्वतंत्रता और हिंदी गद्यशैली के विकास में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता नजर आता है।

सन्दर्भ

१. कुश चतुर्वेदी, भारतेन्दु युगीन हिंदी पत्रकारिता, साहित्य संगम, इलाहाबाद, पृ. १
२. कुश चतुर्वेदी, भारतेन्दु युगीन हिंदी पत्रकारिता, साहित्य संगम, इलाहाबाद, पृ. १
३. कुश चतुर्वेदी, भारतेन्दु युगीन हिंदी पत्रकारिता, साहित्य संगम, इलाहाबाद, पृ. १
४. डॉ. धीरेन्द्रनाथ सिंह, हिन्दी पत्रकारिता भारतेन्दु-पूर्व से छायावादोत्तर-काल तक, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, पृ. ११
५. जे. नटराजन, भारतीय पत्रकारिता का इतिहास, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, पृ. ८७
६. जे. नटराजन, भारतीय पत्रकारिता का इतिहास, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, पृ. ८६
७. गंगा नारायण त्रिपाठी, हिन्दी पत्रकारिता एवं गद्यशैली का विकास, शांति प्रकाशन, इलाहाबाद पृ.१०
८. राजेन्द्रसिंह गौड़, एम.ए., हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास, साहित्य भवन प्रा. लि. इलाहाबाद, पृ. २३०
६. डॉ. धीरेन्द्रनाथ सिंह, हिंदी पत्रकारिता : भारतेन्दु-पूर्व से छायावादोत्तर-काल तक, विश्वविद्यालय प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. २०
१०. जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, पत्रकारिता के परिप्रेक्ष्य, साहित्य संगम इलाहाबाद, पृ. ११८
११. डॉ. धीरेन्द्रनाथ सिंह, हिन्दी पत्रकारिता : भारतेन्दु-पूर्व से छायावादोत्तर-काल तक, विश्वविद्यालय प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. २१
१२. विजयदत्त श्रीधर, भारतीय पत्रकारिता कोष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. ५८
१३. राजेन्द्रसिंह गौड़, एम.ए., हिन्दी भषा और साहित्य का विकास, साहित्य भवन प्रा. लि. इलाहाबाद, पृ. २३०

Refereed & Peer Reviewed Research Magazine
RNI-UPHIN/2018/77444 ISSN-2582-1288
त्रैमासिक मूल्य २००
शोधादर्श
संदर्भित एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिक पत्रिका
वर्ष : ८ अंक : ३, जून-अगस्त २०२६
doi.org/10.5281/
इम्पेक्ट फैक्टर(२०२६) : १०.१६
पंजीकृत कार्यालय
शोधादर्श, ए-७, आदर्श नगर, तातारपुर लालू, नजीबाबाद-२४६७६३ ज़िला बिजनौर (उ.प्र.)
संपादकीय कार्यालय/पत्रव्यवहार
शोधादर्श, साईं एंक्लेव, निकट देवता धनौरा, नजीबाबाद-२४६७६३ बिजनौर (उप्र)
https://shodhadarsh.in/

हिंदी पत्रकारिता का तिलक युग और साहित्यकारों की भूमिका

सन् १६०० से १६१६ ई.

अमन कुमार
संपादक
शोधादर्ष (त्रैमासिक) एवं ओपन डोर(साप्ताहिक)
नजीबाबाद, बिजनौर मोबा. -६८६७७४२८१४

तत्कालीन परिस्थितियां

पत्रकारिता का यह युग विशेष रूप से बालगंगाधर तिलक और हिंदी साहित्य के निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग है। स्वतंत्रता आन्दोलन के लिये गर्म दल का उदय हो चुका था। जब सन् १८६२ के भारतीय कॉन्सिल्स अधिनियम के द्वारा गर्मदल वालों की भावनाएं सन्तुष्ट नहीं हुई तो उन्होंने जोरदार प्रतिक्रियाएं करनी शुरू कर दी थी। सूरत अधिवेशन के बाद तिलक की बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने नए संघर्ष के लिये अन्य देशभक्तों से मिलना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को समझाया कि हम स्वराज्य की मांग कर रहे हैं और इसलिए शिवाजी उत्सव बनाना हमारे लिये सबसे अधिक उपयुक्त है। यह गर्म विचारधारा निरन्तर बढ़ती गई। तिलक का हौंसला बढ़ता गया और उन्होंने सभाओं में एक नया नारा ''स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं इसे लेकर रहूंगा।'' देकर तूफान खड़ा कर दिया। ''लोकमान्य तिलक के सक्रिय सहयोगियों में विपिनचन्द्र पाल, अरविन्द घोष और लाला लाजपतराय थे।''[1] उन्नींसवीं शताब्दी के जाते-जाते भारत तीन बड़े अकालों को झेल चुका था। जिसमें लाखों लोग बेमौत मर गए। जबकि महारानी विक्टोरिया का जयंती उत्सव अंग्रेज शासक बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे थे। सन् १८६३ में स्वामी विवेकानंद शिकागो की सर्वध् ार्म सम्मेलन सभा में भारतीयता व हिन्दू धर्म की महत्ता पर भाषण देकर भारतीयों में स्वाभिमान जगा चुके थे। तिलक भी हिन्दु पुनर्जागरण के पक्षध् ार थे। यही स्थिति अरविन्द घोष की भी थी। ''तिलक के पास लेखनी का बहुत बड़ा बल था। वे एक तेजस्वी पत्रकार थे।''[2]

उधर अंग्रेज शासक भारतीय जनता पर अत्याचार कर रहे थे। उनके व्यापारों को लूटा जा रहा था। भारतीयों की भावनाओं के साथ खिलावाड़ करते हुए लार्ड कर्जन ने सन् १६०५ में बंगाल को दो भागों में बांटकर हिन्दू-मुसलमानों का झगड़ा शुरू करा दिया था। इसी समय पर सन् १६०४-०५ में रूस-जापान के बीच हुये युद्ध में जापान ने रूस को पराजित कर दिया तो भारतीय वीरों को इस घटना से बड़ी प्रेरणा मिली। इसी प्रेरणा से बालगंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चन्द्रपाल (लाल-बाल-पाल) त्रिमूर्ती सामने आयी। भारतीय राजनीति के लिये सन् १६०८ में तिलक पर राजद्रोह के लिये मुकदमा चलाया गया और ६ साल की सजा दे दी गयी। उन्हें सन् १६०८ ई. से १६१४ ई. तक बर्मा की मांडले जेल में बिताने पड़े।

तिलक ने भारतीयों को ''अवज्ञा का सिद्धान्त'' सिखाया। यही वह युग है जब बंगाल के षेर सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी ने गरजते हुए अपने भाषण के अंत में कहा था ''राष्ट्रों के भाग्य विधाता वे स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं।'' इस समय तक कांग्रेस अपना काम करने लगी थी। सन् १६०६ में वयोवृद्ध दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन हुआ और यह अधिवेशन बड़ा महत्त्वपूर्ण रहा। कांग्रेस से जुड़े अधिकांश नेता हाथ जोड़कर अंग्रेजों से आजादी मांग रहे थे। जबकि तिलक उनसे जबरदस्ती आजादी छीन लेने के पक्ष में थे। यही कारण था कि सन् १६०६ ई. के कांग्रेस अधि ावेशन में नीतियों में बदलाव किया गया। सरकार की दमन नीति बदस्तूर जारी रही। नरम पंथी नेताओं ने मिलकर संविधान सभा में कांग्रेस के गठन में परिवर्तन किया और उसके बल पर गर्मदल वालों को कांग्रेस से एक तरह से निकाल ही दिया।

''जैसी कि सम्भावना थी, भारत सरकार ने उग्र विचारधारा के विकास का संदेह तथा खतरे से भरा हुआ अनुभव किया। गर्म विचारधारा के समर्थकों के दमन के लिए कोई प्रयत्न शेष न रहा। उन्हें गिरफ्तार किया गया। भारतीय संहिता में १२४ (अ) तथा १५३ (अ) धारायें जोड़ दी गयीं, जिससे स्थिति का मुकाबला किया जा सके। एक अन्य कानून के बल पर अधिकारियों को अधिकार दिया गया कि वे ऐसी राजनीतिक समस्याओं पर

रोक लगा दें, जिन पर संक्षिप्त मुकदमे की कार्रवाई पूर्ण न हो। सन् १६०६ और सन् १६१० में भारतीय समाचार-पत्रों को कुचलने के लिए दो कानून स्वीकार एक अध्यादेश जारी किया, जिससे सार्वजनिक सभायें करने के लिये जनता के अधिकार को सीमित कर दिया गया।''[३]

कांग्रेस के प्रतिवर्ष अधिवेशन होते रहे। देश को आजाद करने की मांगे मांगी जाती रही किंतु परिणाम शून्य ही रहा। सन् १६१४ में प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ गया। कांग्रेस के नरम दल ने सरकार का साथ देने की घोषणा की जबकि गर्म दल के नेताओं ने स्वराज्य प्राप्ति के लिये आन्दोलन तेज कर दिया। गर्म दल के नेताओं ने स्वदेशी को स्वीकारने और विदेशी का बहिष्कार करने का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। यही नहीं उन्होंने 'नेशनल पार्टी' की स्थापना भी कर ली। सन् १६१४ के बाद जब तिलक मांडले जेल से बाहर आये तब नरम दल के नेता उनका सामना न कर सके। एक तरह से यह कहना उचित ही होगा कि बालगंगाधर तिलक ने आजादी की चाह का बीज गहराई तक रोप दिया था जो बाद में विशाल वृक्ष बनकर अंग्रेजों के सामने खड़ा हुआ। तिलक अच्छी तरह जानते थे कि अंग्रेजों की धूर्तता से सरलता के साथ आजादी नहीं मिल सकती बल्कि हर मोर्चे पर लोहा लेना ही होगा। क्योंकि ''उग्र राष्ट्रीयता के प्रबल समर्थक होते हुए भी तिलक हिंसावादी आन्दोलन के विरुद्ध थे।''[४] इसीलिये उन्होंने जनजाग्रति के लिये पत्रकारिता का सहारा भी लिया।

''सन् १६०७ में लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के मराठी साप्ताहिक *'केसरी'* की विचारधारा का प्रचार हिन्दी भाषा-भाषियों में करने के लिए तत्कालीन मध्यप्रान्त और बरार की राजधानी नागपुर में 'हिंदी केसरी' निकालने के लिए एक कम्पनी बनाई गई, जिसके लिए तीन-तीन सौ रुपये के शेयर डॉ. मुंजे, डॉ. लिमये, नरसिंहदास चांडक और माधवराव सप्रे ने खरीदे। नए पत्र के प्रकाशन की घोषणा का विज्ञापन 'देश सेवक' पत्र में निकाला गया।''[५]

यह पत्र पारिवारिक भावना से निकाला गया था जो पत्रकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ''हिन्दी केसरी' के कार्यकर्ताओं का एक छोटा सा परिवार बना जिसके मुखिया सप्रे जी थे। अन्य सदस्य थे-जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल, लक्ष्मीधर वाजपेयी, ललीप्रसाद पाण्डेय और सिद्धिनाथ दीक्षित। जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल मुम्बई के जाने-माने समाचार पत्र 'श्री वेंकटेश्वर समाचार' के सम्पादक का पद छोड़कर सप्रे जी के बुलावे पर 'हिन्दी केसरी' में नागपुर चले आए थे। सम्पादक के रूप में सप्रेजी का नाम छपता था। सप्रेजी के प्रमुख सम्पादकीय सहयोगी जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल, लक्ष्मीधर वाजपेयी और गंगा प्रसाद गुप्त थे। लली प्रसाद पण्डेय अपनी राष्ट्रीय भावना के कारण उसमें हाथ बंटाने के लिए अपना जमा हुआ काम छोड़कर इस परिवार में शामिल हुए थे। सिद्धिनाथ दीक्षित मुख्य रूप से प्रबंध कार्य देखते थे। शुक्ल जी, वाजपेयी और पाण्डेयजी को, मराठी भाषा में प्रवीण होने के कारण लोकमान्य तिलक के मराठी केसरी के लेखों का हिंदी अनुवाद करने और उसकी नीति के अनुरूप लेख लिखने में सुविधा थी। सप्रेजी ने नियमानुसार समाचार पत्र प्रकाशित करने का घोषणापत्र भरा। पूरी तैयारी कर 'हिंदी केसरी' का प्रथम अंक १३ अप्रैल १६०७ को प्रकाशित हुआ। पहले अंक की ३००० प्रतियां मुद्रित हुईं।''[६] ''हिंदी केसरी' के मुख पृष्ठ पर, मराठी केसरी के मुखपृष्ठ पर छप रहे पं. जगन्नाथ के संस्कृत श्लोक का हिंदी में अनूदित पद्य छापा जाता था, जिसका हिंदी अनुवाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। इसमें भारत को सोते हुए केसरी की उपमा देकर पाठकों को उसके जगाने पर उसकी उग्रता और शौर्य का विश्वास दिलाया गया था।''[७] यह स्वदेशी कागज और स्याही से छपता था। वार्षिक मूल्य डाक व्यय सहित दो रुपये था। तीन महीने के लिए मूल्य एक रुपया और नमूने की प्रति भेजने की कीमत आधा आना रखी गई थी।

''हिंदी केसरी' के प्रथम पृ. पर विज्ञापन की छपाई की दरें भी प्रकाशित की गई जिसके अनुसार एक माह के लिए प्रति पंक्ति चार आना दर थी। एक महीने से अधिक समय अर्थात् आठ सप्ताह के लिए एक कालम प्रति इंच के लिए दर साढ़े तीन रुपये रखी गई थी। एक वर्ष (५० सप्ताह) के एक कालम एक इंच की दर १२ रुपये थी। कालम की लम्बाई १३ इंच और चौड़ाई सवा दो इंच थी। एक कालम में ग्रेट प्रायमर टाइप की ५८ लाइनें आती थीं। समाचार पत्र इसी टाइप में छपता था। 'हिंदी केसरी' के प्रकाशन का देश के प्रमुख हिंदी पत्र-पत्रिकाओं ने स्वागत् किया था। मिर्जापुर की 'आनंद-कादम्बिनी' ने लिखा-'हर्ष का विषय है कि आज सप्रेजी की दया और उद्योग से प्रशंसित पत्र मराठी केसरी के हिंदी प्रतिरूप का दर्शन हमारे हर्ष का हेतु हुआ है। न केवल मध्यप्रदेश से हमारी भाषा के एक नवीन साप्ताहिक पत्र के निकलने अथवा न केवल महानुभाव की ओजस्विनी लेखनी की अमृतधारा से नागरी पत्र पाठकों की तृप्ति की आशा होने ही के कारण इसका सम्पादन भार सप्रेजी महाशय जैसे सुयोग्य सज्जन के द्वारा होने के कारण इसकी पूर्ण सफलता की दृढ़ आशा होने से हम अधिक संतुष्ट हैं। ...लेख इसके अत्यंत पुष्ट प्रयोजनी और ओजस्वी होते हैं-इसके आख्यान की आवश्यकता नहीं है। इसके मुख्य उद्‌देश्य स्वदेशी प्रचार और विदेशी बहिष्कार, स्वराज्य और हमारे स्वात्म गौरव की स्थापना है।''[८]

''सरस्वती ने मई, १६०७ के अंक में लिखा-''ये विचार विचारपूर्वक लिखे गए हैं।'' 'हिंदी केसरी' का स्वर और चरित्र ही ऐसा था कि लोग इसे पढ़ने से नहीं चूकते थे। देशाभिमान की खबरों पर इसका जोर रहता था। २४ अगस्त १६०७ के अंक में कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले की खबर 'स्वराज्य मांगना बा-कायदा हैं शीर्षक से 'हिंदी केसरी' से प्रकाशित हुई।''[९]

''हिंदी केसरी' में पूरे देश के स्वतंत्रता संग्राम के समाचार प्रकाशित होते थे। इससे पाठकों को आन्दोलन की गतिविधियां, उसके फैलाव और आम जनता के योगदान की जानकारी मिलती थी। २४ अगस्त, १६०७ के अंक में मद्रास, इलाहाबाद राजमहेन्द्री, कोचीन आदि स्थानों के समाचार प्रकाशित हुए। कोचीन के समाचार में लिखा गया- ''राजा के कालेज के कुछ विद्यार्थियों ने एक बड़ी सभा की थी, उसमें 'वन्दे मातरम्' गीत गाया था और वंदे मातरम्' का जयघोष किया था। यह खबर सुनकर दीवान ने प्रिंसिपल से इसकी कैफियत मांगी है।''[१०]

'हिंदी केसरी' के प्रकाशन के चार माह के बाद ही उसके सम्पादन का भार जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल को सौंपा गया और सप्रेजी पर व्यवस्था का भार था। कुछ ही दिनों में 'हिंदी केसरी' ने देश में अपना प्रमुख स्थान बना लिया और लोग चाव से इसे पढ़ते थे। इसकी ग्राहक संख्या छह हजार थी। सेना और पुलिस में उसका पढ़ना अपराध माना जाता था। यह बात रौलट-राजद्रोह जांच कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी अंकित की है।''[११]

''कहना न होगा कि जीवन-भर तिलक महाराज इसी हैसियत से कार्य करते रहे और देश की मुक्ति के लिए निरन्तर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ते रहे।''[१२]

पत्रकारिता में हिंदी साहित्यकार

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक दो दशक की पत्रकारिता हमारे लिए अपेक्षाकृत निकट है और उसमें पिछले युग की पत्रकारिता के साथ-साथ नये युग की विविधता के दर्षन होते हैं। १६वीं शती के पत्रकारों को भाषाशैली क्षेत्र में अव्यवस्था का सामना करना

पड़ा था। उन्हें एक ओर अंग्रेजी और दूसरी ओर उर्दू के पत्रों के सामने अपनी वस्तु रखनी थी। अभी हिंदी में रुचि रखनेवाली जनता बहुत छोटी थी। धीरे-धीरे परिस्थिति बदली और हिंदी पत्रों ने साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करना प्रारम्भ कर दिया। इस शताब्दी से धर्म और समाज सुधार के आंदोलन कुछ पीछे पड़ गए और जातीय चेतना ने धीरे-धीरे राष्ट्रीय चेतना का रूप ग्रहण कर लिया। फलतः अधिकांश पत्र, साहित्य और राजनीति को ही लेकर चले। साहित्यिक पत्रों के क्षेत्र में पहले दो दशकों में आचार्य द्विवेदी द्वारा सम्पादित 'सरस्वती' (जनवरी १६०० ई.) का नेतृत्व रहा। ''सरस्वती' विविधविशयक पत्रिका थी। द्विवेदीजी सैद्धान्तिक व्यक्ति थे। वे अपने सिद्धान्तों के आधार पर सम्पादन करते थे और किसी से इस सन्दर्भ में समझौता नहीं करते। द्विवेदीजी के समय तक हिंदी का कोई प्रमाणिक हिंदी व्याकरण नहीं था। अतः वे संस्कृत व्याकरण के अनुसार हिंदी भाषा का संशोधन, सम्पादन करते थे।''[१३] इस प्रकार देखा जाये तो ''उन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली हिंदी को व्याकरणसम्मत बनाया''[१४] उन्होंने दूसरा किंतु महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि ''हिंदी की प्रारम्भिक कहानियों का प्रकाशन कर हिंदी कथा-साहित्य का शुभारम्भ किया।''[१५] यह भी कहा जा सकता है कि ''आधुनिक हिंदी साहित्य की रचना का वास्तविक आरम्भ मासिक पत्रिका सरस्वती के द्वारा हुआ।''[१६]

सन् १६०० से १६२० ई. तक सरस्वती के सम्पादन का विवरण इस प्रकार है-

''-जनवरी १६००-दिसम्बर १६०० ई.-सम्पादक समिति।

१. बाबू कार्तिकप्रसाद खत्री

२. बाबू राधाकृष्णदास

३. पं. किशोरीलाल गोस्वामी

४. बाबू जगन्नाथदास

५. बाबू ष्यामसुन्दरदास

- जनवरी १६०१-दिसम्बर १६०२ई. -बाबू श्यामसुन्दरदास

- जनवरी १६०३-दिसम्बर १६२०ई. -पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी

- १६०३ से १६२०ई. के बीच द्विवेदीजी के अस्वस्थ होने पर १६१०ई. में देवीप्रसाद शुक्ल 'भगवन' एक साल के लिए सम्पादक रहे।

- १६१६ई. में महावीरप्रसाद द्विवेदी के पुनः बीमार होने पर इलाहाबाद में उनका कामकाज देवीप्रसाद शुक्ल देखते थे, इसलिए द्विवेदीजी जी के साथ शुक्लजी का नाम भी प्रकाशित होता था।

- जुलाई १६२० से दिसम्बर १६२० तक द्विवेदीजी के साथ पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का नाम भी सम्पादक के रूप में छपा।

- द्विवेदीजी के लम्बे सम्पादन-कार्य में कई सहायकों के नाम भी आते हैं लेकिन इनके नाम कभी छपे नहीं। जैसे-पं. उदयनारायण वाजपेयी, पं. जनार्दनप्रसाद झा उर्फ जनसीदन, गणेशशंकर विद्यार्थी, हरिभाऊ उपाध्याय, पं. बदरीप्रसाद भट्ट, कामताप्रसाद गुरु, लल्ली प्रसाद पाण्डेय।''[१७]

इसी दौर में अनेक ऐसे सम्पादक व साहित्यकार थे जो कि हिंदी को गढ़ने का काम कर रहे थे। इनमें ''मर्यादा' मासिक पत्र के सम्पादक बद्री प्रसाद पांडेय, 'इन्दु' मासिक के सम्पादक अम्बिका प्रसाद गुप्त, 'देवनागर' मासिक के सम्पादक यशोदानंदन अखौरी के नाम स्मरणीय हैं।''[१८] 'लक्ष्मी' के सम्पादक गोरेलाल मंजु, लाला भगवानदीन, माध ावप्रसाद ने भी हिंदी साहित्य की बड़ी सेवा की। यही नहीं बल्कि इस समय जो राजनीतिक पत्र भी निकले, उन्होंने भी हिंदी साहित्य के लिए प्रमुख काम किया।

इन सब में एक और खास नाम आता है 'पण्डित बालकृष्ण भट्ट' का जिन्हें विस्मृत नहीं किया जा सकता है। ''उन दिनों हिंदी के दो खास लेखक अपने-अपने ढंग से प्रसिद्ध थे- एक पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा व्याकरण की दृष्टि से निर्दोष होती थी किंतु भाषा में रस लगभग नदारद। दूसरी ओर पं. बालकृष्ण भट्ट अपनी भाषा में व्याकरण की बहुत अधिक परवाह नहीं करते थे, किंतु उनकी भाषा बढ़िया-से-बढ़िया रसगुल्लों की तरह रस से भरी होती थी। भट्ट जी अपनी भाषा में फारसी, अंग्रेजी और अरबी तक के चालू और आमफहम शब्द और मुहावरे नगीनों की तरह जड़ देते थे।''[१९] पण्डित जी जितना अच्छा लिखते थे उतना ही अच्छा बोलते भी थे। उनके पत्रकर्म और लेखन का प्रारम्भ काफी पहले प्ररम्भ हो गया था। ''पं. बालकृष्ण भट्ट के शुरू के दिन भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के समय से मिलते हुए थे। दोनों में काफी प्रेम भी था।''[२०] ''भट्ट जी का 'हिंदी प्रदीप' मासिक पत्र हिंदी की उन्नति और विकास के संघर्ष का इतिहास है। इस पत्र में भट्ट जी ने प्रायः सभी विशयों पर लिखा है जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के विभिन्न विषयों की पूर्ति की है। इस पत्र में उन्होंने हिंदी को सर्वांगीण बनाने के लिए साहित्य, समाज, राजनीति, अध्यात्म, दर्शन, वेदान्त, इतिहास, खगोल, भूगोल, नीति, उपदेश, नागरिकता, आदि विषयों पर लेख लिखे हैं।''[२१] ''बाबू श्यामसुन्दरदास के बुलाने पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित होने वाले हिंदी शब्दकोष का सम्पादन करने के लिए बनारस चले गये और उसे पूर्ण उपयोगी बनाने में पर्याप्त परिश्राम किया।''[२२] सन् १६०२ में ''जयपुर से पं. चन्द्रधर शर्मा गुलेरी के सम्पादकत्व में 'समालोचक' पत्रिका प्रकाशित हुई। यह राजस्थान की श्रेष्ठ पत्रिका थी। इसमें पुस्तक-सार, अनुवाद एवं निबंध ा आदि प्रकाशित होते थे।''[२३] किंतु यह पत्रिका १६०५ में बंद हो गयी। सन् १६०७ में ''हिंदी में राजनीतिक पत्र निकालने का प्रथम प्रयास अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी ने किया था। उन्होंने कलकत्ता से 'नृसिंह' नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कर राजनीतिक पत्रकारिता का मार्ग प्रशस्त किया। उस पत्र के सम्पादक, प्रकाशक मालिक और मैनेजर वे स्वयं थे। वाजपेयी जी के सहयोगी सम्पादकों में वासुदेव मिश्र और छबीले दास थे। वासुदेव बंगला पुस्तक 'जालियात क्लाइब' का हिंदी अनुवाद करके उसका धारावहिक प्रकाशन कराते थे।''[२४] अम्बिका प्रसाद वाजपेयी ने उस समय एक और बड़ा काम 'राष्ट्रभाषा' के लिए किया। ''नृसिंह' राजनीतिक ज्ञान देने में सचेष्ट था। हिंदी पत्रों में हिंदी भाषा और साहित्य की वकालत हुई है पर 'नृसिंह' ने सबसे पहले 'राष्ट्रभाषा' शीर्षक से चार लेख लिखे और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाये जाने का औचित्य बताते हुए हिंदी-भाषियों को इस दिषा में कर्तव्य का निरूपण भी किया।''[२५]

''छायावादी महाकवि जयशंकर प्रसाद की प्रेरणा से प्रसादजी के भानजे अम्बिकाप्रसाद गुप्त ने सन् १६०६ में काशी से 'इन्दु' का प्रकाशन किया।''[२६] 'इन्दु' के लेखकों और कवियों में राय कृष्णदास, मैथिलीशरण गुप्त, रामदहीन मिश्र, लोचनप्रसाद गौड़, निराला, हरिऔध, मुकुटधर शर्मा, कृष्णबिहारी मिश्र प्रभृति थे।''[२७]

माखनलाल चतुर्वेदी ने ''७ अप्रैल १६१३ को खंडवा से 'प्रभा' का प्रकाशन आरम्भ''[२८] किया। ''इसमें निर्भीक, निष्पक्ष, गवेशणापूर्ण सामग्री प्रकाशित होती थी। १६१७ के पूर्व यह साहित्यिक पत्र था। उसके पश्चात् यह राजनीति-प्रधान हो गया। 'प्रभा' के प्रमुख लेखक और कवि थे-मैथिलीशरण गुप्त, सियारामशरण गुप्त, निराला, हरिऔध, रायकृ ष्णदास, लक्ष्मीनारायण मिश्र, उग्र, माखनलाल चतुर्वेदी, इलाचन्द्र जोशी, श्रीराम शर्मा, सम्पूर्णानंद, सद्गुरुशरण अवस्थी।''[२९]

इस समय के साहित्यकारों व सम्पादकों में एकदूसरे के प्रति सहानुभति थी। वह किसी भी सूरत में अंगेज सरकार को घेरे रखना चाहते थे। यही कारण था कि राणाप्रताप को प्रेरणास्रोत मानने

वाले गणेशशंकर विद्यार्थी ने कानपुर से 'प्रताप' का शुभारम्भ किया। ''प्रताप'' के सम्पादक गणेशशंकरजी के जेल जाने पर श्रीकृष्णदत्त पालिवाल, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', माखनलाल चतुर्वेदी, श्री शिरोमणि, श्रीनिवास बालाजी हार्डीकर ने पत्र का सम्पादन किया था।''[३०]

इस दौर की पत्रकारिता में हिंदी साहित्यकारों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। उन्होंने न सिर्फ साहित्यिक लेख लिखे बल्कि गोरी सरकार पर भी चोट की। यह दौर हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर हो गया है। न सिर्फ हिंदी गद्यशैली का विकास इस दौर में हुआ बल्कि अनेक विधाओं ने भी इस दौर में जन्म लिया। तुलनात्मक आलोचना के जनक पं. पद्मसिंह इसी दौर के सशक्त हस्ताक्षर थे। निबंध, पत्र साहित्य, रेखाचित्र, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में खूब लिखा जा रहा था।

प्रमुख पत्र

''अभ्युदय'' में यह अपील छापी जाती थी-'कृपा कर पढ़ने के बाद 'अभ्युदय' किसी किसान भाई को दे दीजिए। पहले जहां 'अभ्युदय' की पृष्ठ संख्या २८-३२ होती थी, जून १९४७ के बाद वह १६ पृ. का छपने लगा। दिसम्बर १९४७ में मुख पृ. पर संचालक पद्मकान्त मालवीय और सम्पादक देवदत्त शास्त्री के नाम थे। पृ. दो पर सम्पादकीय टिप्पणियां दो या तीन विषयों पर दी जाती थी। राशनिंग व्यवस्था पर 'अभ्युदय' सम्पादक की तीखी टिप्पणी मननीय है-

कन्ट्रोल की मां

चोर बाजारी है, इस कलियुगी सुरसा के मुंह में सरकार और जनता दोनों के ईमान समा गए हैं। सरकारी कर्मचारी घूस लेते हैं और जनता घूस देकर चोर बाजारी करती है। इन हरामखोरों और बेईमानों के पीछे नेकनीयत, ईमानदार गेहूं के साथ घुन की भांति पीसे जा रहे हैं।

कण्ट्रोल की मां ब्रिटिश शासन की अंतिम यादगार है जिसे अविलम्ब दफनाने के साथ कण्ट्रोल की मां चोरबाजारी का खात्मा करना सरकार का कर्तव्य है।

घूस लेना, घूस देना, और चोर बाजारी करना देशद्रोह है। यदि सरकार इनको दंड देने में दया अथवा ढिलाई करेगी तो वह जनता और देश के साथ दगा करेगी।

कण्ट्रोल से पहले उसकी मां चोरबाजारी को खत्म करना, राष्ट्रीय सरकार की कसौटी है।''[३१]

''हिंदी केसरी'' का जिक्र हम ऊपर कर ही चुके हैं। परंतु सरस्वती ने जो आदर्श रखा था, वह अधिक लोकप्रिय रहा और इस श्रेणी के पत्रों में उसके साथ कुछ थोड़े ही पत्रों का नाम लिया जा सकता है, जैसे 'भारतेन्दु' (१९०५ई.), नागरी हितैषिणी पत्रिका, बांकीपुर (१९०५ई.), नागरीप्रचारक (१९०६ई.), मिथिलामिहिर (१९१०ई.) और इंदु (१९०९ई.)। 'सरस्वती' और 'इंदु' दोनों हिंदी की साहित्यचेतना के इतिहास के लिए महत्त्वपूर्ण हैं और एक तरह से हम उन्हें उस युग की साहित्यिक पत्रकारिता का शीर्षमणि कह सकते हैं। 'सरस्वती' के माध्यम से आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी और 'इंदु' के माध्यम से पंडित रूपनारायण पांडेय ने जिस सम्पादकीय सतर्कता, अध्यवसाय और ईमानदारी का आदर्श हमारे सामने रखा वह हिंदी पत्रकारिता को एक नई दिशा देने में समर्थ हुआ। ''आर्य महाविद्यालय, ज्वालापुर (हरिद्वार) से मई १९०६ में पद्मसिंह शर्मा और नरदेवा शास्त्री के सम्पादकत्व में हिंदी मासिक पत्र 'भारतोदय' का प्रकाशन हुआ।''[३२]

हम इस दौर के पत्रों में 'कर्मयोगी', 'हिंदी केसरी' (१९०४-१९०८ ई.), 'अभ्युदय' (१९०५ ई.), 'प्रताप' (१९१३ ई.), आदि के रूप में हिंदी राजनीतिक पत्रकारिता को कई डग आगे बढ़ाते पाते हैं। प्रथम महायुद्ध की उत्तेजना ने एक बार फिर कई दैनिक पत्रों को जन्म दिया। कलकत्ता से 'कलकत्ता समाचार', 'स्वतंत्र' और 'विश्वमित्र' प्रकाशित हुए, बंबई से 'वेंकटेश्वर समाचार' ने अपना दैनिक संस्करण प्रकाशित करना आरम्भ किया और दिल्ली से 'विजय' निकला।

महावीरप्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले लेखक थे, जिन्होंने आलोचकीय दृष्टि से भी देखा था। उन्होंने वेदों से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक के संस्कृत-साहित्य की निरंतर प्रवाहमान धारा का अवगाहन किया था एवं उपयोगिता तथा कलात्मक योगदान के प्रति एक वैज्ञानिक नजरिया अपनाया था। उन्होंने श्रीहर्ष के संस्कृत महाकाव्य नैधीय चरितम् पर अपनी पहली आलोचना पुस्तक नैषधचरित चर्चा नाम से लिखी (१८९९), जो संस्कृत-साहित्य पर हिंदी में पहली आलोचना-पुस्तक भी है। फिर उन्होंने लगातार संस्कृत-साहित्य का अन्वेषण, विवेचन और मूल्यांकन किया। उन्होंने संस्कृत के कुछ महाकाव्यों के हिंदी में औपन्यासिक रूपांतर भी किया, जिनमें कालिदास कृत रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, किरातार्जुनीय प्रमुख हैं।

संस्कृत, ब्रजभाषा और खड़ी बोली में स्फुट काव्य-रचना से साहित्य-साधना का आरम्भ करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत और अंग्रेजी से क्रमशः ब्रजभाषा और हिंदी में अनुवाद-कार्य के अलावा समालोचनात्मक लेखन किया। उनकी मौलिक पुस्तकों में नाट्यशास्त्र (१९०४ ई), विक्रमांकदेव चरितचर्या (१९०७ ई.), हिन्दी भाषा की उत्पत्ति (१९०७ ई.) और संपत्तिशास्त्र (१९०७ ई.) प्रमुख हैं तथा अनूदित पुस्तकों में शिक्षा (हर्बर्ट स्पेंसर के एजुकेशन का अनुवाद, १९०६ ई.) और स्वाधीनता (जान स्टुअर्ट मिल के ऑन लिबर्टी का अनुवाद, १९०७ ई.)।

सरस्वती पत्रिका

सरस्वती हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रूपगुणसम्पन्न प्रतिनिधि पत्रिका थी। इस पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से सन् १९०० ई. के जनवरी मास में प्रारम्भ हुआ था। ३२ पृ. की क्राउन आकार की इस पत्रिका का मूल्य ४ आना मात्र था। इसके सम्पादक थे- जगन्नाथदास रत्नाकर, श्यामसुन्दर दास, राधाकृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल। दूसरे वर्ष केवल श्यामसुन्दरदास ही इसके सम्पादक रहे। १९०३ ई. में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके सम्पादक हुए और १९२० ई. तक रहे। इसका प्रकाशन पहले झांसी और फिर कानपुर से होने लगा था। महवीर प्रसाद द्विवेदी के बाद पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, देवीदत्त शुक्ल ठाकुर, श्रीनाथ सिंह, पुनः पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, देवीलाल चतुर्वेदी और श्रीनारायण चतुर्वेदी सम्पादक हुए। १९०५ ई६ में काशी नागरी प्रचारिणी सभा का नाम मुखपृष्ठ से हट गया।

इस युग के अन्य महत्त्वपूर्ण पत्र इस प्रकार है- मासिक, काव्य कलानिधि, मिर्जापुर (१९०० ई.), मासिक, जैन मित्र, बंबई (१९०० ई.), मासिक, छत्तीसगढ़ मित्र, बिलासपुर (१९०० ई.), मासिक, सुदर्शन, काशी (१९०० ई.), मासिक, जासूस, गहमर, गाजीपुर (१९०० ई.), साप्ताहिक, भारत रत्न, पटना (१९०१ ई.), मासिक, आरोग्य सुधानिधि, कलकत्ता (१९०१ ई.), मासिक, कर्त्तव्य सुधानिधि, प्रयाग (१९०१ ई.), मासिक, गोपाल पत्रिका, लखनऊ (१९०१ ई.), मासिक, नूतन व्यापारी, मेरठ (१९०१ ई.), मासिक, जाट हितकारी, आगरा (१९०१ ई.), मासिक, पांचाल पंडिता, जालंधर (१९०१ ई.), मासिक, हिन्दी मास्टर, नरसिंहपुर (१९०१ ई.), मासिक, जीवनपथ, लाहौर (१९०१ ई.), पाक्षिक, आर्य सेवक, नरसिंहपुर (१९०१ ई.), मासिक, अनाथरक्षक, अजमेर (१९०२ ई.), मासिक, समालोचक, जयपुर (१९०२ ई.), मासिक, काव्य सुधाकर, सीतापुर (१९०२ ई.), मासिक, वसुंधरा, लखनऊ (१९०२ ई.), साप्ताहिक, आर्य वनिता, जबलपुर (१९०२ ई.), साप्ताहिक, गया समाचार, गया (१९०२ ई.), साप्ताहिक, दूध समाचार, मिर्जापुर (१९०२ ई.), साप्ताहिक, बृजवासी, वृंदावन (१९०२

ई.), साप्ताहिक, जैन, भावनगर (१६०२ ई.), मासिक, अबला हितकारक, मुरादाबाद (१६०३ ई.), मासिक, स्त्री दर्पण, प्रयाग (१६०३ ई.), मासिक, कायस्थ कुल भास्कर, इटावा (१६०३ ई.), मासिक, धर्मोपदेशक, बरेली (१६०३ ई.), मासिक, लक्ष्मी, गया (१६०३ ई.), मासिक, लक्ष्मी उपदेश लहरी, काशी, (१६०३ ई.), मासिक, वाणिज्य सुखदायक, काशी (१६०३ ई.), मासिक, समय, कलकत्ता (१६०३ ई.), मासिक, धर्म पंच, मेरठ (१६०३ ई.), मासिक, कवींद्र वाटिका, प्रयाग (१६०३ ई.), मासिक, रसिक लहरी, कानपुर (१६०३ ई.), मासिक, मोहिनी, कन्नौज (१६०३ ई.), साप्ताहिक, गढ़वाल समाचार, गढ़वाल (१६०३ ई.), साप्ताहिक, नारद, छपरा (१६०३ ई.), साप्ताहिक, हित वार्ता, कलकत्ता (१६०३ ई.), साप्ताहिक, जयाजी प्रताप, ग्वालियर (१६०३ ई.), साप्ताहिक, बिहारी, बंबई (१६०४ ई.), पाक्षिक, देश उपकारक, (१६०४ ई.), मासिक, आर्य ग्रन्थावली, लाहौर (१६०४ ई.), मासिक, संस्कृत रत्नाकर, लाहौर (१६०४ ई.), साप्ताहिक, सत्यवादी, गुरुकुल कंगड़ी (१६०४ ई.), मासिक, भारतेन्दु, काशी (१६०५ ई.), मासिक, स्वदेश बांधव, आगरा(१६०५ ई.), साप्ताहिक, स्वदेश बंधु, लाहौर (१६०५ ई.), भारत सर्वस्व, जयपुर (१६०५ ई.), मासिक, सनातन धर्म, काशी (१६०५ ई.), मासिक, स्वदेश बांधव, (१६०५ ई.), मासिक, स्वदेश बंधु, (१६०५ ई.), नागरी हितैषिणी पत्रिका, (१६०५ ई.), मासिक, रसिक रहस्य, जौनपुर(१६०६ ई.), त्रि-भाषी मासिक पत्र -हिंदी, गुजराती, मराठी-स्वदेशी, (१६०६ ई.), मासिक, भारत भानु, हरिपुर हरदा (१६०६ ई.), साप्ताहिक, अभ्युदय, प्रयाग (१६०७ ई.), साप्ताहिक, हिंदी केसरी, नागपुर (१६०७ ई.), मासिक, देवनागर, कलकत्ता (१६०७ ई.), मासिक, नृसिंह, कलकत्ता (१६०७ ई.), मासिक, भारत भूमि, मुरादाबाद (१६०७ ई.), मासिक, विद्या भास्कर, झालर पाटन (१६०७ ई.), मासिक, उपन्यास काशी (१६०७ ई.), नागरीप्रचारक (१६०७ ई.), पाक्षिक, सम्राट, कालाकांकर (१६०८ ई.), साप्ताहिक, भारतवासी, प्रयाग (१६०८ ई.), मासिक, कमला, भागलपुर (१६०८ ई.), पाक्षिक, क्षत्रिय मित्र, बनारस (१६०८ ई.), पाक्षिक, कर्मयोगी, प्रयाग (१६०६ ई.), इंदु (१६०६), मासिक, नवजीवन, काशी (१६०६), मासिक, शिक्षा प्रकाश, जबलपुर (१६०६ ई.), मासिक, हिमकारिणी, जबलपुर (१६०६ ई.), साप्ताहिक, मारवाड़ी, नागपुर (१६०६ ई.), मासिक, भारतोदय, ज्वालापुर-हरिद्वार (१६०६ ई.), मासिक, मर्यादा, प्रयाग (१६१० ई.), मिथिलामिहिर (१६१० ई.), साप्ताहिक, शुभचिन्तक, रीवा (१६१० ई.), मासिक, जीवन, कानपुर (१६११ ई.), मासिक, धर्म्म कुसुमाकर, कानपुर (१६११ ई.), मासिक, भास्कर, मेरठ (१६११ ई.), मासिक, मनोरंजन, आरा (१६१२ ई.), मासिक, औदुम्बर, काशी (१६१२ ई.), सप्ताहिक, प्रताप, कानपुर (१६१३ ई.), मासिक, प्रभाव, खण्वा (१६१३ ई.), प्रताप (१६१३ ई.), मासिक, सम्मेलन पत्रिका, पत्रिका, प्रयाग (१६१३ ई.), मासिक, नवनीत, काशी (१६१३ ई.), मासिक, समस्यापूर्ति, पटना (१६१३ ई.), साप्ताहिक, पाटलिपुत्र, पटना (१६१४ ई.), मासिक, बाल मनोरंजन, आगरा-मालवा (१६१४ ई.), मासिक, विद्यार्थी, प्रयाग (१६१४ ई.), साप्ताहिक, प्रभात, लाहौर (१६१४ ई.), मासिक, शारदा-विनोद, जबलपुर (१६१५ ई.), साप्ताहिक, विजय, दिल्ली (१६१५ ई.), मासिक, ज्ञानशक्ति, गोरखपुर (१६१५ ई.), साप्ताहिक, युगान्तर, प्रयाग (१६१५ ई.), मासिक, मनोरमा, मंडी धनौरा (१६१६ ई.), त्रैमासिक, भारत हितैषी, देहरादून (१६१६ ई.), दैनिक, विश्वमित्र, कलकत्ता (१६१७ ई.), मासिक, बालसखा, इलाहाबाद (१६१७ ई.), मासिक, बालबोध, बनारस (१६१७ ई.), मासिक, चन्द्रप्रभा, सनावद (१६१७ ई.), मासिक, जननी, कलकत्ता (१६१७ ई.), मासिक, ब्रह्मचारी, ऋषिकुल, हरिद्वार (१६१८ ई.), अर्द्धसाप्ताहिक, सर्चलाइट, पटना (१६१८ ई.), मासिक, स्वार्थ, काशी (१६१८ ई.), मासिक, कालिन्दी, रामनगर (१६१८ ई.), मासिक, हिंदी गल्प माला, काशी (१६१८ ई.), साप्ताहिक, सत्याग्रही, गांधी जी द्वारा रोलेक्ट एक्ट के विरोध में (१६१६ ई.), साप्ताहिक, स्वदेश, गोरखपुर (१६१६ ई.), साप्ताहिक, भविष्य, इलाहाबाद (१६१६ ई.), दैनिक, विजय, दिल्ली (१६१६ ई.), आदि।

इन बीस वर्षों में हिंदी के मासिक पत्र एक महान साहित्यिक शक्ति के रूप में सामने आए। शृंखलित उपन्यास कहानी के रूप में कई पत्र प्रकाशित हुए- जैसे उपन्यास १६०१ ई., हिंदी नाविल १६०१ ई. , उपन्यास लहरी १६०२ई., उपन्याससागर १६०३ ई., उपन्यास कुसुमांजलि १६०४ ई., उपन्यासबहार १६०७ ई., उपन्यास प्रचार १६१२ ई.। केवल कविता अथवा समस्यापूर्ति लेकर अनेक पत्र उन्नीसवीं शतब्दी के अंतिम वर्षों में निकलने लगे थे। वे चले रहे। समालोचना के क्षेत्र में 'समालोचक' (१६०२ ई.) और ऐतिहासिक शोध से सम्बंधित 'इतिहास' (१६०५ ई.) का प्रकाशन भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। पत्रकारिता का तिलक युग देशभक्त वीरों और साहित्यकारों से सम्पन्न रहा है। यह युग इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य को इस युग में न सिर्फ उच्चकोटि के साहित्यकार मिले बल्कि उच्चकोटि का साहित्य भी उपलब्ध हुआ है।

सन्दर्भ

१. कृष्णबिहारी मिश्र, हिन्दी पत्रकारिता, भारतीय ज्ञानपीठ, पृ. २८६
२. कृष्णबिहारी मिश्र, हिन्दी पत्रकारिता, भारतीय ज्ञानपीठ, पृ. २६२
३. डॉ. शंकर बसंत मुदगल, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, चन्द्रलोक प्रकाशन, कानपुर, पृ. ६२
४. कृष्णबिहारी मिश्र, हिन्दी पत्रकारिता, भारतीय ज्ञानपीठ, पृ. २६५
५. विजयदत्त श्रीधर, भारतीय पत्रकारिता कोष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. ६०५
६. विजयदत्त श्रीधर, भारतीय पत्रकारिता कोष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. ६०५
७. विजयदत्त श्रीधर, भारतीय पत्रकारिता कोष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. ६०५
८. विजयदत्त श्रीधर, भारतीय पत्रकारिता कोष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. ६०६
६. विजयदत्त श्रीधर, भारतीय पत्रकारिता कोष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. ६०६
१०. विजयदत्त श्रीधर, भारतीय पत्रकारिता कोष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. ६०६
११. विजयदत्त श्रीधर, भारतीय पत्रकारिता कोष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. ६०६
१२. कृष्णबिहारी मिश्र, हिन्दी पत्रकारिता, भारतीय ज्ञानपीठ, पृ. २६३
१३. हिंदी पत्रकारिता भारतेन्दु-पूर्व से छायावादोत्तर-काल तक, डॉ. ध ीरेन्द्र सिंह, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, पृ. ६२
१४. हिंदी पत्रकारिता भारतेन्दु-पूर्व से छायावादोत्तर-काल तक, डॉ. ध ीरेन्द्र सिंह, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, पृ. ६३
१५. हिंदी पत्रकारिता भारतेन्दु-पूर्व से छायावादोत्तर-काल तक, डॉ. ध ीरेन्द्र सिंह, विष्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, पृ. ६३
१६. गंगानारायण त्रिपाठी, हिंदी पत्रकारिता एवं गद्यशैली का विकास, शांति प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. ४६
१७. डॉ. धीरेन्द्रनाथ सिंह, हिन्दी पत्रकारिता : भारतेन्दु-पूर्व से छायावादोत्तर-काल तक, विश्वविद्याल प्रकाशन, वाराणसी, पृ. ६५
१८. गंगानारायण त्रिपाठी, हिंदी पत्रकारिता एवं गद्यशैली का विकास, शांति प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. ४७
१६. हिंदी की दषा और पत्रकारिता, सम्पा. धनंजय भट्ट 'सरल', दो शब्द से, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, पृ. १४
२०. हिंदी की दषा और पत्रकारिता, सम्पा. धनंजय भट्ट 'सरल', दो शब्द से, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, पृ. १४
२१. हिंदी की दषा और पत्रकारिता, सम्पा. धनंजय भट्ट 'सरल', हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, भूमिका से पृ. ३
२२. हिंदी की दशा और पत्रकारिता, सम्पा. धनंजय भट्ट 'सरल', दो शब्द से, हिंदी साहित्य सम्मेलन, भूमिका से पृ. १७
२३. डॉ. धीरेन्द्रनाथ सिंह, हिन्दी पत्रकारिता : भारतेन्दु-पूर्व से छायावादोत्तर-काल तक, विश्वविद्याल प्रकाशन, वाराणसी, पृ. ६७
२४. डॉ. धीरेन्द्रनाथ सिंह, हिन्दी पत्रकारिता : भारतेन्दु-पूर्व से छायावादोत्तर-काल तक, विश्वविद्याल प्रकाशन, वाराणसी, पृ. ६८
२५. डॉ. धीरेन्द्रनाथ सिंह, हिन्दी पत्रकारिता : भारतेन्दु-पूर्व से छायावादोत्तर-काल तक, विश्वविद्याल प्रकाशन, वाराणसी, पृ. ६८
२६. डॉ. धीरेन्द्रनाथ सिंह, हिन्दी पत्रकारिता : भारतेन्दु-पूर्व से छायावादोत्तर-काल तक, विश्वविद्याल प्रकाशन, वाराणसी, पृ. ७०
२७. डॉ. धीरेन्द्रनाथ सिंह, हिन्दी पत्रकारिता : भारतेन्दु-पूर्व से छायावादोत्तर-काल तक, विश्वविद्याल प्रकाशन, वाराणसी, पृ. ७१
२८. डॉ. धीरेन्द्रनाथ सिंह, हिन्दी पत्रकारिता : भारतेन्दु-पूर्व से छायावादोत्तर-काल तक, विश्वविद्याल प्रकाशन, वाराणसी, पृ. ७२
२६. डॉ. धीरेन्द्रनाथ सिंह, हिन्दी पत्रकारिता : भारतेन्दु-पूर्व से छायावादोत्तर-काल तक, विश्वविद्याल प्रकाशन, वाराणसी, पृ. ७४
३०. डॉ. धीरेन्द्रनाथ सिंह, हिन्दी पत्रकारिता : भारतेन्दु-पूर्व से छायावादोत्तर-काल तक, विश्वविद्याल प्रकाशन, वाराणसी, पृ. ७५
३१. विजयदत्त श्रीधर, भारतीय पत्रकारिता कोष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. ६०४
३२. विजयदत्त श्रीधर, भारतीय पत्रकारिता कोष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. ६२६

Refereed & Peer Reviewed Research Magazine
RNI-UPHIN/2018/77444 ISSN-2582-1288
त्रैमासिक मूल्य २००
शोधादर्श
संदर्भित एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिक पत्रिका
वर्ष : ८ अंक : ३, जून-अगस्त २०२६
doi.org/10.5281/
इम्पेक्ट फैक्टर(२०२६) : १०.१६
पंजीकृत कार्यालय
शोधादर्श, ए-७, आदर्श नगर, तातारपुर लालू, नजीबाबाद-२४६७६३ ज़िला बिजनौर (उ.प्र.)
संपादकीय कार्यालय/पत्रव्यवहार
शोधादर्श, साईं एंक्लेव, निकट देवता धनौरा, नजीबाबाद-२४६७६३ बिजनौर (उप्र)
https://shodhadarsh.in/

गांधी युगीन हिंदी पत्रकारिता और साहित्यकार

सन् १९२० से १९४७ ई.

अमन

तत्कालीन परिस्थितियां

गांधी युगीन पत्रकारिता से पूर्व प्रायः सभी पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादक साहित्यिक होने से उनमें साहित्य की सामग्री अधिक रहती थी किंतु ''अब सम्पादकों की लेखनियां अधिकतर राजनीतिक विषयों पर अपना कौषल दिखाने लगीं और उन्हें बड़ी लोकप्रियता मिली।''[१] पत्रकारिता के लिए यह काल 'भूमिगत पत्रकारिता' का काल भी कहा जा सकता है। क्योंकि ''जनता अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। ऐसे ही समय में सरकार ने पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया। फलतः पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन बंद हो गये। उनके स्थान पर भूमिगत पत्रिकाओं के प्रकाशन हुए। यह प्रवृत्ति १९३२-३३ ई. में थी। ऐसे समय चोरी-छिपे 'रणभेरी', 'रणडंका' आदि नामों से कई पत्र निकले। अतः इस धारा को 'भूमिगत पत्रकारिता' की संज्ञा दी गयी।''[२] सन् १९२० के बाद न सिर्फ पत्रकारिता का युग बदला बल्कि भारतीय राजनीति और साहित्य का युग भी बदल गया। १ अगस्त १९२० को बालगंगाधर तिलक की मष्त्यु हो गई और इसी वर्ष आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के सम्पादन भार से मुक्ति पा ली थी। राजनीति में बड़ी तेजी के साथ महात्मा गांधी का नाम प्रकाशित हो रहा था। यह अंग्रेज शासन का वह युग था जब वह दो विश्वयुद्ध लड़कर कमजोर हो चुका था किंतु भारत को ध ार्मिकता में बांटकर अपनी सत्ता बनाये हुए था। कांग्रेस ने गांधी जी के नेतष्त्व में सन् १९२० में असहयोग आन्दोलन करने का निर्णय लिया। यह आन्दोलन सन् १९२२ तक चला। इस बीच आन्दोलनकारियों पर जमकर अत्याचार किये। तुर्की में खिलाफत आन्दोलन चला तो भारत के मुसलमान भी आन्दोलन करने लगे। गांधी जी ने इस आन्दोलन में उनका साथ दिया। तभी गोरखपुर के समीप चोरीचौरा गांव में तीन हजार आदमियों की भीड़ ने २१ सिपाहियों और १ इंसपेक्टर को मार डाला। अहिंसा के पक्षपाति गांधी जी को यह घटना सहन नहीं हुई और उन्होंने असहयोग आन्दोलन वापस ले लिया। इस मामले में गांधी जी की कड़ी आलोचना हुई और सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जहां से गांधी जी फरवरी १९२८ में रिहा हो पाए। असहयोग आन्दोलन इतना विशाल था कि उससे भारी मात्रा में देशवासी जुड़े और अपनी ताकत का अहसास भी करा दिया। किंतु महात्मा गांधी द्वारा यह आन्दोलन वापस ले लेने से एकजुट हुये देशभक्तों के सीने में जो चिंगारी प्रज्वलित हुई वह फिर शांत न हो सकी।

१ जनवरी १९२३ को चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज्य दल की स्थापना की। इस दल का उद्देश्य 'स्वराज्य' प्राप्त करना था। ''इसके नेताओं ने 'स्वराज' की परिभाषा करते हुए स्वीकार किया था कि वे 'स्वायत्त शासन' चाहते थे। स्वराज्य दल और कांग्रेस का उद्देश्य एक ही था लेकिन दोनों के रास्ते अलग-अलग थे। स्वराज्य दल के नेताओं ने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विधानमण्डलों के चुनावों में सक्रिय भाग लिया। वे विधान मण्डलों द्वारा सरकार से संघर्ष करना चाहते थे। बाह्य संघर्ष के स्थान पर आंतरिक संघर्ष करने के लिए विधान मण्डलों की अधिक से अधिक सीटों पर उन्होंने अधिकार करने का प्रयास किया। वे विधान मण्डलों में इसलिए घुसे थे कि वे सरकार के कार्यों में बाधा डाल सकें। वे नौकरशाही सरकार द्वारा स्वराज्य के पथ में डाली जाने वाली कठिनाइयों का मुकाबला करना चाहते थे। विधान मण्डलों में जाकर उन्हें बजट अस्वीकार करने थे और उन सब विधेयकों का विरोध करना था जिसके कारण नौकरशाही अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती थी।''[३]

चूंकि स्वराज्य दल का उद्देश्य पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना था। इसलिए ''विधान मंडलों से बाहर वे महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्य का पूरा समर्थन करते और कांग्रेस संगठन द्वारा मिलकर उस काम को चलाते। वे शोषण के सब रास्ते और हिन्दुस्तान से बाहर जाने वाली सम्पत्ति को रोकना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने एक आर्थिक नीति तैयार की थी। वे चाहते थे कि मजदूरों का शोषण न हो और कारखानों की उन्नति भी हो। चितरंजन

अमन कुमार
संपादक
शोधादर्ष (त्रैमासिक) एवं ओपन डोर(साप्ताहिक)
नजीबाबाद, बिजनौर मोबा. -९८९७७४२८१४

दास ने भावी रूपरेखा स्पष्ट करते हुए कहा था कि बजट को रद्द करके, नौकरशाह के प्रस्तावों को अस्वीकृत करके और विभिन्न विधेयकों को रोक कर वे १६१६ के अधिनियम की कार्यप्रणाली में बाधाएं उपस्थित करके सरकारी कामकाज को ठप्प कर देंगे। स्वराज्य दलीय नेताओं ने यह भी घोषित किया था कि अगर हमने देखा कि नौकरशाही, स्वार्थ और हठ का सविनय अवज्ञा के अनुसार मुकाबला नहीं किया जा सकता तो हम बिना किसी संकोच गांधी जी के नेतृत्व में काम करेंगे।''[४] यह वह समय था जब देश का हर व्यक्ति आजादी के पक्ष में खड़ा था। कुछ लोग महात्मा गांधी के अहिंसावादी विचारों से प्रभावित थे तो कुछ लोग गर्म दल के विचारों से। ८ फरवरी १६२४ को स्वराज्य पक्ष को केन्द्रीय असेमबली में मोतीलाल नेहरू का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास कराने में सफलता मिली। प्रस्ताव में मांग की गयी थी कि एक गोल मेज सम्मेलन किया जाये जो पूर्ण उत्तरदायी शासन के आधार पर हो और हिन्दुस्तान के लिये एक संविधान की सिफारिश करे। ब्रिटिश सरकार को स्वराज्य दल के कारण कई बार मुहं की खानी पड़ी।

भारत में अब तक समाचार पत्रों के प्रकाशन की संख्या काफी बढ़ चुकी थी। जो भी हरकत अंग्रेज करते उसकी सूचना भारत के आम आदमी को मिलने लगी। इससे यह हुआ कि आजादी के दीवानों ने पूर्ण आजादी प्राप्त करने की कसम ही खा ली। इस दौर में साहित्यकारों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस दौर के साहित्य को आजादी का साहित्य बना डाला। जिससे चिढ़कर अंग्रेजों ने तमाम पुस्तकों और अख़बारों को जप्त किया।

''गांधी जी स्वयं पत्रकार थे और पत्रकारिता को वे वैचारिक क्रांति का एक सशक्त माध्यम मानते थे।''[५] १६१६ में गांधी ने यंग इंडिया का सम्पादन किया और इसके माध्यम से अपने राजनीतिक दर्शन कार्यक्रम और नीतियों का प्रचार किया। १६३३ के बाद उन्होंने हरिजन (बहुत सी भाषाओं में प्रकाशित साप्ताहिक) का भी प्रकाशन शुरू किया। पंडित मोतीलाल नेहरू ने १६१६ ई. में इलाहाबाद से इंडीपेंडेंट (अंग्रेजी दैनिक) का प्रकाशन शुरू किया। स्वराज पार्टी के नेता ने दल के कार्यक्रम के प्रचार के लिये सन् १६२२ ई. में दिल्ली में के.एम. पन्नीकर के सम्पादकत्व में हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी दैनिक) का प्रकाशन शुरू किया। इसी काल में लाला लाजपत राय के सहयोग के फलस्वरूप लाहौर से अंग्रेजी राष्ट्रवादी दैनिक प्युपल का प्रकाशन शुरू किया गया।

''जबलपुर के साहित्यप्रेमियों ने राष्ट्रसेवा लि. के नाम से एक संस्था स्थापित की थी। इसी संस्था के तत्वावधान में १७ जनवरी १६१६ ई. को साप्ताहिक 'कर्मवीर' का प्रकाशन आरम्भ हुआ। माधवराव सप्रे प्रधान सम्पादक बनाये गये। सम्पादक माखनलाल चतुर्वेदी थे।''[६] इस पत्र ने भारतीय के खून में निर्भीकता भर दी। ''सन् १६२० में कलकत्ता से 'स्वतंत्र' साप्ताहिक प्रकाशित हुआ। इसके सम्पादक सुप्रसिद्ध पत्रकार पं. अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी थे। वाजपेयी जी जैसे अनुभवी सिद्धान्त प्रिय एवं सफल पत्रकार के मार्गदर्शन में 'स्वतंत्र' चमक उठा था किंतु ब्रिटिश शासन के तीव्र दमन से इसे शीघ्र ही रंगमंच से लुप्त हो जाना पड़ा।''[७]

१६२३ के बाद धीरे-धीरे समाजवादी, साम्यवादी विचार भारत में फैलने लगे। वर्कर्स एंड प्लेसंट पार्टी आफ इंडिया का एक मुखपत्र मराठी साप्ताहिक 'क्रांति' था। मर्ट कांसपीरेसी केस के एम जी देसाई और लेस्टर हचिंसन के सम्पादकत्व में क्रमषः स्पार्क और न्यू स्पार्क (अंग्रेजी साप्ताहिक) प्रकाशित हुआ। मार्क्सवाद का प्रचार करना और राष्ट्रीय स्वतंत्रता एवं किसानों मजदूरों के स्वतंत्र राजनीतिक आर्थिक संघर्षों को समर्थन प्रदान करना इनका उद्देश्य था। इसी वर्ष ''दिल्ली से श्री इन्द्रवाचस्पति द्वारा संचालित 'अर्जुन' साप्ताहिक ने भी अपना अच्छा स्थान बना लिया था।''[८] और ''१६२५ से ३५ के बीच में श्री सिद्धनाथ माधवनाथ आगरकर द्वारा सम्पादित 'हिंदी स्वराज्य' (खण्डवा)'' के तेवर भी देखने लायक थे।

गांधीजी ने ४ जून १६०३ में 'इंडियन ओपिनियन' साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। जिसके एक ही अंक में अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, गुजराती भाषा में छः कॉलम प्रकाशित होते थे। उस समय गांधीजी दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। अंग्रेजी में यंग इंडिया और जुलाई १६१६ से हिन्दी-गुजराती में 'नवजीवन' का प्रकाशन आरम्भ किया। इन पत्रों के माध्यम से अपने विचारों को जनमानस तक पहुंचाया। उनके व्यक्तित्व ने जनता पर जादू सा कर दिया था। उनकी आवाज पर लोग मर-मिटने को तैयार हो गये। इन पत्रों में प्रति सप्ताह महात्मा गांधी के विचार प्रकाशित होते थे। ब्रिटिश शासन द्वारा पारित कानूनों के कारण जनमत के अभाव में ये पत्र बंद हो गये। बाद में उन्होंने अंग्रेजी में 'हरिजन' और हिंदी में 'हरिजन सेवक' तथा गुजराती में 'हरिबंधु' का प्रकाशन किया तथा ये पत्र स्वतंत्रता तक छापते रहे। गांधी जी भारतीय जनमानस के हृदय में गहरे बैठ चुके थे। ''१८ मार्च १६१६ के 'काले कानून' तथा अन्य सरकारी कानूनों को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने एक समिति निर्मित की, लोगों से सत्याग्रह की प्रतिज्ञा करायी और ३० मार्च १६१६ को हड़ताल करने की अपील की। इस अपील के जवाब में पूरे देश ने अपनी जातीय जागृति का परिचय दिया।''[६] इस दौर में गांधी जी की प्रेरणा से शिक्षा के नये-नये संस्थान खुले ''राष्ट्रीय संस्थाओं के संस्थापन और संगठन की ओर गांधी जी की विशेष रुचि थी।''[१०] गांधी जी न सिर्फ आम आदमी बल्कि दूसरे स्वतंत्रता प्रेमियों और भारत के बुद्धिमान वर्ग में भी प्रभावी हो चुके थे। उस दौर में निकलने वाले सभी पत्र भी गांधी जी से प्रभावित हुए बिना न रह सके। ''मतवाला ३१ मई, १६२४ की एक सम्पादकीय टिप्पणी की अन्तिम पंक्तियां द्रष्टव्य हैं- यदि आप स्वतंत्रता के अभिलाषी हैं, अपने देश में स्वराज्य की प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो तन, मन और धन से अपने नेता महात्मा गांधी के आदेशों का पालन करना आरम्भ कीजिए।''[११] मतवाला इस दौर का महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्र था। ''मतवाला के प्रकाशन की प्रेरणा बंगला-साप्ताहिक पत्र 'अवतार' से मिली थी। यह हास्यरस का पत्र था। हिंदी में ऐसा पत्र नहीं था। इस अभाव की ओर कलकत्ता के तत्कालीन हिंदी हितैषियों का ध्यान गया। इनमें प्रमुख थे मुंशी नवजादिक लाल, पण्डित सूर्यकान्त त्रिपाठी, बाबू षिवपूजन सहाय और 'बालकृष्ण प्रेस' के मालिक महादेव प्रसाद सेठ।''[१२] मतवाला का प्रारम्भ २० अगस्त १६२३ ई. रविवार को इलाहाबाद से प्रारम्भ हुआ था। '' 'मतवाला' की साहित्यिक उपलब्धि के रूप में हमने 'निराला' का नामोल्लेख किया है। 'निराला' के पूर्ववर्ती काव्य के प्रकाशन का श्रेय 'मतवाला' को है। 'मतवाला' का यह सबसे बड़ा साहित्यिक अवदान है। निराला के अतिरिक्त उसके अन्य विशिष्ट लेखकों की रचनाएं प्रायः छपती थीं। उनमें प्रमुख नाम इस प्रकार हैं : हरिऔध, चतुरसेन शास्त्री, प्रेमचन्द, प्रसाद तथा उग्र जी 'मतवाला मण्डल' के सदस्यों में थे। उनकी अनेक कहानियां और कविताएं इस पत्र में प्रकाशित हुई थीं। ये अधिकांश कहानियां इनमें छपी थीं जिन्हें पं. बनारसीदास चतुर्वेदी ने 'घासलेटी साहित्य' कहा था। उग्र की कहानी पर श्रीरामनाथ 'सुमन' की एक समीक्षा भी प्रकाशित हुई थी। हिंदी के विशिष्ट पुराने-नये लेखकों का सचित्र परिचय भी प्रकाशित होता था। आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, बाबू श्यामसुन्दर दास, हरिऔध जी, जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, पं. नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ, रामगोविन्द त्रिवेदी, गणेशशंकर विद्यार्थी, राधाचरण गोस्वामी,

नाथूराम शंकर शर्मा, सुमित्रानंदन पन्त इत्यादि साहित्यकारों का सचित्र परिचय 'मतवाला' में प्रकाशित हुआ था।''[१३]

१६३० और १६३६ के बीच मजदूरों किसानों के आंदोलनों का विस्तार हुआ और उनकी ताकत बढ़ी। कांग्रेस के नौजवानों के बीच सामाजवादी साम्यवादी विचार विकसित हुए। इस तरह स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने अधिकारिक पत्र के रूप में 'कांग्रेस सोशलिस्ट' का प्रकाशन किया। कम्युनिस्ट के प्रमुख पत्र 'नेशनल फ्रंट' और बाद में 'प्युपलस्' वार थे। ये दोनों अंग्रेजी सप्ताहिक पत्र थे। एम. एन. रॉय के विचार अधिकारिक साम्यवाद से भिन्न थे। उन्होंने अपना अलग दल कायम किया जिसका मुखपत्र था 'इंडीपेंडेंट इंडिया'।

इस दौर की पत्रकारिता विकास कर रही थी मगर अंग्रेजी और हिंदी के पत्रों में दूरियां भी बढ़ रही थीं किंतु सरकारी निर्ममता के बावजूद समाचारपत्रों की संख्या निरन्तर बढ़ रही थी। डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल और चन्द्रमणि रघुवंशी इस काल के पत्रों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार बताते हैं-

१. भारतीय और ऐंग्लो इंडियन पत्रों के बीच की खाई चौड़ी हो गई। सभी भारतीय समाचार-पत्रों ने स्वतंत्रता का समर्थन किया, यद्यपि उनमें से कुछ पत्र महात्मा गांधी की नीति और कार्यों से असहमत थे। इसके विपरीत ऐंग्लो इंडियन पत्रों ने सरकारी नीति का समर्थन किया। यद्यपि ये नीतियां स्पष्ट रूप से अनुचित प्रतीत होती थीं।

२. समाचारपत्रों के सम्बंध में सरकार की नीति बड़ी निमर्म थी। समाचारपत्रों से जमानतें मांगी जाती थीं और अधिकतर जमानतें जब्त कर ली जाती थीं और फिर से नई जमानत मांगी जाती थी। बहुत से पत्रकारों को जेल भी काटनी पड़ी।

३. समाचारपत्रों की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी, यद्यपि अधिकांश लोकप्रिय पत्रों की प्रसार संख्या २००० से अधिक नहीं थी।

४. इकन्नियां दैनिक पत्र अधिकाधिक संख्या में छपने लगे।

५. पहले के कानूनों को और भी कठोर बना दिया गया तथा समाचारपत्रों का दमन करने के लिए नए कानून बनाए गए।

६. बहुतों के लिए पत्रकारिता एक पेशा बन गई।

७. निर्धनता के बावजूद पत्रकार को सर्वत्र आदर तथा प्यार मिलता रहा।

८. बहुत से युवक युवतियां पत्रकारिता के सहारे प्रांतीय तथा राष्ट्रीय नेता बन गए।

६. समाचार जानने की उत्कंठा लोगों में पराकाष्ठा तक पहुंच गई और शिक्षित-अशिक्षित सभी लोग समाचारों में दिलचस्पी लेने लगे।[१४]

पत्रकारिता में हिंदी साहित्यकार

यह युग पत्रकारिता का विशेष युग कहलाया जायेगा। ''सन् १६२० में 'पराधीन सपनेहु सुख नाहीं' के साथ आज का श्री गणेश हुआ था। हिंदी में दैनिक 'लन्दन टाइम्स' जैसा स्तरीय दैनिक समाचारपत्र प्रकाशित करने का संकल्प शिवप्रसाद गुप्त ने अपने विश्वभ्रमण में लिया था।''[१५] शिवप्रसाद गुप्त ने 'आज' का प्रकाशन 'ज्ञान मंडल' वाराणसी से शुरू किया था। पहले सम्पादक श्री प्रकाश हुए। यह पत्र राजनीति के साथ-साथ सांस्कृतिक और साहित्यिक सेवा का पक्षधर था। बाबूराव विष्णु पराड़कर 'आज' की बेहतरीन देन हैं। यही नहीं 'आज' ने मुकन्दी लाल श्रीवास्तव, कालिका प्रसाद, विनोददत्त झा, राधावल्लभ सहाय, कमलापति त्रिपाठी, विशम्बर नाथ, परमेश्वरी लाल गुप्त, सूर्यकुमार वेदालंकार, रमाकांत श्रीवास्तव, रामनाथ सुमंत, शंभुनाथ सिंह, डॉ. परमात्मा शरण, कृष्ण कुमारी मिश्र, महावीर प्रसाद गहमरी आदि प्रसिद्ध लेखक दिये हैं।

प्रारम्भ में ''दैनिक 'आज' का प्रातः कालीन संस्करण केवल काशी नगर तक ही सीमित था। तब ग्रामीण पाठकों के लिए ११ मार्च १६२२ को 'आज' का अर्द्धसाप्ताहिक संस्करण भी आरम्भ किया गया, जिसके कुल साठ अंक निकले।''[१६]

इस काल के साहित्यकारों में माधवराव सप्रे, माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णुदत्त शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी, विनय मोहन शर्मा, पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र', डॉ. भगवानदास, काशी प्रकाश जायसवाल, शंकर सहाय सक्सेना, प्राणनाथ विद्यालंकार, द्वारका प्रसाद मिश्र, केसी देसाई, प. गंगाशंकर मिश्र, सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', शिवपूजन सहाय, नवजादिकलाल श्रीवास्तव, महादेवी वर्मा, जय शंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पन्त, प. नर्मदा प्रसाद मिश्र, सुभद्रा कुमारी चौहान, केशव प्रसाद पाठक, मैथिलीशरण गुप्त, रघुवर प्रसाद द्विवेदी, लाला भगवान 'दीन', लज्जा शंकर झा, अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध', सेठ गोविन्द दास, पं. कान्ता प्रसाद गुरु, गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश', गोपाल दामोदर तामस्कर, सोहन लाल द्विवेदी, पद्मकांत मालवीय, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, गोपाल सिंह नेपाली, सियारामशरण गुप्त, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचन्द, लक्ष्मी नारायण गर्दे, गुलाब राय, नाथूराम शंकर, षिव पूजन सहाय, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा, अज्ञेय, मोहन सिंह सैंगर, सम्पूर्णानंद, श्याम बिहारी मिश्र, लाल हरदयाल, जोश मलिहाबादी, सुनीतिकुमार चटर्जी, यशपाल जैन, रघुवीर सहाय आदि न जाने कितने ही ऐसे साहित्यकार थे। जो या तो पत्र-पत्रिका निकाल रहे थे या उनमें लिखकर देश और साहित्य सेवा कर रहे थे।

प्रमुख पत्र

इस समय राष्ट्रीय और साहित्यिक चेतना को दोनों साथ-साथ पल्लवित हो रही थीं। साहित्यिक पत्रकारिता में एक नए युग का आरम्भ हुआ। राष्ट्रीय आंदोलनों ने हिंदी की राष्ट्रभाषा के लिए योग्यता पहली बार घोषित की ओर जैसे-जैसे राष्ट्रीय आंदोलनों का बल बढ़ने लगा, हिंदी के पत्रकार और पत्र अधिक महत्व पाने लगे। ''भारत का कोई प्रांत ऐसा नहीं था जिसने राष्ट्रीयता का प्रचार करने वाले पत्रों और पत्रकारों को जन्म न दिया हो।''[१७] १६२१ के बाद गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन मध्यवर्ग तक सीमित न रहकर ग्रामीणों और श्रमिकों तक पहुंच गया और उसके इस प्रसार में हिंदी पत्रकारिता ने महत्त्वपूर्ण योग दिया। सच तो यह है कि हिंदी पत्रकार राष्ट्रीय आंदोलनों की अग्र पंक्ति में थे और उन्होंने विदेशी सत्ता से डटकर मोर्चा लिया। विदेशी सरकार ने अनेक बार नए-नए कानून बनाकर समाचारपत्रों की स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया परंतु जेल, जुर्माना और अनेकानेक मानसिक और आर्थिक कठिनाइयां झेलते हुए भी हिंदी पत्रकारों ने स्वतंत्र विचार की दीपशिखा जलाए रखी।

१६२१ में काशी से 'आज' और कानपुर से 'वर्तमान' प्रकाशित हुए। इस प्रकार हम देखते हैं कि १६२१ में हिंदी पत्रकारिता फिर एक बार करवटें लेती है और राजनीतिक क्षेत्र में अपना नया जीवन आरम्भ करती है। हमारे साहित्यिक पत्रों के क्षेत्र में भी नई प्रवृत्तियों का आरम्भ इसी समय से होता है। सन् १६२८ को कलकत्ता से ''विशाल भारत' का प्रवेशांक १४४ पृष्ठों का निकला। साहित्य, समाज-सुधार, राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान आदि विषयों पर गवेषणापूर्ण लेखों का प्रकाशन सचित्र 'विशाल भारत' में होता था। आकार २५ गुणित १६ से.मी. और वार्षिक शुल्क छह रुपये था।''[१८] मासिक 'विशाल भारत' ने भी अनेक विशेषांक निकाले जिनमें-''पद्मसिंह शर्मा अंक, प्रवासी अंक, रवीन्द्र अंक, एन्ड्रूज अंक, साहित्य-कला अंक, कहानी अंक, यूरोप अंक इत्यादि विशेषांक प्रकाशित कर हिंदी पत्रकारिता को समृद्ध किया।''[१६]

१६१६ ई. के बाद साहित्यक्षेत्र में जो पत्र आए उनमें प्रमुख हैं-

स्वदेश (१६१६ ई.), भविष्य (१६१६ ई.), विजय (१६१६ ई.) जैसे पत्र अपनी धूम मचा रहे थे। इन पत्रों ने अन्य देशप्रेमियों को प्रेरित किया तो १६१६ के बाद अनेक जुझारू और निडर पत्र सामने आये जिनमें- पत्रकारिता की परिभाषा गढ़ने वाले 'आज' (१६२०) को कदापि भुलाया नहीं जा सकता है। स्वार्थ (१६२२ ई.), माधुरी (१६२२ ई.), मर्यादा(१६२३ ई.), चांद (१६२३ ई.), मनोरमा (१६२४ ई.), समालोचक (१६२४ ई.), कर्मवीर (१६२४ ई.), सैनिक (१६२४ ई.), श्रीकृष्णसंदेश (१६२५ ई.), चित्रपट (१६२५ ई.), कल्याण (१६२६ ई.), हिंदूपंच (१६२६ ई.), सुधा (१६२७ ई.), विशालभारत (१६२८ ई.), त्यागभूमि (१६२८ ई.), स्वतंत्र भारत (१६२८ ई.), जागरण (१६२६ ई.), हिंदी मिलाप (१६२६ ई.), हंस (१६३० ई.), गंगा (१६३० ई.), सचित्र दरबार (१६३० ई.), स्वराज्य (१६३१ ई.), नवयुग (१६३२ ई.), हरिजन सेवक (१६३२ ई.), विश्वबंधु (१६३३ ई.), विश्वमित्र (१६३३ ई.), नवशक्ति (१६३४ ई.), योगी (१६३४ ई.), हिंदू (१६३६ ई.), देशदूत (१६३८ ई.), राष्ट्रीयता (१६३८ ई.), संघर्ष (१६३८ ई.), चिनगारी (१६३८ ई.), नवज्योति (१६३८ ई.), रूपाभ (१६३८ ई.), साहित्य संदेश (१६३८ ई.), कमला (१६३६ ई.), मधुकर (१६४० ई.), जीवनसाहित्य (१६४० ई.), संगम (१६४० ई.), विश्वभारती (१६४२ ई.), संगम (१६४२ ई.), जनयुग (१६४२ ई.), रामराज्य (१६४२ ई.), सावधान (१६४२ ई.), लोकवाणी (१६४२ ई.), हुंकार (१६४२ ई.), संसार (१६४३ ई.), सन्मार्ग (१६४३ ई.), कुमार (१६४४ ई.), लोकवार्ता (१६४४ ई.), नया साहित्य (१६४५ ई.), सरिता (१६४५ ई.), नया साहित्य (१६४५ ई.), आजकल (१६४५ ई.), पारिजात (१६४५ ई.), हिमालय (१६४५ ई.), जय हिन्द (१६४६ ई.), क्रान्ति (१६४६ ई.), भास्कर (१६४६ ई.), विंध्य केसरी (१६४६ ई.), नया हिन्द (१६४६ ई.), कहानियां (१६४६ ई), नवभारत टाइम्स (१६४७ ई.), नई दुनिया (१६४७ ई.), प्रदीप (१६४७ ई.), स्वतन्त्र भारत (१६४७ ई.), दैनिक जागरण (१६४७ ई.), नवजीवन (१६४७ ई.), दैनिक लोकमत (१६४७ ई), राष्ट्र धर्म (१६४७ ई.), प्रहरी (१६४७ ई.), नारी (१६४७ ई.), संगम (१६४७ ई.), दखनी हिंदी (१६४७ ई.), बाल बौध (१६४७ ई.), आदि प्रमुख हैं।

प्रतिबंधित पत्र-पत्रिकाएं

भारत के स्वाधीनता संघर्ष में पत्र-पत्रिकाओं की अहम भूमिका रही है। आजादी के आन्दोलन में भाग ले रहा हर आदमी कलम की ताकत से परिचित था। पत्रकारों को सत्ता का कोपभाजन बनना पड़ा। दमन, नियंत्रण के दुश्चक्र से गुजरते हुए उन्हें कई प्रेस अधिनियमों का सामना करना पड़ा। 'वर्तमान पत्र' में पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा लिखा 'राजनीतिक भूकम्प' शीर्षक लेख, 'अभ्युदय' का भगत सिंह विशेषांक, किसान विशेषांक, 'नया हिन्दुस्तान' के साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और फॉसीवादी विरोधी लेख, 'स्वदेश' का विजय अंक, 'चांद' का अछूत अंक, फांसी अंक, 'बलिदान' का नववर्षांक, 'क्रांति' के १६३६ ई. के सितम्बर, अक्टूबर अंक, 'विप्लव' का चंद्रशेखर अंक अपने क्रांतिकारी तेवर और राजनीतिक चेतना फैलाने के आरोप में अंग्रेजी सरकार की टेढ़ी निगाह के शिकार हुए और उन्हें जब्ती, प्रतिबंध, जुर्माना का सामना करना पड़ा। सम्पादकों को कारावास भुगतना पड़ा।

बीसवीं सदी के दूसरे-तीसरे दशक में सत्याग्रह, असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन के प्रचार प्रसार और उन आन्दोलनों की कामयाबी में समाचार पत्रों की अहम भूमिका रही। कई पत्रों ने स्वाधीनता आन्दोलन में प्रवक्ता का रोल निभाया। कानपुर से १६२० में प्रकाशित 'वर्तमान' ने असहयोग आन्दोलन को अपना व्यापक समर्थन दिया था। पंडित मदनमोहन मालवीय द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्र 'अभ्युदय' उग्र विचारधारा का हामी था। अभ्युदय के भगत सिंह विशेषांक में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मदनमोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लेख प्रकाशित हुए। जिसके परिणामस्वरूप इन पत्रों को प्रतिबंध- जुर्माना का सामना करना पड़ा। गणेश शंकर विद्यार्थी का 'प्रताप', सज्जाद जहीर एवं शिवदान सिंह चौहान के सम्पादन में इलाहाबाद से निकलने वाला 'नया हिन्दुस्तान' राजाराम शास्त्री का 'क्रांति' यशपाल का 'विप्लव' अपने नाम के मुताबिक ही क्रांतिकारी तेवर वाले पत्र थे। इन पत्रों में क्रांतिकारी युगांतकारी लेखन ने अंग्रेजी सरकार की नींद उड़ा दी थी। अपने संपादकीय, लेखों, कविताओं के जरिए इन पत्रों ने सरकार की नीतियों की लगातार भर्त्सना की। 'नया हिन्दुस्तान' और 'विप्लव' के प्रतिबंधित अंकों को देखने से इनकी वैश्विक दृष्टि का पता चलता है।

'चांद' का फांसी अंक

फांसीवाद के उदय और बढ़ते साम्राज्यवाद, पूंजीवाद पर चिंता इन पत्रों में साफ देखी जा सकती है। गोरखपुर से निकलने वाले साप्ताहिक पत्र 'स्वदेश' को जीवनपर्यन्त अपने उग्र विचारों और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण की भावना के कारण समय-समय पर अंग्रेजी सरकार की कोप दृष्टि का षिकार होना पड़ा। ख़ासकर विशेषांक 'विजयांक' को। आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा संपादित 'चांद' के फांसी अंक की चर्चा भी जरूरी है। काकोरी के अभियुक्तों को फांसी के लगभग एक साल बाद, इलाहाबाद से प्रकाशित 'चांद' का 'फांसी' अंक क्रांतिकारी आन्दोलन के इतिहास की अमूल्य निधि है। यह अंक क्रांतिकारियों की गाथाओं से भरा हुआ है। सरकार ने अंक की जनता में जबर्दस्त प्रतिक्रिया और समर्थन देख इसको फौरन जब्त कर लिया और रातों-रात इसके सारे अंक गायब कर दिये। अंग्रेज हुकूमत एक तरफ क्रांतिकारी पत्र-पत्रिकाओं को जब्त करती रही, तो दूसरी तरफ इनके सम्पादक इन्हें बिना रुके पूरी निर्भिकता से निकालते रहे। सरकारी दमन इनके हौसलों पर जरा भी रोक नहीं लगा सका। पत्र-पत्रिकाओं के जरिए उनका यह प्रतिरोध आजादी मिलने तक जारी रहा। 'चांद' का प्रकाशन सन् १६२० में हुआ। आरंभ में यह साप्ताहिक पत्र था बाद में मासिक हो गया। इस पत्रिका में अनेक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों पर लेख प्रकाशित किए जाते थे। इस विशेषांक के सम्पादक आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने अग्रलेख में लिखा था-''फांसी अंक को दिवाली की अमावस्या समझिए। देखिए, इसमें बीसवीं शताब्दी के हुतात्मा के दिए कैसे टिमटिमा रहे हैं और देखिए, स्थान-स्थान पर कैसी ज्वलंत अग्नि धांय-धांय कर जल रही है, और सबके बीच में जाग्रत ज्योति--मृत्यु-सुन्दरी, कैसा शृंगार किए छम-छम कर नाच रही है। पूजो! भाग्यहीन भारत के राजपाट, अधिकार सत्ता और शक्तिहीन नर-नारियों, यही तुम्हारी गृहलक्ष्मी है। यह मृत्यु सुन्दरी, यही प्राप्त करो, इसे वरो, तब तुम देखोगे कि ज्यों ही यह तुम्हारे गले का फन्दा होने के स्थान पर हृदय का तारा बनेगी, तुम्हारी सहस्रों वर्श की गुलामी दूर हो जायेगी?''[२०]

चांद के विशेषांक और उनके सम्पादक इस प्रकार थे- ''गल्पांक-प्रेमचंद, दिसम्बर १६२२, महिला अंक-दिसम्बर १६२३, विधवांक-अप्रैल १६२३, अछूतांक, नंदकिशोर तिवारी, मई १६२६, फांसी अंक-चतुरसेन शास्त्री, नवम्बर १६२८, सती अंक-चण्डीप्रसाद हृदयेश, सितम्बर १६२७, मारवाड़ी अंक-चतुरसेन षास्त्री, नवम्बर १६२६ ई., विदुषी अंक-नवम्बर १६३५, भारतवर्षांक, दिसम्बर १६२६ चर्चित हुए जिनमें फांसी और मारवाड़ी अंक विशेष चर्चित ही नहीं हुए बल्कि हिंदी-जगत में तहलका मचा दिया।''[२१]

''नवल किशोर प्रेस लखनऊ से विष्णुनारायण

भार्गव ने ३० जुलाई १६२२ को साहित्यिक पत्रिका 'माधुरी' का प्रकाशन किया।''[२२] यह छायावाद की प्रमुख पत्रिका थी परंतु अनेक अस्थिर नीतियों का इसे भी सामना करना पड़ा तथापि यह छायावाद की सबसे लोकप्रिय पत्रिका रही। 'माधुरी' के मुख पृ. पर दुलारे लाल भार्गव का लिखा दोहा प्रकाशित होता था।

सिता, मधुर मधु, सुधा तिय अधर माधुरी धन्य।

पै नव रस साहित्य की यह माधुरी अनन्य।

'चांद' मूलतः महिलाओं के लिए प्रकाशित की गयी थी किंतु साहित्यिक भाषा अपनाये हुए यह पत्रिका स्वतंत्र चेतना के लिए अपनी तरह से सफल प्रयास कर रही थी। इसने अनेक विशेषांक निकाले, जिनमें 'फांसी' अंक और 'अछूतांक' का बड़ा महत्व है। ''मई, १६२७ में जब 'चांद' ने 'अछूतांक' का प्रकाशन किया, तब 'माधुरी' ने टिप्पणी लिखी- सहयोगी चांद के लिए विशेषांकों का निकालना मामूली बात हो गई है। अपने जीवन के ५५ अंकों में वह १० विशेषांक प्रकाशित कर चुका है। मई, १६२७ का अंक 'अछूतांक' है। यह उत्साह हिंदी पत्रिकाओं में ही नहीं, भारत वर्ष की अन्य भाषाओं में भी नहीं देखने में आता। 'चांद' ने इसी उत्साह की बदौलत हिंदी जगत में वह स्थान प्राप्त कर लिया है, जो हिंदी भाषा ही के लिए नहीं किसी भी भारतीय भाषा के लिए गौरव की बात है। ऐसी कोई महिलोपयोगी पत्रिका और भी किसी भाषा में है, इसमें हमें संदेह है।''[२३]

१६२२ में रामकृष्ण मिशन से जुड़े स्वामी माधवानंद के सम्पादन में 'समन्वय' का प्रकाशन हुआ। यह मासिक पत्र था। निराला की सूझ-बूझ और उनके पाण्डित्य का उत्कृष्ट उदाहरण यह पत्र है। आचार्य शिवपूजन सहाय और निराला ने विभिन्न उत्कृष्ट सामाजिक लेखों द्वारा इस पत्र के माध्यम से सर्वसाधारण में अपना स्थान बनाया।

निराला ने हिंदी भाषा सीखने के लिए 'सरस्वती' पत्रिका को आधार बनाया। वह इस पत्रिका के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहते हैं- 'जिसकी हिंदी के प्रकाश के परिचय के समक्ष मैं आंख नहीं मिला सका, लजाकर हिन्दी शिक्षा के संकल्प से कुछ दिनों बाद देश से विदेश, पिता के पास चला गया था और उस हिंदी हीन प्रांत में बिना शिक्षक के 'सरस्वती' की प्रतियां लेकर पदसाधना की और हिंदी सीखी।' १६२३ में निकलने वाला 'मतवाला' निराला के गुणों से प्रदीप्त, अपने स्वरूप में भी निराला ही था। यद्यपि इसके संस्थापक महादेव प्रसाद सेठ थे तथापि इस पत्र की पूर्ण जिम्मेदारी शिवपूजन सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' व पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' की ही थी। हास्य, व्यंग्य एवं विनोद का प्रयोग करके नई चेतना जगाने वाले इस पत्र के मुखपृष्ठ पर छपने वाली पंक्तियां थी-

अमित गरल, शशि सीकर-रविकर, राग विराग भरा प्याला।

पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है यह 'मतवाला'।

मतवाले अंदाज के लिए मशहूर पत्र 'निराला' के निराले अंदाज का सूचक था। 'निराला' को यह उपनाम इसी पत्र द्वारा ही प्राप्त हुआ था। 'मतवाला' साहित्यिक योजनाओं को शीर्ष पर पहुंचाने का उत्कृष्ट माध्यम था। अपने युग के प्रति जागरुक रहने के साथ-साथ साहित्य की नवीन शैली का प्रादुर्भाव करने का श्रेय इस पत्र को है।

''अगस्त १६२७ में गंगा पुस्तकालय कार्यालय लखनऊ से दुलारेलाल भार्गव ने हिंदी मासिक पत्रिका 'सुधा' का प्रकाशन किया। २० पृष्ठ की यह सचित्र पत्रिका गंगा फाइन आर्ट प्रेस से छपती थी।''[२४] सम्पादन पं. रूपनारायण पाण्डेय ने किया। इस पत्रिका का मूल उद्देश्य बेहतर साहित्य उत्पन्न करना, नए लेखकों को प्रोत्साहन देना, कृतियों को पुरस्कृत करना व विविध विषयों पर लेख छापना था। 'निराला' के आगमन से 'सुधा' को एक नई दिशा मिली। इस पत्रिका के प्रमुख विषयों में समाज सुधार, विज्ञान से लेकर साहित्य और गृह विज्ञान की सामग्री भी प्रकाशित होती थी। ''सुधा' के सम्पादक और प्रकाशक ने पत्रिका के लिए भारतेन्दु हरिष्चन्द्र की 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका', बालकृष्ण भट्ट के 'हिंदी प्रदीप', प्रतापनारायण मिश्र के संस्करण चार हजार प्रतियों का निकला। साहित्य, समाज और राजनीति के सभी विषयों पर सिद्धहस्त लेखकों की रचनाएं 'सुधा' में प्रकाशित होती थीं।''[२५]

छायावाद की पत्रकारिता इस दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण थी कि भाषा का एक नया संस्कार और भाषा में कोमलता-प्रांजलता लाने का श्रेय इस युग की पत्रिकाओं को था।

एक ओर इन पत्रिकाओं के माध्यम से स्वच्छंदतावाद की स्थापना हुई वहीं सामाजिक, राजनीतिक घटनाओं को स्वर मिला। अनेक सुंदर कविताओं का प्रकाशन इस युग की पत्रिकाओं में हुआ। 'जूही की कली', 'सरोज स्मृति', 'बादल राग' जैसी निराला की उत्कृष्ट कविताएं 'मतवाला' में प्रकाशित हुईं। 'जूही की कली' को मुक्त छंद के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है।

'चांद' पत्रिका में ही महादेवी वर्मा का अधिकांश साहित्य छपा। 'छायावाद' के प्रसिद्ध रचनाकारों में से सुमित्रानंदन पंत जी ने 'रूपाभ' का प्रकाशन किया।

प्रेमचंद ने १६३२ में 'जागरण' और १६३६ में 'हंस' का प्रकाशन किया। 'हंस' का उद्देश्य समाज का आह्वान करना था। 'हंस' साहित्यिक पत्रिका थी जिसमें साहित्य की विविध विधाओं का प्रकाशन किया जाता था। महात्मा गांधी की अहिंसा को साहित्य के माध्यम से स्थापित करने वाले प्रेमचंद ने 'हंस' में भी इसी आदर्श को स्वर दिया। स्वतंत्रता के प्रति महात्मा गांधी के निरंतर प्रयास को महसूस करते हुए 'हंस' ने लिखा- भारत के कर्णधार महात्मा गांधी ने इस विचार की सृष्टि कर दी। अब वह बढ़ेगा, फूले फलेगा। हमारा यह धर्म है कि उस दिन को जल्द से जल्द लाने के लिए तपस्या करते रहें। यही हंस का ध्येय होगा और इसी ध्येय के अनुकूल उसकी नीति होगी।

गांधी की नीतियों का समर्थन, स्वराज्य स्थापना के लिए जागरण का प्रयास और साहित्यिक विधाओं का विकास ही 'हंस' का लक्ष्य था। प्रेमचंद के पश्चात् शिवरानी देवी, विष्णुराव पराड़कर, जैनेन्द्र, शिवदान सिंह चौहान, अमृतराय, राजेन्द्र यादव ने इस पत्रिका का सम्पादन किया। 'हंस' अब एक नए रूप में और नए आदर्श-यथार्थ को समन्वित करके नए ज्वलंत प्रश्नों को उभारते हुए दिल्ली से निकाली जा रही है। अब इसका प्रमुख स्वर- किसान और स्त्री एवं दलित पीड़ा का है। इन तीनों वर्गों की सशक्त उपस्थिति इसमें देखी जा सकती है। शोषित वर्ग की आवाज 'हंस' में प्रमुखता से स्थान प्राप्त कर रही है।

स्वतंत्रता से पूर्व अधिकांश पत्र-पत्रिकाओं ने दोहरे कार्य को लेकर उसे पूर्ण करने का प्रयास किया -

१. राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार

२. साहित्य की विविध विधाओं का विकास

इसी के साथ भाषा के विविधवर्णी रंगों की खोज और साहित्य के दोनों पक्षों गद्य एवं पद्य की स्थापना करना भी इनका लक्ष्य था जिसे कवि-हृदय पत्रकारों ने पूर्ण किया।

इनमें से अधिकांश साप्ताहिक हैं, परंतु जनमन के निर्माण में उनका योगदान महत्त्वपूर्ण रहा है। जहां तक पत्र कला का सम्बंध है वहां तक हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि तीसरे और चौथे युग के पत्रों में धरती और आकाश का अंतर है। आज पत्र-सम्पादन वास्तव में उच्च कोटि की कला है। राजनीतिक पत्रकारिता के क्षेत्र में 'आज' (१६२१ ई.) और उसके सम्पादक बाबूराव विष्णु पराड़कर का लगभग वही स्थान है जो साहित्यिक पत्रकारिता

के क्षेत्र में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी को प्राप्त है। सच तो यह है कि 'आज' ने पत्र-कला के क्षेत्र में एक महान संस्था का काम किया है और उसने हिंदी को बीसियों पत्र-सम्पादक और पत्रकार दिए हैं।

आधुनिक साहित्य के अनेक अंगों की भांति हिंदी पत्रकारिता भी नई कोटि की है और उसमें भी मुख्यतः हमारे मध्यम वर्ग की सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और राजनीतिक हलचलों का प्रतिबिम्ब का स्वर है। वास्तव में पिछले २०० वर्षों का सच्चा इतिहास हमारी पत्र-पत्रिकाओं से ही संकलित हो सकता है। बंगला के 'कलेर कथा' ग्रंथ में पत्रों के अवतरणों के आधार पर बंगाल के उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यमवर्गीय जीवन के आकलन का प्रयत्न हुआ है। हिंदी में भी ऐसा प्रयत्न वांछनीय है। एक तरह से उन्नीसवीं शती में साहित्य कही जा सकने वाली चीज बहुत कम है और जो है भी, वह पत्रों के पृष्ठों में ही पहले-पहल सामने आई है। भाषा-शैली के निर्माण और जातीय-शैली के विकास में पत्रों का योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है, परंतु बीसवीं शती के पहले दो दशकों के अंत तक मासिक-पत्र और साप्ताहिक-पत्र ही हमारी साहित्यिक प्रवृत्तियों को जन्म देते और विकसित करते रहे हैं। द्विवेदी युग के साहित्य को हम 'सरस्वती' और 'इंदु' में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं, वही उस साहित्य का असली रूप है। १६२१ ई. के बाद साहित्य बहुत कुछ पत्र-पत्रिकाओं से स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ा होने लगा, परंतु फिर भी विशिष्ट साहित्यिक आंदोलनों के लिए हमें मासिक पत्रों के पृष्ठ ही उलटने पड़ते हैं। राजनीतिक चेतना के लिए तो पत्र-पत्रिकाएं हैं ही। वस्तुतः पत्र-पत्रिकाएं जितनी बड़ी जनसंख्या को छूती हैं, विशुद्ध साहित्य का उतनी बड़ी जनसंख्या तक पहुंचना असम्भव है।

भारत और भारतीय पत्रकारिता के लिए यह दौर महत्वूर्ण एवं निर्णायक दौर था। स्वतंत्रता आन्दोलन में पूरी ताकत लगा दी गयी थी। गुलामी की जंजीर बस टूटने को हैं, लगातार यही लगता रहा परन्तु अंग्रेज थे कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए नयी-नयी चालें चल रहे थे। उनकी चालों को समझते हुए साहित्यिकों ने भी राजनीतिक लेख लिखने प्रारम्भ कर दिये थे। एक से बढ़कर एक लेख लिखे जा रहे थे। विशेषांक निकाले जा रहे थे। हिंदी पत्रकारिता भी इस दौर में निर्णायक भूमिका निभा रही थी। नये प्रतिमान बन रहे थे और परम्पराएं टूट रही थीं। कुल मिलाकर हिंदी साहित्यकारों के सामने इस दौर में बड़ी चुनौती रही, जिसका सामना इस दौर के साहित्यकारों और पत्रों ने बखूबी किया भी।

सन्दर्भ

१. डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल-चन्द्रमणि रघुवंशी, हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम, उ.प्र. श्रमजीवी पत्रकार यूनियन (पंजी.) बिजनौर, पृ. ३२
२. हिंदी पत्रकारिता : भरतेन्दु-पूर्व से छायावादोत्तर-काल तक पृ. ७६
३. डॉ. शंकर बसंत मुदगल, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, चन्द्रलोक प्रकाशन, पृ. १४७
४. डॉ. शंकर बसंत मुदगल, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, चन्द्रलोक प्रकाशन, पृ. १४७
५. कृष्णबिहारी मिश्र, हिंदी पत्रकारिता, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, पृ. ३४३
६. हिंदी पत्रकारिता : भरतेन्दु-पूर्व से छायावादोत्तर-काल तक पृ. ७६
७. गंगा नारायण त्रिपाठी, हिंदी पत्रकारिता एवं गद्यशैली का विकास, शांति प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. २७
८. गंगा नारायण त्रिपाठी, हिंदी पत्रकारिता एवं गद्यशैली का विकास, शांति प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. २७
६. कृष्णबिहारी मिश्र, हिंदी पत्रकारिता, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, पृ. ३३८
१०. कृष्णबिहारी मिश्र, हिंदी पत्रकारिता, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, पृ. ३४१
११. कृष्णबिहारी मिश्र, हिंदी पत्रकारिता, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, पृ. ३४४
१२. कृष्णबिहारी मिश्र, हिंदी पत्रकारिता, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, पृ. ३४५
१३. कृष्णबिहारी मिश्र, हिंदी पत्रकारिता, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, पृ. ३६२
१४. डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल-चन्द्रमणि रघुवंशी, हिंदी पत्रकारिता : विविध आयाम, उ.प्र. श्रमजीवी पत्रकार यूनियन (पंजी.) बिजनौर, पृ. ३७
१५. विजयदत्त श्रीधर, हिंदी पत्रकारिता कोष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. ७२३
१६. विजयदत्त श्रीधर, हिंदी पत्रकारिता कोष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. ७२३
१७. जगदीश चतुर्वेदी, पत्रकारिता के परिप्रेक्ष्य, साहित्य संगम, इलाहाबाद, पृ. १३२
१८. विजयदत्त श्रीधर, हिंदी पत्रकारिता कोष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. ८७६
१६. विजयदत्त श्रीधर, हिंदी पत्रकारिता कोष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. ८७६
२०. विजयदत्त श्रीधर, भारतीय पत्रकारिता कोष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. ७७१
२१. डॉ. धीरेन्द्रनाथ सिंह, हिंदी पत्रकारिता : भारतेन्दु-पूर्व से छायावादोत्तर-काल तक, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, पृ. ८७
२२. विजयदत्त श्रीधर, भारतीय पत्रकारिता कोष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. ७७५
२३. विजयदत्त श्रीधर, भारतीय पत्रकारिता कोष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. ७६६
२४. विजयदत्त श्रीधर, भारतीय पत्रकारिता कोष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. ८६०
२५. विजयदत्त श्रीधर, भारतीय पत्रकारिता कोष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. ८६०

Refereed & Peer Reviewed Research Magazine
RNI-UPHIN/2018/77444 ISSN-2582-1288
त्रैमासिक मूल्य २००
शोधादर्श
संदर्भित एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिक पत्रिका
वर्ष : ८ अंक : ३, जून-अगस्त २०२६
doi.org/10.5281/
इम्पेक्ट फैक्टर(२०२६) : १०.१६
पंजीकृत कार्यालय
शोधादर्श, ए-७, आदर्श नगर, तातारपुर लालू, नजीबाबाद-२४६७६३ ज़िला बिजनौर (उ.प्र.)
संपादकीय कार्यालय/पत्रव्यवहार
शोधादर्श, साईं एंक्लेव, निकट देवता धनौरा, नजीबाबाद-२४६७६३ बिजनौर (उप्र)
https://shodhadarsh.in/

स्वातंत्र्योत्तर हिंदी पत्रकारिता और साहित्यकार

सन् १९४८ से १९७४ ई.

अमन कुमार
संपादक
शोधादर्ष (त्रैमासिक) एवं ओपन डोर(साप्ताहिक)
नजीबाबाद, बिजनौर मोबा. -९८९७७४२८१४

तत्कालीन परिस्थितियां

आजादी के बाद की पत्रकारिता के सामने कोई विशेष मुद्दा नहीं था। देश आजाद हो गया था। विधवा विवाह, बाल विवाह, शादी की उम्र क्या हो, सती प्रथा का विरोध-समर्थन, मुद्दों पर काफी लिखा जा रहा था और लिखना सार्थक भी रहा था। देश के नव-निर्माण, भविष्य की रुपरेखा पर फिलहाल कुछ था ही नहीं, अख़बार सुस्त पड़ते गये। उनके पास एक ही विषय था, उस समय की सरकार और सरकारी नीतियां। धीरे-धीरे सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता लुप्त हो गई, केवल राजनीतिक मुद्दे ही रह गये। जब कभी राजनैतिक विषयों का अभाव होता तो समाचार-पत्र दूसरे समाचारों की ओर देखते। पहले की पत्रकारिता उद्देश्यपूर्ण थी, उनका ध्येय पैसा कमाना नहीं था। आज की पत्रकारिता का उद्देश्य अधिक से अधिक विज्ञापन जुटाना है, अख़बार बेचना नहीं। इसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। पराधीन काल में पत्रकारिता का जो आदर्ष स्थापित हुआ था, वह अब टूट रहा था। इसीलिए गणेशशंकर विद्यार्थी ने व्यथित मन से कहा था-‘‘जिन लोगों ने पत्रकारिता के पवित्र कार्य को अपना काम बना रखा है, उनमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने चित्त को इस बात पर विचार का अवसर देते हैं कि हमें सच्चाई की लाज रखनी चाहिए, केवल अपनी मक्खन-रोटी के लिए दिनभर में कई रंग बदलना ठीक नहीं। इस देश में भी दुर्भाग्य से समाचार-पत्रों और पत्रकारों का यही मार्ग बनता जा रहा है-यहां भी अब बहुत से समचार-पत्र सर्वसाधारण के कल्याण के लिए नहीं रहे, सर्वसाधारण उनके प्रयोग की वस्तु बनते जा रहे हैं।’’

‘‘हिंदी पत्रकारिता के अतीत का इतिहास राष्ट्रीय पुनर्जागरण और स्वाधीनता संग्राम का इतिहास रहा है। दासता की जिस जंजीर में ‘बूढ़े भारत’ को १८५७ में जकड़ लिया था, उस जंजीर को तोड़ फेंकने की प्रबल भावना से प्रेरित होकर हिंदी के पत्रकार संघर्ष की भूमिका में खरे उतरे थे। सांस्कृतिक नवोत्थान और राष्ट्रीय चेतना के विकास में समाचार-पत्रों व पत्रकारों का जो योगदान रहा है वह भुलाया नहीं जा सकता। बालमुकुन्द गुप्त की नौकरी इसलिए छुड़ाई गई थी कि उनके मालिक को यह आशंका थी कि गुप्तजी मालिकों की गैर-हाजिरी में गवर्नमेंट के खिलाफ लेख लिखेंगे। बालकृष्ण भट्ट को अपने पद से इसलिए त्यागपत्र देना पड़ा कि उन्होंने किसी की तारीफ एक सार्वजनिक मीटिंग में कर दी थी। इसी प्रकार द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी को भी अपने स्वाधीनता प्रेम के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी थी। हिंदी के ख्यातिनाम पत्रकार अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में जेलों में बंद रहे। यह प्रक्रिया प्रमाणित करती है कि पत्रकारों की स्वातन्त्र्य चेतना और दायित्वबोधा भावना ने जनजीवन व राष्ट्रीय जीवन को प्रेरित किया है। बाबूराव विष्णु पराड़कर, अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, गणेशशंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, कृष्णकांत मालवीय, बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’ श्रीराम शर्मा, कृष्णदत्त पालीवाल, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र, श्रीनाथसिंह व अन्य बीसियों पत्रकारों को जेल की हवा खानी पड़ी। यह सब अकारण नहीं था इनके सामने देश की स्वाधीनता, सामाजिक बदलाव, सांस्कृतिक पुनर्जागरण जैसे महान् और व्यापक उद्देश्य थे। इसके लिए सतत् सक्रियता, जनसेवा, त्याग और बलिदान में पत्रकार संघर्ष करते रहे। स्वतन्त्रता से पूर्व मुख्य ध्येय राष्ट्र तथा राष्ट्र की समस्याओं का समाधान करना ही था। राष्ट्रप्रेम, अहिंसा के सिद्धान्त का प्रचार, समाज सुधार, भाषा-प्रेम आदि प्रमुख विषय उनके सम्मुख थे, परन्तु १९४७ ई. में स्वतन्त्रता मिलने पर पत्रों के समक्ष स्पष्ट दिशाबोध नहीं रह गया। देश के विकास, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति एवं राजनीतिक संरचना की कोई स्पष्ट या सर्वांगीण कल्पना अभी उभरकर सामने नहीं आई थी।’’[1]

आजादी के बाद का भारत जैसे एकदम बदल

गया। सजीव-निर्जीव सभी वस्तुएं बदलने लगीं थीं। अंग्रेज भारत छोड़कर चले गये थे, मगर भारत में कुछ लोग ऐसे पैदा हो गये थे जो अंग्रेजों की चाल चल रहे थे। उनके लिए ''सच्चाई एवं ईमानदारी, जीवन में सादगी, भारतीयता, ये सभी संकीर्णतावादी, प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी बातें बन गयीं। नवसम्भ्रांतों के लिए धूर्तता, अवसरवादिता, ठाट-बाट, मद्य एवं धूम्रपान प्रगति के पर्यायवाची बन गये। ऐसे में देशभक्ति से पूर्ण हिंदी पत्रकारिता ने भी पलटा खाया। कुछ पत्र यद्यपि काल-कवलित हो गये थे। अब पत्रकारिता मिषन नहीं व्यवसाय बन गया। सेठ पत्रों के मालिक बन गये, स्वतंत्रता मिलते ही हमारा जोश ठण्डा पड़ गया और हमारे सामने गतिरोध आ गया। हमारा आदर्श बदल गया और राष्ट्र की ओर से उदासीन होकर हम निजी अस्तित्व रक्षा की चिंता में डूब गये। स्वातंत्र्योत्तर साम्प्रदायिक परिवेश ने भी भारतीय पत्रकारिता को प्रभावित किया और पत्रकारिता के पुराने आदर्श टूटकर बिखर गये। व्यावसायिक प्रलोभनों की मार ने भी पत्रकारिता के आदर्श को कमजोर किया।''[२]

आजादी के बाद तो देश में पत्र-पत्रिकाओं की बाढ़ आ गयी थी। शासकीय विज्ञापनों में अपना अस्तित्व तलाशने वाली पत्रकारिता लोभी हो गयी थी। अब पत्रकारिता सार्वजनिक न रहकर व्यक्तिगत हित के लिए होने लगी थी। इस काल में ''पत्रों को औद्यौगिक समस्याओं और परिवर्तनों का भी सामना करना पड़ रहा है। स्वतन्त्रता के बाद जिस तरह काव्य, कला और संगीत आदि व्यवसाय बन चले, उसी प्रकार पत्रकारिता भी। आज भारत में पत्रकारिता व्यवसाय है। स्वतन्त्र पत्रकारिता और सत्ता के बीच का संघर्ष अब शासन और पूंजीपीतियों के बीच का संघर्ष बन गया है। निष्पक्ष पत्रकारिता की मांग आज पूर्वापेक्षा कहीं अधिक है। जो पत्र व पत्रिका आदर्शोन्मुख होकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उन्हें कई तरह के संकटों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार समाचार-पत्रों का जो जन-देश सेवा का उद्देश्य था, वह क्षीण होता गया और पत्रकारिता में औद्योगिक और व्यापारिक प्रवृत्तियां स्थानापन्न होती गई।''[३]

स्वातंत्र्योत्तर पत्रकारिता में सम्पादकों को वेतनभोगी नौकर के रूप में रखना पत्रकारिता के मूल उद्देश्यों से दूर करता गया। मिशन के रूप में चलने वाली पत्रकारिता स्वतंत्रता के तुरन्त बाद ही कमीशन तक जा पहुंची थी। ''बदलते समय के साथ हिंदी पत्रकारिता में चाटुकारिता भी बढ़ी है जबकि आजादी से पूर्व नितान्त प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हिंदी पत्रकार अपनी अस्मिता और तेजस्विता को कायम रखने में पूर्ण सफल थे। निर्भीकता, स्वाभिमान और अपने प्रति उद्देश्यों के विरुद्ध उन्होंने कभी भी कोई समझौता नहीं किया और न ही मालिकों की व्यावसायिक प्रवृत्ति के आगे नतमस्तक हुए। पहले पत्रकारिता देश-सेवा की भावना से ओतप्रोत थी; साथ ही उसका सीधा सम्बंध समाज का अंग समझा जाता था। समाचारों से अधिक सम्पादकीय टिप्पणी पर जोर रहता था। जन-साधारण के लिए सम्पादक उनका नेता हुआ करता था। वह जन-साधारण के जीवन में घुला-मिला था। वह देश-सेवा के आदर्शों से प्रेरित था परन्तु वेतनभोगी होने के कारण आज के सम्पादक को आदर्श की चिन्ता के बजाय उन्हें अपने ही स्वार्थ की चिन्ता है, वे व्यवसाय बुद्धि से चलित हैं।''[४]

''स्वाधीनता के बाद लिजलिजेपन से भरी जिस पीली पत्रकारिता ने जन्म लिया है, वह देश के युवा वर्ग, बौद्धिक वर्ग में व्याप्त असंतोष का कारण बनी। वह सेठात्रयी पत्रों की मानसिकता और व्यावसायिकता के खिलाफ नये क्रांतिकारी विचारों का मंच नहीं बन पाई है। इन्हीं नये मंचों की आवश्यकता अनुभव किये जाने के फलस्वरूप छोटी-छोटी पत्रिकाओं का प्रादुर्भाव हुआ और छोटी पत्रिकाओं के प्रकाशन से बड़े-बड़े लेखक भी बड़ी पत्रिकाओं में लिखने के बजाय छोटी पत्रिकाओं में लिखने लगे। इस प्रकार इन छोटी पत्रिकाओं ने समग्र देश के युगचेता बुद्धिजीवियों को अपनी ओर आकृष्ट किया। साथ ही इसने साहित्य में 'आम आदमी' को प्रतिष्ठित करने की दिशा में पहल की तथा स्वस्थ, स्वतन्त्र, मौलिक और प्रखर चिन्तन की नींव डाली। किंतु कुछ अधकचरे, महत्त्वाकांक्षी, दृष्टिहीन पत्रकारों व सम्पादकों ने छोटी-पत्रिकाओं के स्वरूप को भ्रष्ट भी किया है।''[५] किंतु इस काल में भी साहित्यिक पत्रकारिता अपना काम उसी नियत से कर रही थी जो उसकी स्वतंत्रता से पूर्व थी। साहित्यिक पत्रकारिता का अपना चरित्र इतना विकसित हो चुका था कि उसमें गिरावट के लिए स्थान जैसे बचा ही नहीं था। इस बात का प्रमाण आज भी वह स्वयं ही है। सीमित आय पर चलने वाली साहित्यिक पत्रकारिता में अभी उसका स्वाभिमान बाकी है। यही नहीं बल्कि साहित्य निरन्तर प्रगति करता रहा। साहित्य ने नये आयाम व मानदण्ड अपनाये। वह कहानी और उपन्यास की सीमाओं से बाहर निकला और नई-नई विध ााओं को प्रकाशित किया।

यही वह काल भी है जब पत्रकारिता को भी बांटने का काम किया गया। स्वतंत्रता से पूर्व पत्रकारिता एक थी, उसका उद्देश्य एक था, जिससे सभी सुपरिचित थे। किंतु आजादी के बाद की पत्रकारिता बंट गयी। उससे साहित्यिक पत्रकारिता को अलग किया जाने लगा। राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए राजनीतिक पत्रकारिता प्रारम्भ हो गयी लेकिन वह साहित्यिक पत्रकारिता को समाप्त नहीं कर पायी और न ही कर सकेगी। स्वातंत्र्योत्तर भारत में कदाचित् ही ऐसा कोई पत्र मिलेगा जिसने साहित्य की विभिन्न विधाओं को प्रकाशित कर साहित्य वृद्धि न की हो। विविध पत्र-पत्रिकाओं ने साहित्य को कई तरह से समृद्ध और विकसित किया है, इसमें दैनिक पत्रों, साप्ताहिक पत्रों और मासिक व त्रैमासिक पत्रों के साहित्यिक योगदान अविस्मरणीय रहेगा।

साहित्यिक अभिरुचि

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत के शिक्षित समाज का रुझान साहित्यिकता की ओर अधिक बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि इस काल में एकाएक साहित्यिक पत्रिकाओं के पाठक बढ़े। अब साहित्यिक पत्रिकाओं को बेचने के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। साहित्यिक पत्र तनाव देने वाले नहीं अपितु सुख और शान्ति देने वाले ही अधिक होते थे। लेखकों की भी इस दौर में कमी नहीं रही थी। उनमें अपनी बात को कहने का गुण भी खूब था। अच्छे लेखक के लिए प्रसिद्ध समीक्षक रिचर्ड्स ने श्रेष्ठ और सफल लेखक की चर्चा करते हुए लिखा है कि ''प्रेषणीयता का गुण प्रत्येक लेखक की सफलता की पहचान है।'' इसी तथ्य को स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी काव्य की भूमिका में इस प्रकार स्पष्ट किया है, ''कोई भी श्रेष्ठ रचना तभी सफल हो सकती है जबकि उसमें कहा गया तत्व पाठक की चेतना में सीधे प्रविष्ट कर जाए।'' लेखक और पाठक के बीच रचना एक सशक्त कड़ी का काम करती है यदि यह कड़ी मजबूत होती है तो लोगों में साहित्यिक अभिरुचि जागृत हो सकती है।

स्वतंत्र्योत्तर पत्र-पत्रिकाओं में कहानी, कविता, उपन्यास और संस्मरण आदि की रोचकता और समरसता हमारे उदास मन को शांति व सुखी बना देती है। ''स्वातंत्र्योत्तर पत्र-पत्रिका ने जहां सांस्कृ तिक अभिरुचि को प्रोत्साहित किया, नवचेतना का विकास किया और सामाजिक जीवन को सुधारकर परिष्कार और जाग्रति की राह दिखाई है।''[६]

पत्रकारिता में प्रमुख साहित्यकार

पत्रकारिता का यह काल इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इस समय अफरा-तफरी मची थी। पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादक अपनी बात कहने

के लिए नये-नये तरीके अपना रहे थे। यह पत्रकारिता और साहित्य के लिये भले ही संक्रमणकाल हो मगर उन्हें कुछ करने व सीखने का युग भी था। इस काल में जो लेखक व पत्रकार मैदान में जमे थे, उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं-

अनन्त मिश्र, लाला जगतनारायण, गंगाप्रसाद गुप्त, कृष्णदत्त पालीवाल, यज्ञदत्त विद्यालंकार, भीमसेन विद्यालंकार, नटवरलाल चतुर्वेदी, प्यारेलाल गौड़, अवन्ति बिहारी माथुर, ठाकुर प्रताप सिंह, चंद्रमाराय शर्मा, बिहारीलाल, डॉ. एल.एन. सिन्हा, भौमदत्त दीक्षित, यशोदा देवी, बिहारीलाल गुप्त, बी.एन. नाथ, दुर्गादत्त जोशी, धर्मदेव वैद्य राज, संतराम, बी.ए., रामदेवी बाई, चतुरसेन शास्त्री, देवव्रत शर्मा, रामदास गौड़, उदित नारायणदास, सिद्धेश्वर शर्मा, गोपीनाथ गुप्त आदि।

प्रमुख पत्र

इस काल में जो प्रमुख पत्र प्रकाशित हो रहे थे उनमें कुछ इस प्रकार हैं-

सन्मार्ग : वाराणसी, सम्पादक-अनन्त मिश्र, पंजाब केसरी : दैनिक, जालंधर, सम्पादक-लाला जगतनारायण, नवयुग : अर्ध साप्ताहिक, कानपुर, सम्पादक-गंगाप्रसाद गुप्त, प्रणवीर : अर्ध साप्ताहिक, नागपुर, सम्पादक-भैयादास एस० मंदड़ा, कॉन्फरेंस, सैनिक : साप्ताहिक, आगरा, सम्पादक-कृष्णदत्त पालीवाल, प्रभात : साप्ताहिक, लाहौर, सम्पादक-यज्ञदत्त विद्यालंकार, सत्यवादी : साप्ताहिक, लाहौर, सम्पादक-भीमसेन विद्यालंकार, प्राणरक्षा : साप्ताहिक, मथुरा, सम्पादक-नटवरलाल चतुर्वेदी, जीवन : साप्ताहिक, मथुरा, संपादक-प्यारेलाल गौड़ और अवन्ति बिहारी माथुर, भारतफल : साप्ताहिक, देहरादून, सम्पादक-ठाकुर प्रताप सिंह, धर्मवीर : साप्ताहिक, मधुबनी, सम्पादक-चंद्रमाराय शर्मा, अध्यापक : मासिक, मुरादाबाद, सम्पादक-बिहारीलाल, ग्राम सुधार : मासिक मैनपुरी, वैद्य कल्पद्रुम : मासिक, कुलपहाड़, कलाकौशल : मासिक, कानपुर, सम्पादक-भौमदत्त दीक्षित, कलाशिक्षक : मासिक, बनखेड़ी, सम्पादक-बी.एन. नाथ, तरंग : मासिक, कनखल, सम्पादक-दुर्गादत्त जोशी, पथ प्रदर्शक : मासिक, लाहौर, सम्पादक-धर्मदेव वैद्य राज, अनुपम : मासिक, लाहौर, सम्पादक-संतराम, बी.ए., प्रकाश : मासिक, आर्य समाज का पत्र, प्यारी पत्रिका : मासिक, दिल्ली, सम्पादक-रामदेवी बाई, संजीवनी : मासिक, दिल्ली, सम्पादक-चतुरसेन शास्त्री, महारथी : मासिक, दिल्ली, सम्पादक-देवव्रत शर्मा, खद्दर : मासिक, कानपुर, सम्पादक-रामदास गौड़, श्री मैथिली : मासिक, दरभंगा, सम्पादक-उदित नारायणदास, विद्यार्थी जीवन : मासिक, करांची, सम्पादक-सिद्धेश्वर शर्मा आदि।

इनके अतिरिक्त ये पत्र भी इस युग के महान पत्र थे- दैनिक हिन्दुस्तान-लखनऊ, नई दुनिया-रायपुर व जबलपुर, दैनिक जागरण-कानपुर, नवभारत टाइम्स-दिल्ली, नवभारत-नागपुर, विश्वमित्र-कलकत्ता, अमर उजाला-आगरा, स्वदेश-इन्दौर, राजस्थान पत्रिका-जयपुर, राष्ट्रदूत-जयपुर, दैनिक नवज्योति-अजमेर, जलते दीप-जोधपुर, जननायक-कोटा, वीर अर्जुन-दिल्ली, स्वतंत्र भारत-लखनऊ, आज-वाराणसी, दैनिक भास्कर-भोपाल, युग धर्म-नागपुर, नवजीवन-लखनऊ, प्रदीप-पटना, वीर प्रताप-जालंधर, तरुण भारत-लखनऊ, देशबंधु-जबलपुर, जनसत्ता-दिल्ली, धर्मयुग-बम्बई, साप्ताहिक हिन्दुस्तान-दिल्ली, दिनमान-दिल्ली, रविवार-कलकत्ता, इतवारी पत्रिका-जयपुर, ब्लिट्ज-बम्बई, सारिका-दिल्ली, सरिता-दिल्ली, मुक्ता-दिल्ली, कादम्बिनी-इलाहाबाद बाद में दिल्ली, निहारिका-आगरा, नवनीत-बम्बई, माया- इलाहाबाद, आदि ऐसी पत्र-पत्रिकाएं इस दौर में प्रकाशित हो रही थीं जो कि या तो पूर्णतः साहित्यिक थीं या फिर उनमें साहित्य को विशेष स्थान दिया जाता था।

इस काल में ''नये लेखकों का एक बड़ा समूह हिंदी जगत को मिला है। प्रयास में प्रकाशित तथा पं. इलाचन्द्र जोशी द्वारा सम्पादित साप्ताहिक संगम में, आज के प्रसिद्ध कथाकार डॉ. धर्मवीर भारती की आरंभिक रचनायें प्राकशित हुई। इसी पत्र के माध्यम से डॉ. भारती लोकप्रियता की ओर अग्रसर हुये। इसी क्रम में श्री मोहन राकेश और श्री कमलेश्वर का नाम उल्लेखनीय है। श्री 'राकेष' मासिक सारिका के प्रथम सम्पादक और श्री कमलेश्वर मासिक नई कहानियां के सम्पादक के रूप में बहुप्रशंसित लेखक हुये। दिल्ली में प्रकाशित साप्ताहिक हिन्दुस्तान में नये लेखकों की एक लम्बी पंक्ति तैयार की है जिसमें श्री कन्हैयालाल नंदन, श्रीमती शिवानी, श्रीमती विमला लूथरा, श्री मनहर चौहान, श्रीमती मालती जोशी के नाम मुख्य हैं। बंबई से प्रकाशित साप्ताहिक धर्मयुग ने भी इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। उसके माध्यम से भी हिंदी में नये लेखकों की एक शृंखला निर्मित हुई। इसमें श्री गंगाप्रसाद विमल, श्री मिश्रीलाल शुल्क, श्री राही मासूम रजा, श्री विवेकीराय, श्री नरेन्द्र कोहली, श्री मणिमधुकर, श्रीमती सलमा सिद्दीकी के नाम मुख्य है। हिंदी संस्करण विधा में अंतरंग चित्रण का नया रचना शिल्प और काव्यगत बिम्ब विधानों की नयी ताजगी लेकर गद्य के क्षेत्र में हिंदी प्रतिष्ठित कवि श्री रामेश्वर शुक्ल 'अंचल' का अवतरण धर्मयुग के माध्यम से पिछले कुछ वर्षों में हुआ, यह गद्य क्षेत्र के लिये एक विशिष्ट उपलब्धि है।

जबलपुर से प्रकाशित मासिक बसुधा के द्वारा श्री गजानन मुक्ति बोध और वहीं से प्रकाशित साप्ताहिक प्रहरी के द्वारा प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक श्री हरिशंकर परसाई का लेखन क्षेत्र में पदार्पण हुआ। कहानी मासिक सारिका ने कथा लेखन के क्षेत्र में नये नये प्रतिमानों की सदैव खोज की है। इस खोज यात्रा में कई विशिष्ट पथिकों का उसने परिचय कराया है। इसमें श्री ज्ञानी, श्री दुष्यंत कुमार, श्रीमती मृणाल पाण्डेय, श्री ओंकारनाथ, श्रीवास्तव, श्री दीप्त खंडेलवाल, श्रीमती मेहरून्निसा परवेज के नाम लिये जा सकते हैं। इन्दौर से प्रकाशित दैनिक नई दुनिया ने सुप्रसिद्ध व्यंग्य लेखक श्री शरद जोशी को अपने स्तंभों में सर्वप्रथम हिंदी संसार के सामने उपस्थित किया। श्री कमलेश्वर द्वारा संपादित नई कहानियां में नितान्त नये हस्ताक्षरों को मान्यता दी। कालान्तर में इन नवोदित कथाकारों की रचनायें अन्य पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। संक्षेप में हिंदी पत्रकारिता उस सेतु के समान सिद्ध हुई है, जिस पर पैर रखकर साहित्य पक्ष का हर अनजान राही आगे, निरंतर आगे बढ़ता गया है। साहित्यिक प्रतिमा पुत्रों के लिये हिन्दी पत्रकारिता निश्चित वरदान तथा सुन्दर बनाने की दृष्टि से अन्य दो दिशाओं में बहुमूल्य कार्य किया है। हिंदी गद्य को आवश्यकतानुसार समय-समय पर नई विधाओं से परिचित कराने का श्रेय पत्रकारिता को है। इस तरह हिंदी गद्य में नई प्रवृत्तियों, नूतन शिल्प तथा बिम्बविधानों के लिये प्रथम प्रवेश द्वार पत्रकारिता ने ही खोला है।''[७]

हिंदी पत्रकारिता के इस काल में न सिर्फ पत्र-पत्रिकाओं ने विकास किया बल्कि साहित्यिक उद्योग भी काफी हुआ। एकांकी नाटक, डायरी, संस्मरण, रेखाचित्र, गद्यगीत, ललित निबंध लघुकथा, लघु उपन्यास स्मषति चित्र, रिपोर्ताज, फीचर, और आलेख आदि प्रमुखता के साथ पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। ''ये सभी विधायें पत्र-पत्रिकाओं में ही प्रथमतः प्रकाशित होकर, प्रचारित हुई।''[८] ''स्पष्ट है कि इन विधाओं में सृजन से लेकर संस्कार, विशय विविधता से लेकर भाषात्मक विकास, प्रचार से लेकर विस्तार तक में पत्र-पत्रिकाओं की विशिष्ट भूमिका रही है।''[९]

''स्वतंत्रता के पूर्व भी हिंदी भाषा में पत्रकारिता के माध्यम से सैकड़ों शब्दों की उत्पत्ति, प्रवेश और

प्रचलन का कार्य हुआ था। सुप्रसिद्ध दैनिक 'आज' के सम्पादक पं. बाबूराव विष्णु पराड़कर ने गुजराती बंगला अन्य स्त्रोतों से दो सौ नये शब्दों का प्रचलन हिंदी में कराया। पत्रकार श्री लक्ष्मी शंकर व्यास की मान्यता है कि सर्वश्री और सुश्री शब्द पराड़कर जी का चलाया हुआ है। इसी प्रकार राष्ट्रपति शब्द, जो देश के संविधान में निहित है उन्हीं की देन है। अर्थशास्त्र के अनेक हिदी शब्द पराड़कर जी ने आज के माध्यम से प्रचलित किये जैसे मुद्रास्फीत। इसी प्रकार लोकतंत्र, मुद्रा विनिमय नौकरशाही, वायुमंडल, अंतर्राष्ट्रीय, चालू आदि शब्दों के व्यापक प्रयोग तथा प्रचलन का श्रेय पराड़कर जी और दैनिक आज को है।''[१०] यही नहीं बल्कि ''जयप्रकाश लहर, इंदिरा लहर, मीसा, परिवार नियोजन, विधायक, मंत्री, सिन्डीकेट, संविद, द्रमुक, भालोद, (भारतीय लोकदल), रासुका अध्यादेश याचिका, उद्घाटन, मापन, दलबदल, वादी, प्रतिवादी, कलमबंद हड़ताल, अनुशंसा, निलबंन, प्रकारण लंबित आदि''[११] शब्द भी इसी काल की देन हैं।

इस प्रकार देखा जाये तो पत्रकारिता का यह युग जो कि आजादी के साथ प्रारम्भ होकर आपातूकाल तक चलता है महत्त्वपूर्ण युग है। इस दौरान पत्रकारिता को नये आयाम मिले। पत्रकारिता अब तक राजनीतिक रंग में रंगी जाने लगी थी और पत्रकारिता के प्रति अभी तक आकर्षण कम नहीं हुआ था।

सन्दर्भ

१. डॉ. सुशीला जोशी, हिन्दी पत्रकारिता विकास और विविध आयाम, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ. १३०
२. डॉ. सुशीला जोशी, हिन्दी पत्रकारिता विकास और विविध आयाम, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ. १३०
३. डॉ. सुशीला जोशी, हिन्दी पत्रकारिता विकास और विविध आयाम, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ. १३१
४. डॉ. सुशीला जोशी, हिन्दी पत्रकारिता विकास और विविध आयाम, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ. १३१
५. डॉ. सुशीला जोशी, हिन्दी पत्रकारिता विकास और विविध आयाम, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ. १३०
६. डॉ. सुशीला जोशी, हिन्दी पत्रकारिता विकास और विविध आयाम, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ. १४६
७. गंगा नारायण त्रिपाठी, हिंदी पत्रकारिता एवं गद्यशैली का विकास, पृ. १५१
८. गंगा नारायण त्रिपाठी, हिंदी पत्रकारिता एवं गद्यशैली का विकास, पृ. १५२
९. गंगा नारायण त्रिपाठी, हिंदी पत्रकारिता एवं गद्यशैली का विकास, पृ. १५२
१०. गंगा नारायण त्रिपाठी, हिंदी पत्रकारिता एवं गद्यशैली का विकास, पृ. १५२
११. गंगा नारायण त्रिपाठी, हिंदी पत्रकारिता एवं गद्यशैली का विकास, पृ. १५२

Refereed & Peer Reviewed Research Magazine
RNI-UPHIN/2018/77444 ISSN-2582-1288
त्रैमासिक मूल्य २००
शोधादर्श
संदर्भित एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिक पत्रिका
वर्ष : ८ अंक : ३, जून-अगस्त २०२६
doi.org/10.5281/
इम्पेक्ट फैक्टर(२०२६) : १०.१६
पंजीकृत कार्यालय
शोधादर्श, ए-७, आदर्श नगर, तातारपुर लालू, नजीबाबाद-२४६७६३ ज़िला बिजनौर (उ.प्र.)
संपादकीय कार्यालय/पत्रव्यवहार
शोधादर्श, साईं एंक्लेव, निकट देवता धनौरा, नजीबाबाद-२४६७६३ बिजनौर (उप्र)
https://shodhadarsh.in/

सोशल मीडिया और पत्रकारिता का बदलता स्वरूप : एक समकालीन अध्ययन

सारांश

वर्तमान वैश्विक युग में सोशल मीडिया ने संचार और पत्रकारिता की दुनिया में अभूतपूर्व परिवर्तन उत्पन्न किया है। पत्रकारिता, जो कभी केवल समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन तक सीमित थी, आज डिजिटल मंचों के माध्यम से व्यापक और बहुआयामी स्वरूप ग्रहण कर चुकी है। फेसबुक, एक्स (पूर्व ट्विटर), इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सऐप तथा अन्य सोशल मीडिया मंचों ने सूचना के प्रसार को तीव्र, लोकतांत्रिक और सहभागितापूर्ण बना दिया है। सोशल मीडिया ने पत्रकारिता को नई दिशा प्रदान की है। अब समाचार केवल बड़े मीडिया संस्थानों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामान्य नागरिक भी समाचार निर्माण और प्रसारण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। इससे 'नागरिक पत्रकारिता' की अवधारणा विकसित हुई है। हालांकि सोशल मीडिया ने पत्रकारिता को अधिक सुलभ और त्वरित बनाया है, किन्तु इसके साथ अनेक चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं, जैसे- फेक न्यूज, ट्रोल संस्कृति, समाचारों की अप्रमाणिकता, नैतिक मूल्यों का ह्रास तथा सूचना का राजनीतिक दुरुपयोग। यह शोध-पत्र सोशल मीडिया और पत्रकारिता के बदलते स्वरूप का समकालीन परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें पत्रकारिता के विकास, सोशल मीडिया की भूमिका, नागरिक पत्रकारिता, डिजिटल नैतिकता, फेक न्यूज तथा भविष्य की पत्रकारिता की संभावनाओं का विस्तृत अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द- सोशल मीडिया, पत्रकारिता, डिजिटल मीडिया, नागरिक पत्रकारिता, फेक न्यूज, संचार माध्यम

डॉ. विजेंद्र प्रताप सिंह
सहायक आचार्य, हिंदी विभाग
राजकीय महाविद्यालय गोंडा, अलीगढ़

प्रस्तावना

मानव सभ्यता के विकास के साथ संचार माध्यमों का स्वरूप निरंतर परिवर्तित होता रहा है। मानव जीवन में संचार का महत्त्व अत्यंत प्राचीन काल से रहा है। आदिम युग में मनुश्य संकेतों, ध्वनियों और प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों एवं सूचनाओं का आदान-प्रदान करता था। समय के साथ भाषा का विकास हुआ और संचार अधिक संगठित तथा प्रभावी बनता गया। प्रारंभिक समाजों में समाचारों और सूचनाओं का प्रसार मौखिक परंपरा के माध्यम से होता था। लोकगीत, कथाएं, दूत व्यवस्था तथा सभाओं के माध्यम से लोग सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सूचनाओं से परिचित होते थे।

मानव सभ्यता के विकास में संचार माध्यमों ने सदैव महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसी भी समाज की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि वहां सूचना और विचारों का प्रवाह कितना प्रभावी है। जैसे-जैसे समाज विकसित हुआ, वैसे-वैसे संचार के साधनों में भी परिवर्तन आता गया। मुद्रण कला के आविष्कार ने संचार व्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान की। पंद्रहवीं शताब्दी में जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रण तकनीक के विकास ने समाचार और ज्ञान के प्रसार को व्यापक बना दिया। इसके परिणामस्वरूप समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का उदय हुआ तथा आधुनिक पत्रकारिता की नींव पड़ी।

समाचार पत्रों ने समाज में जागरूकता फैलाने, राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने और सामाजिक सुधार आंदोलनों को गति देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में भी पत्रकारिता ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में अत्यंत प्रभावशाली योगदान दिया। हिंदी पत्रकारिता ने भारतीय समाज को सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर संगठित करने का कार्य किया। उस समय पत्रकारिता केवल व्यवसाय नहीं थी, बल्कि जनसेवा और राष्ट्रनिर्माण का माध्यम मानी जाती थी।

बीसवीं शताब्दी में विज्ञान और तकनीक के विकास ने पत्रकारिता को नए आयाम प्रदान किए। रेडियो के आगमन ने समाचारों को श्रव्य माध्यम के रूप में जनसामान्य तक पहुंचाया। अब लोग घर बैठे देश-दुनिया की घटनाओं से परिचित होने लगे। इसके बाद टेलीविजन ने दृष्य और श्रव्य दोनों माध्यमों को एक साथ प्रस्तुत करके पत्रकारिता को और अधिक प्रभावशाली बना दिया। टेलीविजन पत्रकारिता ने समाचारों को जीवंत स्वरूप प्रदान किया और जनमानस पर गहरा प्रभाव डाला।

इक्कीसवीं शताब्दी में इंटरनेट क्रांति ने संचार और पत्रकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन उत्पन्न किए। इंटरनेट के आगमन ने सूचना के प्रवाह को अत्यंत तीव्र और वैश्विक बना दिया। अब समाचारों और सूचनाओं के प्रसार के लिए किसी विशेष भौगोलिक सीमा की आवश्यकता नहीं रही। इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया मंचों ने पत्रकारिता को एक नए युग में प्रवेश कराया। फेसबुक, एक्स (पूर्व ट्विटर), इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सऐप, टेलीग्राम तथा ब्लॉग जैसे मंचों ने सूचना के आदान-प्रदान को अत्यंत सरल, तीव्र और व्यापक बना दिया।

आज सूचना का प्रवाह इतना तेज हो चुका है कि किसी भी घटना की जानकारी कुछ ही क्षणों में विश्वभर में फैल जाती है। किसी दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक घटना या सामाजिक आंदोलन की तस्वीरें और वीडियो तुरंत सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगते हैं। इस तात्कालिकता ने पत्रकारिता की कार्यप्रणाली को पूरी तरह बदल दिया है। अब समाचार केवल अगले दिन के समाचार पत्र तक सीमित नहीं रहते, बल्कि हर पल अपडेट होते रहते हैं।

सोशल मीडिया ने पत्रकारिता को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान किया है। पहले समाचारों के निर्माण और प्रसारण का अधिकार मुख्यतः बड़े मीडिया संस्थानों के पास होता था, परंतु अब प्रत्येक व्यक्ति सूचना का स्रोत बन सकता है। मोबाइल फोन और इंटरनेट ने सामान्य नागरिक को भी संभावित पत्रकार बना दिया है। कोई भी व्यक्ति किसी घटना का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर साझा कर सकता है और वह कुछ ही समय में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि ”नागरिक पत्रकारिता“ की अवधारणा आज अत्यंत लोकप्रिय हो चुकी है।

नागरिक पत्रकारिता ने कई बार उन घटनाओं को सामने लाने का कार्य किया है, जिन्हें मुख्यधारा मीडिया ने पर्याप्त महत्त्व नहीं दिया। सामाजिक आंदोलनों, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों, प्राकृतिक आपदाओं और मानवाधिकार सम्बंधी मुद्दों में सोशल मीडिया ने जनचेतना फैलाने और लोगों को संगठित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अरब स्प्रिंग आंदोलन इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां सोशल मीडिया ने राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को गति प्रदान की। भारत में भी विभिन्न सामाजिक आंदोलनों और चुनावी प्रक्रियाओं में सोशल मीडिया की सक्रिय भूमिका देखी गई है। सोशल मीडिया ने पत्रकार और पाठक के सम्बंधों को भी बदल दिया है। पारंपरिक पत्रकारिता मुख्यतः एकतरफा संचार पर आधारित थी, जिसमें समाचार संस्थान सूचना प्रदान करते थे और जनता केवल उसे ग्रहण करती थी। परंतु सोशल मीडिया ने संवाद की प्रक्रिया को द्विपक्षीय बना दिया है। अब पाठक और दर्शक न केवल समाचारों पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, बल्कि वे स्वयं भी सूचना निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी कर सकते हैं। इससे पत्रकारिता अधिक सहभागितापूर्ण और संवादपरक बन गई है।

हालांकि सोशल मीडिया और डिजिटल पत्रकारिता के अनेक सकारात्मक पक्ष हैं, किन्तु इसके साथ कई गंभीर चुनौतियां भी सामने आई हैं। आधुनिक पत्रकारिता आज फेक न्यूज, ट्रोलिंग, भ्रामक प्रचार, घृणा फैलाने वाली सामग्री तथा क्लिकबेट संस्कृति जैसी समस्याओं का सामना कर रही है। सोशल मीडिया पर सूचनाओं का प्रसार इतनी तेजी से होता है कि कई बार उनकी सत्यता की जांच नहीं हो पाती। परिणामस्वरूप झूठी और भ्रामक खबरें भी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच जाती हैं।

फेक न्यूज आधुनिक समाज के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। कई बार झूठी खबरें सामाजिक तनाव, हिंसा और भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देती हैं। राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए भी सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त ट्रोल संस्कृति ने पत्रकारों, लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक असुरक्षित वातावरण तैयार कर दिया है। ऑनलाइन उत्पीड़न और व्यक्तिगत आक्षेप पत्रकारिता की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रहे हैं।

पत्रकारिता की नैतिकता भी आज एक गंभीर प्रश्न के रूप में सामने आई है। दर्शकों और पाठकों को आकर्षित करने की होड़ में कई मीडिया संस्थान सनसनीखेज समाचारों को प्राथमिकता देने लगे हैं। टीआरपी और क्लिक बढ़ाने की प्रवृत्ति ने पत्रकारिता के मूल उद्देश्य, सत्य और निष्पक्षता, को प्रभावित किया है। कई बार समाचारों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वे अधिक आकर्शक दिखाई दें, भले ही उनकी तथ्यात्मकता संदिग्ध हो।

इसके बावजूद सोशल मीडिया और डिजिटल पत्रकारिता की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। आज यह लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक जागरूकता का महत्त्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। सोशल मीडिया ने समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों को भी अपनी बात रखने का मंच प्रदान किया है।

वर्तमान समय में आवश्यकता इस बात की है कि पत्रकारिता अपने नैतिक मूल्यों और सामाजिक दायित्वों को बनाए रखते हुए तकनीकी विकास के साथ संतुलन स्थापित करे। तथ्य-जांच, मीडिया साक्षरता और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है।

यह शोध-पत्र सोशल मीडिया और पत्रकारिता के इसी बदलते सम्बंध का गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसमें पत्रकारिता के पारंपरिक स्वरूप से लेकर डिजिटल युग की पत्रकारिता तक के विकास का विश्लेषण किया गया है। साथ ही सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों, नागरिक पत्रकारिता, फेक न्यूज, डिजिटल नैतिकता तथा भविष्य की पत्रकारिता की संभावनाओं पर भी विस्तार से विचार किया गया है।

पत्रकारिता : अर्थ, स्वरूप और विकास

पत्रकारिता समाज का दर्पण मानी जाती है। इसका मूल उद्देश्य जनसामान्य तक सत्य, निष्पक्ष और प्रमाणिक सूचना पहुंचाना है। पत्रकारिता केवल समाचारों का प्रसार करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज को जागरूक, शिक्षित, संवेदनशील और उत्तरदायी बनाने का भी महत्त्वपूर्ण कार्य करती है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पत्रकारिता को चौथे स्तंभ के रूप में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि यह शासन और जनता के मध्य संवाद स्थापित करती है तथा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों पर सतत दृश्टि रखती है। पत्रकारिता जनमत निर्माण की प्रक्रिया में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मानव सभ्यता के विकास के साथ पत्रकारिता का स्वरूप भी निरंतर परिवर्तित होता रहा है। प्रारंभिक काल में सूचना और समाचारों का आदान-प्रदान मौखिक परंपराओं के माध्यम से होता था। सभाओं, यात्राओं, लोकगीतों तथा दूतों के माध्यम से समाचार लोगों तक पहुंचते थे। मुद्रण कला के आविष्कार ने पत्रकारिता को संगठित और व्यापक स्वरूप प्रदान किया। यूरोप में मुद्रण तकनीक के विकास के बाद समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ और आधुनिक पत्रकारिता की नींव पड़ी।

भारत में पत्रकारिता का इतिहास औपनिवेशिक काल से जुड़ा हुआ है। अंग्रेजी पत्रकारिता की शुरुआत जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित ‘हिक्की गजट’ से मानी जाती है, जिसे भारत का पहला समाचार पत्र माना जाता है। हिंदी पत्रकारिता का आरंभ ३० मई १८२६ को पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित ‘उदन्त मार्तण्ड’ से हुआ। हिंदी पत्रकारिता ने भारतीय समाज में भाषा

चेतना, राष्ट्रीयता और सामाजिक जागरण को विकसित करने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन के समय पत्रकारिता राष्ट्रीय चेतना और जनजागरण का सशक्त माध्यम बनकर उभरी। उस समय समाचार पत्र केवल समाचारों तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक हथियार भी थे। महात्मा गांधी ने 'हरिजन', 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' जैसे पत्रों के माध्यम से जनता में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया। बाल गंगाधर तिलक ने 'केसरी' और 'मराठा' के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनमत तैयार किया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 'प्रताप' के माध्यम से सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। इस प्रकार पत्रकारिता ने स्वतंत्रता आंदोलन को वैचारिक शक्ति प्रदान की।

बीसवीं शताब्दी में विज्ञान और तकनीक के विकास ने पत्रकारिता के स्वरूप को नई दिशा प्रदान की। रेडियो के आगमन ने श्रव्य पत्रकारिता को जन्म दिया। अब लोग घर बैठे समाचार सुन सकते थे। रेडियो ने ग्रामीण क्षेत्रों तक भी सूचना पहुंचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद टेलीविजन का विकास हुआ, जिसने दृष्य और श्रव्य दोनों माध्यमों को एक साथ प्रस्तुत करके पत्रकारिता को अधिक प्रभावशाली बना दिया। टेलीविजन पत्रकारिता ने समाचारों को जीवंत और तात्कालिक स्वरूप प्रदान किया।

इंटरनेट के आगमन के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नई क्रांति प्रारंभ हुई। डिजिटल पत्रकारिता ने समाचारों के प्रसार की प्रक्रिया को अत्यंत तीव्र और वैश्विक बना दिया। समाचार पत्रों और टीवी चैनलों ने अपने ऑनलाइन संस्करण आरंभ किए। अब पाठक किसी भी समय मोबाइल फोन या कंप्यूटर के माध्यम से समाचार प्राप्त कर सकते हैं।

आज पत्रकारिता केवल मुद्रित या प्रसारण माध्यमों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वेबसाइट, ब्लॉग, पॉडकास्ट, वेब पोर्टल और सोशल मीडिया मंचों पर भी सक्रिय है। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सऐप जैसे मंचों ने पत्रकारिता को अधिक संवादपरक और सहभागितापूर्ण बना दिया है। अब सामान्य नागरिक भी समाचारों के निर्माण और प्रसार की प्रक्रिया में भागीदारी कर रहे हैं। आधुनिक पत्रकारिता का स्वरूप बहुआयामी हो चुका है। यह केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, लोकतांत्रिक चेतना और जनसरोकारों की अभिव्यक्ति का सशक्त मंच बन चुकी है। तकनीकी विकास ने पत्रकारिता को अधिक व्यापक और प्रभावशाली बनाया है, किन्तु इसके साथ सत्यता, निष्पक्षता और नैतिकता की चुनौतियां भी सामने आई हैं। इसलिए वर्तमान समय में पत्रकारिता के मूल मूल्यों को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

सोशल मीडिया : अवधारणा और विकास

सोशल मीडिया इंटरनेट आधारित ऐसा मंच है, जहां व्यक्ति अपने विचार, अनुभव, चित्र, वीडियो, दस्तावेज तथा सूचनाएं साझा कर सकता है। यह आधुनिक संचार व्यवस्था का अत्यंत प्रभावशाली माध्यम बन चुका है। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संचार को संभव बनाता है। पारंपरिक संचार माध्यमों, जैसे- समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन में सूचना का प्रवाह मुख्यतः एकतरफा होता था, अर्थात् सूचना केवल प्रेशक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचती थी। परंतु सोशल मीडिया ने संचार को संवादात्मक बना दिया है, जहां प्रत्येक व्यक्ति न केवल सूचना प्राप्त कर सकता है, बल्कि स्वयं भी सूचना का निर्माण और प्रसार कर सकता है। सोशल मीडिया का विकास इंटरनेट क्रांति के साथ जुड़ा हुआ है। बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में इंटरनेट के प्रसार ने वैश्विक संचार व्यवस्था को नई दिशा प्रदान की। प्रारंभिक इंटरनेट का उपयोग मुख्यतः ई-मेल और वेबसाइटों तक सीमित था, परंतु धीरे-धीरे डिजिटल तकनीक के विकास ने ऐसे मंचों को जन्म दिया, जहां लोग आपस में प्रत्यक्ष संवाद स्थापित कर सकें। यही प्रक्रिया आगे चलकर सोशल मीडिया के रूप में विकसित हुई। सोशल मीडिया के विकास का प्रारंभिक स्वरूप १९९० के दशक में दिखाई देता है। वर्ष १९९७ में 'सिक्स डिग्रीज डॉट कॉम' नामक मंच को पहला सोशल नेटवर्किंग मंच माना जाता है। इस मंच ने लोगों को प्रोफाइल बनाने और मित्रों से जुड़ने की सुविधा प्रदान की। यद्यपि यह मंच अधिक समय तक सक्रिय नहीं रह सका, किन्तु इसने सोशल नेटवर्किंग की अवधारणा को जन्म दिया।

इसके बाद २००० के दशक में सोशल मीडिया का तीव्र विकास प्रारंभ हुआ। वर्ष २००३ में 'माइस्पेस' और 'लिंक्डइन' जैसे मंच सामने आए। माइस्पेस युवाओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुआ, जबकि लिंक्डइन ने व्यावसायिक और पेशेवर नेटवर्किंग को नया आयाम दिया। वर्ष २००४ में मार्क जुकरबर्ग द्वारा फेसबुक की स्थापना की गई, जिसने सोशल मीडिया के इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न किया। प्रारंभ में फेसबुक केवल विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए बनाया गया था, किन्तु बाद में यह विश्व का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क बन गया। फेसबुक ने लोगों को मित्रता, संवाद, समूह निर्माण और सूचना साझा करने की व्यापक सुविधा प्रदान की।

वर्ष २००५ में यूट्यूब की स्थापना हुई, जिसने वीडियो आधारित संचार को नई दिशा दी। यूट्यूब ने प्रत्येक व्यक्ति को वीडियो निर्माण और प्रसारण का अवसर प्रदान किया। इसके माध्यम से शिक्षा, मनोरंजन, पत्रकारिता, संगीत और सामाजिक जागरूकता के अनेक नए आयाम विकसित हुए। आज यूट्यूब केवल मनोरंजन का मंच नहीं, बल्कि वैकल्पिक पत्रकारिता और ज्ञान-विनिमय का भी प्रमुख माध्यम बन चुका है।

वर्ष २००६ में ट्विटर (एक्स) का उदय हुआ, जिसने लघु संदेशों के माध्यम से त्वरित सूचना प्रसार को लोकप्रिय बनाया। ट्विटर ने पत्रकारिता, राजनीति और सामाजिक आंदोलनों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार संस्थान, पत्रकार, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता इस मंच का उपयोग तात्कालिक सूचनाएं साझा करने के लिए करने लगे। बाद में इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टेलीग्राम जैसे मंचों ने दृश्य और मल्टीमीडिया आधारित संचार को और अधिक प्रभावशाली बना दिया।

भारत में सोशल मीडिया का व्यापक प्रसार इक्कीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में हुआ। सस्ते स्मार्टफोन और इंटरनेट सेवाओं के विस्तार ने सोशल मीडिया को जनसामान्य तक पहुंचाया। विशेष रूप से ४जी इंटरनेट सेवाओं के आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी सोशल मीडिया का उपयोग तेजी से बढ़ा। आज भारत विश्व के सबसे बड़े सोशल मीडिया उपयोगकर्ता देशों में से एक है।

फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सऐप और टेलीग्राम जैसे मंचों ने संचार प्रक्रिया को अत्यंत सरल और तीव्र बना दिया है। अब व्यक्ति किसी भी स्थान से अपने विचार, चित्र और वीडियो तुरंत साझा कर सकता है। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी विशेषता इसकी तात्कालिकता है। किसी दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक घटना या सामाजिक आंदोलन की सूचना कुछ ही क्षणों में लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। यही कारण है कि आज सोशल मीडिया सूचना का सबसे तीव्र माध्यम बन चुका है।

सोशल मीडिया ने सूचना के केंद्रीकरण को समाप्त कर दिया है। पहले समाचारों और सूचनाओं का नियंत्रण कुछ बड़े मीडिया संस्थानों के हाथों में था। समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन ही सूचना

के प्रमुख स्रोत माने जाते थे। परंतु सोशल मीडिया ने इस व्यवस्था को बदल दिया। अब प्रत्येक व्यक्ति सूचना का निर्माता और प्रसारक बन सकता है। मोबाइल फोन और इंटरनेट ने सामान्य नागरिक को भी संभावित पत्रकार बना दिया है। कोई भी व्यक्ति किसी घटना का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर साझा कर सकता है और वह कुछ ही समय में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। सोशल मीडिया के कारण 'नागरिक पत्रकारिता' की अवधारणा विकसित हुई है। अब सामान्य नागरिक भी समाचारों के संकलन और प्रसार में भागीदारी कर रहे हैं। कई बार ऐसी घटनाओं की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आती है, जिन्हें मुख्यधारा मीडिया पर्याप्त स्थान नहीं देता। प्राकृतिक आपदाओं, सामाजिक आंदोलनों और मानवाधिकार सम्बंधी मुद्दों में सोशल मीडिया ने जनजागरण का महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। अरब स्प्रिंग आंदोलन, भारत के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन तथा विभिन्न सामाजिक अभियानों में सोशल मीडिया की सक्रिय भूमिका देखी गई।

सोशल मीडिया ने शिक्षा, राजनीति, संस्कृति, व्यापार और पत्रकारिता सहित समाज के लगभग प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षण और डिजिटल सामग्री का प्रसार बढ़ा है। राजनीति में सोशल मीडिया चुनाव प्रचार और जनमत निर्माण का प्रमुख माध्यम बन चुका है। व्यवसायिक क्षेत्र में डिजिटल विपणन और ऑनलाइन प्रचार-प्रसार को नई गति मिली है।

पत्रकारिता के क्षेत्र में सोशल मीडिया ने समाचारों के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया है। अब समाचार केवल मुद्रित रूप में नहीं, बल्कि वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग, पॉडकास्ट और डिजिटल रिपोर्टिंग के रूप में भी प्रस्तुत किए जाते हैं। समाचार संस्थान सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से पाठकों और दर्शकों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित कर रहे हैं। इससे पत्रकारिता अधिक संवादपरक और सहभागितापूर्ण बन गई है।

हालांकि सोशल मीडिया के अनेक सकारात्मक पक्ष हैं, किन्तु इसके साथ कई गंभीर चुनौतियां भी सामने आई हैं। फेक न्यूज, ट्रोलिंग, साइबर अपराध, व्यक्तिगत गोपनीयता का हनन और डिजिटल लत जैसी समस्याएं आधुनिक समाज के लिए चिंता का विषय बन चुकी हैं। सोशल मीडिया पर सूचनाओं का प्रसार इतनी तेजी से होता है कि कई बार उनकी सत्यता की जांच नहीं हो पाती। परिणामस्वरूप झूठी और भ्रामक खबरें भी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच जाती हैं।

फेक न्यूज आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। कई बार झूठी सूचनाएं सामाजिक तनाव और हिंसा का कारण बनती हैं। इसके अतिरिक्त ट्रोल संस्कृति ने पत्रकारों, लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को मानसिक और सामाजिक दबावों का सामना करने के लिए बाध्य किया है।

इसके बावजूद सोशल मीडिया की उपयोगिता और प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। यह आज लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनसंचार का सबसे प्रभावशाली माध्यम बन चुका है। सोशल मीडिया ने समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों को भी अपनी आवाज उठाने का मंच प्रदान किया है। वर्तमान समय में आवश्यकता इस बात की है कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ किया जाए। डिजिटल साक्षरता, तथ्य-जांच और उत्तरदायी व्यवहार को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। यदि सोशल मीडिया का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाए, तो यह समाज में जागरूकता, शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास का सशक्त माध्यम सिद्ध हो सकता है।

सोशल मीडिया और पत्रकारिता का अंतर्संबंध

वर्तमान समय में सोशल मीडिया और पत्रकारिता का सम्बंध अत्यंत गहरा और व्यापक हो चुका है। इक्कीसवीं शताब्दी में इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के तीव्र विकास ने पत्रकारिता की कार्यप्रणाली, स्वरूप, भाषा, प्रस्तुति तथा प्रभाव क्षेत्र को पूरी तरह बदल दिया है। आज अधिकांश समाचार संस्थान सोशल मीडिया मंचों का उपयोग समाचारों के प्रसार, जनमत निर्माण तथा दर्शकों और पाठकों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। फेसबुक, एक्स (पूर्व ट्विटर), इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सऐप और टेलीग्राम जैसे मंच पत्रकारिता के अभिन्न अंग बन चुके हैं।

पूर्व में पत्रकारिता मुख्यतः समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन तक सीमित थी। समाचारों का निर्माण और प्रसारण कुछ बड़े मीडिया संस्थानों के नियंत्रण में होता था। जनता केवल सूचना ग्रहण करने वाली इकाई थी। परंतु सोशल मीडिया ने इस व्यवस्था को बदल दिया। अब प्रत्येक व्यक्ति सूचना का उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि निर्माता और प्रसारक भी बन गया है। यही कारण है कि आधुनिक पत्रकारिता अधिक संवादपरक, सहभागितापूर्ण और लोकतांत्रिक स्वरूप ग्रहण कर चुकी है।

डिजिटल युग में पत्रकार फेसबुक लाइव, एक्स पोस्ट, यूट्यूब स्ट्रीमिंग, पॉडकास्ट और इंस्टाग्राम अपडेट्स के माध्यम से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित कर रहे हैं। समाचारों की प्रस्तुति अब केवल लिखित पाठ तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वीडियो, ऑडियो, चित्र, इन्फोग्राफिक्स और लाइव प्रसारण भी पत्रकारिता का महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। विश्व स्तर पर सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 'डाटा रिपोर्टल २०२५' के अनुसार विश्व में लगभग ५ अरब से अधिक लोग सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या ९० करोड़ से अधिक हो चुकी है, जिनमें बड़ी संख्या सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की है। भारत आज विश्व के सबसे बड़े डिजिटल उपभोक्ता देशों में से एक है। इस व्यापक उपयोग ने पत्रकारिता को भी गहराई से प्रभावित किया है। सोशल मीडिया और पत्रकारिता का अंतर्संबंध निम्न प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है-

१. समाचारों की त्वरित उपलब्धता

सोशल मीडिया ने समाचारों के प्रसारण की गति को अभूतपूर्व रूप से बढ़ा दिया है। पहले किसी घटना की जानकारी समाचार पत्रों या टीवी चैनलों के माध्यम से लोगों तक पहुंचने में कई घंटे या कभी-कभी पूरा दिन लग जाता था। आज किसी दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक घटना, चुनाव परिणाम या सामाजिक आंदोलन की सूचना कुछ ही सेकंड में विश्वभर में फैल जाती है। उदाहरण के लिए, भूकंप, बाढ़ या रेल दुर्घटना जैसी घटनाओं के वीडियो और तस्वीरें सबसे पहले सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगती हैं। अनेक बार मुख्यधारा मीडिया को भी प्रारंभिक जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होती है। पत्रकार घटनास्थल पर पहुंचने से पहले सोशल मीडिया पोस्टों, वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर समाचारों का प्रारंभिक विश्लेषण करने लगते हैं। ट्विटर (एक्स) विशेष रूप से त्वरित समाचार प्रसार का प्रमुख मंच बन चुका है। राजनीतिक नेता, सरकारी संस्थाएं, पत्रकार और समाचार एजेंसियां तुरंत अपडेट साझा करती हैं। कोविड-१९ महामारी के दौरान सोशल मीडिया ने सूचना प्रसार में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वास्थ्य सम्बंधी निर्देश, लॉकडाउन की सूचनाएं, अस्पतालों की जानकारी तथा वैक्सीन सम्बंधी समाचार सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक स्तर पर प्रसारित हुए।

आज अधिकांश समाचार चैनल और समाचार पत्र अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'ब्रेकिंग न्यूज' की अवधारणा को सोशल मीडिया के माध्यम से संचालित करते हैं। पहले जहां समाचार पत्र अगले दिन प्रकाशित होते थे, वहीं अब ऑनलाइन पोर्टल और सोशल मीडिया चौबीसों घंटे सक्रिय रहते हैं। भारत में २०२४ के आंकड़ों के अनुसार लगभग ७५ प्रतिशत इंटरनेट उपयोगकर्ता समाचारों के लिए किसी न किसी सोशल मीडिया मंच का उपयोग करते हैं। युवा वर्ग विशेष रूप से समाचारों के लिए सोशल मीडिया पर अधिक निर्भर हो गया है। इससे पत्रकारिता की गति और प्रतिस्पर्धा दोनों में वृद्धि हुई है। हालांकि समाचारों की यह तात्कालिकता कई चुनौतियां भी उत्पन्न करती है। कई बार समाचारों को शीघ्र प्रसारित करने की होड़ में तथ्य-जांच की प्रक्रिया कमजोर हो जाती है, जिसके कारण भ्रामक और अप्रमाणिक सूचनाएं भी फैल जाती हैं।

२. समाचारों की व्यापक पहुंच

सोशल मीडिया ने समाचारों की पहुंच को अत्यंत व्यापक और वैश्विक बना दिया है। पहले समाचारों का प्रभाव क्षेत्र सीमित होता था। किसी स्थानीय घटना की जानकारी मुख्यतः उसी क्षेत्र तक सीमित रहती थी। परंतु सोशल मीडिया ने स्थानीय घटनाओं को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की क्षमता विकसित कर दी है। आज किसी छोटे गांव या कस्बे में घटित घटना का वीडियो कुछ ही समय में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। इससे सामाजिक मुद्दों को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान मिलने लगी है। उदाहरण के रूप में, भारत के विभिन्न सामाजिक आंदोलनों, किसानों के आंदोलनों, पर्यावरण संरक्षण अभियानों तथा महिला अधिकार सम्बंधी मुद्दों को सोशल मीडिया के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। इसी प्रकार अरब स्प्रिंग आंदोलन में सोशल मीडिया ने लोगों को संगठित करने और सूचनाओं के आदान-प्रदान में केंद्रीय भूमिका निभाई। यूट्यूब और फेसबुक जैसे मंचों ने क्षेत्रीय भाषाओं की पत्रकारिता को भी नया विस्तार दिया है। पहले राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यतः बड़े समाचार संस्थानों का प्रभुत्व था, परंतु अब छोटे डिजिटल चैनल और स्वतंत्र पत्रकार भी लाखों दर्शकों तक पहुंच रहे हैं। भारत में हजारों स्वतंत्र यूट्यूब पत्रकारिता चैनल सक्रिय हैं, जिनके करोड़ों दर्शक हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच बढ़ने से समाचारों की उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है। 'टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया' के आंकड़ों के अनुसार भारत में मोबाइल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे डिजिटल पत्रकारिता का विस्तार छोटे षहरों और ग्रामीण क्षेत्रों तक हुआ है। सोशल मीडिया ने समाचारों के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को मजबूत किया है। अब केवल बड़े मीडिया घरानों का ही वर्चस्व नहीं है, बल्कि स्वतंत्र पत्रकार, ब्लॉग लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता भी अपने विचार और समाचार व्यापक स्तर पर साझा कर सकते हैं।

३. पाठकों और दर्शकों की सहभागिता

पारंपरिक पत्रकारिता मुख्यतः एकतरफा संचार पर आधारित थी। समाचार संस्थान समाचार प्रस्तुत करते थे और जनता केवल उन्हें पढ़ती या सुनती थी। परंतु सोशल मीडिया ने इस व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। अब पाठक और दर्शक केवल सूचना ग्रहण करने वाले नहीं हैं, बल्कि वे प्रतिक्रिया देने, प्रश्न पूछने और अपने विचार व्यक्त करने में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। फेसबुक टिप्पणियां, एक्स प्रतिक्रियाएं, इंस्टाग्राम कमेंट्स और यूट्यूब चर्चाएं पत्रकारिता को अधिक संवादपरक बना रही हैं। समाचार संस्थान अब दर्शकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर अपनी सामग्री में परिवर्तन भी करते हैं। कई बार किसी समाचार पर जनता की प्रतिक्रिया इतनी व्यापक होती है कि वह राष्ट्रीय बहस का विषय बन जाता है। सोशल मीडिया ने 'नागरिक पत्रकारिता' को भी बढ़ावा दिया है। सामान्य नागरिक घटनाओं की तस्वीरें और वीडियो साझा करके समाचार निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, किसी सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या सामाजिक घटना की जानकारी सबसे पहले प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की जाती है। इस सहभागिता ने पत्रकारिता को अधिक लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान किया है। अब जनता केवल समाचारों की उपभोक्ता नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदार बन चुकी है। हालांकि यह सहभागिता कई बार नकारात्मक रूप भी ग्रहण कर लेती है। ट्रोलिंग, घृणास्पद टिप्पणियां और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं। पत्रकारों, विशेषकर महिला पत्रकारों को सोशल मीडिया पर अनेक बार अपमानजनक टिप्पणियों और धमकियों का सामना करना पड़ता है।

४. मल्टीमीडिया प्रस्तुति

सोशल मीडिया ने पत्रकारिता की प्रस्तुति शैली को पूरी तरह बदल दिया है। पहले समाचार मुख्यतः लिखित पाठ या रेडियो-टेलीविजन प्रसारण तक सीमित थे, परंतु अब पत्रकारिता मल्टीमीडिया स्वरूप ग्रहण कर चुकी है। आज समाचारों को वीडियो, चित्र, ऑडियो, लाइव स्ट्रीमिंग, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और एनिमेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे समाचार अधिक आकर्षक, प्रभावशाली और समझने में सरल बन गए हैं। यूट्यूब पत्रकारिता का प्रमुख मंच बन चुका है। समाचार चैनल लाइव डिबेट, विशेष रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्री और विश्लेषणात्मक कार्यक्रम यूट्यूब पर प्रसारित कर रहे हैं। पॉडकास्ट पत्रकारिता ने भी नई लोकप्रियता प्राप्त की है। लोग अब यात्रा करते समय या अन्य कार्य करते हुए समाचार सुनना पसंद कर रहे हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे मंचों पर छोटे वीडियो और दृष्यात्मक सामग्री तेजी से लोकप्रिय हो रही है। समाचार संस्थान अब 'रील्स' और 'शॉर्ट वीडियो' के माध्यम से भी समाचार प्रस्तुत कर रहे हैं। मल्टीमीडिया प्रस्तुति ने पत्रकारिता को अधिक प्रभावशाली बनाया है। उदाहरण के लिए, किसी प्राकृतिक आपदा की केवल लिखित रिपोर्ट की अपेक्षा उसका वीडियो लोगों पर अधिक गहरा प्रभाव डालता है। इसके अतिरिक्त डेटा पत्रकारिता और इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से जटिल विषयों को सरल और रोचक रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। चुनाव परिणाम, आर्थिक आंकड़े और वैज्ञानिक सूचनाएं अब दृष्यात्मक रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, जिससे आम जनता उन्हें आसानी से समझ सके। स्पष्ट है कि सोशल मीडिया और पत्रकारिता का सम्बंध आज अत्यंत गहरा और बहुआयामी हो चुका है। सोशल मीडिया ने पत्रकारिता को त्वरित, व्यापक, संवादपरक और मल्टीमीडिया आधारित स्वरूप प्रदान किया है। इससे समाचारों की पहुंच और प्रभाव दोनों में वृद्धि हुई है। हालांकि इसके साथ फेक न्यूज, ट्रोल संस्कृति, अप्रमाणिक सूचनाएं और नैतिक संकट जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं। इसलिए आधुनिक पत्रकारिता के लिए यह आवश्यक है कि वह तकनीकी विकास के साथ-साथ सत्यता, निष्पक्षता और सामाजिक उत्तरदायित्व के मूल्यों को भी बनाए रखे। सोशल मीडिया और पत्रकारिता का यह अंतर्संबंध भविष्य में और अधिक गहरा होगा तथा डिजिटल युग की पत्रकारिता को नई दिशाएं प्रदान करेगा।

नागरिक पत्रकारिता : एक नई प्रवृत्ति

सोशल मीडिया ने 'नागरिक पत्रकारिता' की अवधारणा को जन्म दिया है। इसका अर्थ है- सामान्य नागरिकों द्वारा समाचारों का संकलन और प्रसार। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने मोबाइल फोन के माध्यम से घटनाओं की तस्वीरें और वीडियो साझा कर सकता है। कई बार ऐसी

सूचनाएं मुख्यधारा मीडिया से पहले सामने आती हैं। भारत में अनेक सामाजिक आंदोलनों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिक पत्रकारिता की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि नागरिक पत्रकारिता के सामने विश्वसनीयता का संकट भी है। सभी सूचनाएं प्रमाणिक नहीं होतीं। कई बार अफवाहें और झूठी सूचनाएं भी तेजी से फैल जाती हैं।

सोशल मीडिया और फेक न्यूज

फेक न्यूज आधुनिक पत्रकारिता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। सोशल मीडिया पर बिना सत्यापन के सूचनाएं तेजी से फैलती हैं। भ्रामक सूचनाएं सामाजिक तनाव, हिंसा और भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं। कई बार राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए भी झूठी खबरें फैलायी जाती हैं।

फेक न्यूज के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

१. सूचना के तीव्र प्रसार की प्रवृत्ति

२. तथ्य-जांच का अभाव

३. डिजिटल अशिक्षा

४. राजनीतिक प्रचार

५. सनसनीखेज समाचारों की लोकप्रियता

फेक न्यूज से निपटने के लिए मीडिया साक्षरता और तथ्य-जांच की संस्कृति को विकसित करना आवश्यक है।

पत्रकारिता की नैतिक चुनौतियां

सोशल मीडिया के प्रभाव से पत्रकारिता अनेक नैतिक संकटों का सामना कर रही है।

१. निष्पक्षता का संकट - कई बार मीडिया संस्थान राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों के कारण निष्पक्षता खो देते हैं।

२. टीआरपी और क्लिकबेट संस्कृति - दर्शकों और पाठकों को आकर्षित करने के लिए समाचारों को सनसनीखेज बनाया जाता है।

३. निजी जीवन में हस्तक्षेप - सोशल मीडिया के कारण लोगों की निजी जानकारी सार्वजनिक हो जाती है।

४. ट्रोल संस्कृति - पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन उत्पीड़न और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है।

सोशल मीडिया और लोकतंत्र

सोशल मीडिया ने लोकतंत्र को नई दिशा प्रदान की है। यह जनता को अपनी बात रखने और शासन से प्रश्न पूछने का मंच देता है। चुनावों और सामाजिक आंदोलनों में सोशल मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो चुकी है। राजनीतिक दल अब सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचते हैं। हालांकि इसका नकारात्मक पक्ष भी है। कई बार सोशल मीडिया का उपयोग दुष्प्रचार, घृणा फैलाने और समाज को विभाजित करने के लिए किया जाता है।

डिजिटल पत्रकारिता का उभरता स्वरूप

डिजिटल पत्रकारिता आज आधुनिक पत्रकारिता का सबसे प्रभावशाली स्वरूप बन चुकी है। समाचार पत्रों और टीवी चैनलों ने अपने डिजिटल संस्करण विकसित किए हैं। डिजिटल पत्रकारिता की प्रमुख विशेषताएं- १. तात्कालिकता २. वैश्विक पहुंच ३. कम लागत ४. इंटरैक्टिव स्वरूप ५. मल्टीमीडिया प्रस्तुति

पॉडकास्ट, ब्लॉग, वेबिनार और लाइव स्ट्रीमिंग आधुनिक पत्रकारिता के नए आयाम हैं।

हिंदी पत्रकारिता और सोशल मीडिया

सोशल मीडिया ने हिंदी पत्रकारिता को व्यापक मंच प्रदान किया है। पहले अंग्रेजी मीडिया का प्रभाव अधिक था, परंतु अब हिंदी सहित भारतीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री का तेजी से विस्तार हो रहा है। यूट्यूब चैनल, ब्लॉग और सोशल मीडिया पेजों के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता नए पाठक वर्ग तक पहुंच रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट के प्रसार ने हिंदी डिजिटल पत्रकारिता को और अधिक सशक्त बनाया है।

सोशल मीडिया और युवा पीढ़ी

युवा वर्ग सोशल मीडिया का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। समाचारों और सूचनाओं का प्रमुख स्रोत अब सोशल मीडिया बन गया है। युवा वर्ग सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी राय व्यक्त कर रहा है। हालांकि अत्यधिक निर्भरता के कारण मानसिक तनाव, सूचना भ्रम और आभासी जीवन की समस्याएं भी बढ़ रही हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पत्रकारिता

वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। समाचार लेखन, डेटा विश्लेषण और स्वचालित रिपोर्टिंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग बढ़ रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीकों से समाचारों का निर्माण अधिक तेज और प्रभावी हुआ है। किन्तु इसके साथ यह प्रश्न भी उठता है कि क्या मशीनें मानवीय संवेदनाओं और नैतिकता को समझ सकती हैं। इसलिए तकनीक और मानवीय मूल्यों के संतुलन की आवश्यकता है।

भविष्य की पत्रकारिता

भविष्य की पत्रकारिता पूर्णतः डिजिटल और तकनीक-आधारित होगी। आने वाले समय में पत्रकारिता के सामने निम्न चुनौतियां और संभावनाएं होंगी-

१. तथ्य-जांच की आवश्यकता

२. डिजिटल नैतिकता

३. साइबर सुरक्षा

४. विश्वसनीयता की पुनर्स्थापना

५. कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव

पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और समाजहित होना चाहिए। तकनीक केवल माध्यम है, उद्देश्य नहीं।

निष्कर्ष

सोशल मीडिया ने पत्रकारिता के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन किया है। इसने समाचारों को अधिक तीव्र, लोकतांत्रिक और सहभागी बनाया है। नागरिक पत्रकारिता, डिजिटल मंच और वैश्विक संचार आधुनिक पत्रकारिता की प्रमुख विशेषताएं बन चुके हैं। इसके साथ ही फेक न्यूज, ट्रोल संस्कृति, नैतिक संकट और अप्रमाणिक सूचनाओं जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं। इसलिए पत्रकारिता के मूल्यों और नैतिकता की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। सोशल मीडिया और पत्रकारिता का सम्बंध भविष्य में और अधिक गहरा होगा। यदि तकनीक का उपयोग जिम्मेदारी और विवेक के साथ किया जाए, तो यह समाज और लोकतंत्र के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। पत्रकारिता का वास्तविक उद्देश्य समाज को जागरूक, शिक्षित और संवेदनशील बनाना है। सोशल मीडिया इस उद्देश्य की पूर्ति का सशक्त माध्यम बन सकता है।

संदर्भ

१. अहुजा, बी. एन. पत्रकारिता : सिद्धांत और व्यवहार। सुरजीत पब्लिकेशन्स, २०१०।

२. कुमार, केवल जे. भारत में जनसंचार। जैको पब्लिशिंग हाउस, २०१५।

३. निगम, आदित्य। मीडिया और भारतीय लोकतंत्र। ओरिएंट ब्लैकस्वान, २०११।

४. पावलिक, जॉन वी. नई मीडिया और पत्रकारिता। कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, २००१।

५. फुक्स, क्रिश्चियन। सोशल मीडिया : एक आलोचनात्मक अध्ययन। सेज पब्लिकेशन्स, २०१७।

६. भार्गव, जी. एस. भारत में जनसंचार और पत्रकारिता। प्रकाश बुक डिपो, २०१२।

७. मैकक्वेल, डेनिस। जनसंचार सिद्धांत। सेज पब्लिकेशन्स, २०१०।

८. मैनुअल, पीटर। संचार और समाज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, २०१४।

९. रायमंड विलियम्स। टेलीविजन और सांस्कृतिक स्वरूप। रूटलेज, २००३।

१०. शर्मा, आर. सी. डिजिटल पत्रकारिता। रावत पब्लिकेशन्स, २०१८।

११. श्रीवास्तव, के. एम. समाचार लेखन और संपादन। स्टर्लिंग पब्लिशर्स, २०१३।

१२. सिंघल, अरविंद तथा एवरेट रोजर्स। भारत की संचार क्रांति। सेज पब्लिकेशन्स, २००१।

१३. थुस्सू, दया किशन। अंतरराष्ट्रीय संचार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, २००६।

१४. वर्मा, रामगोपाल। हिंदी पत्रकारिता : सिद्धांत और स्वरूप। राजकमल प्रकाशन, २०१६।

१५. हेनरी जेनकिंस। कन्वर्जेन्स संस्कृति। एन. वाई. यू. प्रेस, २००६।

Refereed & Peer Reviewed Research Magazine
RNI-UPHIN/2018/77444 ISSN-2582-1288
त्रैमासिक मूल्य २००
शोधादर्श
संदर्भित एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिक पत्रिका
वर्ष : ८ अंक : ३, जून-अगस्त २०२६
doi.org/10.5281/
इम्पेक्ट फैक्टर(२०२६) : १०.१६
पंजीकृत कार्यालय
शोधादर्श, ए-७, आदर्श नगर, तातारपुर लालू, नजीबाबाद-२४६७६३ ज़िला बिजनौर (उ.प्र.)
संपादकीय कार्यालय/पत्रव्यवहार
शोधादर्श, साईं एंक्लेव, निकट देवता धनौरा, नजीबाबाद-२४६७६३ बिजनौर (उप्र)
https://shodhadarsh.in/

डिजिटल मीडिया और बदलता सामाजिक परिदृश्य

सारांश

डिजिटल मीडिया आधुनिक संचार का एक महत्वपूर्ण आधार बन चुका है, जिसने विश्वभर में सूचना के निर्माण, प्रसारण और उपभोग की प्रक्रिया को व्यापक रूप से परिवर्तित किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल विज्ञापन, स्ट्रीमिंग सेवाएं तथा ऑनलाइन समाचार जैसे माध्यमों के कारण डिजिटल मीडिया आज व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों के लिए सामग्री प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत बन गया है। यह लेख डिजिटल मीडिया के उदय का अध्ययन करता है तथा पारंपरिक मीडिया से वर्तमान डिजिटल युग तक उसके विकास की प्रक्रिया को रेखांकित करता है। साथ ही, यह संचार, संस्कृति और वाणिज्य पर डिजिटल मीडिया के परिवर्तनकारी प्रभावों का विश्लेषण करते हुए इसके लाभों और चुनौतियों को भी उजागर करता है। अंततः, यह लेख तकनीकी प्रगति, नैतिक चिंताओं और उभरती प्रवृत्तियों के संदर्भ में डिजिटल मीडिया के भविष्य पर चर्चा करता है, जो इसके निरंतर विकास को प्रभावित करेंगी।

बीज शब्द- डिजिटल मीडिया, संचार, सोशल मीडिया, ऑनलाइन सामग्री, डिजिटल परिवर्तन, डिजिटल विपणन, ऑनलाइन संस्कृति।

डॉ. प्रणीता पी.
प्राध्यापक, हिंदी विभाग
कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, केरल, पिन-६८२०२२,
ईमेल- dr.praneetha.p@cusat.ac.in

प्रस्तावना

डिजिटल मीडिया के उद्भव ने संचार, संस्कृति और वाणिज्य के समकालीन परिदृश्य को मूलभूत रूप से रूपांतरित कर दिया है। पारंपरिक मीडिया माध्यम, जैसे- मुद्रित समाचार-पत्र, टेलीविजन और रेडियोकृजहां एकतरफा प्रसारण प्रणाली पर आधारित थे, वहीं डिजिटल मीडिया पूर्णतः इंटरनेट-आधारित एवं अंतःक्रियात्मक (interactive) संचार व्यवस्था पर कार्य करता है। इस परिवर्तन ने सूचना के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रियाओं में व्यापक संरचनात्मक बदलाव उत्पन्न किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ब्लॉग, पॉडकास्ट, स्ट्रीमिंग सेवाएं तथा ऑनलाइन समाचार पोर्टल जैसे विविध डिजिटल माध्यमों का विकास हुआ है। जैसे-जैसे डिजिटल मीडिया आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग बनता जा रहा है। वैसे-वैसे इसने न केवल सूचना प्राप्ति और संप्रेषण के तरीकों को पुनर्परिभाषित किया है, बल्कि व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन तथा सरकारों और नागरिकों के बीच संवाद की प्रकृति को भी गहराई से प्रभावित किया है। प्रस्तुत लेख डिजिटल मीडिया के विकास का अध्ययन करते हुए इसके ऐतिहासिक संदर्भ, सामाजिक प्रभावों तथा इससे उत्पन्न अवसरों एवं चुनौतियों का विश्लेषणात्मक परीक्षण प्रस्तुत करता है।

डिजिटल मीडिया का विकास

डिजिटल मीडिया की शुरुआत १९९० के दशक में इंटरनेट के उदय के साथ हुई, जिसे एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी चरण माना जाता है। प्रारंभ में इंटरनेट का उपयोग मुख्यतः ई-मेल और साधारण वेब पृष्ठों तक सीमित था, किंतु समय के साथ इसकी क्षमताओं में निरंतर विस्तार हुआ। २००० के दशक में फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के आगमन ने उपयोगकर्ताओं को संवाद, सूचना-साझाकरण और ऑनलाइन समुदाय निर्माण की सुविधा प्रदान की, जिससे संचार अधिक सहभागितापूर्ण और अंतःक्रियात्मक बन गया। इसके बाद २००५ में यूट्यूब जैसे वीडियो-साझाकरण प्लेटफॉर्मों के विकास और स्मार्टफोन के प्रसार ने डिजिटल मीडिया के उपयोग को और अधिक व्यापक एवं सुलभ बना दिया।२०१० के दशक तक डिजिटल मीडिया संचार और सामग्री उपभोग का प्रमुख माध्यम बन गया।

नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई जैसी स्ट्रीमिंग सेवाओं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तथा उपयोगकर्ता-निर्मित सामग्री (User-Generated Content) ने मनोरंजन और विज्ञापन उद्योगों को रूपांतरित किया, जबकि डिजिटल समाचार माध्यमों ने पारंपरिक समाचार-पत्रों के प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया।

संचार पर डिजिटल मीडिया का प्रभाव

डिजिटल मीडिया ने संचार के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किए हैं, जिससे व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों के बीच संवाद की प्रक्रियाएं मूलभूत रूप से बदल गई हैं। पारंपरिक संचार माध्यमों जैसे आमने-सामने की बातचीत और टेलीफोन कॉल के स्थान पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने व्यक्तिगत संचार को अधिक तेज, सरल और वैश्विक बना दिया है। इनके माध्यम से लोग समय (real-time) में जुड़ सकते हैं तथा अनुभवों का त्वरित आदान-प्रदान कर सकते हैं।इसके साथ ही टेक्स्ट मैसेजिंग, वीडियो कॉलिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग जैसी तकनीकों ने व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक संचार को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाया है। डिजिटल माध्यमों पर फोटो, वीडियो और विचार साझा करने की प्रवृत्ति ने आत्म-अभिव्यक्ति और सामाजिक सहभागिता को भी बढ़ावा दिया है।हालांकि, इस डिजिटल संचार ने संवाद की गुणवत्ता और गहराई को लेकर चिंताएं भी उत्पन्न की हैं, विशेषकर यह प्रश्न कि क्या ऑनलाइन संचार प्रत्यक्ष मानवीय संवाद का पूर्ण विकल्प हो सकता है।

व्यावसायिक संचार

व्यावसायिक क्षेत्र में डिजिटल मीडिया विपणन, विज्ञापन और ग्राहक सहभागिता का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। गूगल ऐड्स, फेसबुक ऐड्स और इंस्टाग्राम ऐड्स जैसे प्लेटफॉर्म व्यवसायों को उपभोक्ताओं तक सामग्री पहुंचाने में सक्षम बनाते हैं, जिससे डिजिटल मार्केटिंग आधुनिक व्यावसायिक रणनीति का प्रमुख हिस्सा बन गई है। इसके अतिरिक्त, कंपनियां सोशल मीडिया और चैटबॉट्स के माध्यम से ग्राहक सेवा प्रदान कर रही हैं, जिससे समस्याओं का त्वरित समाधान संभव हुआ है और ग्राहक अनुभव में सुधार हुआ है। अमेजन, एट्सी और ई-बे जैसे ऑनलाइन बाजारों ने व्यापार संरचना को बदल दिया है, जिससे व्यवसायों को वैश्विक स्तर पर सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचने का अवसर मिला है। ई-कॉमर्स के विस्तार ने खुदरा व्यापार को पुनर्परिभाषित किया है, जिसके परिणामस्वरूप पारंपरिक दुकानें या तो ऑनलाइन मॉडल राजनीतिक संचार सरकारें और राजनीतिक संगठन नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करने, सूचनाओं के प्रसार तथा राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल मीडिया का निरंतर उपयोग कर रहे हैं। ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राजनीतिक संचार के प्रमुख माध्यम बन गए हैं, जिनसे राजनेता व्यापक जनसमूह तक पहुंचने के साथ-साथ अपने समर्थकों से प्रत्यक्ष और त्वरित संवाद स्थापित कर पा रहे हैं। चुनावी प्रक्रियाओं में डिजिटल मीडिया ने राजनीतिक अभियानों के संगठन, मतदाता सहभागिता बढ़ाने तथा राजनीतिक संदेशों के प्रभावी प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे राजनीतिक संचार अधिक गतिशील और व्यापक हुआ है।हालांकि, डिजिटल मीडिया के बढ़ते उपयोग ने भ्रामक सूचना, फेक न्यूज और जनमत के दुरुपयोग जैसी गंभीर चुनौतियां भी उत्पन्न की हैं, जिसके कारण चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, नियमन और जवाबदेही की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

डिजिटल मीडिया का सांस्कृतिक प्रभाव

डिजिटल मीडिया ने न केवल संचार व्यवस्था को बदला है, बल्कि सांस्कृतिक संरचनाओं और व्यवहारों पर भी गहरा प्रभाव डाला है, विशेष रूप से मनोरंजन और सामग्री उपभोग के क्षेत्र में। नेटफ्लिक्स, हुलु, डिज़्नी और स्पॉटिफाई जैसी स्ट्रीमिंग सेवाओं ने पारंपरिक टेलीविजन और रेडियो के स्थान पर ऑन-डिमांड मनोरंजन का प्रमुख माध्यम स्थापित किया है, जिससे उपयोगकर्ताओं को अपनी सुविधा अनुसार विविध सामग्री तक पहुंच प्राप्त हुई है। स्ट्रीमिंग तकनीक और मल्टी-डिवाइस एक्सेस ने मनोरंजन को अधिक लचीला और उपयोगकर्ता-केंद्रित बनाया है, जिससे दर्शक अपनी पसंद और समय के अनुसार सामग्री का चयन कर सकते हैं।इसके अतिरिक्त, डिजिटल मीडिया ने पॉडकास्ट, लाइव-स्ट्रीमिंग गेमिंग तथा यूट्यूब और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्मों पर उपयोगकर्ता-निर्मित सामग्री के माध्यम से मनोरंजन के नए रूप विकसित किए हैं, जिससे सामग्री की विविधता बढ़ी है और रचनाकारों को वैश्विक स्तर पर अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के अवसर मिले हैं।

सामाजिक सक्रियता

सोशल मीडिया समकालीन समय में सामाजिक आंदोलनों और सक्रियता का एक प्रभावशाली माध्यम बन गया है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म जलवायु परिवर्तन, नस्लीय न्याय और महिलाओं के अधिकार जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मी टू (MeToo) और ब्लैक लाइव्स मैटर (Black Lives Matter) जैसे वैश्विक आंदोलनों को व्यापक समर्थन मिला, जिससे जनभागीदारी और सामाजिक चर्चाओं को बढ़ावा मिला। डिजिटल मीडिया ने व्यक्तियों को अपने विचार व्यक्त करने और सामाजिक-राजनीतिक विमर्श में भाग लेने के अवसर प्रदान किए हैं, जिससे हाशिए पर स्थित समूहों की आवाज को भी मंच मिला है और जमीनी स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियां मजबूत हुई हैं। हालांकि, 'स्लैक्टिविज़्म' जैसी अवधारणा यह प्रश्न उठाती है कि क्या केवल ऑनलाइन सहभागिता वास्तविक सामाजिक परिवर्तन का पर्याप्त विकल्प हो सकती है।

डिजिटल मीडिया की चुनौतियां और अवसर

यद्यपि डिजिटल मीडिया अनेक अवसर प्रदान करता है, फिर भी यह गोपनीयता, भ्रामक सूचना और डिजिटल लत जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है।

गोपनीयता और डेटा सुरक्षा

ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं द्वारा बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत जानकारी साझा किए जाने के कारण गोपनीयता और डेटा सुरक्षा से संबंधित चिंताएं बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़े पैमाने पर उपयोगकर्ता डेटा का संग्रहण करते हैं, जिससे इसके उपयोग, नियंत्रण और पहुंच को लेकर प्रश्न उत्पन्न होते हैं। फेसबुक-कैंब्रिज एनालिटिका जैसी डेटा उल्लंघन घटनाओं ने इन जोखिमों के प्रति जागरूकता को और बढ़ाया है।

भ्रामक सूचना और फेक न्यूज

भ्रामक सूचना और फेक न्यूज का तीव्र प्रसार डिजिटल मीडिया की एक गंभीर चुनौती है। अप्रमाणित जानकारी चुनावी प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकती है, सामाजिक तनाव बढ़ा सकती है और स्वास्थ्य सम्बंधी गलत धारणाओं को जन्म दे सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकारें, तकनीकी कंपनियां और मीडिया संगठन तथ्य-जांच, एल्गोरिद्मिक सुधार तथा सामग्री नियमन जैसे उपाय अपना रहे हैं।

डिजिटल लत

डिजिटल मीडिया की व्यापकता ने मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न की हैं। विभिन्न अध्ययनों से संकेत मिलता है कि

सोशल मीडिया और डिजिटल उपकरणों का अत्यधिक उपयोग विशेषकर युवाओं में चिंता, अवसाद और नींद सम्बंधी विकारों से जुड़ा हो सकता है। निरंतर सूचनाओं का प्रवाह तथा ऑनलाइन उपस्थिति बनाए रखने का दबाव डिजिटल लत को बढ़ावा देता है, जिससे स्क्रीन टाइम नियंत्रण और डिजिटल संतुलन के प्रति जागरूकता की आवश्यकता बढ़ जाती है।

डिजिटल मीडिया का भविष्य

डिजिटल मीडिया तकनीकी प्रगति के साथ निरंतर विकसित हो रहा है। इसके भविष्य को आकार देने वाले प्रमुख रुझानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग का बढ़ता उपयोग शामिल है, जो सामग्री को उपयोगकर्ता की रुचियों के अनुसार अधिक व्यक्तिगत बनाएगा। साथ ही, वर्चुअल रियलिटी (VR) और ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) का उपयोग मनोरंजन और अनुभव-आधारित मीडिया में बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट डिवाइस और वियरेबल तकनीकों के साथ डिजिटल मीडिया का एकीकरण इसके विकास को नई दिशा प्रदान करेगा। हालांकि, भविष्य में भी डिजिटल मीडिया को गोपनीयता, सुरक्षा और नैतिकता से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे-जैसे प्लेटफॉर्मों का विस्तार होगा, डेटा संग्रहण और उपयोग में अधिक पारदर्शिता तथा सख्त नियमन की आवश्यकता भी बढ़ती जाएगी।

निष्कर्ष

डिजिटल मीडिया ने हमारे संचार करने, सामग्री उपभोग करने और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने के तरीकों को मूल रूप से बदल दिया है। व्यक्तिगत संचार से लेकर व्यावसायिक विपणन और राजनीतिक विमर्श तक, डिजिटल मीडिया का प्रभाव निर्विवाद है। यद्यपि यह नवाचार और संपर्क के अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है, फिर भी यह कई महत्वपूर्ण चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है, जिन पर सावधानीपूर्वक विचार आवश्यक है। जैसे-जैसे डिजिटल मीडिया विकसित होता रहेगा, यह संचार, संस्कृति और वाणिज्य के भविष्य को ऐसे तरीकों से आकार देगा जिन्हें हम अभी पूरी तरह समझना शुरू ही कर रहे हैं।

सन्दर्भ

१. भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय. डिजिटल मीडिया एवं संचार नीति रिपोर्ट्स. https://mib-gov.in
२. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC). ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाएं. https://www.nic.in
३. नीति आयोग, भारत सरकार. डिजिटल इंडिया पहल एवं रिपोर्ट्स. https://www.niti.gov.in
४. कुमार, के. जे. जनसंचार माध्यम और डिजिटल युग. नई दिल्लीरू राधा पब्लिकेशन्स (२०१६).
५. सिंह, आर. डिजिटल मीडिया और भारतीय समाज. दिल्ली : वाणी प्रकाशन (२०२०).
६. मिश्रा, पी. मीडिया अध्ययनरू सिद्धांत और व्यवहार. नई दिल्ली : ओमेगा पब्लिकेशन्स (२०१८).
७. चौधरी, ए. सोशल मीडिया का प्रभाव और चुनौतियां. जयपुर : साहित्य भवन (२०२१).
८. त्रिपाठी, एस. डिजिटल भारत और संचार क्रांति. लखनऊ : प्रज्ञा प्रकाशन (२०२२).

Refereed & Peer Reviewed Research Magazine
RNI-UPHIN/2018/77444 ISSN-2582-1288
त्रैमासिक मूल्य २००
शोधादर्श
संदर्भित एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिक पत्रिका
वर्ष : ८ अंक : ३, जून-अगस्त २०२६
doi.org/10.5281/
इम्पेक्ट फैक्टर(२०२६) : १०.१६
पंजीकृत कार्यालय
शोधादर्श, ए-७, आदर्श नगर, तातारपुर लालू, नजीबाबाद-२४६७६३ ज़िला बिजनौर (उ.प्र.)

संपादकीय कार्यालय/पत्रव्यवहार
शोधादर्श, साईं एंक्लेव, निकट देवता धनौरा, नजीबाबाद-२४६७६३ बिजनौर (उप्र)
https://shodhadarsh.in/

स्वतंत्रता पूर्व हिंदी पत्रकारिता के आलोक में बांग्ला भाषी संपादक एवं प्रकाशक

शोध सारांश

हिंदी पत्रकारिता का जन्म बंगाल में ही हुआ, हिंदी भाषा में प्रथम समाचार पत्र 'उदंत मार्तण्ड' की शुरुआत यहीं से हुई है। यह अलग तथ्य है कि बंगाल चार अन्य भाषाओं - अंग्रेजी भाषा में हिकीज बंगाल गजट और कैलकटा जनरल एडवटाइजर, बांग्ला पत्रकारिता में 'दिग्दर्शन'/ 'बंगाल गजट' उर्दू भाषा में जाम ए जहांनुमा तथा फारसी भाषा में 'मिरात-उल-अखबार', की भी जन्मस्थली है। बंगाल में ही ऐसा क्रांतिकारी प्रयास हो सका इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यहां नवजागरण का प्रारंभ होना है। जातीय वैशिष्ट्य के उन्नयन के लिए ही ऐसे कई बांग्ला भाषी संपादकों एवं प्रकाशकों ने हिंदी पत्रकारिता में अपने आप को समर्पित कर दिया। ऐसे सभी महानुभावों के योगदान को आज भी हिंदी पत्रकारिता का समाज आदर पूर्वक स्मरण करता है। हिंदी पत्रकारिता के प्रति बंगाल हर काल में ही सिर्फ उदार ही नहीं रहा है बल्कि हिंदी पत्रकारिता का उद्धारक एवं समर्थक भी रहा है। यह सर्वविदित है कि अनेक बांग्ला भाषी संपादकों एवं प्रकाशकों ने अथक प्रयास कर हिंदी पत्रकारिता की विरासत को काफी समृद्ध किया है।

बीज शब्द - हिंदी पत्रकारिता, बंगाल, बांग्ला भाषी संपादक, हिंदी साहित्य।

डॉ. अम्बर कुमार चौधरी
सहायक प्राध्यापक
हिन्दी विभाग, रवींद्र भारती विश्वविद्यालय
संपर्क
रवींद्र भारती विश्वविद्यालय, हिन्दी विभाग,
56A, B.T. Road Kolkata - 700050
Mobile No- 9681717106
Email - kumarambar89@gmail.com

शोध प्रविधि

तथ्यों और जानकारियों को व्यवस्थित करके क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषित कर परिणाम को प्राप्त करने का प्रयास हुआ है। साथ ही शोधपत्र को वैज्ञानिक तथा प्रमाणिक बनाने के लिए संदर्भित ग्रन्थों, पत्र-पत्रिकाओं तथा इण्टरनेट की भी सहायता ली गई है।

प्रस्तावना

भारतीय भाषाओं के प्रेस के जनक बांग्लाभाषी राजा राममोहन राय ही थे। भारतीय भाषा में पत्रकारिता के लिए राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का स्तंभ कहा जाता है। उनके प्रयासों से ही १८१८ में 'बंगाल गजट' और १८२० में 'संवाद कौमुदी' तथा बाद में 'मिरातुल अखबार' भी प्रारंभ हुए उन्होंने ताराचन्द दत्त और भवानीचरण बनर्जी के संपादन में बांग्ला भाषा में पहला देशी पत्र ३संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। पत्र-प्रकाशन की मूलदृष्टि को अभिव्यक्त करते हुए राजा राममोहन राय ने लिखा था कि 'मेरा उद्देश्य मात्र इतना ही है कि जनता के सामने ऐसे बौद्धिक निबंध प्रस्तुत करूं जो उनके अनुभव को बढ़ाएं और सामाजिक प्रगति में सहायक सिद्ध हों। मैं अपनी शक्ति-भर शासकों को उनकी प्रजा की परिस्थितियों का सही परिचय देना चाहता हूं।'[1] राजा राममोहन राय ने अपने पत्र 'संवाद कौमुदी' को सती प्रथा के खिलाफ प्रचार के लिए मुख्य हथियार बना लिया। उन्होंने इसे जड़ से खत्म करने के लिए 'संवाद कौमुदी' में ही अभियान छेड़ दिया। 'बंगदूत' की भाषा के सम्बंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि 'राजा साहब की भाषा में एक-आध जगह कुछ बंगलापन जरूर मिलता है, पर उसका रूप अधिकांश में वही है, जो शास्त्रज्ञ विद्वानों के व्यवहार में आता था।'[2] तत्कालीन हिंदी पर ब्रजभाषा का प्रभाव भी 'बंगदूत' की भाषा से दृष्टिगोचर होता है।

विश्लेषण

हिंदी का प्रथम दैनिक 'समाचार सुधावर्षण' एक बंगाली सज्जन श्यामसुंदर सेन के सम्पादन में बड़ाबाजार, कलकत्ता से ८ जून १८५४ ई. में प्रकाशित हुआ था। यह पत्र हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं में सम्मिलित रूप से निकलता था। यह अखबार हिंदी- बांग्ला भाषा सेतु बंधन का अनोखा उदाहरण था। १८५७ के स्वाधीनता संग्राम के तीन वर्ष पहले 'समाचार सुधावर्षण' का प्रकाशन आरम्भ हुआ था। श्यामसुंदर सेन द्वारा 'समाचार सुधावर्षण' का द्विभाषी रूप में यानी हिंदी व बंगला दोनों में साथ-साथ प्रकाशित होना इस बात का प्रमाण है कि बंगालियों में हिंदी के प्रति विशेष झुकाव था और वे इसके महत्व को समझते थे। 'समाचार

सुधावर्षण' ने लगातार ब्रिटिश सेना के अत्याचारों की खबर साहस के साथ प्रकाशित की। २६ मई १८५७ के अंक में अखबार ने लिखा- 'हाल ही में अंग्रेजों ने हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया। अतः ईश्वर उन पर क्रुद्ध है। ऐसा आभास मिलता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का अब अंत आ गया। जब दास मालिक को जवाब देने लगता है तब समझ लो मालिक का अंत निकट है। साम्राज्य पर जब संकट पड़ा तब गवर्नर ने अनेक वायदे किए। लेकिन विद्रोही सेना का उन वायदों पर कोई विश्वास नहीं वे युद्ध को समाप्त करने के पक्ष में नहीं। सच्ची बात तो यह है कि युद्ध में दम आ रहा है। और अनेक क्षेत्रों की जनता सेना में मिल रही है।'[३] इस अखबार के संपादक श्याम सुंदर सेन भारतीय समाचार पत्रों की आजादी के अनन्य सेनानी थे। १८५७ के सिपाही विद्रोह में मीडिया की भूमिका की जब भी चर्चा होगी तो श्याम सुंदर सेन का उल्लेख अनिवार्यतः आएगा। १८५७-५८ के दौरान श्याम सुंदर सेन ने अपनी साहसपूर्ण पत्रकारिता और समाचार सुधावर्षण के संपादकीय लेखों के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता को वह गौरवशाली परंपरा प्रदान की जिसे अंग्रेजों के विरुद्ध साहसपूर्ण सम्पादन का हिंदी पत्रकारिता में मील का पत्थर स्वीकारा जा सकता है।

अमृतलाल चक्रवर्ती लगभग एक दशक तक 'हिंदी बंगवासी' के संपादक बने रहे। 'हिंदी बंगवासी' ने अपने सम्पादन कला तथा हिंदी पत्रकारिता में कई नए प्रयोग किए। समाचारों को विषय और स्थान के अनुसार समायोजित करने की शुरुआत 'हिंदी बंगवासी' ने ही की थी। हिंदी पत्रकारिता के अनेक रत्न 'भारतमित्र' संपादक के रूप में मिले। इसके पहले वैतनिक संपादक पं. हरमुकुंद शास्त्री थे। बाद में क्रमशः रुद्रदत्त शर्मा, अमृतलाल चक्रवर्ती, बाबू बालमुकुंद गुप्त, बाबूराव विष्णु पराड़कर, अंबिका प्रसाद वाजपेयी और पं. लक्ष्मी नारायण गर्दे हुए। 'भारतमित्र' के भाषा के सम्बंध में कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा है- 'यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि हिंदी में परिनिष्ठित गद्य का युग अभी नहीं आया था तथापि उसकी सारी संभावनाएं स्पष्ट हो गई थीं।'[४] अमृतलाल चक्रवर्ती ने मासिक उपन्यास कुसुम, कलकत्ता समाचार, श्री सनातन धर्म, फारवर्ड, निगमभागम चंद्रिका, उपन्यास तरंग और श्रीकृष्ण संदेश पत्रों में भी काम किया। समाचार-पत्रों के मालिकों की मनमानियों को उन्होंने कभी बर्दाश्त नहीं किया। अपने जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आए जब उन्होंने नौकरी को त्यागकर अपने स्वाभिमान की रक्षा की। 'मणिमय' के संपादक राम व्यास पांडेय का कहना था कि यदि अमृतलाल चक्रवर्ती राष्ट्रभाषा हिंदी को छोड़कर अपनी मातृभाषा बांग्ला में लिखते तो बांग्ला भाषी समाज शायद ही उन्हें कभी निर्धन होने देता। अभावों में भी अमृतलाल चक्रवर्ती ने अपनी नैतिकता पर कभी आंच नहीं आने दिया। उन्होंने अपने नीति-सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया, अपनी धारदार लेखन को कभी मद्धिम न पड़ने दिया।

१७ दिसम्बर १८४८ को जन्मे जस्टिस शारदा चरण मित्र बंगाल के ऐसे विद्वान थे जिन्होंने भारत जैसे विशाल बहुभाषा-भाषी और बहुजातीय राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। न्यायमूर्ति शारदाचरण मित्र देवनागरी लिपि के प्रबल समर्थक थे। यह चाहते थे कि समस्त भारतववर्ष में उसी का प्रचार हो। इसी उद्देश्य से १९०५ में 'एक-लिपि-विस्तार परिषद्' नामक सभा स्थापित की, जिसके आप सभापति थे। इसी परिषद् ने १९०७ में एक मासिक 'देवनागर' भी चलाया, जिसमें भारत की विभिन्न भाषाओं के लेख देवनागरी लिपि में रूपांतरित करके प्रकाशित किए जाते थे। इस मासिक में कन्नड़, तेलुगु, बांग्ला आदि की रचनाएं नागरी लिपि में प्रकाशित की जाती थीं। १९०७ से प्रारंभ 'देवनागर' नामक मासिक पत्र कुछ व्यवधान के बावजूद उनके जीवन पर्यन्त यानी १९१७ तक निकलता रहा। शारदा चरण मित्र ने कहा था कि- 'इस समय हमलोग अन्य प्रदेश के साहित्य में प्रायः निपट अनभिज्ञ है, इस समय कितने ही विद्वान बंगाली लोग तुलसीदास के भी प्रबंध नहीं पढ़ सकते। यह क्या सामान्य दुःख की बात है, महाकवि चंद के ग्रंथों की बड़े- बड़े काव्यों के साथ तुलना की जाती है, यह राजपूत लोगों का इलियड है किंतु कितने ही इसे जानते तक नहीं। इधर राजनीतिक विषय को लेकर समस्त भारतवर्ष को आलोहित करने की कामना तो हम करते हैं किंतु आपस की भाषाओं को समझने के लिए कोई प्रचान उपाय करने के विषय में हमलोग कुछ भी चेष्टा नहीं करते।'[५] शारदा चरण मित्र के व्यापक संपादकीय सूझ-बुझ के कारण ही 'देवनागर' की भी दृष्टि काफी व्यापक प्रमाणित हुई।

बंगाल के जिन संपादकों ने हिंदी पत्रकारिता की अप्रतिम सेवा की है उनमें एक प्रमुख नाम रामानंद चट्टोपाध्याय जी का है। रामानंद बाबू ने आर्थिक क्षति के बावजूद हिंदी मासिक 'विशाल भारत' प्रकाशित किया और उसके संपादकों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान किया। रामानंद चट्टोपाध्याय ने १९०१ में इंडियन प्रेस के चिंतामणि घोष के सहयोग से बांग्ला मासिक 'प्रवासी' निकाला। बंग-भंग के समय चले आंदोलन से रामानंद चट्टोपाध्याय खुद को अलग न रख सके। १९०७ में फिर इलाहाबाद आए और मार्डन रिव्यू प्रकाशित करने लगे। मार्डन रिव्यू की गिनती अंग्रेजी संसार के श्रेष्ठ पत्रों में की जाती थी। रामानंद चट्टोपाध्याय ने ही सर्वप्रथम रवींद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी जगत के सम्मुख प्रस्तुत किया। रवींद्रनाथ ठाकुर की पहली अंग्रेजी रचना मार्डन रिव्यू में ही प्रकाशित हुई। अमेरिका के पादरी जे. टी. संडरलैंड की पुस्तक 'इंडिया इन बॉण्डेज' को उन्होंने मार्डन रिव्यू में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। रामानंद बाबू की तीन पुस्तकें 'राजा राममोहन राय', 'आधुनिक भारत' तथा 'स्वशासन' की ओर चर्चित कृतियां रही हैं। रामानंद बाबू कुशल पत्रकार और लेखक ही नहीं, वरन् सच्चे समाजसुधारक भी थे। सन् १९२८ में रामानंद ने हिन्दी मासिक पत्र 'विशाल भारत' प्रकाशित किया। श्रीयुक्त बनारसीदास चतुर्वेदी इसके प्रथम सम्पादक नियुक्त हुए। रामानंद संचालक थे किन्तु उन्होंने सम्पादक को निजी मतामत प्रकाश करने के विषय में सम्पूर्ण स्वाधीनता दे रखी थी। 'विशाल भारत' ने शीघ्र ही हिन्दी मासिक पत्र-पत्रिकाओं में श्रेष्ठ स्थान ग्रहण किया। प्रवासी भारतीयों की हितरक्षा और उनके स्वदेश के सम्बंध की रक्षा के उद्देश्य से यह पत्र प्रकाशित किया गया था। हिन्दी साहित्य क्षेत्र में 'विशाल भारत' बहुत सम्मानित हुआ। इसने कितने ही ख्यातनामा लेखक और कवि उत्पन्न किए। 'विशाल भारत' की ख्याति स्वदेश में ही नहीं, विदेश में भी हुई। 'विशाल भारत' ने जो श्रेष्ठता तथा ऊंचाई अर्जित की उसके पीछे एक कारण यह भी था कि रामानंद बाबू संपादकीय स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करते थे। उनकी इस भूमिका को कभी कमतर करके नहीं देखा जा सकता।

पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के 'बाली' नामक स्थान में १० अगस्त १८५४ में जन्मे बाबू चिन्तामणि घोष की कर्म स्थली प्रयागराज थी। जब वे मात्र १० वर्ष के थे तभी उनके पिता अस्वस्थ हुए और प्रयागराज में ही उनका निधन हो गया। उस समय चिन्तामणि घोष की उम्र मात्र १० वर्ष थी। इस छोटी सी उम्र में परिवार का पूरा बोझ उनके सिर पर आ गया। जब वे मात्र १३ वर्ष के थे तभी उन्होंने जीविकोपार्जन के लिए १० रुपए मासिक पर अंग्रेजी समाचार पत्र 'पायनियर' के ऑफिस में क्लर्क की नौकरी कर ली। चिन्तामणि घोष के भीतर ज्ञान के प्रति अद्भुत ललक थी। कार्य क्षेत्र पर जब भी उन्हें अवसर मिलता, प्रेस के कामों को

जानने का प्रयास करते। सात साल तक 'पायनियर' में काम करने के बाद वे अलग हुए। इसके बाद वे मेटिऑरोलॉजिकल कार्यालय में हेड क्लर्क बने। सौभाग्य से उन्होंने 'पायनियर' में एक क्राउन हैंड प्रेस के बेचे जाने का विज्ञापन देखा और उसे उन्होंने खरीद लिया। इस तरह 'इंडियन प्रेस' की स्थापना एवं उसका पंजीकरण ४ जून १८८४ को हुआ था और प्रेस के लिए पहली मशीन पायनियर प्रेस से खरीदी गई थी। पैंतीस वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा समय प्रेस को ही देने लगे। कुछ ही दिनों बाद इंडियन प्रेस की गणना प्रतिष्ठित प्रेसों में होने लगी। उनकी इस सफलता का कारण था मुद्रण -कला के प्रति उनकी निष्ठा।

१९०० का वर्ष हिंदी पत्रकारिता के लिए युगांतकारी प्रमाणित हुई। इसी वर्ष बांग्ला के मूर्धन्य प्रकाशक चिंतामणि घोष ने 'सरस्वती' का प्रकाशन शुरू किया। इंडियन प्रेस, प्रयाग के मालिक चिंतामणि घोष ने प्रथम सर्वश्रेष्ठ मासिक श्सरस्वती द्वारा और हिंदी के अनेक ग्रंथों को छापकर हिंदी साहित्य की जितनी सेवा की है, उतनी सेवा हिंदी भाषा भाषी किसी प्रकाशक ने शायद ही की होगी। चिंतामणि घोष ने १८८४ में इंडियन प्रेस की स्थापना की और १८९९ में नागरी प्रचारिणी सभा से प्रस्ताव किया कि सभा एक 'सचित्र' मासिक पत्रिका के संपादन का भार ले जिसे वे प्रकाशित करेंगे। नागरी प्रचारिणी सभा ने इसका अनुमोदन तो कर दिया किंतु संपादन का भार लेने में अपनी असमर्थता जताई। अंत में संपादन का भार एक समिति को सौंपने पर सहमति बनी। इस समिति में पांच लोग थे। वे थे बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू राधाकृष्ण दास, बाबू कार्तिक प्रसाद, बाबू जगन्नाथ दास और किशोरीलाल गोस्वामी और इस तरह 'सरस्वती' की योजना को अंतिम रूप मिला। व्यवस्थित सामग्री और सुंदर छपाई के चलते 'सरस्वती' जल्द ही हिंदी जगत में छा गयी। जनवरी १९०० में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। प्रवेशांक के मुखपृष्ठ पर पांच चित्र थे - 'सबसे ऊपर वीणावादिनी सरस्वती का चित्र था। ऊपर बाईं ओर सूरदास और दाई ओर तुलसीदास तथा नीचे बाईं ओर राजा शिव प्रसाद सितारेहिंद और बाबू हरिश्चंद्र के चित्र थे। पत्रिका के नाम के नीचे लिखा रहता था काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अनुमोदन से प्रतिष्ठित पत्रिका के प्रकाशक चिंतामणि बाबू ने पत्रिका का नीति वक्तव्य इस तरह घोषित किया था, परम कारुणिक सर्व शक्तिमान जगदीश्वर की असीम अनुकम्पा ही से ऐसा अनुपम अवसर आकर प्राप्त हुआ है कि आज हम लोग हिंदी भाषा के रसिक जनों की सेवा में नए उत्साह से उत्साहित हो एक नवीन उपहार लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम सरस्वती है। इसके नवजीवन धारण करने का केवल यही मुख्य उद्देश्य है कि हिंदी रसिकों के मनोरंजन के साथ ही भाषा के सरस्वती भंडार की अंगपुष्टि, वृद्धि और यथार्थ पूर्ति हो तथा भाषा सुलेखकों की ललित लेखनी उत्साहित और उत्तेजित होकर विविध भावभरित ग्रंथराज को प्रसव करे।'[६]

१९०३ में इसके संपादन का दायित्व महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाल लिया। इस पत्रिका पर द्विवेदी जी के व्यक्तित्व का काफी असर पड़ा। पत्रिका में जो आठ स्तंभ होते थे, उससे संपादक के व्यक्तित्व की झलक भी मिलती है। सरस्वती में ये स्तंभ होते थे 'साहित्य', 'पुस्तक परिचय', 'आलोचना', 'विवेचन', 'पुरातत्व', 'चरित्र चर्चा', 'विज्ञान' और 'प्रकीर्ण' आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के जरिये पाठकों को नयी से नयी जानकारियां भी दीं। द्विवेदी जी व्याकरण के भी आग्रही थे। 'सरस्वती' के ११ नवंबर १९०५ के अंक में उन्होंने 'भाषा और व्याकरण' शीर्षक लेख में भारतेंदु युग और भारतेंदु मंडल के अनेक लेखकों की भाषा की अशुद्धियों पर प्रकाश डाला। तब बालमुकुंद गुप्त 'भारतमित्र' के संपादक थे। द्विवेदी जी के लेख से वे नाराज हो गये और 'आत्माराम' के नाम से कई लेख लिखकर उन्होंने द्विवेदी जी के लेख का विरोध किया। दोनों संपादकों में 'अनस्थिरता' शब्द को लेकर बहुत वाद विवाद हुआ। विवादों से पाठकों की संख्या भी बढ़ी और जानकारी भी इससे एक और बात का पता चला है कि तबके संपादक एक-एक शब्द स्वर्ण मुद्रा की तरह खर्च करते थे। क्योंकि उसके इस्तेमाल के औचित्य को लेकर अन्य पत्रकार टोक सकते थे। 'सरस्वती' के प्रकाशन के साल भर में ही संपादक मण्डल के स्थान पर जनवरी १९०१ से बाबू श्यामसुंदर दास उसके संपादक हो गए। १९०२ के अंत में बाबू श्याम सुंदर दास ने संपादन करने में असमर्थता जताई और उन्होंने चिंतामणि घोष से नए संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम प्रस्तावित किया। चिंतामणि घोष ने द्विवेदी जी को आमंत्रित किया और द्विवेदी जी ने रेलवे की पौने दो सौ रुपए की पक्की नौकरी छोड़कर इक्कीस रुपए मासिक के वेतन पर 'सरस्वती' के संपादन का दायित्व स्वीकार किया। द्विवेदी जी जितने बड़े लेखक, साहित्यकार और अनुवादक थे, उतने ही श्रेष्ठ संपादक भी बने। इसीलिए उस युग को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने १९०३ के जनवरी महीने में 'सरस्वती' का संपादक बनने के साथ ही उसे ज्ञान के सभी अनुशासनों का खुला मंच बनाया। पत्रिका के संपादन का कार्यभार लेते ही उन्होंने अपने कुछ नियम बनाए- समय की पाबंदी, मालिक का विश्वास पात्र बने रहना, निजी लाभ-हानि की बजाए पाठकों के लाभ-हानि की चिंता तथा न्याय पक्ष पर अडिग बने रहना। वास्तव में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक कुशल उद्यान रक्षक की भांति हिन्दी के साहित्योद्यान को आवश्यकतानुसार काट-छांट कर भाषा, विषय, शैली और व्याकरण की दृष्टि से अभिनव चेतना और स्वच्छंदता के साथ-साथ हिन्दी साहित्य को नवीन रूप में सज्जित कर जन-मानस के समक्ष परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने पूरी कोशिश की कि पूरी पत्रिका एक ही वर्तनी में प्रकाशित हो। द्विवेदी जी ने १९०४ में जब नागरी प्रचारिणी सभा की खोज सम्बंधी रिपोर्ट की आलोचना की तो सभा ने पत्रिका के प्रकाशक चिंतामणि घोष को लिखा कि पत्रिका से सभा का अनुमोदन हटा लिया जाए। चिंतामणि घोष संपादक की स्वतंत्रता के बड़े हिमायती थे। चिंतामणि घोष ने द्विवेदी जी को कुछ कहने से ज्यादा बेहतर सभा से नाता तोड़ना ही समझा।

आरंभ में 'सरस्वती' में केवल ३६ पृष्ठ होते थे और वार्षिक मूल्य ३ रुपया था किन्तु बाद में पृष्ठ संख्या ४० कर दी गई। 'सरस्वती' पत्रिका का मूल्य वही रह गया। पत्रिका का आकार धीरे-धीरे बढ़ता गया और १९१६ में पत्रिका की पृष्ठ संख्या ७२ तक हो गई। इसका वार्षिक मूल्य भी ४ रूपया कर दिया गया। इससे द्विवेदी जी का कार्यभार भी बढ़ता गया और उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। अंत में १९२० में द्विवेदी जी का स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उन्होंने संपादन के दायित्व से ही मुक्त होने की इच्छा व्यक्त की। चिन्तामणि बाबू भी द्विवेदी जी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिन्तित थे। इसलिए उन्होंने द्विवेदी जी के आग्रह को स्वीकार कर लिया। चिन्तामणि घोष द्विवेदी जी के कार्य से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में एक अभूतपूर्व कार्य किया। उन्होंने द्विवेदी जी की पेंशन निश्चित कर दी जो उन्हें जीवन भर मिलती रही। चिन्तामणि घोष आरंभ में केवल मुद्रक थे प्रकाशक होने की उनकी कोई अभिलाषा भी नहीं थी।

रामानंद चटर्जी द्वारा संपादित बांग्ला मासिक पत्रिका 'प्रवासी' तथा अंग्रेजी मासिक 'मॉडर्न रिव्यू'

भी चिन्तामणि घोष के इंडियन प्रेस से ही प्रकाशित होती थी। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर 'प्रवासी' के नियमित पाठक थे। 'प्रवासी' के माध्यम से उन्होंने बाबू चिन्तामणि घोष से संपर्क किया और इसके बाद उनकी भी पुस्तकें इंडियन प्रेस से छपने लगीं। रवीन्द्रनाथ टैगोर की लगभग एक सौ पुस्तकें इंडियन प्रेस से छपीं थीं जिनमें 'गीतांजलि' भी शामिल है। विश्वभारती की स्थापना के बाद जुलाई १९२३ में जब विश्वभारती में प्रकाशन विभाग खुला तो रवीन्द्रनाथ टैगोर के आग्रह पर चिन्तामणि घोष ने इंडियन प्रेस से छपी सभी पुस्तकों की कॉपीराइट विश्वभारती को सौंप दिया ताकि उसका लाभ विश्वभारती को मिल सके। 'देशदूत', 'हल', 'सरस्वती', 'बालसखा', 'अभ्युदय', 'मंजरी', 'विज्ञान जग' जैसी पत्रिकाएं भी इंडियन प्रेस से छपती थीं। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए पाठ्य-पुस्तकें, रामायण, महाभारत, विद्यासागर की जीवनी आदि चिंतामणी घोष के प्रेस से ही प्रकाशित हुई थी। अयोध्यानरेश ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ 'रस कुसुमाकर' इंडियन प्रेस में ही छपवाया था। भारत में जब सबसे पहले १९१९ में हिन्दी में एम.ए. की पढ़ाई कलकत्ता विश्वविद्यालय में आरंभ हुई तो विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी के अनुरोध पर चिन्तामणि घोष ने उनके लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार कराई थीं। १९२८ में बाबू चिन्तामणि घोष का निधन हो गया। चिन्तामणि घोष का योगदान हिंदी पत्रकारिता में एक मील का पत्थर है। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिसंबर १९२० में 'सरस्वती' से विदाई ली। उनका अंतिम संपादकीय 'संपादक की विदाई' शीर्षक से जनवरी १९२१ की 'सरस्वती' में छपा। उसमें द्विवेदी जी ने लिखा, 'सरस्वती को निकलते पूरे २१ वर्ष हो चुके। जिस समय उसका आविर्भाव हुआ था, उस समय हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य की क्या दशा थी, यह बात लोगों से छिपी नहीं है। जिन्होंने उस समय को भी देखा है और जो इस समय को भी देख रहे हैं। सरस्वती के आकार-प्रकार उसके ढंग और लेखन शैली आदि को लोगों ने बहुत पसंद किया- अच्छी मासिक पुस्तक में जो गुण होने चाहिए, उसका शतांश भी मुझमें नहीं।... इसी टिप्पणी में द्विवेजी जी ने चिंतामणि घोष के बारे में लिखा था, ष्मैं सेवा का अर्थ अच्छी तरह जानता हूं। अतएव मैं कह सकता हूं कि मैंने सेवा भाव से प्रेरित होकर सरस्वती का संपादन नहीं किया। हिंदी की सेवा मैंने तो नहीं, चिंतामणि घोष ने अवश्य की है। जन्मभूमि उनकी बंगदेश है और मातृभाषा बांग्ला। यदि उनमें उदारता की मात्रा इतनी अधिक न होती तो सरस्वती का विसर्जन कभी का हो गया होता।'[७] सरस्वती १९७५ तक निकलती रही।

अरविंद घोष और विपिनचंद्र पाल के संपादन में 'वंदे मातरम' ने जातीय चेतना को प्रखर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। १९०५ से १९१८ तक का समय स्वाधीनता संग्राम का तिलक युग माना जाता है। दोनों महानुभूतियों ने अपने अपने पत्रों के माध्यम से भारतीय जनमानस में राष्ट्रीय स्वर को मजबूत किया। उनकी पहुंच हिंदी जनमानस तक भी बहुत ही प्रभावी तरीके से पहुंच सकी। स्वाधीनता आंदोलन और सामाजिक जागरण के लिए उनके पत्रों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इन पत्रों ने भाषाई सेतु का भी कार्य किया और आम जन के मस्तिष्क में देशभक्ति और राष्ट्र-प्रेम के स्वर को और अधिक बल प्रदान किया। १९२३ में 'मतवाला' का प्रकाशन शुरू हुआ। 'मतवाला' ने एक बड़े अभाव को पूरा किया। मतवाला को एक प्रगतिशील साहित्य पत्र के रूप में याद किया जाता है। निराला, मुंशी नवजादिकलाल और आचार्य शिवपूजन सहाय इसके संपादक मंडल में थे। १९२३ में 'मर्यादा' का भी प्रकाशन हुआ। इसका संपादन पहले कृष्णकांत, बाबू सम्पूर्णानंद और मुंशी प्रेमचंद ने किया। इस वर्ष के सबसे प्रभावशाली पत्रों में 'मतवाला' था।

निष्कर्ष

इस तरह हम देखते हैं कि हिंदी पत्रकारिता के उत्थान में उसके उद्भव काल से ही बांग्ला भाषी संपादक एवं प्रकाशक अपना योगदान दे रहे हैं। वर्तमान समय भी इससे अछूता नहीं है परंतु हिंदी पत्रकारिता जब अपना आकार ग्रहण कर रही थी तथा अपने लिए एक स्थान निर्मित कर रही थी साथ ही हिंदी पत्रकारिता जब मिशन की पत्रकारिता थी और अपने स्वर्णकाल का समय व्यतित कर रही थी ऐसे समय में सभी बंगाल की भूमि ने और बांग्ला भाषी पत्रकारों, लेखकों और संपादकों ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है।

संदर्भ

१. हिंदी पत्रकारिता : जातीय चेतना और खड़ी बोली साहित्य की निर्माण-भूमि, कृष्ण बिहारी मिश्र, भारतीय ज्ञानपीठ, संस्करण-२००४, पृष्ठ २८
२. शुक्ल, आचार्य रामचन्द्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण - २००२, पृष्ठ-३०९
३. अनुजा, डा. मंगला, भारतीय पत्रकारिताः नींव के पत्थर, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, संस्करण- १९९६, पृष्ठ-७२
४. मिश्र, कृष्णबिहारी, हिंदी पत्रकारिता, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, सातवां संस्करण-२०११, पृष्ठ-१३८
५. हिंदी पत्रकारिता : जातीय चेतना और खड़ी बोली साहित्य की निर्माण-भूमि, कृष्ण बिहारी मिश्र, भारतीय ज्ञानपीठ, संस्करण-२००४, पृष्ठ ३३१
६. अनुजा, डॉ. मंगला, भारतीय पत्रकारिताः नींव के पत्थर, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, संस्करण- १९९६, पृष्ठ-२१५-२१६
७. https://www.hindisamay.com/content/6578/1/लेखक कृपाशंकर चौबे का लेख हिंदी पत्रकारिता को सींचनेवाले बांग्लाभाषी मनीषी.cspx

Refereed & Peer Reviewed Research Magazine
RNI-UPHIN/2018/77444 ISSN-2582-1288
त्रैमासिक मूल्य २००
शोधादर्श
संदर्भित एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिक पत्रिका
वर्ष : ८ अंक : ३, जून-अगस्त २०२६
doi.org/10.5281/
इम्पेक्ट फैक्टर(२०२६) : १०.१६
पंजीकृत कार्यालय
शोधादर्श, ए-७, आदर्श नगर, तातारपुर लालू, नजीबाबाद-२४६७६३ ज़िला बिजनौर (उ.प्र.)
संपादकीय कार्यालय/पत्रव्यवहार
शोधादर्श, साईं एंक्लेव, निकट देवता धनौरा, नजीबाबाद-२४६७६३ बिजनौर (उप्र)
https://shodhadarsh.in/

स्वतंत्रता की संघर्ष गाथा में पत्रकारिता की भूमिका

डॉ. संध्या सिंह
प्रोफेसर
रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग
डी.ए.वी. कालेज, कानपुर।

डॉ. अजय कुमार सिंह
प्रोफेसर
रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग
पी.पी.एन. (पी.जी.) कालेज, कानपुर।

साहित्य की भांति पत्रकारिता भी समाज एवं राष्ट्र की गतिविधियों का दर्पण है। पत्रकारिता एक अत्यंत ही व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत दैनिक समाचार पत्रों से लेकर साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक पत्र-पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन तथा जनसम्पर्क से सम्बंधित विभिन्न संचार माध्यम (मीडिया) समाविष्ट होते हैं। यह अभिव्यक्ति का एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो समाज की प्रत्येक गतिविधि को गहराई से प्रभावित करता है। पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र जागृति का सशक्त माध्यम है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जो राष्ट्र जितनी उन्नत अवस्था में होता है निःसंदेह उसे उस ओहदे तक पहुंचाने में पत्रकारिता की प्रमुख भूमिका होती है। विकसित, विकासशील और अविकसित राष्ट्रों की श्रेणी को भी इस आइने में देखा जा सकता है। पत्रकारिता समाज एवं राष्ट्र की वाणी और मस्तिष्क है। वस्तुतः समय और सामाजिक संदर्भ में सचेत रहकर दायित्वबोध कराने की कला ही पत्रकारिता है।

भारतीय पत्रकारिता अपनी विकास यात्रा की दो शताब्दियां पार कर, तीसरी शताब्दी में प्रवेश कर चुकी है। उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ से ही अपनी समग्र गरिमा और निष्ठा के साथ अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य के लिए जूझती हुई स्वस्थ लोकतंत्रीय जीवन-मूल्यों के संपोषण-संरक्षण, राष्ट्रीय चेतना और विभिन्न प्रवृत्तियों के उन्नयन में पत्रकारिता की सतत् जागरुकता अभिनंदनीय है। स्वातंत्र्यपूर्व की पत्रकारिता एक 'मिशन भावना' से चलती थी। मिशन को पूरा करने में पत्रकार, सम्पादक जी जान से लगे रहते थे। उस समय के पत्रकारिता का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय तथा जागृति मूलक था। लेकिन यह कार्य आसान नहीं था। शुरू से ही पत्रकारिता पर सरकार की कड़ी निगाह थी। जिसका नतीजा यह हुआ कि पत्र-पत्रिकाएं आरम्भ हुईं लेकिन सरकार के प्रतिबंधों के कारण बंद भी होती गयीं। वैसे आर्थिक अभाव भी एक बहुत बड़ा कारण था। कई सम्पादक तथा पत्रकारों के घर तक नीलाम हो गये। सम्पादक को धन कमाने में इच्छा नहीं थी। वस्तुतः धन कमाने के उद्देश्य से पत्रकारिता की तरफ कोई बढ़ा ही नहीं था। उस समय पत्रकारिता निष्काम भाव से की गयी सेवा थी। यह एक ऐसी सेवा थी जिसमें पत्रकारों को तपस्वी सा जीवन बिताना पड़ता था। पत्रकारिता का उस वक्त का इतिहास अद्भुत संघर्ष, त्याग तथा बलिदान का इतिहास रहा है।[1]

इस काल की पत्रकारिता जन सामान्य की पत्रकारिता थी। सामान्य जनता की आवाज उठाना तथा उन्हें उचित न्याय दिलाने का कठिन कार्य पत्रकारिता ही कर रहा था। उस समय की वैचारिक क्रांति को जन्म देने का श्रेय पत्रकारिता को ही जाता है। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, पं. ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, एनीबेसेंट, सुरेन्द्र नाथ बेनर्जी एवं गांधी जी के विचारों का प्रचार-प्रसार पत्रकारिता के जरिये ही हुआ। अतः उस समय के बुद्धिजीवी वर्ग को जन्म देने का श्रेय पत्रकारिता को ही जाता है। स्वातंत्र्यपूर्व काल की पत्रकारिता के बारे में डॉ. धर्मवीर भारती ने लिखा है कि स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता की परम्परा और भी परवान चढ़ती गई। वह चाहे क्रान्तिकारियों का सशस्त्र आन्दोलन हो या गांधी जी का सत्याग्रह - ये अखबार उनके माध्यम से जन जागरण के अग्रदूत थे। रोज जमानत मांगी जाती थी, रोज-रोज पुलिस छापे मारती थी, सम्पादक का एक पॉव जेल में रहता था। सम्पादक और पत्रकार जनता के आदमी थे और अखबार तब रोजगार से ज्यादा विचार का वाहक था।[2]

डॉ० अर्जुन तिवारी के शब्दों में पत्रकारिता के विकास की यह कहानी संघर्षपूर्ण थी। पत्र प्रकाशन के पथ पर पग-पग पर कांटे बिछे हुए थे। अभिव्यक्ति के अन्य साधनों की भांति संघर्ष के उस युग में पत्रकारिता के प्रति भी गौरांगशाही अत्यंत क्रूर रहे।

निरन्तर अग्नि परीक्षाओं के उस विकट दौर से घिरे रहने के बावजूद पत्रकारिता ने अपने भीतर एक ऐसे चरित्र का निर्माण किया जो आक्रमण का उतना ही सशक्त साधन रहा, जितना कि आत्मरक्षा का। यही कारण था कि सन् १९२० से १९४६ तक पत्रकारिता की भाषा समर्पण और विनय की अभिव्यक्ति न होकर आग और शोलों से भरी हुई एक सशक्त कथा बन गई थी। सरकारी नीति का कुत्सित रूप भयावह था। समय-समय पर प्रकाशित सरकारी रिपोर्टों से ज्ञात होता है कि अनायास ही सम्पादकों को चेतावनी देना, पत्रों को जब्त कर लेना या प्रेस को तहस-नहस कर देना उच्चाधिकारियों की हाबी थी।[३]

स्वतंत्रतापूर्व काल में पत्रकारिता केवल देश-प्रेम के संस्कार ही जनता को नहीं सिखा रही थी, वह स्वतंत्रता के लिए सचेत भी कर रही थी। भारत का क्रांतिकारी आन्दोलन बंदूक और बम के साथ नहीं, समाचार पत्रों के साथ शुरू हुआ। स्वतंत्रता आन्दोलन में पत्रकारों के योगदान का इतिहास वस्तुतः स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास है क्योंकि या तो पत्र का सम्पादक स्वयं स्वतंत्रता का नेता हो गया अथवा अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्र निकालना आवश्यक समझा। जब तक राष्ट्रप्रेम का यह मूल्य पत्रकारिता में शीर्षस्थान पर रहता है, तब तक मुझे लगता है पत्रकारिता अत्यधिक निर्भीक, सत्यवादी और व्यावसायिकता से दूर रहती है। देश की चिन्ता करने वाले किसी भी पत्रकार ने अपने स्वार्थ की कभी कोई चिन्ता नहीं की। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद भी तिलक जी जैसा पत्रकार शान्ति से 'केशरी' के अग्रलेख लिख सकता था और कई-कई बार प्रेस की नीलामी होने की नौबत आने पर भी 'प्रभाकर जी' जैसे पत्रकार देश को सही रास्ता बताने से बाज नहीं आते थे।

स्वातंत्र्य युद्ध के वातावरण का प्रभाव पत्रकारिता पर व्यापक रूप से पड़ा। फलस्वरूप इस युग की पत्र-पत्रिकाओं में नये जीवन मूल्यों एवं आदर्शों की स्थापना हुई। पत्रकारिता जब तक राष्ट्र के लोगों के सुख-दुखों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है, तब तक वह सार्थक रहती है। उसके लिए राष्ट्र प्रेम का अर्थ होता है, राष्ट्र के लिए सदैव विकास के रास्तों को ढूंढते रहना। स्वर्गीय पराडकर जी ने 'आज' के प्रथम अग्रलेख में यही बात कही थी, उन्होंने लिखा था- हमारा उद्देश्य अपने देश के लिए सर्वप्रकार के स्वातंत्र्य उपार्जन है, हम इस बात में स्वतंत्र्य होना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम अपने देश का गौरव बढ़ायें, अपने देशवासियों में स्वाभिमान का संचार करें। यह स्वाभिमान और स्वतंत्रता देश की उपासना करने से मिलता है। जब हममें आत्मगौरव होगा तब अन्य लोग भी आदर और सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। मूल तत्व तो हमारा यही है कि हमारे देश का गौरव बढ़े और भारत का नाम संसार में आदर के साथ लिया जाए।[४]

सभ्यता के विकास के साथ-साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक विकास हुआ। निःसंदेह पत्रकारिता मनुष्य, समाज, सभ्यता और राष्ट्र के विकास का सूत्रधार है। चौथे स्तम्भ के रूप में पत्रकारिता के उदय से पूर्व लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुचारु रूप से चलने के लिए तीन स्तम्भों विधायिका (व्यवस्थापिका), कार्यपालिका और न्यायपालिका का होना आवश्यक था। केन्द्रीय व्यवस्था अथवा राज्यों में सुशासन स्थापित करने एवं गति देने के उद्देश्य से व्यवस्थापिका अनेक नियम बनाती है। इन सभी नियमों का उद्देश्य जनकल्याण करना और सरकारी तंत्र को स्थितरता एवं शक्ति देना होता है। कार्यपालिका का दायित्व है कि व्यवस्थापिका ने जो भी नियम बनाये हैं। उनका अनुपालन करे तथा उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करे। न्यायपालिका का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित अधिनियमों के सम्बंध में उत्पन्न संवैधानिक अथवा कानूनी भ्रांतियों का निराकरण करना, नियमों के गुण-दोषों का विश्लेषण कर उनके औचित्य पर उठाये गए प्रश्नों को सुलझाना, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर अंकुश लगाकर उसको निरंकुश होने के दोष से मुक्त रखना तथा कार्यपालिका द्वारा कतिपय कानूनों के अनुपालन से किसी व्यक्ति या समूह के अधिकारों का हनन होने पर उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना है।[५]

पत्रकार का पथ कंटकाकीर्ण होता है। इस कंटकाकीर्ण पथ पर चलते हुए उसमें नानाविध संघर्षों को झेलने की अद्भुत शक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रेस की इस शक्ति को तो शताब्दियों पूर्व पराधीन भारत में विदेशी हुकूमत ने भी महसूस कर लिया था। पराधीनता के दौर में भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की संघर्ष गाथा, इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर अंकित है। सन् १९१४ का वर्ष विश्व इतिहास की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। इस वर्ष प्रथम विश्व युद्ध की आग में सम्पूर्ण संसार झुलसने लगा। सभी का ध्यान युद्ध एवं उससे सम्बंधित गतिविधियों पर केन्द्रित होता चला गया। वास्तविक स्थिति जानने की स्वाभाविक उत्कंठा जन-जन के हृदय में पनपने लगी। जानकारी देने का यह कार्य समाचार पत्रों द्वारा ही संभव हो सकता था लेकिन सरकार ने सूचना स्त्रोतों को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप लागू कर दी। समाचार पत्रों में सेंसर से स्वीकृत समाचार आदि ही छप सकते थे। युद्ध के समय समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई। इस समय तक सरकार के पास प्रेस को नियंत्रित करने के लिए अनेक कानून थे। किन्तु किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सन् १९१५ में सरकार ने 'भारत सुरक्षा अधिनियम' जारी किया। कड़ी सेंसर व्यवस्था के कारण समाचार-पत्रों को समाचार प्राप्त करने में भारी कठिनाई होने लगी।

इण्डियन ईयर बुक १९१७ के अनुसार १९१५ में प्रेस एसोसिएशन ऑफ इण्डिया की स्थापना की गई जिसका मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक कानूनों से देश के प्रेस की रक्षा करना तथा कानूनों व व्यवस्थापिका द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता का हनन या प्रशासनिक सत्ता द्वारा पत्रकारों और प्रेस मालिकों के स्वतंत्र कार्यों में हस्तक्षेप को रोकना था। सन् १९१६ में लार्ड चैम्सफोर्ड वॉयसराय बने। इन्हें भी अपने शासनकाल में उग्र राष्ट्रीय आन्दोलन का सामना करना पड़ा। सन् १९१८ में केन्द्रीय प्रचार व्यूरो की स्थापना की गई। इस व्यूरो के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जो मुख्यतः युद्ध से सम्बंधित थीं, प्रेस जगत को दी जाती थीं। डॉ० सुशीला अग्रवाल ने इसके कार्यों का विवेचन करते हुए लिखा है कि यह प्रचार बोर्ड पेम्फलेट्स, लीफलेट्स आदि जारी करता था एवं व्याख्यानों का आयोजन करता था। इस बोर्ड की नीति प्रकाशित हो रहे समाचार पत्रों तथा समाचार समितियों से सहयोग करना था न कि नये पत्रों की स्थापना। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया था कि विभिन्न विचारों के समाचार पत्रों का प्रचार अभियान में सहयोग इस बोर्ड की प्रमुख विशेषता थी।[६]

आने वाले समय में प्रेस राष्ट्रीय परिस्थितियों की दर्पण बनी। विदेशी शक्तियों को बाहर निकालने के लिए प्रारम्भ किये गये विभिन्न आन्दोलनों का इसने समर्थन किया। विभिन्न प्रान्तों से समाचार पत्रों के प्रकाशन में तेजी आई। 'लीडर', 'हरिजन', 'सरस्वती' एवं 'विशाल भारत' आदि अनेक ऐसे पत्र थे जिन्होंने राष्ट्रीयता तथा जनहित का प्रबल समर्थन किया। इन समचार पत्रों के माध्यम से हम तत्कालीन समाज में पनपती राजनैतिक- सामाजिक चेतना के दर्शन कर सकते हैं तथा वैचारिक परिपक्वता से भी परिचित होते हैं। गांधी जी के राजनीति में प्रवेश के साथ ही एक नये युग को हम

देखते हैं जिसे पत्रकारिता ने भी सुन्दर ढंग से जनसामान्य के समक्ष प्रस्तुत किया। राष्ट्र की विभिन्न समस्याओं के प्रति इस समय पत्र-पत्रिकाएं पूर्णतः जागरुक थीं तथा निर्भीकता व मिशनरी भाव से अपनी बात कहती थीं। गांधी के असहयोग आन्दोलन तथा सत्याग्रह का भी अनेक समाचार पत्रों ने समर्थन किया। वहीं एंग्लो इण्डियन प्रेस ने इन आन्दोलनों की आलोचना की।[७]

२ अप्रैल, १६३२ को विदेश सम्बंध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में ऐसे प्रकाशनों को दंडित करने का प्रावधान था जो ऐसे सामग्री प्रकाशित करते हों जिनसे विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। इस अधिनियम के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि जहां भारतीय दण्ड संहिता के २१वें अध्याय के अधीन कोई अपराध भारत की सीमा के बाहर समीपवर्ती राज्य के शासन अथवा उसके किसी करीबी के विरुद्ध किया जाता, उस अवस्था में कौंसिल स्थित गवर्नर जनरल इस प्रकार के अपराध की लिखित शिकायत कर सकता था। ऐसी स्थिति में कोई भी अदालत, जो इस प्रकार के अपराधों की सुनवाई कर सकने में अधिकृत हो, ऐसी शिकायतों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही कर सकती थी। कोई भी पुस्तक, समाचार पत्र तथा कोई अन्य मसविदा, जिसमें इस प्रकार की अपमानजनक सामग्री हो, जिससे ब्रिटिश सरकार तथा इस प्रकार के राज्य के पारस्परिक सम्बंधों पर प्रभाव पड़ने का डर हो, उसे विद्रोहात्मक साहित्य की श्रेणी में रखा जा सकता था।[८]

देशी राज्यों के प्रशासन पर ब्रिटिश भारत के समाचार पत्रों के अकारण आक्रमणों को रोकने तथा भारतीय रियासतों में असंतोष फैलाने वाले समूहों तथा प्रदर्शनकारियों को दंडित करने के उद्देश्य से १६३४ में भारतीय राज्य (सुरक्षा) अधिनियम पारित एवं लागू किया गया। इन सभी कानूनों के मूल में प्रेस की स्वतंत्रता को कुंठित करने का प्रयास था। ब्रिटिश सरकार ने प्रेस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी, किन्तु इन विपरीत परिस्थितियों में भी पत्रकारों ने अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी और पूरे समर्पण भाव से राष्ट्रीय जीवनधारा से जुड़े रहकर संघर्ष करते रहे। इतने प्रहारों और संघर्षों के बावजूद भी भारतीय प्रेस ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की कटु आलोचना की तथा जनता को उनके अधिकारों का बोध कराते हुए स्वतंत्र भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार कड़े संघर्ष के बाद अंततः १५ अगस्त, १६४७ को भारत स्वतंत्र हुआ।[६]

वस्तुतः राष्ट्रीय आन्दोलन में पत्रकारिता एक मिशन के रूप में विकसित हुई थी। प्रायः सभी पत्रकार राजनेता और स्वतंत्र नेता थे और उनके मानस को उद्वेलित करने वाली स्वातंत्र्य भावना ने उनकी लेखनी को पत्रकारिता की ओर मोड़ दिया था। पत्रकारिता ने भारतीय जनता के साथ समान्तर रूप से स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया और ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय आन्दोलन में तेजी आती गई त्यों-त्यों पत्रकारिता उग्र होती गई। यद्यपि पत्रकारिता पर प्रहार तो 'उदन्त मार्तण्ड' से ही हो गया था, लेकिन 'स्वराज्य' तक पहुंचते-पहुंचते ब्रिटिश शासकों की कुटिल नीतियों का सर्वाधिक आघात पत्रकारिता को ही पहुंचा। स्वतंत्रता के पूर्व पूरे भारत में अंग्रेजी पत्रकारिता स्वामिभक्ति और हिन्दी पत्रकारिता देश भक्ति का पर्याय बन चुकी थी। भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में उस समय के समाचार पत्रों ने यदि लोकमत को जागृत करने का कार्य न किया होता तो भारत का स्वतंत्रता आन्दोलन इतना सशक्त न हो पाता। उस समय का कोई भी पत्र ऐसा नहीं था, जिनमें अंग्रेजी हुकूमत की ज्यादतियों का चित्रण न हो। सभी भारतीय समाचार पत्र 'स्वाधीनता मिशन' से प्रेरित थे। वह देश को राजनैतिक रूप से गुलाम नहीं रखना चाहते थे। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिसमें पत्रकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही।

संदर्भ

१. जीवन साहित्य (मसिक पत्रिका) अक्टूबर १६७६, बनारसी चतुर्वेदी विशेष भेंटवार्ता, पष्ठ ४०३
२. डॉ. अर्जुन तिवारी, स्वतंत्रता आन्दोलन और हिन्दी पत्रकारिता, विश्वविद्यालय प्रकाशन, संस्करण १६८२, पृष्ठ १६६
३. डॉ. मृदुला वर्मा, हिन्दी की सर्वोदय पत्रकारिता, विद्या प्रकाशन, कानपुर, संस्करण, १६६३, पृष्ठ ५७
४. महाराष्ट्र मानस - सम्पादकाचार्य पराडकर विशेषांक, २५ नवम्बर, १६८३, पृष्ठ ४८
५. डॉ. सुजाता वर्मा, पत्रकारिता प्रशिक्षण एवं प्रेस विधि, आशीष प्रकाशन, कानपुर द्वितीय संस्करण (संशोधित एवं परिवर्धित) २००६, पृष्ठ १५६-१५७
६. डॉ. संजीव भानावत प्रेस कानून और पत्रकारिता, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, प्रथम संस्करण २०००, पृष्ठ २६-३०
७. वही, पृष्ठ ३०-३१
८. विद्याधर महाजन तथा सावित्री महाजन, ब्रिटिश कालीन भारत का इतिहास, एस० चांद एण्ड कंपनी, नई दिल्ली, संस्करण १६७५, पृष्ठ ५१७
६. डॉ. संजीव भानावत प्रेस कानून और पत्रकारिता, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, प्रथम संस्करण-२००, पृष्ठ ३४-३५

Refereed & Peer Reviewed Research Magazine
RNI-UPHIN/2018/77444 ISSN-2582-1288
त्रैमासिक मूल्य २००
शोधादर्श
संदर्भित एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिक पत्रिका
वर्ष : ८ अंक : ३, जून-अगस्त २०२६
doi.org/10.5281/
इम्पेक्ट फैक्टर(२०२६) : १०.१६
पंजीकृत कार्यालय
शोधादर्श, ए-७, आदर्श नगर, तातारपुर लालू, नजीबाबाद-२४६७६३ ज़िला बिजनौर (उ.प्र.)
संपादकीय कार्यालय/पत्रव्यवहार
शोधादर्श, साईं एंक्लेव, निकट देवता धनौरा, नजीबाबाद-२४६७६३ बिजनौर (उप्र)
https://shodhadarsh.in/

ग्रामीण विकास में महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण की भूमिका : उन्नत भारत अभियान के संदर्भ में एक अध्ययन

सारांश

ग्रामीण विकास किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार होता है, विशेषकर भारत जैसे विकासशील देश में जहां अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। प्रस्तुत शोध पत्र में महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण के मध्य सम्बंध का विश्लेषण किया गया है तथा यह समझने का प्रयास किया गया है कि इन दोनों के समन्वित प्रयासों से किस प्रकार ग्रामीण विकास को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। इस अध्ययन के अंतर्गत उन्नत भारत अभियान (UBA) के तहत चयनित ग्राम में महिलाओं की भागीदारी, पर्यावरणीय गतिविधियों में उनकी भूमिका, तथा उनके माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि जब महिलाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर दिया जाता है, तो वे न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समुदाय में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होती हैं। परिणामस्वरूप स्वच्छता, जल संरक्षण, वृक्षारोपण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। यह शोध इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के संयुक्त प्रयास ग्रामीण विकास को अधिक प्रभावी, समावेशी एवं सतत बना सकते हैं।

मुख्य शब्द (Keywords) - महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास, सतत विकास, सामुदायिक सहभागिता, उन्नत भारत अभियान

सोनिका चौहान
कॉलेज - सेंट जेवियर टीचर्स ट्रेंनिंग कॉलेज
E-mail-sonikachouhan1978@gmail.com

परिचय (Introduction)

ग्रामीण विकास किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नति का आधार होता है। भारत जैसे देश में, जहां लगभग ६५% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, वहां ग्रामीण विकास का महत्व और भी बढ़ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। महिलाएं केवल परिवार की देखभाल तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि वे कृषि, पशुपालन, जल प्रबंधन, स्वच्छता एवं अन्य सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय योगदान देती हैं।

वर्तमान समय में पर्यावरणीय समस्याएं जैसे- जल संकट, वनों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और स्वच्छता की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में भी गंभीर रूप ले चुकी हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है, जिसमें महिलाओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है।

उन्नत भारत अभियान (UBA) के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़कर विकास की प्रक्रिया को गति दी जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा गांवों में जाकर जागरूकता, प्रशिक्षण और विकासात्मक गतिविधियां संचालित की जाती हैं।

इस शोध का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के बीच सम्बंध को समझना तथा यह विश्लेषण करना है कि इन दोनों के समन्वित प्रयासों से ग्रामीण विकास को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है।

अध्ययन के उद्देश्य (Objectives)

इस शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
- पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियों का विश्लेषण करना।
- महिलाओं की भागीदारी के प्रभाव का मूल्यांकन

करना।

- ग्रामीण विकास में महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण के योगदान को समझना।

शोध पद्धति (Methodology)

यह अध्ययन वर्णनात्मक (Descriptive) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical) शोध पद्धति पर आधारित है।

अध्ययन क्षेत्र

उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत चयनित ग्राम (जैसे- सुल्तानिया/उंट का खेड़ा) को अध्ययन के लिए चुना गया।

नमूना चयन (Sample Selection)

अध्ययन के लिए ५० परिवारों का चयन किया गया, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग एवं सामाजिक पृष्ठभूमि की महिलाओं को शामिल किया गया।

आंकड़े संग्रह के स्रोत

(क) प्राथमिक आंकड़े (Primary Data)-

प्रश्नावली

साक्षात्कार

समूह चर्चा

अवलोकन

(ख) द्वितीयक आंकड़े (Secondary Data)-

सरकारी रिपोर्ट

शोध पत्र

पुस्तकों एवं अन्य साहित्य

आंकड़ों का विश्लेषण (Data Analysis)

संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत विधि द्वारा किया गया तथा परिणामों को सारणी एवं ग्राफ के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।

सांख्यिकीय विश्लेषण तालिका

गतिविधि	पहले (%)	बाद में (%)
महिला भागीदारी	३५%	५०%
स्वच्छता जागरूकता	४०%	६५%
जल संरक्षण समझ	३०%	५५%
वृक्षारोपण सहभागिता	४०%	७०%

विश्लेषण

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि सभी क्षेत्रों में २०-३५% तक सुधार हुआ है। यह दर्शाता है कि जागरूकता कार्यक्रमों एवं महिला सहभागिता से सकारात्मक परिवर्तन संभव है।

प्रमुख गतिविधियां (Major Activities)

अध्ययन के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की गईं :

- महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम
- स्वच्छता एवं स्वास्थ्य अभियान
- वृक्षारोपण कार्यक्रम
- जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन प्रशिक्षण
- ग्रामीणों के साथ संवाद एवं समस्या समाधान

इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाना एवं उन्हें विकास प्रक्रिया में सहभागी बनाना था।

परिणाम (Findings)

अध्ययन से निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष प्राप्त हुए-

- महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे के पूरक हैं।
- महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी।
- जल संरक्षण के प्रति सकारात्मक व्यवहार विकसित हुआ।
- वृक्षारोपण गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी देखी गई।

महिलाएं अपने दैनिक जीवन में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती हैं, इसलिए वे उनके संरक्षण के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं।

यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि यदि महिलाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण एवं निर्णय लेने का अवसर दिया जाए तो वे समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती हैं।

महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक एवं पर्यावरणीय विकास का भी महत्वपूर्ण आधार है। उन्नत भारत अभियान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाई जा सकती है तथा महिलाओं को विकास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जोड़ा जा सकता है।

निष्कर्ष (**Conclusion**)

इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण ग्रामीण विकास के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।

इन दोनों के समन्वित प्रयासों से -

- सतत विकास को बढ़ावा मिलता है
- सामाजिक एवं आर्थिक विकास संभव होता है
- पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जा सकता है
- महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी एवं प्रभावी परिवर्तन लाया जा सकता है।

सुझाव (**Suggestions**)

- महिलाओं के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
- पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों को निरंतर बढ़ावा दिया जाए।
- जल संरक्षण के लिए स्थानीय योजनाएं विकसित की जाएं।
- सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाए।
- महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

संदर्भ (References)

१ - भारत सरकार (२०२१). उन्नत भारत अभियान : दिशानिर्देश। शिक्षा मंत्रालय।

२ - ग्रामीण विकास मंत्रालय (२०२२). वार्षिक प्रतिवेदन २०२१-२२।

३ - संयुक्त राष्ट्र (२०१५). सतत विकास हेतु २०३० एजेंडा।

४ - WHO (२०१६). स्वस्थ पर्यावरण, स्वस्थ लोग।

५ - भारत की जनगणना (२०११)।

६ - अग्रवाल, बिनोद (२०१०). Gender and Green Governance।

७ - शिवा, वंदना (२०१६). Who Really Feeds the World।

८ - Chambers] Robert (१९८३). Rural Development।

Refereed & Peer Reviewed Research Magazine
RNI-UPHIN/2018/77444 ISSN-2582-1288
त्रैमासिक मूल्य २००
शोधादर्श
संदर्भित एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिक पत्रिका
वर्ष : ८ अंक : ३, जून-अगस्त २०२६
doi.org/10.5281/
इम्पेक्ट फैक्टर(२०२६) : १०.१६
पंजीकृत कार्यालय
शोधादर्श, ए-७, आदर्श नगर, तातारपुर लालू,
नजीबाबाद-२४६७६३ ज़िला बिजनौर (उ.प्र.)
संपादकीय कार्यालय/पत्रव्यवहार
शोधादर्श, साईं एंक्लेव, निकट देवता धनौरा,
नजीबाबाद-२४६७६३ बिजनौर (उप्र)
https://shodhadarsh.in/

कुकुरमुत्ता : एक भाषिक अध्ययन

'कुकुरमुत्ता' भाषा की दृष्टि से कवि निराला की सबसे विशिष्ट कृति है। कीव निराला छायावादी कवि हैं। उनकी काव्यभाषा अपनी सौम्यता,कोमलता और शिष्टाचार के लिए प्रसिद्ध है। उनकी कविता में व्यक्त सामाजिक यथार्थ भी बड़ी ही शिष्टता के साथ भाषा के द्वारा व्यक्त हुई है। उनकी रचना में संस्कृत शब्दों का प्रयोग अत्याधिक हुआ है। कवि ने दुःख, दर्द, पीड़ा, निराशा को बड़ी ही कोमलता के साथ काव्य में व्यक्त करते हैं।अपनी एकमात्र पुत्री को खोने की व्यथा उनकी रचना 'सरोज स्मृति' में देख सकते हैं, 'मुझ भाग्यहीन की तू सम्बल युग वर्ष बाद, जब हुई विकल, दुःख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नही कही..... कन्ये गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण।'[१] यहां कवि ने अपनी भावनाओं को कोमलता के साथ शब्दबद्ध किया है।कहि कोई भी कठोर शब्द की प्रयोग नही मिलता है।

डॉ. सरस्वती कुमारी
D/o Ganesh rajak
Panagarh rondhia more Near Rly Get.
P.O-Panagarh Bazar
Dist- Paschim Bardhaman.
West Bengal. Pin-713148.

'**भाषा** सम्प्रेषण का सशक्त माध्यम है। भाषा के द्वारा हम अपने मन की भाव विचार दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। निराला जनवादी कवि हैं। उनकी कविताएं सामाजिक यथार्थ को दिखलाती हैं। 'कुकुरमुक्ता' कविता में समाज की वर्गगत विषमता बड़ी ही व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कवि निराला की इस कालजयी रचना में भाषा की विशिष्टता अपने आप में अनोखी है।'

सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के अन्यतम कवियों में से एक हैं। उनकी कविता समाज के सामान्य वर्ग पर केंद्रित होती है। 'कुकुरमुत्ता' एक लंबी कविता है। यह दो खण्डों में विभाजित है।प्रथम खण्ड में कुकुरमुत्ता और गुलाब का वर्णन है। दूसरे खण्ड में बहार और गोली की मित्रता का चित्रण है।इन दोनों खण्डों में कवि ने समाज के आर्थिक विषमता अर्थात पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग को दिखलाया है। कविता में कवि ने कुकुरमुत्ता के माध्यम से पूंजीवादी समाज पर करारा व्यंग्य किया है। यह निराला की व्यंग्यात्मक कविता है। काव्य में कवि ने समाज के प्रति अपनी प्रगतिशील मनोभावों को व्यक्त किया है।इसके लिए कवि निराला ने अपनी पारंपरिक भाषा को छोड़ कर नई भाषा शैली का प्रयोग किया हैं। रचनाकार अपनी मनोविचार को पाठकों तक पहुंचाने के सशक्त भाषा का चुनाव करता हैं,जो पाठकों को पूरी तरह से प्रभावित करें, 'भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति/साहित्यकार किसी भी प्रकार के मनोभाव को वाणी दे सकता है, अपने मन के हर्ष को व्यक्त कर सकता है मन की व्यथा को प्रकट कर सकता है। पाठक के समक्ष किसी भी प्रकार का बिंब उपस्थित कर सकता है।उसकी भाषा में इतनी ताकत होती है कि वह पाठक पर पूरा प्रभाव डाल सकता है।'[१] अर्थात भाषा किसी भी रचना की प्राण होती है। रचनाकार अपनी प्रभावशील भाषा के द्वारा अपने मनोभावों को पाठकों तक सम्प्रेषित करते हैं। पाठक उनके अनुभवों को आत्मसात करते हुए सामाजिक यथार्थ से अवगत होते हैं।

'कुकुरमुत्ता' भाषा की दृष्टि से कवि निराला की सबसे विशिष्ट कृति है। कीव निराला छायावादी कवि हैं। उनकी काव्यभाषा अपनी सौम्यता,कोमलता और शिष्टाचार के लिए प्रसिद्ध है। उनकी कविता में व्यक्त सामाजिक यथार्थ भी बड़ी ही शिष्टता के साथ भाषा के द्वारा व्यक्त हुई है। उनकी रचना में संस्कृत शब्दों का प्रयोग अत्याधिक हुआ है। कवि ने दुःख, दर्द, पीड़ा, निराशा को बड़ी ही कोमलता

के साथ काव्य में व्यक्त करते हैं।अपनी एकमात्र पुत्री को खोने की व्यथा उनकी रचना 'सरोज स्मृति' में देख सकते हैं, 'मुझ भाग्यहीन की तू सम्बल युग वर्ष बाद, जब हुई विकल, दुःख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नही कही. .... कन्ये गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण।'[२] यहां कवि ने अपनी भावनाओं को कोमलता के साथ शब्दबद्ध किया है।कहि कोई भी कठोर शब्द की प्रयोग नही मिलता है।

कवि निराला द्वारा रचित कविता 'कुकुरमत्ता' की भाषा उनकी अन्य रचनाओं से भिन्न है।काव्य में उन्होंने भाषिक संरचना का एक नया ही रूप प्रस्तुत किया है। कविता में सामान्य वर्ग की करुणा या दीन-हीनता का चित्रण नहीं मिलता है, बल्कि उनकी स्वतंत्र व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मिलती है। काव्य में कवि ने सामान्य वर्ग के उपेक्षित जीवन को बड़ी मार्मिकता से चित्रण किया है, जिनके बदौलत ही पूंजीपति वर्ग फल-फूल रहें हैं- 'बाग के बाहर पड़े थे झोपड़े, दूर से जो दिख रहे थे अधगड़े। जगह गन्द, रुका, सड़ता हुआ पानी, मोरियों में, जिन्दगी की लन्तरानी-बिलबिलाते कीड़े, बिखरी हड्डीयां, सेलरों की, परों की थी गुड्डियां, कही मुर्गी, कहीं अण्डे, धूप खाते हुए कण्डे।'[३] कवि निराला की भाषा की अलग ही खासियत है कि उनके काव्य में व्यक्त यथार्थ बहुत ही खूबसूरती के साथ व्यक्त होते हैं। बाग के बाहर ही उनके मुलाजिम लोग रहते हैं। खूबसूरत गुलाब को खूबसूरत बनाने वालों का नरकीय जीवन देखने को मिलता है। कविता में शब्दों की तुकबंदी का सुंदर प्रयोग किया गया है। यहां कवि ने नवाब के खादिम अर्थात सर्वहारा वर्ग का चित्रण है, जो अभावग्रस्त जीवन जीने को विवश हैं। वही गुलाब सामंती, पूंजीवादी वर्ग का प्रतीक है, जो सभी प्रकार के सुख-सुविधा में पल रहा है। कवि ने कुकुरमुत्ता के माध्यम से बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से पूंजीपति वर्ग का विरोध करते दिखाई देते हैं - 'अबे, सुन बे, गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू, रंगोआब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है केपीटलिस्ट! कितनों को तू ने बनाया है गुलाम,'[४] जिस कवि भाषा अपनी शिष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी भाषा में एकाएक आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखने को मिलता है। 'अबे, सून बे' शब्दों में चुभता हुआ व्यंग्य है। कविता में कवि ने 'तू' कहकर संबोधन अनेकों बार किया है,जिसमें विरोध का भाव मिलता है। कवि निराला ने कविता में साधारण वर्ग की स्वतंत्र व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने के लिए उपमानों का सुंदर प्रयोग करते हैं। काव्य में गुलाब की जगह कुकुरमुत्ता की उपयोगिता को अधिक दिखलाई गई है जिसे व्यक्त करने के लिए कवि ने उपमानों की झड़ी सी लगा दी है जैसे- छत्र, छाता, पैराशूट, सुदर्शन चक्र, यशोदा की मथानी, हल बलराम का, डांडी से लगा पल्ला, डमरू,वीणा, सितार, तानपूरा, अंगरेजी हैट, स्ट्रा, मेट, पिरामिड, गुम्बद, मुहर इत्यादि। कवि ने कविता की भाषा में स्वछंद शब्दों का प्रयोग किया है। काव्य में कही अंग्रेजी तो कही उर्दू, फारसी विदेशज शब्दों की भरमार हैं, जैसे -जहन्नम, नमूने, पिद्दी, मुहर, बदबू, नव्वाब, खादिम, बावर्ची, खानसामा, चोबदार, नाचीज बिहिश्त, परिंदा, बांदी, सिपाही, बीबी, अदा, फर्माबरदार, असबाब, कबाब, नाचीज, समादर, फरमाया, मआफ, खता, डिक्टेटर, फालोवर, टेरियर, केपीटलिस्ट, कवेट, टैट, स्ट्रा, पोयट्री, प्रोज, गोली इत्यादि। कविता की भाषा में प्रयुक्त मुहावरे और लोकोक्ति भाव अभिव्यक्ति को प्रभावपूर्ण बनाते हैं जैसे-शेर भी मुझसे गधा, मैंने बदले पैतरे, मेरा ही रहता है सबमें ताव, जागे भाग, आंख का जब उतरा पानी, लगे आग, टूटी गोली जैसे बिल्ली देखकर अपना शिकार, जीभ बहार की आया पानी, दुम हिलाता आदि मुहावरे और लोकोक्ति का सुंदर प्रयोग कविता में देखा जा सकता है। कवि निराला ने कविता की भाषा में पूर्ण स्वछंद होकर सभी प्रकार के भाषिक तत्वों का बेधड़क प्रयोग किया है। कविता में कवि की विद्रोह भाव के कारण कुछ अपशब्दों की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है- 'वरना क्या तेरी हस्ती है, पोच तू, कांटों से ही भरा है यह सोच तू कली जो चटकी अभी, सूखकर कांटा हुई होती कभी। रोज पड़ता रहा पानी, तू हरामी खानदानी।'[५] यहां कुकुरमुत्ता की भाषा में विद्रोह के स्वर हैं। कवि ने अनेकों जगहों पर गुलाब के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया हैं। कुकुरमुत्ता अपने को गुलाब से श्रेष्ट मानता है, 'तू नही मैं ही बड़ा', 'मैं ही सबका जनक', तू है नकली, मैं हूं मौलिक', अर्थात समाज जिस सामान्य वर्ग की अवहेलना करता है, वही साधारण वर्ग निराला के काव्य में अपना वर्चस्व साबित करता है।

भाषा की दृष्टि से 'कुकुरमुत्ता' निराला की सबसे अनूठा काव्य है। कवि निराला अपनी मन के आवेगों को अर्थात असन्तोष, दुःख, दर्द, पीड़ा इत्यादि की अभिव्यक्ति अन्य रचनाओं करते हैं, परन्तु उसके स्वर बहुत ही शांत और नियमबद्ध हैं। 'कुकुरमुत्ता' की भाषा एकदम अलग है। कविता में तुक का बहुत ही सुंदर प्रयोग दिखाई देती है। तुकबंदी शब्दों के कारण काव्य की भाषा मधुर और आकर्षक लगती है। -'देख मुझको, मैं बढ़ा, डेढ़ बालिश्त और ऊंचे पर चढ़ा और अपने से उगा मैं, बिना दाने का चुगा मैं, कलम मेरा नही लगता, मेरा जीवन आप जगता'[६] इसी प्रकार ढाल-पाल, पल्ला-गल्ला-कल्ला-लल्ला, अधन्ना-न्यवन्ना, चमकता-बमकता, टहनियां-आशियां, अशिष्ट-केपीटलिस्ट इत्यादि पूरी कविता तुक से भरी पड़ी है। 'कुकुरमुत्ता' काव्य कीभाषा में नए भाषिक संरचना का प्रयोग मिलता है। निराला की काव्य भाषा के बारे में दूधनाथ सिंह का कथन हैं- ''कुकुरमुत्ता' की भाषिक संरचना भी सर्वथा नये प्रकार की है।यहां लगभग सारी छायावादी शब्दावली का निषेध है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली, उसके माधुर्य, ओज और सौंदर्य की जगह ठेठ, बीहड़ और पुराने मानदण्ड के अनुसार 'देशज', 'वर्जित', और 'काव्यात्मक' शब्दों में पूरी कविता लिखी गयी है। यह एक चुनोती है और इसका निर्वाहश्निरालाश्ने सफलतापूर्वक किया है।'[७]

सन्दर्भ

१. डॉ. लक्ष्मी एन, कथाभाषा और काव्यभाषा का समाजभाषिक संदर्भ, क्वालिटी बुक्स पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स,कानपुर, प्रथम संस्करण-२०१५ पृष्ठ संख्या -१६,.

२. पाठक वाचस्पति, प्रसाद निराला पन्त महादेवी की श्रेष्ठ रचनाएं, लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद, सोलहवां संस्करण-१६६८, पृष्ठ संख्या-१४५.

३. निराला सूर्यकान्त त्रिपाठी, कुकुरमुत्ता, लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद, संस्करण-२०१७, पृष्ठ संख्या-५६.

४. वही, पृष्ठ संख्या-४६.

५. वही, पृष्ठ संख्या-५०.

६. वही, पृष्ठ संख्या-५०

७. वही, पृष्ठ संख्या-३६.

Refereed & Peer Reviewed Research Magazine
RNI-UPHIN/2018/77444 ISSN-2582-1288
त्रैमासिक मूल्य २००
शोधादर्श
संदर्भित एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिक पत्रिका
वर्ष : ८ अंक : ३, जून-अगस्त २०२६
doi.org/10.5281/
इम्पेक्ट फैक्टर(२०२६) : १०.१६
पंजीकृत कार्यालय
शोधादर्श, ए-७, आदर्श नगर, तातारपुर लालू,
नजीबाबाद-२४६७६३ ज़िला बिजनौर (उ.प्र.)
संपादकीय कार्यालय/पत्रव्यवहार
शोधादर्श, साईं एंक्लेव, निकट देवता धनौरा,
नजीबाबाद-२४६७६३ बिजनौर (उप्र)
https://shodhadarsh.in/

२१वीं सदी में वैश्विक मंच पर हिंदी का स्वरूप

अगर हम विगत तीन शताब्दियों पर विचार करें तो कई रोचक निष्कर्ष पा सकते हैं। यदि अठारहवीं सदी आस्ट्रिया और हंगरी के वर्चस्व की रही है तो उन्नीसवीं सदी ब्रिटेन और जर्मनी के वर्चस्व का साक्ष्य देती है। इसी तरह बीसवी शताब्दी अमेरिका एवं सोवियत संघ के वर्चस्व के रूप विश्व नियति का निदर्शन करने वाली रही है। आज स्थिति यह है कि लगभग विश्व समुदाय दबी ज़ुबान में ही सही, यह कहने लगा है कि इक्कीसवीं सदी भारत और चीन की होगी।

तृषा सिन्हा
(काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी)
स्थाई पता - सहरसा, बिहार
संपर्क सूत्र - ७६३१२४२६८७
इ-मेल -
visittrishasinha@gmail.com

आज का आधुनिक युग वैश्वीकरण का युग है। आज विज्ञान और तकनीक ने सभी भौगोलिक दूरियों को समाप्त कर दिया है। आज हिंदी वैश्विक परिदृश्य में एक सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम बन चुकी है। अगर हम विगत तीन शताब्दियों पर विचार करें तो कई रोचक निष्कर्ष पा सकते हैं। यदि अठारहवीं सदी आस्ट्रिया और हंगरी के वर्चस्व की रही है तो उन्नीसवीं सदी ब्रिटेन और जर्मनी के वर्चस्व का साक्ष्य देती है। इसी तरह बीसवी शताब्दी अमेरिका एवं सोवियत संघ के वर्चस्व के रूप विश्व नियति का निदर्शन करने वाली रही है। आज स्थिति यह है कि लगभग विश्व समुदाय दबी ज़ुबान में ही सही, यह कहने लगा है कि इक्कीसवीं सदी भारत और चीन की होगी। 'आज भारत और चीन विश्व की सबसे तीव्र गति से उभरने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से हैं तथा विश्व स्तर पर इसकी स्वीकार्यता और महत्ता स्वतः बढ़ रहीं है।'[1]

२१वीं सदी तेजी से आधुनिक प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ रही है। इस नवीन प्रौद्योगिकी ने इंटरनेट के माध्यम से एक नए लोक को जन्म दिया है। इस बदलते परिवेश में आज का युवा वर्ग अपनी मुख्य और अहम भूमिका निभा रहा है। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी (२१प्रतिशत) भी भारत में ही है। भाषा मानव सभ्यता की आत्मा होती है। यह न केवल संप्रेषण का माध्यम है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक संरचना और बौद्धिक विकास का आधार भी है। हिंदी भाषा, जो विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है, २१वीं सदी में अभूतपूर्व परिवर्तन और विस्तार के दौर से गुजर रही है। हिंदी के इस महत्त्व के संदर्भ में पुनर्जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है-

'निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाष ज्ञान के, मिटत ना हिय को शूल।।'

वैश्वीकरण, तकनीकी क्रांति, प्रवासी भारतीयों की सक्रियता और मीडिया के विस्तार ने हिंदी को राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर निकालकर वैश्विक मंच पर स्थापित किया है। आज हिंदी केवल भारत की राजभाषा नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संवाद, संस्कृति और व्यापार की एक महत्त्वपूर्ण भाषा के रूप में उभर रही है। 'भाषा किसी देश के इतिहास का वह आईना होती है, जिसमें भविष्य भी देखा जा सकता है।'[2] हिंदी भारतवर्ष का स्वाभिमान है और हिंदी के विकास तथा प्रचार-प्रसार में वास्तविक रूप से भारत के भविष्य की झांकी देखी जा सकती है। आज हिंदी का स्वरूप वैश्विक या ग्लोबल हो चला है, वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है साथ ही वह अपने स्वरूप को निरंतर मांज और निखार भी रही है।

वर्तमान युग में हिंदी हमारी राष्ट्रीय पहचान बन

गई है। कई समाज सुधारकों जैसे केशवचंद्र सेन, बालगंगाधर तिलक, महात्मा गांधी आदि ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं। अनेक प्रयासों तथा अपनी लोकप्रियता के कारण हिंदी भाषा को १४ सितंबर,१९४९ को भारतीय संविधान में राजभाषा के पद पर अलंकृत किया गया। आज हिंदी संपूर्ण भारतवर्ष की मातृभाषा, संपर्क भाषा और राजभाषा की सीमा को लांघ कर विश्वभाषा बन गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, हिंदी भाषा लगभग १७५ देशों में अपना स्थान बना चुकी है। अब विश्व के लगभग सभी विद्यालयों एवं विभिन्न शिक्षण संस्थानों आदि में हिंदी पढ़ाई और सिखाई जाती है। विश्व की तीन प्रमुख भाषाओंय अंग्रेजी, हिंदी, मंदारिन में हिंदी ने अपनी एक खास जगह बना ली है। यह अब केवल साहित्य और धर्म की भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि ज्ञान-विज्ञान, तकनीक आदि के समस्त क्षेत्रों में अपना स्थान बना चुकी है। उदाहरण के रूप में देखें तो हाल ही में IIT BHU द्वारा बी. टेक की पढ़ाई को हिंदी भाषा में भी शुरू किया गया है। आज विभिन्न टी.वी चैनल और विदेशी पत्र-पत्रिकाएं (जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड) हिंदी में भी प्रकाशित हो रहे हैं। २१वीं सदी में वैश्विक मंच पर हिंदी के स्वरूप को हम निम्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं-

१. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

हिंदी भाषा का विकास एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, जो हजारों वर्षों में विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक परिवर्तनों से होकर गुजरी है। इसकी जड़ें प्राचीन भारतीय भाषाओं में निहित हैं। हिंदी की उत्पत्ति का मूल स्रोत संस्कृत मानी जाती है। वैदिक काल में प्रयुक्त वैदिक संस्कृत धीरे-धीरे शास्त्रीय संस्कृत में विकसित हुई। यह भाषा ज्ञान, धर्म और साहित्य की प्रमुख भाषा थी। समय के साथ संस्कृत से जनभाषाएं विकसित हुईं, जिन्हें प्राकृत कहा गया। इनमें पाली और अन्य प्राकृत भाषाएं शामिल थीं। ये भाषाएं आम जनता द्वारा बोली जाती थीं और बौद्ध तथा जैन साहित्य का माध्यम बनीं। प्राकृत भाषाओं से आगे चलकर अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। अपभ्रंश को हिंदी का प्रत्यक्ष पूर्वज माना जाता है। इसी काल में भाषा अधिक सरल और जनसामान्य के निकट होती गई। आगे चलकर लगभग १०वीं से १४वीं शताब्दी के बीच हिंदी का प्रारंभिक रूप विकसित हुआ। इस काल में विभिन्न बोलियों, जैसे- ब्रज, अवधी, मारवाड़ का उदय हुआ। इस समय के प्रमुख साहित्यकारों में चंदबरदाई का नाम उल्लेखनीय है। उसके पश्चात् मध्यकाल में हिंदी साहित्य का 'स्वर्णकाल' माना गया। भक्तिकाल में भक्ति आंदोलन के कारण हिंदी का व्यापक प्रसार हुआ। इस काल के प्रमुख संत कवि- कबीर, तुलसीदास, सूरदास हुए। आगे रीति काल में काव्यशास्त्र और शृंगार रस पर आधारित साहित्य का विकास हुआ और आधुनिक हिंदी (१९वीं शताब्दी) में हिंदी ने आधुनिक स्वरूप ग्रहण करना शुरू किया। खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ और इसे मानक रूप दिया गया। इस काल के प्रमुख साहित्यकार - भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि हुए।भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी ने एकता और जागरूकता का माध्यम बनकर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रोत्साहित किया। स्वतंत्रता के बाद हिंदी का विकास हुआ और १९४७ में स्वतंत्रता के बाद हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला (संविधान १९५०) और इसके बाद हिंदी का उपयोग प्रशासन, शिक्षा, मीडिया और संचार आदि क्षेत्रों में तेजी से बढ़ा।

२. डिजिटल युग में हिंदी

२१वीं सदी का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू डिजिटल क्रांति है जिसने हिंदी को अभूतपूर्व विस्तार प्रदान किया है। इंटरनेट पर हिंदी सामग्री की मात्रा तेजी से बढ़ रही है ब्लॉग वेबसाइट की पत्रिकाएं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हिंदी के प्रसार में अहम भूमिका निभा रहे हैं। फेसबुक ट्विटर (एक्स), इंस्टाग्राम और युटुब जैसे मंचों पर हिंदी का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी हिंग्लिश (हिंदी+इंग्लिश) का बहुलता से प्रयोग कर रही है, जो हिंदी के नए स्वरूप को भी दर्शाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता(AI), मशीन अनुवाद, वॉइस रिकग्निशन, चैट बॉक्स आदि ने हिंदी को तकनीक रूप से सक्षम बनाया है और गूगल ट्रांसलेट, मशीन अनुवाद और वॉयस असिस्टेंट और अन्य उपकरण हिंदी को वैश्विक स्तर पर सुलभ बनाने का कार्य कर रहे हैं।

३.वैश्विक परिदृश्य में हिंदी की वर्तमान स्थिति

३.१ हिंदी बोलने वालों की संख्या-

हिंदी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। अनुमानतः ६० करोड़ से अधिक लोग हिंदी को प्रथम या द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। साहित्य, अभिव्यक्ति और लोकप्रियता आदि की दृष्टि से हिंदी विश्व की सबसे अधिक समर्थ भाषा है। हिंदी बोलने वालों की संख्या को अगर आधार बनाया जाए तो हिंदी, चीन की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन को पीछे छोड़ कर विश्व की सबसे बड़ी और प्रमुख भाषा बन गई है। 'हिंदी भाषा भाषियों का विश्व जनसंख्या में बढ़ता हुआ प्रतिशत इस बात का प्रमाण है कि विश्व स्तर पर हिंदी भाषा -भाषियों की विश्व में राजनीतिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है और बहुभाषा-भाषी भारत को समझने के लिए हिंदी का ज्ञान निरंतर आवश्यक होता जा रहा है।'[३]

३.२ प्रमुख देशों में हिंदी की उपस्थिति -

मॉरीशस - हिंदी को आधिकारिक मान्यता प्राप्त है।

फिजी - फिजी हिंदी का प्रयोग होता है।

सूरीनाम, त्रिनिदाद - प्रवासी भारतीयों के माध्यम से हिंदी का प्रयोग किया जाता है।

अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन - शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों में हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है।

३.३ अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में हिंदी -

संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की दिशा में प्रयास जारी हैं। इसके अतिरिक्त, कई वैश्विक संगठनों ने हिंदी में अपनी वेबसाइट और सेवाएं शुरू की हैं। निश्चित रूप से आज हिंदी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी पहचान की मोहताज नहीं है वर्णन उसने विश्व परिदृश्य में एक नया परचम लहराया है। अमेरिका जो कि आज उन्नत टेक्नोलॉजी बेहतर शिक्षा दूरसंचार के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी है वहां भी हिंदी भाषा का प्रयोग बड़ा है और इसके प्रचार प्रसार की पुरजोर वकालत की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्टतया घोषणा की कि 'हिंदी ऐसी विदेशी भाषा है, जिसे २१वीं सदी में राष्ट्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए अमेरिका के नागरिकों को सीखना चाहिए।'[४] विश्व के अनेक देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा का अध्ययन- अध्यापन किया जाता है, जिनमें मॉरीशस, फीजी, जर्मनी, हॉलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, थाईलैंड, पोलैंड, ताजिकिस्तान, कनाडा आदि प्रमुख देश हैं। आज कई छात्र हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, टोक्यो यूनिवर्सिटी आदी में हिंदी अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी की अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर डालते हुए 'गगनांचल' पत्रिका के संपादक श्री कन्हैयालाल नंदन अपने संपादकीय में लिखते हैं - 'पिछले दिनों विश्व की एक स्तरीय और अंतरराष्ट्रीय संस्था ने हिंदी के अनेक रचनाकारों की कालजयक कृतियों के अनुवाद प्रकाशित करके और अप्रत्यक्षतः

हिंदी की अंतरराष्ट्रीयता को प्रमाणित किया है।'[५]

४. मीडिया, बाजार और हिंदी का विस्तार

४.१ वैश्विक मीडिया में हिंदी-
आज टीवी चैनल, रेडियो और OTT प्लेटफॉर्म हिंदी सामग्री का प्रसार विश्व स्तर पर कर रहे हैं। हाल में हुए एक सर्वेक्षण में गूगल वाला कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया में हिंदी के प्रयोग में ६४प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि अंग्रेजी भाषा के प्रयोग में केवल १६प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई।

४.२ विज्ञापन और उपभोक्ता संस्कृति-
बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय बाजार में प्रवेश के लिए हिंदी का उपयोग कर रही हैं। उदाहरण के लिए, विज्ञापन अभियानों में हिंदी का प्रयोग उपभोक्ताओं से भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करता है। 'आज हिंदी वैश्विक मीडिया की चहेती भाषाओं में से एक बन चुकी है। वह जनसंचार माध्यमों की सबसे प्रिय एवं अनुकूल भाषा बनाकर निकली है आज विश्व में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में आधे से अधिक हिंदी के हैं।'[६] '२००१ के आंकड़ों के अनुसार हिंदी में २०,५८९ समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं जबकि अंग्रेजी में ७,५९६ समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। प्रसार संख्या की दृष्टि से भी हिंदी समाचार पत्र सर्वाधिक पढ़े जाते हैं। वर्ष २००१ में हिंदी समाचार पत्रों की प्रसार संख्या ४,७०,०६,३९५ प्रतियां थीं जबकि अंग्रेजी की २,३०,६४,२६१ प्रतियां। ये आंकड़े हिंदी की जनप्रियता के पुष्ट प्रमाण हैं।'[७] आज के समय में ब्रिटेन और लंदन में बी. बी. सी. द्वारा प्रसारित हिंदी कार्यक्रमों के श्रोता सबसे ज्यादा हैं। मॉरिशस के माध्यम से ७ चैनल संचालित किए जा रहे हैं।

४.३ **OTT** और डिजिटल कंटेंट-
नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और यूट्यूब जैसे प्लेटफार्मों पर हिंदी कंटेंट की लोकप्रियता ने इसे वैश्विक भाषा बना दिया है। आज यह हिंदी के प्रचार प्रसार का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। जिसके द्वारा लोग कहीं पर रह कर अपनी पसंदीदा भाषा में अपनी पसंद की वेब सीरीज, मूवीज आदि देख सकते हैं।

निष्कर्ष

निः संदेह २१वीं सदी में हिंदी एक उभरती हुई वैश्विक भाषा के रूप में सामने आई है। विश्व हिंदी सम्मेलनों द्वारा, भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद (ICCR) द्वारा विदेशों में भारतीय विद्यापीठों की स्थापना द्वारा इसके प्रचार- प्रसार का कार्य किया जा रहा है। यह भारत के साथ-साथ विश्व पर परचम लहराने को तैयार है। आज हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में दूसरे अथवा तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। इसमें वैश्वीकरण, डिजिटल क्रांति और सांस्कृतिक अंतः क्रिया के कारण भाषाओं में व्यापक परिवर्तन हुआ है। हिंदी जो विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है, ने इस युग में वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। हिंदी के प्रचार -प्रसार और विकास में सभी भाषा-भाषियों का योगदान रहा है। वैश्विक मंच पर हिंदी को स्थापित करने के लिए कई समाज सुधारकों, साहित्यकारों, अनेक पत्र- पत्रिकाओं, ने इसकी पृष्ठभूमि तैयार करने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो दूसरी तरफ इंटरनेट और तकनीक, AI और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सिनेमा जगत और OTT प्लेटफॉर्म में हिंदी के प्रयोग को बढ़ा कर इसे वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का कार्य किया है। व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और डिजिटल संचार के माध्यम से भी हिंदी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आज गूगल ट्रांसलेट, वॉइस रिकग्निशन और अन्य उपकरण भी हिंदी को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि २१वीं सदी में वैश्विक मंच पर हिंदी का स्वरूप लगभग अपने श्रेष्ठतम स्थान को प्राप्त कर चुका है। भविष्य में हिंदी खुद को आवश्यकता अनुसार परिष्कृत और परिमार्जित करती हुई निरंतर आगे बढ़ती रहेगी।

संदर्भ

१. डॉ. करुणाशंकर उपाध्याय, हिंदी का विश्व संदर्भ
२. दैनिक भास्कर, पृष्ठ संख्या ११, ५ सितम्बर, २०१७
३. डॉ. जोगेन्द्र सिंह, हिंदी की विश्व व्याप्ति, अनंग प्रकाशन, दिल्ली
४. कृष्ण कुमार यादव, भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी, साहित्य कुंज
५. गगनांचल, जुलाई-सितंबर १९९९, पृ. १०
६. करुणाशंकर उपाध्याय, हिंदी का विश्व संदर्भ, पृ. २३
७. वीरेंद्र परमार, राजभाषा विमर्श, पृ. ६

Refereed & Peer Reviewed Research Magazine
RNI-UPHIN/2018/77444 ISSN-2582-1288
त्रैमासिक मूल्य २००
शोधादर्श
संदर्भित एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिक पत्रिका
वर्ष : ८ अंक : ३, जून-अगस्त २०२६
doi.org/10.5281/
इम्पेक्ट फैक्टर(२०२६) : १०.१६
पंजीकृत कार्यालय
शोधादर्श, ए-७, आदर्श नगर, तातारपुर लालू, नजीबाबाद-२४६७६३ ज़िला बिजनौर (उ.प्र.)
संपादकीय कार्यालय/पत्रव्यवहार
शोधादर्श, साईं एंक्लेव, निकट देवता धनौरा, नजीबाबाद-२४६७६३ बिजनौर (उप्र)
https://shodhadarsh.in/

हरित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका

सारांश

वर्तमान में विकास की अंधी दौड़ में सभी देशों के लिए आवश्यक हो गया है कि पर्यावरण के विषय की तरफ ध्यान दिया जाए जो की एक बहुत जटिल समस्या का रूप ले चुका है। भावी पीढ़ियों के रूप में उनका भविश्य सुनिश्चित करने में हरित अभियान में उनकी भागीदारी आवश्यक है, क्योंकि आज के युवा कल के भविश्य के पथ प्रदर्शक हैं और परिस्थिति की नाजुकता को देखते हुए इस तरह के अभियानों में उनकी आवश्यकता भी बढ़ रही है। इसलिए चुनौतियों भरे दौर में युवाओं की सक्रियता भारत को हरित बनाने में महत्वपूर्ण होती जा रही है। युवाओं की शक्ति को कम करके नहीं आँका जा सकता। युवाओं द्वारा किए जा रहे प्रयास सरकार को भी उनकी नीतियों के लिए जवाबदेह बनाते हैं, हरित भारत कार्यक्रम में युवाओं की सक्रियता सिर्फ घटनाओं का मोड़ नहीं है बल्कि वह मजबूत शक्ति है, जो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अनिवार्य भी है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में हमारी युवा पीढ़ी में भारत को हरित बनाने के अभियानों में जागरूकता और जिम्मेदारी पैदा करने की जरूरत बढ़ती जा रही है। युवाओं में पर्यावरणीय चेतना का पोषण करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम प्रदूषण जैसी जटिल पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इसलिए हरित भारत से सम्बंधित शिक्षा भी एक सशक्त शक्ति के रूप में उभर रही है आज विभिन्न पर्यावरणीय मूल्यों को सहजता से शिक्षा में समाहित करते हैं व युवाओं को परिवर्तन के वाहक के रूप में सशक्त बनाते हैं क्योंकि सृष्टि रचना से अब तक हमारे पर्यावरण व पारिस्थितिकी तंत्र के सम्मुख आज जैसी गंभीर चुनौतियां कदाचित ही कभी उत्पन्न हुई होंगी।

बीज शब्द - पारिस्थितिकी तंत्र, सूक्ष्मजीवियों, व्यावहारिक पहलुओं, वृक्षारोपण, पर्यावरणीय मुद्दों, अंतरराष्ट्रीय

बबिता कुमावत
(शोधार्थी)
(हिंदी विभाग)
श्री खुशालदास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़
(राजस्थान)
Email:- bkumawatbarni13@gmail.com

विश्लेषण

पर्यावरण बदलाव पर कार्यरत अंतरराष्ट्रीय पैनल की हाल की चेतावनी विश्व के संपूर्ण गंभीर से गंभीरतम शब्दों में की गई है। इन तथ्यों पर कई बार विचार किया जा चुका है जैसे -अनेक वृक्ष औषधीय महत्व के होते हैं, इसलिए वृक्षारोपण में मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाने वाले पौधे, औषधीय महत्व के पौधे, फसलों के मित्र कीटों को आश्रय देने वाले पौधे, मिट्टी की उर्वरा शक्तिवर्धक सूक्ष्मजीवियों को आश्रय देने वाले पौधे भी पर्यावरण संतुलन हेतु महत्वपूर्ण है।

विद्यालयी संसाधनों के अंतर्गत विद्यालय का मैदान, पेड़ पौधे, तालाब, खेल के मैदान, बगीचा, प्रयोगशाला, पौधशाला आदि आते हैं। इन संसाधनों की सहायता से बालक पर्यावरण के विभिन्न घटकों एवं विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के माध्यम से कई प्रकार के संज्ञान विकसित कर लेता है। यही संज्ञान युवा के रूप में हरित अभियान जैसे कार्यक्रमों में अपना योगदान प्रदान करते हैं।

यह वास्तव में एक ऐसा माध्यम है जिसमें यदि थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो हरित अभियान के अंतर्गत शामिल घटक महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में प्रभावी संसाधन बन जाते हैं।

प्रायः यह माना जाता है कि प्रभावी अधिगम के लिए बालक को अच्छे पर्यावरण की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रायः सभी देशों में पर्यावरण शिक्षा को तीन स्तरों पर लागू करने का प्रयास किया गया है। यह है- व्यक्तिगत समूह एवं दूरसंचार माध्यमों का प्रयोग करते हुए सामान्य जनस्तर। व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने पर्यावरण को जानने एवं समझने का मौका दिया जाता है, समूह स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा के सामूहिक कार्यक्रमों को चलाया जाता है, जिसमें अधिक से अधिक युवा भाग लेकर हरित अभियान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को अपने परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता समझाते हैं। सामान्य जन स्तर पर पर्यावरण की समस्याओं को प्रकाश में लाने के लिए युवा समाचार पत्रों, दूरदर्शन, एजुसेट एवं आकाशवाणी आदि का सहारा लिया जाता है और इस संदर्भ में एक व्यापक

अभियान भी युवाओं ने चला रखा है।

हमारा संपूर्ण जीवन पर्यावरण से ही प्रभावित होता है। विश्व भर में वृक्षों के काटने, दुर्लभ वनस्पतियों के नष्ट होने तथा धरती के साथ छेड़छाड़ करने के परिणामस्वरूप आज विश्व के दुर्लभ सदाबहार वन खतरे में पड़ गए हैं। यही कारण है कि भारत को हरित बनाने में युवाओं की भूमिका अत्यंत आवश्यक है।

भारत जैसे देश में वनीकरण एवं पर्यावरण सम्बंधी कार्यक्रम गंभीरता से चलाए जाते हैं इसके प्रमुख लाभ युवाओं को मिलते हैं, जैसे - राष्ट्र के युवकों को पर्यावरण संरक्षण, वनीकरण व प्रशिक्षण का सीधा लाभ मिलता है और वह अपनी जिम्मेदारी को खूब अच्छे से निभाते हैं। कई बेरोजगार युवकों को रोजगार भी मिलता है, दूसरी ओर स्कूलों में भी राष्ट्रीय स्तर पर हरित अभियान जैसे कार्यक्रमों से परिचित कराया जाता है, कुछ लोगों को पेड़ काटने में यदि दुख नहीं होता या वे जीवन जल तथा भूमि को पर्यावरण दूषित करने में हिचकिचाते नहीं तो उनका क्या करें? हमारी दृष्टि में उन्हें इस शिक्षा में शिक्षित करना पहला काम है व युवाओं को इस दिशा में प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक है। दुनिया भर में हरित भारत सम्बंधी गतिविधियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है जिसमें युवा बढ़ चढ़कर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, युवा पीढ़ी प्राकृतिक समर्थन के लिए एक ज्यादा मजबूत आवाज बनकर उभर रही है।

भारत को हरित बनाने में युवाओं ने नए दृष्टिकोण और नई रचनात्मक व्यवस्थाएं दी हैं, हरित क्षरण जैसे गंभीर कारकों ने युवाओं को हरित अभियानों से जोड़ा है। युवाओं की सक्रियता के परिणामस्वरूप ही लोगों में जागरूकता बढी है, उन्होंने प्रदर्शनों, सार्वजनिक भाषणों व सोशल मीडिया का उपयोग करके ही पर्यावरण के प्रति जनता का समर्थन बढ़ाया है, युवा शक्तियों ने हरित भारत सम्बंधी गतिविधियों को ईमानदारी से प्रकट करने की पहल भी शुरू की। जिससे व्यवसाय भी पर्यावरण पर अपने प्रभाव के बारे में अधिक जागरूक होते जा रहे हैं, तकनीक की जानकारी होने के कारण युवाओं के पास हरित अभियानों सम्बंधी एक बढ़त है। वे इंटरनेट चैनलों का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर भी लोगों को पर्यावरण नवाचारों के लिए प्रेरित करते हैं। स्कूलों और कॉलेज के पाठ्यक्रमों में भी हरित अभियान जैसे कार्यक्रमों को षामिल किया जाना चाहिए, इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए, जिससे पर्यावरण वेदों के अनुभवों को सुनकर युवा और अधिक प्रेरित हो।

आजकल वैसे स्थानीय पर्यावरण समूह सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं व युवा भी हरित भारत के अनुकूल प्रयासों को ही प्राथमिकता देते हैं। हरित भारत क्लब व नीतियों पर अपने समूह में विचार विमर्श भी करते हैं, फैशन उद्योग जिसका पर्यावरण पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है उसका आजकल सोशल मीडिया पर युवा पीढ़ी अग्रसर होकर विरोध कर रही है। हरित अभियान सम्बंधी समझौते भी किए गए हैं जो सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि युवाओं के द्वारा स्थानीय स्तर पर भी आयोजित किए जाते हैं। युवाओं के द्वारा पर्यावरण सम्बंधी चुनौतियों का समाधान किया जाकर स्थानीय प्रयासों के प्रभाव का प्रदर्शन भी किया जाता है, ऐसे युवा कार्यकर्त्ता भी है, जो हरित भारत कार्यक्रम के सामने आने वाली चुनौतियों पर काबू पाकर आवश्यक ताकत का उदाहरण बनते हैं। युवाओं के द्वारा हरित अभियान एप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है।

नवाचार व पर्यावरण संरक्षण के समन्वय से हरित अभियान के प्रयासों में तेजी ला रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षों की ओर पौधों की देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है जितनी लोगों में जागरूकता की। क्योंकि पौधों को शुरू में बराबर पानी देना अत्यंत आवश्यक है, और उन्हें धूप से बचाने के लिए कुछ छायादार टहनियों से ढकना पड़ता है, जब पौधे गति पकड़ने लगे तो उनमें बाड़ लगाकर पालतू व अन्य पशुओं से बचाने का प्रयास भी किया जाता है, अतः इन बातों का पूरा-पूरा युवा ख्याल रखते हैं और इनसे सम्बंधित जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को भी जागरुक करते हैं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो युवाओं की सहायता और सशक्तिकरण प्रदान करने में मदद करती है। साथ ही युवा विभिन्न आयु और पृष्ठभूमि के स्वयंसेवकों के हरित भारत सम्बंधी ज्ञान को साझा करने पर जोर देते हैं।

युवा स्वयं भी हरित भारत अभियानों से सम्बंधित शिविर आयोजित करते हैं, जिन शिविरों के माध्यम से युवाओं को एक भूमिका, पहचान, कौशल और सामाजिक नेटवर्क प्राप्त होता है, जिनसे वो प्रकृति से जुड़े रहने के लिए भी प्रेरित होते हैं क्योंकि मनुष्य की मनुष्य के साथ प्रेममूलक सम्बंधों में आ रही गिरावट और बढ़ती संवेदनहीनता के दायरे से बाहर निकाल कर उसे पुनः प्रकृति की ओर लौटना होगा। यदि वर्तमान में पर्यावरण की समस्या का स्थाई समाधान या यूं कहा जाए की प्रकृति का संरक्षण ही मानव के दीर्घ जीवी होने की गारंटी है, इस तरह की प्रेरणास्पद बातों के माध्यम से युवाओं के द्वारा आम जनता को जागरूक किया जाता है। हर युवा विद्यालयों व महाविद्यालयों में प्लास्टिक का बहिष्कार कर पेड़ों को गोद लेकर पर्यावरण संरक्षण की पहल करते हैं, हरित भारत अभियान के अनुकूल परिसर पहल व सामुदायिक सहभागिता आवश्यक घटक है। यह स्थाई हरित भारत के निर्माण के लिए आजीवन प्रतिबद्धता है, सशक्त युवा भारत को हरित बनाने में नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में जागरूकता और टिकाऊ प्रथाओं की वकालत करते हैं।

युवाओं में भारत को और अधिक बेहतर बनाने की अपार क्षमता होती है, युवाओं के बीच हरित कौशल को बढ़ावा देने से उनमें पर्यावरणीय प्रबंधन के प्रतिबद्धता की भावना जागृत होती है। हरित भारत के निर्माण में युवा अपनी रचनात्मकता तकनीकी ज्ञान व ऊर्जा का उपयोग कर भविष्य के अग्रदूत बन सकते हैं, क्योंकि हरित भारत के निर्माण में युवाओं की क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के अनुकूल नई-नई तकनीक का प्रयोग कर व नवाचारों को अपना कर युवा इसे बेहतर तरीके से करते हैं, सोशल मीडिया में अन्य प्लेटफार्म के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाते हैं जो कि वर्तमान में अत्यंत कारगर साबित हो रहा है। युवा समूह बनाकर वृक्षारोपण और विभिन्न स्वच्छता अभियानों में भाग ले रहे हैं जिससे पर्यावरण स्वच्छ व हरा भरा बना रहे हैं।

युवा उद्यमी भी ऐसे स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं जिनसे पर्यावरण सम्बंधी समस्याओं का समाधान हो रहा है, वे पर्यावरण संरक्षण सम्बंधी नीति निर्माण में भी अपनी आवाज उठा रहे हैं, इन नीतियों के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। युवा पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, और भारत को हरित बनाने के संसाधनों का संरक्षण करने के लिए अपने विचारों से सभी को प्रभावित करते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता से हरित भारत अभियान के कारकों के प्रति प्रतिबद्धता मजबूत करते हैं, युवा ऑनलाइन समुदायों को संगठित कर हरित भारत सम्बंधी संदेशों को बढ़ावा देते हैं, भारत को हरित बनाने सम्बंधी अभियानों में युवाओं की प्रतिबद्धता समस्त विश्व को एक आकार प्रदान करती है। हरित भारत अभियान के कार्यक्रमों में युवा सक्रिय परिवर्तनकर्त्ता है इसलिए विद्यालय से ही पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम लागू करना बेहद

जरूरी है। कई तरह की गतिविधियां और शैक्षिक पहल शामिल होने चाहिए जिससे पर्यावरण के प्रति युवाओं में जिम्मेदारी का भाव वहीं से लागू हो जाए।

विज्ञान, कला, साहित्य व भूगोल सभी विषयों में पर्यावरणीय तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे हरित भारत अभियान सम्बंधी मुद्दों के बारे में उनकी समझ और अधिक व्यापक बन सके। कॉलेज में भी हरित भारत अभियान सम्बंधी पहलुओं को इस रूप में लागू किया जाता है जो युवाओं के लिए उदाहरण स्थापित करते हैं, और स्थिरता के व्यावहारिक पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं। युवा इन कार्यक्रमों से प्रभावित होकर पर्यावरण परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। कॉलेज की सीमाओं से परे हरित भारत अभियान के प्रभाव को बढ़ाने के लिए आउटरीच गतिविधियों को आयोजित करते हैं, जिससे पर्यावरण के प्रति जागरूक व्यक्तियों की एक पीढ़ी तैयार हो रही है जो न केवल चुनौतियों से निपटते हैं बल्कि हरित भारत के टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। आजकल स्कूलों और कॉलेज में ऐसी ना सिर्फ छात्रों और युवकों को ही जागरूक किया जाता है बल्कि शिक्षकों के लिए भी हरित अभियान सम्बंधी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। युवा भी इन तथ्यों को अपनाकर हरित भारत अभियान सम्बंधी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं जैसे आज की विचारधाराए भी कुछ भिन्न हो गई है।

पहले पेड़ों को काटना पाप माना जाता था, लेकिन आज खुले रूप में पेड़ों को काट लिया जाता है, उस विचारधारा को भी आज के युवा बदल रहे हैं, अपनी शिक्षा से विचारों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, जो की हरित भारत अभियानों की दिशा में एक अच्छी पहल है।

हरित भारत अभियान एक समग्र दृष्टि है जो अपने सिद्धांतों को पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में प्रचारित करता है। पर्यावरणीय मुद्दों से सम्बंधित कुछ तथ्यों में गणित विशय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जैसे- जलवायु आंकड़ों के विश्लेषण में। कला भी युवाओं को हरित भारत अभियान सम्बंधी विचारों को प्रकट करने का मंच प्रदान करती है जब युवा मंच पर इस तरह की कलात्मक अभिव्यक्ति देते हैं तो आम जनता भी पर्यावरण से अपना भावनात्मक जुड़ाव करती है। विभिन्न व्यावहारिक अनुभव पर्यावरणीय अवधारणाओं के बारे में युवाओं की समझ को गहरा करते हैं, हरित भारत अभियान की गतिविधियां युवाओं में नवाचार और संसाधनशीलता को बढ़ावा देती है। कार्यशालाओं में भाग लेने से युवा पर्यावरणीय शोधों से परिचित होते हैं जिससे हरित भारत सम्बंधी मुद्दों को विभिन्न कोणों से समझने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। हरित भारत जैसे अभियान एक टिकाऊ भविष्य को आकार देने के शक्तिशाली उपकरण है, जो युवाओं को सार्थक कार्यो में संलग्न होने के लिए तैयार करते हैं, यह एक आजीवन यात्रा है जो जीवन भर सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है।

हरित भारत अभियान युवाओं में प्रकृति से जुड़ाव को बढ़ाते हैं व उनमें सकारात्मक बदलाव लाने के वाहक बनते हैं। सहानुभूति, जिम्मेदारी और प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता में विविधता के प्रति गहरी कृतज्ञता के मूल्यों को विकसित करते हैं। एक सतत भविष्य के निर्माण के लिए उत्साह और हरित भारत जैसे अभियानों के प्रति एक नई दृष्टिकोण का विकास होता है।

जिससे युवा हरित भारत अभियान के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि युवाओं में एक अद्वितीय दृष्टिकोण और परिवर्तन की अद्भुत क्षमता होती है व इस अभियान से सम्बंधित रचनात्मक सुझाव भी प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

अपनी उपलब्धियों के बावजूद जो युवा हरित अभियान से जुड़े हैं, उनको कई बाधाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। इनमें धन की कमी, संसाधनों की कमी, राजनीतिक प्रतिरोध प्रमुख हैं, उनकी दृढ़ता व उत्साह ने भारत को हरित बनाने सम्बंधी चिताओं को सबसे आगे ला दिया है, समाज को भी उनका समर्थन करना चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए।

यदि उनको भविष्य की राहों पर आगे बढ़ाना है तो यह जरूरी है। युवाओं ने यह सिद्ध भी किया है कि एक स्वस्थ दुनिया के लिए वह हमारे सबसे प्रबल समर्थक है, इसलिए हरित भारत जैसे अभियानों के लिए युवाओं की अत्यंत आवश्यकता है।

जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने के प्रेरक युवा ही है, वे एक टिकाऊ और सुनिश्चित प्रयासों की कुंजी है, इसलिए हम सबको मिलकर युवाओं के इस अभियान को सार्थक बनाने में मदद करनी चाहिए।

किसी भी प्राणी को जीवित रहने अथवा अपना विकास करने के लिए किन्ही विशिष्ट दशाओं स्थितियां एवं परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, यदि यह विशिष्ट परिस्थितियों उसके चारों ओर विद्यमान है तो उसका जीवित रहना एवं विकास करना संभव हो पाता है, उन विशिष्ट दशाओं व परिस्थितियों को हरित भारत अभियान के माध्यम से युवा ही जीवित रखते हैं।

संदर्भ

१. पर्यावरण और हम : प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा, प्रकाशक विद्याभारती संस्कृति शिक्षा संस्थान, संस्कृति भवन हरियाणा २०२२
२. पर्यावरण प्रशासन एवं मानव पारिस्थितिकी :- डॉ. राकेश कुमार शर्मा, प्रकाशक, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी २०१२
३. पर्यावरण शिक्षा एवं भारतीय संदर्भ : डॉ. के पी पांडे, डॉ. अमित भारद्वाज, डॉ. आशा पांडे, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी, २००७
४. पर्यावरण वर्तमान और भविष्य : डॉ. वीरेंद्र सिंह यादव, राधा पब्लिकेशन दिल्ली, २००६
५. पर्यावरण शिक्षा : डॉ. सुजाता बिष्ट, तक्षशिला प्रकाशन, २००५
६. पर्यावरण संरक्षण, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं विकास : ताज रावत, तक्षशिला प्रकाशन, २००१

Refereed & Peer Reviewed Research Magazine
RNI-UPHIN/2018/77444 ISSN-2582-1288
त्रैमासिक मूल्य २००
शोधादर्श
संदर्भित एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिक पत्रिका
वर्ष : ८ अंक : ३, जून-अगस्त २०२६
doi.org/10.5281/
इम्पेक्ट फैक्टर(२०२६) : १०.१६
पंजीकृत कार्यालय
शोधादर्श, ए-७, आदर्श नगर, तातारपुर लालू, नजीबाबाद-२४६७६३ ज़िला बिजनौर (उ.प्र.)
संपादकीय कार्यालय/पत्रव्यवहार
शोधादर्श, साईं एंक्लेव, निकट देवता धनौरा, नजीबाबाद-२४६७६३ बिजनौर (उप्र)
https://shodhadarsh.in/

भारत-अमेरिका सम्बंधों का पूर्वोत्तर भारत पर प्रभाव : २०२० से

सारांश

२१ वीं सदी में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के सम्बंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिली है। चीन की बढ़ती आक्रामकता से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दोनों देश पहले से अधिक समान दृष्टिकोण अपना रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य रक्षा, आसूचना, तकनीक और कूटनीतिक क्षेत्र में सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। भारत की पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमाएं नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान से लगी होने के कारण इसे सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र बनाते हैं। इसलिए भारत अमेरिका के मध्य बढ़ते सहयोग का प्रभाव इस क्षेत्र में पड़ता है। यह शोध २०२० से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के सम्बंधों के विकास का अध्ययन करते हुए स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि इन सम्बंधों ने पूर्वोत्तर भारत को किस प्रकार प्रभावित किया है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्विपक्षीय सम्बंधों को आगे बढ़ाने में हिंद प्रशांत को लेकर सहयोग बढ़ाना, ऊर्जा, रक्षा प्रौद्योगिकी इत्यादि क्षेत्र में सहयोग का विस्तार, एक नए लघुपक्षीय तांत्रिक (मिनीलैटरल वायस) जैसे क्वॉड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग (QUAD), के साथ ईस्ट एशिया सबमिट (EAS), आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस इत्यादि का समर्थन करना शामिल है। २०२० से २०२५ के मध्य इन द्विपक्षीय सम्बंधों का समग्र आकलन करते हुए यह देखना आवश्यक है कि यह किस प्रकार पूर्वोत्तर भारत की रणनीतिक प्रासंगिकता, सीमा सुरक्षा, सैन्य अवसंरचना, कनेक्टिविटी तथा क्षेत्रीय कूटनीति को प्रभावित किया है।

मुख्य शब्द- भारत-अमेरिका सम्बंध, पूर्वोत्तर भारत, हिंद-प्रशांत, सीमा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, क्वाड, चीन।

प्रो. नीलम गुप्ता
प्रोफेसर, बरेली कॉलेज, बरेली।

भावेश मिश्र
असिस्टेंट प्रोफेसर,
गन्ना उत्पादक स्ना. महाविद्यालय, बहेड़ी, बरेली।
(bhavesh9453@gmail.com)

भूमिका

पूर्वोत्तर भारत में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और सिक्किम जैसे आठ राज्य शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के लिए दक्षिण- पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार होने के साथ भू- रणनीतिक सीमांत क्षेत्र है। यह संस्कृतियों की संगम-स्थली एवं पर्यावरण और जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र भी है। पूर्वोत्तर भारत ऐतिहासिक रूप से अलगाववाद की समस्या से जूझता रहा है। शेष भारत के साथ इसका राजनीतिक और सामाजिक एकीकरण एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

जून २०२० में भारत- चीन के मध्य गलवान घाटी संघर्ष ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को लेकर भारत की सामरिक सोच में महत्वपूर्ण बदलाव किया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की २०२५ की सालाना रिपोर्ट (मिलट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इंवाल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना) में कहा गया कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना प्राथमिक क्षेत्र यानी 'कोर इंटरेस्ट' का हिस्सा मानता है। इससे भारत- यूएस रणनीतिक सहयोग में तेजी आई, जिसका प्रभाव भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेष कर पूर्वोत्तर भारत पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसका परिणाम यह भी हुआ कि पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत की हिंद प्रशांत और वैश्विक रणनीति का घटक बन गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र के एकीकरण और विकास के लिए भारत सरकार पहले से ही एक्ट ईस्ट नीति पर काम कर रही है जिसके द्वारा संस्कृत, वाणिज्य, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

पूर्वोत्तर भारत का भू राणनीतिक महत्व

पिछले कुछ दशकों से हिंद- प्रशांत क्षेत्र वैश्विक राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। जहां एक तरफ यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र है तो वहीं दूसरी तरफ चीन के उदय ने शक्ति संतुलन को चुनौती दी है। इसी संदर्भ में भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी गहरी हुई है, जिसका प्रभाव पूर्वोत्तर क्षेत्र पर भी पड़ा है। वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत में अवसंरचना निर्माण के साथ-साथ दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए भारत

सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रही है। परिणामस्वरूप अमेरिका की हिंद- प्रशांत रणनीति और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बीच बढ़ते सहयोग ने पूर्वोत्तर भारत को 'पेरीफेरल स्पेस' से 'स्ट्रैटेजिक पिवट' में बदल दिया है।

पूर्वोत्तर भारत के रणनीतिक महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं-

- पूर्वोत्तर भारत की ९८ प्रतिशत सीमा अंतरराष्ट्रीय (नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ) है। सिलीगुड़ी का 'चिकन नेक' इस क्षेत्र को शेष भारत से जोड़ता है, जो भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक स्थल है।
- यह क्षेत्र भारत के 'एक्ट ईस्ट नीति' का आधार है जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी एवं क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है, इसके लिए भारत सरकार बांग्लादेश, म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी परियोजनाओं के विकास पर काम कर रही है क्योंकि यह क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है।
- पेंटागन की २०२५ रिपोर्ट के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा- ताइवान, दक्षिण चीन सागर, सेन काकू दीपों की तरह इसे चीन अपना कोर इंटरेस्ट मानता है। चीन को प्रति- संतुलित करने के लिए पूर्वोत्तर भारत में आधारभूत संरचना का विकास और सीमा सड़कों का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- कृषि- बागवानी एवं वन संसाधन, जल विद्युत क्षमता, तेल व प्राकृतिक गैस की प्रचुरता इस क्षेत्र को औद्योगिक विकास और विस्तार के लिए अनुकूल बनाती है।

२०२० के बाद भारत-अमेरिका सम्बंधों का विकास और पूर्वोत्तर भारत पर प्रभाव

भारत- संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग में शीत युद्ध के बाद से व्यापक वृद्धि हुई है, भारत रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, आसूचना इत्यादि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।

रक्षा सहयोग

- अक्टूबर २०२० में बेसिक एक्सचेंज एवं को ऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA) पर हस्ताक्षर हुए, यह भारत- यूएस के मध्य महत्वपूर्ण रक्षा समझौता है। इसके अंतर्गत भू- स्थानिक खुफिया जानकारी, सैटेलाइट डाटा और उन्नत नेविगेशन तकनीक साझा करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसका महत्वपूर्ण लाभ भारत को चीन से लगी सीमाओं पर मिला, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में।
- भारत और अमेरिका के मध्य सम्बंध में हिंद- प्रशांत क्षेत्र में द्विपक्षी सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर २०१८ में शांगरी-ला डायलॉग में अपने मुख्य संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंद- प्रशांत क्षेत्र को भारत- अमेरिका के बीच सम्बंधों को बेहतर बनाने वाला एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया था। हिंद- प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य समुद्री सहयोग, सूचना- साझाकारण और संयुक्त सैन्य- अभ्यासों पर जोर दिया जा रहा है। जिससे चीन के आक्रामक रुख को संतुलित करने कि भारत को क्षमता बढ़ी है।
- भारत- अमेरिका सम्बंधों को कंप्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित किया गया है। इस साझेदारी ने चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में भारत की स्थिति को सुदृढ़ किया है।
- २०२० के बाद क्वॉड (भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) को संस्थागत स्वरूप मिला है। महत्वपूर्ण है कि क्वॉड का मुख्य फोकस समुद्री सुरक्षा है, फिर भी इसकी व्यापक रणनीतिक दृष्टि से आपूर्ति शृंखला सुरक्षा, अवसंरचना विकास एवं क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान देने का प्रभाव भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर भी पड़ा है, जिससे इसके सामरिक महत्व को बढ़ावा मिला।

आर्थिक सहयोग

पूर्वोत्तर भारत में भौगोलिक परिस्थितियों जटिल है, इसलिए कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में सीमा सड़कों (बॉर्डर रोड्स) के निर्माण के लिए भारत को अमेरिका से तकनीकी और खुफिया जानकारी प्राप्त हुई। इस क्षेत्र में निवेश के अत्यधिक अवसर है। स्टार्टअप्स, एमएसएमई में, कृषि और बायोटिक क्षेत्र में अमेरिकी निवेश द्वारा पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए व्यापारिक हब बन सकता है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी कंपनियां जैविक खेती में रुचि ले रही हैं जिसकी पूर्वोत्तर भारत में अत्यधिक संभावनाएं हैं। सड़क और रेल नेटवर्क के विस्तार के साथ पूर्वोत्तर भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिला है, ४जी और ५जी नेटवर्क विस्तार के लिए अमेरिका तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है।

जून २०२० में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के मध्य हिंसक झड़प हुई जिसमें अमेरिका ने भारत की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया। भारत को अमेरिका से खुफिया जानकारी, सेटेलाइट तस्वीर प्राप्त हुई। इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव पूर्वोत्तर भारत में सीमा अवसंरचना निर्माण, निगरानी तंत्र और सैन्य तैयारियों को मजबूत करने में सहायक हुआ।

म्यांमार के रखाइन प्रांत में अवस्थित सितवे पोर्ट जो कि भारत की कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सितवे पोर्ट का विकास भारत के पूर्वोत्तर राज्यों (मुख्यतः मिजोरम) को बंगाल की खाड़ी के माध्यम से वैकल्पिक समुद्री मार्ग से जोड़ेगा। इससे पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ सिलीगुड़ी कोरीडोर (चिकन नेक) पर निर्भरता कम होगी। म्यांमार में चीन के बढ़ते प्रभाव से भारत के महत्वपूर्ण परियोजनाओं का विकास प्रभावित हुआ है। अमेरिका की हिंद-प्रशांत रणनीति चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में सहायक है जो कि पूर्वोत्तर भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग में भी प्रगति हुई है। पूर्वोत्तर के छात्रों को अमेरिका में छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है आईआईटी गुवाहाटी और अमेरिकी विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग हो रहा है, इससे पूर्वोत्तर भारत के युवाओं को नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

चुनौतियां

पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए हो रहे नीति निर्माण और उसके कार्यान्वयन के बीच का अंतर एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जहां कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं या तो कागजों पर सीमित रह जाती हैं या धीमी गति से आगे बढ़ती है। कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां निम्नलिखित है-

- म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद और बांग्लादेश में बढ़ी अस्थिरता के कारण महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं जैसे भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, बांग्लादेश से रेल नेटवर्क का विस्तार प्रभावित हो रहा है।
- भारत अमेरिका के बढ़ते सम्बंधों से चीन की आक्रामकता बढ़ सकती है, इससे सिक्योरिटी डिलेमा की स्थिति को बढ़ावा मिल रहा है। चीन के साथ सीमा सम्बंधी विवाद भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
- आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के कारण

पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान पर भी दबाव पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में यह चिंता जताई जा रही है कि बाहरी प्रभाव स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को कमजोर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विकास परियोजनाओं के कारण भूमि अधिग्रहण और विस्थापन जैसे मुद्दे भी उभर रहे हैं जिससे स्थानीय असंतोष पैदा हो सकता है।

- पर्यावरणीय दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत अत्यंत संवेदनशील है, यह क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध है। बड़े पैमाने पर आधारभूत परियोजनाएं जैसे सड़क निर्माण, जल विद्युत परियोजनाएं, रेल नेटवर्क का विस्तार पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित कर सकती है। पहले से ही पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बाढ़ भूस्खलन जैसी कई पर्यावरण समस्याएं मौजूद है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर हो सकती हैं।
- पूर्वोत्तर भारत के विकास में निर्जातीय संघर्ष और सीमावर्ती देशों के साथ नशीली दावों का बढ़ता अवैध व्यापार एक महत्वपूर्ण रुकावट है।
- पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के मध्य बढ़ते सीमा-शुल्क सम्बंधी विवाद से सम्बंधों में तनाव देखने को मिल रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आक्रामक और अस्थिर नीतियों ने भी सम्बंधों में होने वाली प्रगति को धीमी किया है।

संभावनाएं

पूर्वोत्तर भारत आसियान के लिए प्रवेश द्वार है, भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का आधार है। यदि कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित होती है तो यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण आर्थिक हब बन सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन मुख्यतः इको-टूरिज्म और सांस्कृतिक- टूरिज्म की अत्यधिक संभावनाएं हैं। यहां ऊर्जा विकास- नवीकरणीय ऊर्जा, रेयर अर्थ मैटेरियल्स के भंडार होने की संभावना है जो भविष्य में भारत को आत्मनिर्भरता के तरफ ले ले जाने में सहायक होगा।

निष्कर्ष

यह कहां जा सकता है कि २०२० के बाद भारत-अमेरिका सम्बंधों ने पूर्वोत्तर भारत की भूमिका और इसके पहचान को मूल रूप से बदल दिया है। यह क्षेत्र अब वैश्विक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक एकीकरण और संस्कृत संपर्क का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। आवश्यक है कि भारत, पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए समावेशी विकास, रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय सहयोग के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करें, जिससे पूर्वोत्तर भारत सतत और समृद्ध विकास की दिशा में आगे बढ़ सके।

संदर्भ

- यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस (२०२०), इंडो- पेसिफिक स्ट्रेटजी रिपोर्ट।
- स्कॉट, डी., द इंडो- पेसिफिक इन यू.एस स्ट्रेटजी (२०२१), इंटरनेशनल अफेयर्स, ६७(२), ३४५-३६२।
- दास, सरिता 'कल्चरल डाइमेंशन ऑफ इंडिया' एस लुक- एक्ट ईस्ट पॉलिसी' पालग्रेव, मैकमिलन, २०२२।
- बनर्जी, देवमिता कॉम्पटिंग डिजायर : इंडिया'एस लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी रूथलेज पब्लिकेशन, २०२३।
- पंत, एच. वी., इंडिया यू.एस. रिलेषन इन द इंडो- पैसेफिक (२०२०)।
- नीति आयोग (२०२१), नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन विजन- २०३५, गवर्नमेंट आफ इंडिया।
- टेलिस, ए. जेकृ इंडिया- यू.एस. रिलेशंसः स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस इन द इंडो- पेसिफिक (२०२१), कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस।
- यू.एस. कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस, यू.एस. इंडिया रिलेशंस (२०२२)।
- ऑब्जर्वर रिसर्च फाऊंडेशन, (२०२१-२०२४)।
- हॉक, जे., म्यांमार पॉलीटिकल क्राइसिस एंड रीजनल सिक्योरिटी (२०२१), इंटरनेशनल अफेयर्स।

Refereed & Peer Reviewed Research Magazine
RNI-UPHIN/2018/77444 ISSN-2582-1288
त्रैमासिक मूल्य २००
शोधादर्श
संदर्भित एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिक पत्रिका
वर्ष : ८ अंक : ३, जून-अगस्त २०२६
doi.org/10.5281/
इम्पेक्ट फैक्टर(२०२६) : १०.१६
पंजीकृत कार्यालय
शोधादर्श, ए-७, आदर्श नगर, तातारपुर लालू, नजीबाबाद-२४६७६३ ज़िला बिजनौर (उ.प्र.)
संपादकीय कार्यालय/पत्रव्यवहार
शोधादर्श, साईं एंक्लेव, निकट देवता धनौरा, नजीबाबाद-२४६७६३ बिजनौर (उप्र)
https://shodhadarsh.in/

हाइब्रिड युद्धकर्म, दुष्प्रचार और भारत की रणनीतिक स्थिति

डॉ दिनेश कुमार गुप्ता
असिस्टेंट प्रोफेसर
रक्षा एवं स्त्रॅातेजिक अध्ययन विभाग
दयानंद वैदिक कॉलेज, उरई (जालौन)
उत्तर प्रदेश

स्वीटी कुमारी
शोध छात्रा
रक्षा एवं स्त्रॅातेजिक अध्ययन
बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी

सारांश

२१वीं सदी में हाइब्रिड युद्ध संघर्ष के एक बहुआयामी और अस्पष्ट परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें विरोधी राष्ट्रीय शक्ति और स्थिरता को कमजोर करने के लिए साइबर हमलों और दुष्प्रचार से लेकर छद्म मिलिशिया और आर्थिक दबाव तक, गतिज और गैर-गतिज रणनीतियों के पूरे स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हैं। भारत के लिए, यह सामरिक विकास केवल सैद्धांतिक नहीं है; यह उपमहाद्वीप की सीमाओं और डिजिटल क्षेत्रों में प्रतिदिन साकार होता है, जहां शत्रुतापूर्ण पड़ोसी - विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन पारंपरिक, अनियमित और संज्ञानात्मक उपकरणों के मिश्रण का लाभ उठाते हैं। यह शोध पत्र हाइब्रिड युद्ध के जटिल विकास, प्रमुख रणनीतियों और परिचालन वास्तविकताओं की पड़ताल करता है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर (२०२५), भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले और दुष्प्रचार के प्रसार जैसी हालिया घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

कीवर्ड:- हाइब्रिड युद्ध, भारत, साइबर युद्ध, दुष्प्रचार, छद्म युद्ध, ग्रे जोन, तीन युद्ध, चीन, पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर, कुडनकुलम साइबर हमला, रक्षा आधुनिकीकरण, सीडीएस, डीएआईपीए, डीएआईसी, रक्षा साइबर एजेंसी, क्वाड, जीएसओएमआईए, एआई, ड्रोन, हिंद-प्रशांत, संसदीय निगरानी

प्रस्तावना

२१वीं सदी में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य निर्धारित लड़ाइयों से नहीं, बल्कि हाइब्रिड खतरों की निरंतर बौछार से आकार लेता है। ऐसे परिष्कृत अभियान जो प्रत्यक्ष युद्ध के बिना राष्ट्रों को अस्थिर करने के लिए दृश्य और अदृश्य, वैध और अवैध, सभी को एक साथ मिलाते हैं। भारत, जो एक अस्थिर पड़ोस में स्थित है और वैश्विक मंच पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस विकसित होती गतिशीलता में एक प्राथमिक लक्ष्य और एक निर्णायक खिलाड़ी है। तकनीकी नवाचार और संस्थागत प्रयोगों से प्रेरित हाइब्रिड युद्ध का उदय, भारत के पारंपरिक रक्षा सिद्धांतों को चुनौती देता है और समग्र, अनुकूली रणनीतियों को अपनाने के लिए बाध्य करता है[1] हाइब्रिड युद्ध, पारंपरिक या विशुद्ध रूप से अनियमित संघर्ष से अलग, पारंपरिक सैन्य बल, अनियमित रणनीति, साइबर अभियान, आर्थिक प्रतिबंध, दुष्प्रचार, छद्म मिलिशिया और कानूनी हेरफेर का एक अस्पष्ट, समन्वित अनुप्रयोग शामिल करता है। इसका उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया को पंगु बनाना, समाजों का ध्रुवीकरण करना। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को कमजोर करना और प्रतिद्वंद्वी की प्रतिक्रिया को धीमा और अप्रभावी बनाना है।[2,3] उल्लेखनीय रूप से, हाइब्रिड युद्ध, शत्रुतापूर्ण तत्वों, चाहे वे सरकारी हों या गैर-सरकारी, को घोषित युद्ध की दहलीज पार किए बिना हमला करने में सक्षम बनाता है- यह वास्तविकता उस 'ग्रे जोन' के लिए उपयुक्त है जो अब वैश्विक रणनीतिक विमर्श पर हावी है।[4,5] भारत के लिए, ये खतरे अमूर्त नहीं हैं। पिछले पांच वर्षों में जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी छद्म हमलों में वृद्धि, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के त्रि-युद्ध सिद्धांत का क्रियान्वयन, और भारत के परमाणु, ऊर्जा और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर साइबर हमले देखे गए हैं। पहलगाम नरसंहार के जवाब में मई २०२५ का ऑपरेशन सिंदूर, हाइब्रिड खतरों के विरुद्ध भारत के नए, मुखर रुख का प्रतीक है जिसमें सटीक सैन्य जवाबी कार्रवाई, साइबर रक्षा, सूचना अभियान प्रतिवाद और आर्थिक संसाधन शामिल हैं। फिर भी, प्रत्येक परिचालन सफलता के साथ, लगातार कमजोरियां और टकराव बने रहते हैं, जो अवसर और खतरे दोनों को आमंत्रित करते हैं।

इस शोधपत्र का उद्देश्य हाइब्रिड युद्ध की अवधारणा और विकास को उजागर करना, भारतीय संदर्भ में इसके उपकरणों और विधियों का विश्लेषण करना, और भारत के रक्षा आधुनिकीकरण और रणनीतिक रुख[6] पर इसके प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। हाल के केस स्टडीज और नीतिगत सुधारों के आधार पर, यह भविष्य के लिए कार्यान्वयन योग्य सुझावों का एक संग्रह भी प्रस्तुत करता है।

अवधारणा एवं विकास

हाइब्रिड युद्ध, विभिन्न तरीकों-पारंपरिक बल, अनियमित रणनीति, साइबर ऑपरेशन और मनोवैज्ञानिक हेरफेर का एक कलात्मक एकीकरण है, जिसका उद्देश्य बिना किसी प्रत्यक्ष संघर्ष को भड़काए रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है। २००६ के लेबनान युद्ध में हिज्बुल्लाह द्वारा सैन्य, राजनीतिक

और मीडिया उपकरणों के उपयोग, क्रीमिया और यूक्रेन के प्रति रूस के 'छोटे हरे आदमी' दृष्टिकोण और मध्य पूर्व में ईरान द्वारा छद्म बलों को समर्थन के बाद इस अवधारणा पर विद्वानों और रणनीतिक लोगों का ध्यान बढ़ा। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स अधिकारी फ्रैंक जी. हॉफमैन ने औपचारिक रूप से हाइब्रिड युद्ध को 'एक ही युद्ध क्षेत्र में पारंपरिक, अनियमित, आतंकवादी और आपराधिक व्यवहार' के संयोजन के रूप में परिभाषित किया।

यह दृष्टिकोण दक्षिण एशिया के लिए नया नहीं है। विभाजन के बाद से, भारत को अपनी सीमाओं पर संकर खतरों का सामना करना पड़ा है। १९४७-४८ में पाकिस्तानी अनियमितताएं, १९८० के दशक के उत्तरार्ध से कश्मीर में छद्म युद्ध, और पंजाब और पूर्वोत्तर में उग्रवाद और आतंकवादी कृत्यों का प्रायोजन।[७] हालांकि, तकनीकी त्वरण विशेष रूप से डिजिटल संचार, एआई, मानवरहित प्रणालियां और सोशल मीडिया ने एक नए युग की शुरुआत की है। जिससे शत्रुतापूर्ण कार्रवाई की लागत और सीमा दोनों कम हो गई है। जैसा कि २०२५ में रक्षा मंत्री ने कहा, 'सीमांत रेखा की पारंपरिक अवधारणा तेजी से बदल रही है। आतंकवाद, उग्रवाद, साइबर युद्ध राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर रहे हैं और आंतरिक सुरक्षा की स्थापित धारणाओं को चुनौती दे रहे हैं'। दुनिया भर में, संकर युद्ध ने आक्रमण और रक्षा, युद्ध और शांति, घरेलू मोर्चे और युद्धक्षेत्र की परिभाषाओं को धुंधला कर दिया है। कार्रवाई का कारण स्थानीय (जैसे पहलगाम नरसंहार या मणिपुर अशांति) या अंतरराष्ट्रीय (साइबर हमले और आवश्यक सेवाओं को बाधित करने वाले दुष्ट एआई बॉट) हो सकता है, लेकिन इसका परिणाम लगभग सार्वभौमिक अनिश्चितता और सभी सरकारों और समाजों के लिए निरंतर सतर्कता है।

घटक एवं रणनीति

हाइब्रिड युद्ध तालमेल, अस्पष्टता और अस्वीकार्यता पर पनपता है। इसके आवश्यक उपकरणों में शामिल हैं:

पारंपरिक सैन्य बल : अनियमित सैन्य बलों के साथ तैनात या अन्य साधनों के सक्रिय होने पर निवारण के लिए उपयोग किया जाता है (उदाहरण के लिए, पुलवामा के बाद भारत द्वारा नियंत्रण रेखा पार हमले : वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पीएलए की स्थिति)।

अनियमित रणनीति और छद्म युद्ध : प्रॉक्सी पर दीर्घकालिक निर्भरता-कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के इस्तेमाल से लेकर उग्रवाद और स्लीपर सेल को प्रायोजित करने तक केंद्रीय बनी हुई है।[८]

साइबर युद्ध और सूचना अभियान : इसमें हैकिंग, मैलवेयर, रैंसमवेयर, सेवा निषेध (डीओएस) और सरकारी, सैन्य, कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत प्रणालियों से संवेदनशील डेटा का समन्वित निष्कर्षण या हेरफेर शामिल है। ये अभियान अक्सर परमाणु संयंत्रों (कुडनकुलम), पावर ग्रिड (मुंबई) और वित्तीय प्रणालियों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हैं।[९,१०]

दुष्प्रचार और दुष्प्रचार अभियान : विरोधी जनता की भावनाओं को ध्रुवीकृत करने, भ्रम फैलाने, विश्वास को कम करने या अंतरराष्ट्रीय धारणाओं को प्रभावित करने के लिए समन्वित संदेश (अक्सर बॉट्स, डीपफेक, फर्जी खबरों से प्रेरित) का इस्तेमाल करते हैं। उल्लेखनीय रूप से, २०२५ के पहलगाम हमले के बाद, पड़ोसियों और घरेलू दोनों ही पक्षों ने वैकल्पिक आख्यान गढ़ने के लिए डिजिटल मीडिया का दुरुपयोग किया।

ग्रे जोन ऑपरेशन और कानूनी युद्ध : युद्ध की सीमा से नीचे की जगह का दोहन करके अतिरिक्त लाभ प्राप्त करना (दक्षिण चीन सागर या एलएसी में चीनी 'सलामी स्लाइसिंग'; नशीले पदार्थों और हथियारों के जरिए पाकिस्तानी घुसपैठ; विदेशों में भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए विदेशी कानूनी तरीकों का दुरुपयोग)।

आर्थिक दबाव, प्रतिबंध और तोड़फोड़ : निर्भरताएं पैदा करने या विकास को बाधित करने के लिए व्यापार, निवेश, ऊर्जा आपूर्ति और आपूर्ति शृंखलाओं का लाभ उठाना। दवा आपूर्ति और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से चीन का आर्थिक लाभ, या भारत के डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे पर सुनियोजित हमले, इस उपकरण के उदाहरण हैं।[११]

उभरती प्रौद्योगिकियां (एआई, ड्रोन, स्वायत्त प्रणालियां, क्वांटम कंप्यूटिंग): मानवरहित हवाई प्रणालियां (ड्रोन), घूमने वाले हथियार, एआई-संचालित गलत सूचनाएं और पूर्वानुमानित विश्लेषण, हाइब्रिड ऑपरेशनों के लिए तेजी से केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। एआई आक्रमण (सोशल इंजीनियरिंग, पेलोड लक्ष्यीकरण) और रक्षा (खतरे का पता लगाना, डीपफेक का मुकाबला)[१२,१३] को समान रूप से सशक्त बना सकता है।

भारत के विरोधियों ने इन तत्वों को मिलाने और क्रमबद्ध करने की कला में महारत हासिल कर ली है। कभी-कभी स्पष्ट समकालिकता में, और अक्सर सोची-समझी अस्पष्टता में-ताकि अधिकतम प्रभाव प्राप्त हो सके।

हाइब्रिड युद्ध के मुख्य तत्व और हालिया उदाहरण (२०२०-२०२५)

भारत में उपकरण	उदाहरण	उल्लेखनीय अपराधी	प्रभाव
प्रॉक्सी युद्ध	कश्मीर हमले, पंजाब में ड्रोन हमले	पाकिस्तान	नागरिक और सैन्य हताहत.सामाजिक अशांति
साइबर युद्ध	२०१९ कुडनकुलम, २०२० मुंबई ग्रिड मई २०२५ ऑपरेशन	चीन, पाकिस्तान	संकटग्रस्त बिजली, परमाणु और वित्तीय ग्रिड
दुष्प्रचार/प्रचार	पहलगाम सोशल मीडिया युद्ध (मई २०२५), डीपफेक	पाकिस्तान, चीन	सामाजिक विभाजन, कूटनीतिक दबाव
आर्थिक दबाव	चीनी एपीआई आपूर्ति झटका, व्यापार प्रतिबंध	चीन	दवा की कमी, आपूर्ति शृंखला व्यवधान
एआई/स्वायत्त प्रणालियां	ड्रोन-विरोधी अभियान, एआई-संचालित हैकिंग	दोनों	साइबर क्षेत्र और तकनीकी दौड
कानूनी/ग्रे जोन युद्ध	एलएसी घुसपैठ (डोकलाम, गलवान), वैश्विक कानूनी लड़ाई	चीन, पाकिस्तान	विवादों का अंतरराष्ट्रीयकरण, अस्वीकार्यता

हाइब्रिड के प्रत्येक आयाम जैसा कि ऊपर बताया गया है, युद्ध भारत की नागरिक, सैन्य और डिजिटल प्रणालियों में दरारों का सीधा सामना करता है या उनका फायदा उठाता है, जिससे अस्पष्टता की लागत बढ़ जाती है और पूरे देश की प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है।

साइबर युद्ध और सूचना संचालन

भारत एक डिजिटल ज्वालामुखी के शिखर पर स्थित है, जहां ६० करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता (२०२५). एक फलता-फूलता स्टार्टअप इकोसिस्टम और तेजी से डिजिटल हो रहा सरकारी और रक्षा क्षेत्र[१४] है। हालांकि, यह डिजिटल उछाल अपने साथ विस्तारित हमले के क्षेत्र भी लाता है। हाल के वर्षों में, साइबर युद्ध जासूसी या झुंझलाहट से रणनीतिक व्यवधान में बदल गया है।

उल्लेखनीय घटनाएं

- कुडनकुलम परमाणु संयंत्र हमला (२०१६) : मैलवेयर ने एंटरप्राइज नेटवर्क में घुसपैठ की, कथित तौर पर भविष्य के हमलों के लिए एक टेम्पलेट प्रदान किया। साइबर परमाणु इंटरफेस को और मजबूत करने की एक चेतावनी।[१५]
- मुंबई ग्रिड हमला (२०२०) : चीनी सरकारी तत्वों द्वारा किए गए इस हमले ने भारत के सबसे बड़े शहरी ग्रिडों में से एक को ऑफलाइन कर दिया, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए और 'रिमोट कंट्रोल द्वारा राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे को बंधक बनाने' के इरादे का संकेत मिला।[१६]
- मई २०२५ (ऑपरेशन सिंदूर) : सरकार और प्रमुख बुनियादी ढांचे पर १५ लाख से ज्यादा साइबर हमले हुए, जिनमें से ज्यादातर पाकिस्तान से संचालित थे। रक्षा साइबर एजेंसी और CERT-In सहित भारतीय साइबर रक्षा अवसंरचना ने अधिकांश प्रयासों को विफल कर दिया, जिससे हमलों की बढ़ती जटिलता और संख्या उजागर हुई।
- दुष्प्रचार अभियान : संकट के दौरान हेरफेर किए गए आख्यानों का तेजी से प्रसार- जैसे पहलगाम नरसंहार के बाद समन्वित अभियान, डीपफेक वीडियो और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग ने न केवल घरेलू दर्शकों को भ्रमित किया है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय धारणाओं को भी प्रभावित किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पाकिस्तानी सोशल मीडिया ने X फेसबुक और टेलीग्राम पर मनगढंत तस्वीरें #IndianFalseFlag जैसे हैशटैग की बाढ़ ला दी, जिसका उद्देश्य भारत के आख्यान को कमजोर करना और भ्रम पैदा करना था।[१७]
- **AI** का दोहरा लाभ : जनरेटिव AI, LLM और डीपफेक टूल के उदय के साथ, दुष्प्रचार और पहचान दोनों में तेजी आ रही है। AI का उपयोग न केवल फर्जी खबरें फैलाने, अशांति पैदा करने और सेवा से इनकार करने के लिए किया जाता है, बल्कि यह भारतीय पहचान एल्गोरिदम, खतरे की निगरानी और तथ्य जांच अभियानों[१८] को भी शक्ति प्रदान करता है।

दुष्प्रचार और प्रचार अभियान

हाइब्रिड युद्ध, जानबूझकर, खुले समाजों की सूचना विकार के प्रति संवेदनशीलता का फायदा उठाता है। भारत के संदर्भ में, इसकी विशाल, भाषाई रूप से विविध डिजिटल आबादी, परिवर्तनशील मीडिया साक्षरता और राजनीतिक ध्रुवीकरण के कारण यह भेद्यता और भी बढ़ जाती है। विश्व आर्थिक मंच की २०२५ की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट में दुष्प्रचार और भ्रामक सूचनाओं को सबसे बड़ा उभरता वैश्विक खतरा बताया गया है।

तंत्र और प्रभाव :

- कथानक में हेरफेर : डिजिटल कलाकार सामाजिक दोश रेखाओं (जैसे, धार्मिक, जातिगत, आर्थिक) का मानचित्रण करते हैं, सनसनीखेज और ध्रुवीकरणकारी सामग्री फैलाते हैं, और इन संदेशों को बढ़ाने के लिए बॉट्स का उपयोग करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोध प्रदर्शन २०१९ और २०२४ के मणिपुर अशांति, दोनों में दुष्प्रचार के कारण वास्तविक दुनिया में लामबंदी और हिंसा भड़क उठी।
- विदेशी अभियान : भारत की जी-२० अध्यक्षता के दौरान, चीन और पाकिस्तान ने भारत को दबाव डालने वाला या अस्थिर दिखाने के लिए बॉट नेटवर्क, सरकारी मीडिया और नकली एनजीओ का इस्तेमाल किया, जिससे राजनयिक और आर्थिक जुड़ाव प्रभावित हुए।[१९]
- घरेलू राजनीतिक दुष्प्रचार : डीपफेक, फर्जी उद्धरण और 'वायरल लीक' ने संसद, मीडिया और सुरक्षा बलों में संस्थागत विश्वास को कम करने की कोशिश की है जिससे लोकतंत्र में विश्वास के क्षरण की चिंता बढ़ रही है।
- प्रतिवाद : भारत ने डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किए हैं, चुनावों के दौरान समर्पित तथ्य जांच इकाइयां (शक्ति तथ्य जांच सामूहिक) स्थापित की हैं, और सामग्री हटाने के लिए कानूनी शक्तियों को बढ़ाया है। हालांकि, ऐसे प्रति-अभियानों के पैमाने और गति में तेजी लानी होगी।

हाइब्रिड युद्ध में डिजिटल दुष्प्रचार की शक्ति न केवल जनता को भ्रमित करने में निहित है, बल्कि घरेलू एकता को कमजोर करने, सशस्त्र बलों का मनोबल गिराने और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को हतोत्साहित करने में भी निहित है।

ग्रे जोन और कानूनी युद्ध रणनीतियां

ग्रे जोन युद्ध, युद्ध और शांति के बीच के अस्पष्ट अंतराल में संचालित होता है, जहां कानूनी, प्रक्रियात्मक और मानक अस्पष्टताओं का उपयोग करके रक्षकों को पंगु बनाया जाता है। भारत के दोनों प्रमुख विरोधियों ने ऐसी रणनीतियों से अपने हितों को आगे बढ़ाया है।

चीन

- तीन युद्ध रणनीतियां : पीएलए ने जनमत युद्ध (मीडिया हेरफेर), मनोवैज्ञानिक युद्ध (मनोबल ह्रास, गलत सूचना), और कानूनी युद्ध (कानूनी युद्ध - यथास्थिति को पुनर्परिभाषित करने के लिए दावों, संधियों और अंतरराष्ट्रीय निकायों का उपयोग को संस्थागत रूप दिया। प्रमुख उदाहरणों में चीन द्वारा संधियों का चुनिंदा हवाला देना (जैसे, डोकलाम में १८६० का कन्वेंशन), अग्रिम संगठनों का समर्थन करना और दक्षिण चीन सागर तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अंतरराष्ट्रीय कानून की अपनी व्याख्याओं पर जोर देना शामिल है।
- समुद्री ग्रे जोन ऑपरेशन : विवादित जलक्षेत्र में 'समुद्री मिलिशिया' जहाजों का इस्तेमाल, मछली पकड़ने वाली नावों को टक्कर मारना, और धीरे-धीरे अतिक्रमण करना- ये सब सीधे संघर्ष या अंतरराष्ट्रीय निंदा से बचते हुए।[२०]

पाकिस्तान

- संभावित अस्वीकार्यता : आतंकवादी प्रॉक्सी नार्कोटेररिज्म और साइबर ऑपरेटिव्स के व्यापक उपयोग के माध्यम से, पाकिस्तान 'बिना प्रत्यक्ष जिम्मेदारी लिए भारत को अस्थिर' करना चाहता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय निंदा की सीमा बढ़ जाती है और विघटनकारी प्रभाव अधिकतम हो जाता है।
- विदेश में कानूनी कार्रवाई : अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों का उपयोग करना, बहुपक्षीय मंचों पर घटनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, और विदेशों में भारतीयों को कानूनी रूप से परेशान करना, विशेष रूप से कश्मीर जैसे मुद्दों पर।

इसके जवाब में, भारत ने कानूनी कार्रवाई के विरुद्ध रणनीतियां तैयार करना शुरू कर दिया है और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और मीडिया के कानूनी हथियारीकरण के प्रति अधिक सतर्क हो गया है।

अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाना-जैसे कि बालाकोट के बाद और ऑपरेशन सिंदूर हमलों के दौरान, जहां भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को जानकारी दी और अनुच्छेद ५१ के तहत आत्मरक्षा के रूप में कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की- एक बढ़ती हुई कानूनी परिष्कृतता का प्रतिनिधित्व करता है।

आर्थिक दबाव और प्रतिबंध हाइब्रिड उपकरणों के रूप में

आज के संघर्ष युद्ध के मैदान में जितने प्रभावी हैं, उतने ही बोर्ड रूम और व्यापार गलियारों में भी।

चीन की रणनीति : चीन व्यापार प्रतिबंधों, नियामक उत्पीड़न और आपूर्ति शृंखला में हेरफेर के माध्यम से परिणामों को प्रभावित करने के लिए दुनिया के कारखाने के रूप में अपनी स्थिति का इस्तेमाल करता है। एपीआई और सेमीकंडक्टरों का निर्यात, संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे बंदरगाह और दूरसंचार) में निवेश नियंत्रण, और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं (बीआरआई), सभी का उपयोग अनुपालन को पुरस्कृत करने या प्रतिरोध को दंडित करने के लिए किया जाता है।

पाकिस्तान की हाइब्रिड अर्थव्यवस्था : पाकिस्तान मादक पदार्थों की तस्करी और नकली मुद्रा के माध्यम से सीमा पार आतंकवाद और उग्रवाद को वित्तपोषित करता है, जिससे वित्तीय और सुरक्षा दोनों चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। कभी-कभी सीमा पार व्यापार मार्गों को बंद करने और जल-बंटवारे पर बातचीत के माध्यम से भी आर्थिक दबाव डाला जाता है।

भारतीय प्रतिवाद : भारत ने उकसावे के जवाब में पारस्परिक व्यापार प्रतिबंधों (पाकिस्तान के साथ), आपूर्ति शृंखला विविधीकरण (एपीआई और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए), और जल-बंटवारे या वीजा नीतियों के पुनर्निर्धारण के साथ तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की है (ऑपरेशन सिंदूर के तहत सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया गया, व्यापार बंद कर दिया गया और सीमा पार आवाजाही को निलंबित कर दिया गया)।

छद्म युद्ध और गैर-सरकारी तत्व

पाकिस्तान १९८० के दशक से ही अपनी मिश्रित रणनीति के एक मुख्य घटक के रूप में छद्म युद्ध को अपनाता रहा है, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे आतंकवादी समूहों के साथ-साथ द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) जैसी उभरती हुई संस्थाओं का इस्तेमाल करके भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों पर हमले किए जाते हैं, जबकि वे संभावित रूप से इनकार करने की क्षमता बनाए रखते हैं। अप्रैल २०२५ में पहलगाम में हुए हमले, जिसमें २६ नागरिक मारे गए थे, के लिए पाकिस्तान स्थित या उससे प्रभावित किसी समूह को जिम्मेदार ठहराया गया था; इसके कारण भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया।[२१]

छद्म युद्ध के उभरते रुझानों में शामिल हैं :

वितरित नेतृत्व : नए समूह क्लाउड-आधारित संचार पर निर्भर करते हैं, जिससे हस्ताक्षर कम होते हैं और सीधे तौर पर जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है।

ड्रोन युद्ध और नार्को-विद्रोह : सीमा पार हथियार, गोला-बारूद और ड्रग्स पहुंचाने के लिए ड्रोन का बढ़ता उपयोग।

स्थानीय सहयोगी : प्रॉक्सी गतिविधियां अब बाहरी और घरेलू तत्वों के बीच की खाई को धुंधला कर रही हैं, जिससे बेहतर खुफिया जानकारी और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और राज्य पुलिस के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता है।

प्रॉक्सी गतिशीलता संघर्ष प्रबंधन को खतरनाक बना देती है, क्योंकि जिम्मेदारी के शुरुआती दावों (जिन्हें वापस लिया जा सकता है या उनमें हेरफेर किया जा सकता है) और अस्पष्ट साक्ष्यों को हमेशा राज्य की संलिप्तता को छिपाने और घरेलू और वैश्विक दोनों आख्यानों को प्रभावित करने के लिए गढ़ा जा सकता है।

पाकिस्तान की हाइब्रिड युद्ध रणनीतियां

भारत के विरुद्ध पाकिस्तानी हाइब्रिड युद्ध चार प्रमुख धुरी पर फैला हुआ हैः

प्रॉक्सी आतंकवाद : कश्मीर और अन्य भारतीय राज्यों में सक्रिय समूहों को समर्थन।

सूचना और मनोवैज्ञानिक अभियान : भारतीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों दर्शकों को लक्षित करने वाले अभियान, भारत को दमनकारी और गैर-जिम्मेदार के रूप में चित्रित करते हैं।

साइबर अभियान : डिजिटल रूप से सक्षम जासूसी, रैंसमवेयर और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना।

अंतरराष्ट्रीयकरण और कानूनी युद्ध : अंतरराष्ट्रीय निकायों में आक्रामक रूप से पैरवी करना, कानूनी शिकायतें दर्ज करना और वैश्विक मीडिया में शत्रुतापूर्ण कवरेज को प्रोत्साहित करना।

भारत का सैद्धांतिक विकास अब राज्य समर्थित बड़े आतंकवादी हमलों को युद्ध के कृत्यों के रूप में मानता है, जिसके लिए कठोर सैन्य और असैन्य जवाबी कार्रवाई की आवश्यकता होती है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर और हालिया संसदीय नीतिगत बहसों में परिलक्षित होता है।

चीन का ग्रे जोन और तीन युद्ध

चीन के 'तीन युद्ध' उसके दृष्टिकोण का आधार हैं :

मीडिया/जनमत युद्ध : अपने पक्ष में वैश्विक और क्षेत्रीय जनमत तैयार करना; सूचना नियंत्रण, फर्जी समाचारों और वैश्विक थिंक टैंक या शैक्षणिक आदान-प्रदानों पर कब्जा करके असहमतिपूर्ण आख्यानों को दबाना या विकृत करना।

मनोवैज्ञानिक युद्ध : प्रचारित धमकियों, कूटनीतिक दबावों और सोशल मीडिया अभियानों का उपयोग करके विरोधी आबादी और निर्णयकर्ताओं का मनोबल गिराने के उद्देश्य से।

कानूनी युद्ध (लॉफेयर) : विस्तारवादी कदमों (जैसे, दक्षिण चीन सागर, डोकलाम) को सही ठहराने के लिए आक्रामक कानूनी व्याख्याओं का सहारा लेना, और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विरोधियों की वैधता पर चुनिंदा हमले करना।

डोकलाम गतिरोध (२०१७), वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर लगातार घुसपैठ, और कोविड-१९ के मद्देनजर दुष्प्रचार का प्रसार, ये सभी इन रणनीतियों को दर्शाते हैं। चीन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक ब्लैकमेल (बहिष्कार, प्रतिबंध) और तकनीकी प्रभुत्व (५जी, दूरसंचार अवसंरचना) का भी लाभ उठाता है। बेल्ट एंड रोड पहल और सैन्य रसद ('दोहरे उपयोग' वाले बंदरगाहों) का अंतर्संबंध इन रेखाओं को और धुंधला कर देता है।

हिंद-प्रशांत हाइब्रिड खतरा परिदृश्य

बहुध्रुवीय, लघु-पक्षीय हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हाइब्रिड युद्ध फल-फूल रहा है। इस क्षेत्र के खुले समुद्र, परस्पर जुड़े डिजिटल क्षेत्र और व्यवस्था के लिए प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण (चीनी 'साझा नियति समुदाय' बनाम अमेरिका-जापान-भारत-ऑस्ट्रेलिया की नियम-आधारित व्यवस्था) इसके लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करते हैं।

सामरिक प्रतिस्पर्धा : चीन अब वियतनाम, फिलीपींस, जापान (जैसे, सेनकाकू द्वीप समूह) और भारत के विरुद्ध नियमित रूप से हाइब्रिड रणनीतियां अपना रहा है। समुद्री मिलिशिया, साइबर नाकेबंदी और व्यापार में हेराफेरी दक्षिण

चीन सागर और उसके बाहर प्रभुत्व के लिए चल रही प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है।[२२]

लघु-पक्षीय समाधान : क्वाड, AUKUS और रणनीतिक समझौतों (GSOMIA, LEMOA,BECA) जैसी साझेदारियां खुफिया जानकारी साझा करने, संयुक्त साइबर अभ्यास और क्षेत्रीय लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई हैं।[२३] आपदाओं, समुद्री सुरक्षा और मानवीय सहायता में 'प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता' के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका विश्वसनीय महत्व और जटिलता जोड़ती है।

भारत का रक्षा आधुनिकीकरण और तैयारी

हाइब्रिड युद्ध के प्रति भारत की प्रतिक्रिया बहुआयामी होनी चाहिए। जिसमें सैन्य क्षमताओं का आधुनिकीकरण, संस्थागत सुधार और एकीकृत सैद्धांतिक बदलाव शामिल हों।

आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण पड़ाव

रक्षा व्यय में वृद्धि : रक्षा बजट [1] २.५३ लाख करोड़ (२०१३-१४) से बढ़कर [1] ६.८१ लाख करोड़ (२०२५-२६) हो गया है, जिसमें घरेलू क्षमता निर्माण और स्वदेशीकरण (रक्षा उत्पादन [1] १.५ लाख करोड़, २०२४-२५) पर विशेष ध्यान दिया गया है।

स्वदेशी तकनीक : पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ एएमसीए लड़ाकू विमानों, आकाशतीर सी२ नेटवर्क, प्रलय मिसाइल रेजिमेंट और स्वार्म ड्रोन प्रणालियों का विकास और समावेश आधुनिकीकरण की गति को दर्शाता है।

साइबर सुरक्षा और डिजिटल संचालन : रक्षा साइबर एजेंसी (२०२१ में चालू) तीनों सेनाओं की साइबर सुरक्षा का नेतृत्व करती है और CERT-In जैसी नागरिक एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी और AI/DokaVe तकनीक अपनाने (जैसे, प्रोजेक्ट सीकर, भारत NCX) इस लड़ाई को उभरते हुए क्षेत्रों तक ले जाते हैं।[२४]

संरचनात्मक सुधार

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (**CDS**) : २०१६-२० में स्थापित, CDS अंतर-सेवा नियोजन को एकीकृत करता है, सैन्य मामलों के विभाग का प्रबंधन करता है, और निर्बाध, बहु-डोमेन संचालन[२४] के उद्देश्य से एकीकृत थिएटर कमांड के निर्माण की अध्यक्षता करता है।

रक्षा **AI** परियोजना एजेंसी (**DAIPA**) और रक्षा **AI** परिषद (**DAIC**) : सशस्त्र बलों में AI अनुसंधान, अधिग्रहण और सैद्धांतिक एकीकरण को समन्वित करने के लिए बनाया गया।

संसदीय निरीक्षण : रक्षा सम्बंधी स्थायी समिति ने गैर-गतिज और हाइब्रिड खतरों के विरुद्ध तैयारी को प्राथमिकता दी है, साइबर, ड्रोन-रोधी और सूचना क्षेत्रों में तैयारियों की समीक्षा की है।[२६,२७]

संयुक्तता और थिएटर कमांड : एकीकृत थिएटर कमांड की ओर बदलाव से थल सेना, नौसेना और वायु सेना की संपत्तियों का भूगोल और कार्य के आधार पर समन्वय होगा, जो विभिन्न मोर्चों पर बहुआयामी खतरों को रोकने के लिए आवश्यक है।[२८]

संस्थागत सुधार : सीडीएस, डीएआईपीए, डीएआईसी

हाइब्रिड खतरों की विकसित होती प्रकृति ने संस्थागत पुनर्गठन की एक लहर को जन्म दिया है:

सीडीएस (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ) : संयुक्तता, बल पुनर्गठन और परिचालन निरीक्षण का कार्यभार।

डीएआईपीए और डीएआईसी : ये एजेंसियां एआई को अपनाने में सहायक हैं, एआई-आधारित निर्णय प्रणालियों का समर्थन करती हैं, और आक्रामक और रक्षात्मक हाइब्रिड ऑपरेशनों दोनों के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।

वैश्विक साझेदारियां : क्वाड, जीएसओएमआईए जैसे समझौतों में भारत का प्रवेश और क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ताओं में भागीदारी खुफिया आदान-प्रदान, साइबर अभ्यास और रणनीतिक प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक जाल बनाती है।

भारत की साइबर सुरक्षा और रक्षा साइबर एजेंसी

भारत ने रक्षा साइबर एजेंसी (DCA) की स्थापना करके दृढ़तापूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जो २०२१ से कार्यरत है। DCA रक्षात्मक (सैन्य नेटवर्क, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा) और आक्रामक (साइबर हमलों का मुकाबला, डिजिटल फॉरेंसिक) दोनों प्रकार के कार्यों पर केंद्रित है। यह एजेंसी खुफिया जानकारी, प्रशिक्षण और खतरे के शमन के लिए नागरिक समकक्षों, NCIIPC और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ समन्वय करती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, DCA और NIC-सशक्त टीमों ने भारत की कमान और नियंत्रण, बिजली और वित्तीय प्रणालियों को लक्षित करने वाले साइबर हमलों की बाढ़ को सफलतापूर्वक कम किया। NIC की AI निभृत (PII डेटा को छिपाने के लिए), निगरानी उपकरण और फेसलेस डिजिटल सेवाएं स्वचालित और AI-संचालित साइबर सुरक्षा उपायों की ओर बढ़ते रुझान को दर्शाती हैं।

अंतरराष्ट्रीय साझेदारियांः क्वाड और GSOMIA

हिंद-प्रशांत और उसके बाहर हाइब्रिड खतरों का मुकाबला करने के लिए, भारत ने लघु-पक्षीय और द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के साथ गहन जुड़ाव की ओर रुख किया है :

क्वाड : भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया खुफिया, प्रौद्योगिकी और समुद्री सुरक्षा पर सहयोग करते हैं, और साइबर युद्ध और बुनियादी ढांचे की मजबूती जैसे गैर-पारंपरिक खतरों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।

GSOMIA और अन्य समझौते : अमेरिका के साथ GSOMIA, LEMOA, COMCASA और BECA जैसे समझौते सुरक्षित संचार, रीयल-टाइम भू-स्थानिक खुफिया जानकारी और संयुक्त परिचालन क्षमताओं को बढ़ावा देते हैं।[२९]

रणनीतिक तकनीकी साझाकरण : यूके, जापान और इजराइल के साथ संयुक्त अनुसंधान एवं विकास भारत की निगरानी, ड्रोन और साइबर-रक्षा तकनीक को आगे बढ़ाता है, और घरेलू कार्यक्रमों को पूरक बनाता है।

केस स्टडी - ऑपरेशन सिंदूर (मई २०२५)

ऑपरेशन सिंदूर भारत के हाइब्रिड-विरोधी सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। पहलगाम आतंकी नरसंहार (२२ अप्रैल, २०२५) से प्रेरित इस अभियान में ७ मई, २०२५ को पाकिस्तान और पीओके में नौ आतंकी ढांचे वाले ठिकानों पर सटीक हवाई और मिसाइल हमले किए गए।

सटीक हमले : राफेल जेट, हैमर और स्कैल्प हथियारों और इजराइली ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए, भारत ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के शिविरों को निशाना बनाया और कथित तौर पर १०० से ज़्यादा 'उच्च मूल्य' वाले आतंकवादियों का सफाया कर दिया।

ड्रोन-रोधी अभियान : ड्रोन झुंडों और मिसाइलों के जरिए पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई को आकाशतीर जैसी उन्नत ड्रोन-रोधी प्रणालियों द्वारा काफी हद तक बेअसर कर दिया गया।

डिजिटल और नागरिक सुरक्षा : राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास और डिजिटल निगरानी ने भारत की समग्र समाज-जुटाव को प्रदर्शित किया, जबकि भारतीय अधिकारियों ने गलत

सूचनाओं का खंडन करने और कथानक पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए काम किया।

कूटनीतिक विस्तार : ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आत्मरक्षा स्थिति और सिंधु जल संधि के निलंबन, व्यापार प्रतिबंधों और वीजा प्रतिबंधों सहित सख्त आर्थिक और कूटनीतिक उपायों को समझाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संक्षिप्त विवरण के साथ जोड़ा गया था।

प्रभाव और सबक :

रेडलाइन और निवारण : प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को एक 'नया सामान्य' घोषित किया - किसी भी आतंकवादी हमले का, पाकिस्तानी परमाणु रुख की परवाह किए बिना, त्वरित, पूर्ण-स्पेक्ट्रम जवाबी कार्रवाई से जवाब दिया जाएगा।[३०]

हाइब्रिड समन्वय : इस ऑपरेशन में सैन्य, आर्थिक, डिजिटल और कूटनीतिक उपकरणों को शामिल किया गया - जो भविष्य के हाइब्रिड संकटों के लिए आवश्यक 'जटिल निवारण' का मॉडल था।

आख्यान और सूचना : तीव्र सैन्य सफलता के बावजूद, इस ऑपरेशन ने भारत के सूचना युद्ध ढांचे में कमियों को उजागर किया, जिससे बेहतर समन्वित आख्यान नियंत्रण और एक केंद्रीय IW कमांड[३१] की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

केस स्टडी - कुडनकुलम और मुंबई ग्रिड पर साइबर हमले

भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बार-बार चीन और पाकिस्तान दोनों से जुड़े साइबर हमलों का निशाना बनाया गया है।

कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, २०१६ : मैलवेयर (डीट्रैक, उत्तर कोरिया से जुड़ा) ने बिजली संयंत्र के व्यावसायिक नेटवर्क में घुसपैठ की। हालांकि किसी भी परिचालन प्रणाली से समझौता नहीं हुआ, लेकिन इसने विक्रेता और प्रशासनिक सुरक्षा में कमियों को उजागर किया, और सुरक्षा की झूठी भावना के रूप में 'एयर गैप्स' पर चिंता जताई।[३२]

मुंबई ग्रिड, २०२० : चीन से जुड़े हैकरों ने कथित तौर पर शहर के ग्रिड सिस्टम को संक्रमित कर दिया, जिससे यह कुछ समय के लिए अंधेरे में डूब गया और 'डिजिटल संप्रभुता' के लिए खतरे का संकेत दिया। जांच 'रेड इको' की ओर इशारा करती है, जो एक चीनी समूह है जो भारतीय बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है।

मई २०२५ : ऑपरेशन सिंदूर में कम से कम सात पाकिस्तानी और कई 'लोन वुल्फ' हैकरों द्वारा भारतीय नेटवर्क पर साइबर हमलों की एक समन्वित बौछार देखी गई; अधिकांश हमलों को विफल कर दिया गया, लेकिन पैमाने ने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के निरंतर उन्नयन और रेड-टीमिंग की आवश्यकता को रेखांकित किया।[३२]

विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण

दोनों हमले जिम्मेदारी तय करने की चुनौती. घटना पर त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता और एक सतत सीखने वाले, सार्वजनिक निजी साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र की अनिवार्यता को दर्शाते हैं।

संसदीय निगरानी और नीतिगत बहस

संघर्ष के स्वरूप में आ रही क्रांति को स्वीकार करते हुए, भारतीय संसद और रक्षा सम्बंधी संसदीय स्थायी समिति ने हाइब्रिड और गैर-गतिज युद्ध की तैयारी की समीक्षा और निगरानी को प्राथमिकता दी है। प्रमुख फोकस क्षेत्रों में शामिल हैं-

साइबर और डिजिटल खतरे : साइबर हमलों, ड्रोन-रोधी तकनीकों और एआई एवं उन्नत सूचना प्रणालियों के एकीकरण की तैयारियों की वार्षिक समीक्षा।

स्वदेशी आधुनिकीकरण : मेक-इन-इंडिया पहलों, रक्षा खरीद प्रक्रियाओं और नए संयुक्त कमांडों के संचालन का नियमित ऑडिट।

नीतिगत सैद्धांतिक बहस : प्रति-आक्रामक साइबर अभियानों की सीमाओं और वैधता, सूचना युद्ध पारदर्शिता और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर निगरानी के बारे में चल रही नीतिगत बहसें।

संसदीय जांच अधिक तकनीकी और तात्कालिक हो गई है, जो समग्र, बहु-क्षेत्रीय रक्षा योजना की ओर बदलाव का संकेत देती है।

उभरती प्रौद्योगिकियांः एआई, ड्रोन, स्वायत्त प्रणालियां

भारत का रक्षा आधुनिकीकरण अब तकनीकी बढ़त पर केंद्रित है :

एआई और पूर्वानुमान विश्लेषण : भारतीय सेना का प्रोजेक्ट सीकर, व्यक्तिगत पहचान (पीआईआई) को छिपाने के लिए एआई, और लड़ाकू ड्रोन निगरानी और गतिज मिशनों में एआई को मुख्यधारा में लाने का संकेत देते है।

लोइटरिंग म्यूनिशन और स्वार्म ड्रोन : प्रलय प्रिसिजन ड्रोन, यूएलपीजीएम-वी३ ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन को अपनाने से युद्धक्षेत्र की प्रतिक्रियाशीलता और सीमा गश्त में बदलाव आ रहा है।

क्वांटम और अगली पीढ़ी के नेटवर्क : क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय मिशन (एनएम-क्यूटीए) सुरक्षित सी२ संचार के लिए क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को बढ़ावा देता है।[३३]

चुनौतियां : एआई और क्वांटम प्रणालियां हथियारों की होड़ को तेज करती हैं, और गैर-राज्यीय तत्व या आपराधिक समूह हाइब्रिड या साइबर अपराध अभियानों के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। नैतिक, कानूनी और सैद्धांतिक ढांचों की तत्काल आवश्यकता है।[३४]

भारत के लिए सुझाव और रणनीतिक रुख

हाइब्रिड खतरों के विरुद्ध भारत के रणनीतिक रुख को मजबूत करने के लिए, निम्नलिखित रोडमैप प्रस्तावित है :

१. संपूर्ण राष्ट्र सिद्धांत को संस्थागत बनाएं : सैन्य, खुफिया, नागरिक और निजी क्षेत्र की प्रतिक्रियाओं को एकीकृत करें। गतिशील, अंतर क्षेत्रीय अभ्यास और योजना सुनिश्चित करें।

२. साइबर और सूचना युद्ध क्षमताओं को मजबूत करें : सूचना युद्ध के लिए एक केंद्रीकृत कमान स्थापित करें।

राष्ट्रीय **CERT** को निरंतर उन्नत करें सार्वजनिक निजी साइबर नवाचार को प्रोत्साहित करें; प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में AI को शामिल करें।

३. कानूनी और ग्रे जोन तैयारी को उन्नत करें : स्वदेशी कानूनी सिद्धांत विकसित करें और वैश्विक कानूनी मंचों पर अभियोजन और बचाव दोनों के लिए विशेष टीमों को प्रशिक्षित करें।

४. दुष्प्रचार के विरुद्ध लचीलापन बनाएं : डिजिटल साक्षरता अभियानों का विस्तार करें, स्वतंत्र तथ्य-जांच का समर्थन करें और सरकारी सूचना संचालन में पारदर्शिता बढ़ाएं।

५. स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास को आगे बढ़ाना : एआई, ड्रोन, क्वांटम और स्वायत्त प्रणालियों में अनुसंधान एवं विकास को प्राथमिकता देनाय प्रत्यक्ष सैन्य-उद्योग-अकादमिक इंटरफेस के साथ रक्षा नवाचार क्लस्टर स्थापित करना।

६. अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना : क्वाड, एयूकेयूएस और जीएसओएमआईए ढांचे के भीतर खुफिया और प्रौद्योगिकी साझाकरण को संस्थागत बनाना : क्षेत्रीय बहुपक्षीय साइबर अभ्यास का नेतृत्व करना।

७. संसदीय निगरानी को बढ़ाना : साइबर, एआई और गैर-गतिज तत्परता की नियमित समिति समीक्षाय मंत्रालयों (रक्षा, आईटी, गृह मामले, विदेश मामले) के बीच नीति समन्वय को

सुगम बनाना।

८. रेड टीम और निरंतर अनुकूलन : उभरते हाइब्रिड खतरों से निपटने के लिए युद्ध अभ्यास, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की 'रेड टीमिंग' और आवधिक सैद्धांतिक समीक्षाओं को संस्थागत बनाना।

निष्कर्ष

हाइब्रिड युद्ध कल का युद्ध नहीं है यह आज का संघर्ष है। भारत के लिए, मई २०२५ के ऑपरेशन सिंदूर और बार-बार हुए साइबर और सूचना हमलों के अनुभव स्पष्ट करते हैं कि युद्ध का मैदान हर जगह है। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर देश के पावर ग्रिड के सबसे गहरे केंद्रों तक, गुमनाम ऑनलाइन चैट रूम से लेकर न्यूयॉर्क और जिनेवा के सर्वोच्च राजनयिक मंचों तक।

हाल के वर्षों में भारत की प्रतिक्रिया में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सैन्य सटीकता और तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ी है और संस्थागत सुधार राष्ट्र को अधिक चुस्त और लचीला बना रहे हैं। सीडीएस कार्यालय का गठन, सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण, रक्षा उत्पादन का स्वदेशीकरण और मजबूत संसदीय निगरानी, ये सभी एक स्वस्थ रणनीतिक गतिशीलता को दर्शाते हैं। हालांकि, स्थायी कमियों विशेष रूप से एकीकृत सूचना युद्ध, साइबर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने, आख्यान निर्माण और सैद्धांतिक स्पष्टता को तत्काल और नवीनता के साथ दूर किया जाना चाहिए।

विरोधी जांच-पड़ताल, व्यवधान पैदा करना और भ्रम फैलाने की कोशिश करते रहेंगे। इस संकर युग में रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारत को प्रतिक्रियात्मक रणनीतियों से आगे बढ़ना होगा। भविष्य एक ऐसी स्थिति की मांग करता है जो पूर्वानुमानित, बहुआयामी, तकनीक-प्रेमी और गहन सहयोगात्मक हो। केवल वही राष्ट्र जो अपनी डिजिटल, सूचनात्मक, कानूनी और सामाजिक सीमाओं को सुरक्षित रखता है साथ ही नैतिक और कानूनी उच्च स्तर बनाए रखता है २१ वीं सदी के अस्पष्ट युद्धों में विजयी होगा।

संदर्भ

1.Hybrid Warfare: Features, Examples, Implications & Challenges. https://testbook.com/ias-preparation/hybrid-warfare
2. Disinformation Campaigns Targeting India https://disa.org/disinformation-campaigns-targeting-india/
3. Grey Zone Warfare and its Significance UPSC IAS Exam. https://www.iasexam.com/grey-zone-warfare-and-its-significance/
4. Three warfares - Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Three_warfares
5. CHINA - Three Warfares Strategy, https://imrmedia.in/china-three-warfares-strategy/
6. India-Pakistan Tensions in the Wake of the Pahalgam Attack (2025): New https://www.ijfmr.com/papers/2025/4/52754.pdf
7. Hybrid Warfare as Lawfare: Towards 0 Comprehensive Legal Approach. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-60798-6_4
8. Hybrid Threats: The Coming Storm, or Smart Power by Other Means?. https://theyonseijournal.com/wp-content/uploads/2025/07/Hybrid-Threats-The-Coming-Storm-or-Smart-Power-by-Other-Means.pdf
9. Lessons from the cyberattack on India's largest nuclear power plant. https://thebulletin.org/2019/11/lessons-from-the-cyberattack-on-indias-largest-nuclear-power-plant/
10. Digital Defence: India's Cybersecurity Landscape. https://dras.in/digital-defence-indias-cybersecurity-landscape/
11. Preparing for the Future: The Need for India to Develop Hybrid Warfare https://www.orfonline.org/research/preparing-for-the-future-the-need-for-india-to-develop-hybrid-warfare-capabilities
12. Al as Tool of Hybrid Warfare: Challenges and Responses. https://www.jinfowar.com/journal/volume-21-issue-2/ai-tool-hybrid-warfare-challenges-responses
13. From Cybersecurity to Cyberwarfare: India's preparedness to be truly https://government.economictimes.indiatimes.com/news/from-cybersecurity-to-cyberwarfare-indias-preparedness-to-be-truly-viksit/122198826
14. 02 Apr 2025: Tackling the disinformation threat in India. https://chahalacademy.com/the-hindu-editorial-analysis/02-apr-2025/1776
15. Had informed govt about Kudankulam nuclear power plant cyber attack https://www.indiatoday.in/india/story/had-informed-govt-about-kudankulam-nuclear-power-plant-cyber-attack-former-ntro-cyber-security-analyst-1616304-2019-11-06
16. Information and Cyber in Non-Kinetic https://www.usiofindia.org/pdf/DP_Pandey_Final.pdf Warfare: Counter Strategies
17. 100 days of Operation Sindoor: What all has happened since India hit https://www.firstpost.com/india/operation-sindoor-100-days-india-counter-terror-strategy-13925160.html
18. Al and Defence https://visionias.in/current-affairs/monthly-magazine/2024-11-14/security/ai-and-defence
19. India-Pakistan Tensions: Narrative Warfare, Hybrid Threats, and https://www.cyberworldinsight.com/news/india-pakistan-tensions-narrative-warfare-hybrid-threats-and-pakistans-strategic-response/
20. Indo-Pacific Futures The grey zone, hybrid war, and minilateralism. https://www.policyforum.net/resource/indo-pacific-futures-the-grey-zone-hybrid-war-and-minilateralism/index.html
21. 2025 India-Pakistan conflict https://en.wikipedia.org/wiki/2025_India%E2%80%93Pakistan_conflict
22. Prime Minister of India Slams Pakistan on Use of Proxy War against India. https://visionias.in/current-affairs/download/9127
23. Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) &C7M?
24. 2025: The Year of Defence Reforms chronicleindia.in. https://www.chronicleindia.in/online-magazine/csce-march-2025/2025-the-year-of-defence-reforms
25. Chief of Defence Staff (CDS) - Vajiram & Ravi. https://vajiramandravi.com/current-affairs/chief-of-defence-staff-cds/
26. Standing Committee on Defence (India) https://en.wikipedia.org/wiki/Standing_Committee_on_Defence_%28India%29
27. Roles & Responsibilities https://drdo.gov.in/drdo/headquarter-directorates/area-of-work/directorate-parliamentary-affairs-dpa
28. Evolving Warfare & India's Defence Transformation Strategy 2025. https://www.thetargetclasses.com/defence/evolving-warfare-indias-defence-transformation-strategy/
29. India-US Relationship - PWOnlyIAS. https://pwonlyias.com/current-affairs/india-us-relationship/
30. Artificial intelligence in hybrid and information warfare. https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10.4324/9781003284093-4/artificial-intelligence-hybrid-information-warfare-wesley-moy-kacper-gradon
31. Hybrid Warfare International Relations Oxford Bibliographies. https://www.oxfordbibliographies.com/abstract/document/obo-9780199743292/obo-9780199743292-0260.xml
32. Armed forces' preparedness to deal with non-kinetic warfare. https://pwonlyias.com/current-affairs/armed-forces-to-deal-with-non-kinetic-warfare/
33. Hybrid CoE Trend Report 10: Threat potential in the economy: from https://www.hybridcoe.fi/publications/hybrid-coe-trend-report-10-threat-potential-in-the-economy-from-vulnerabilities-to-chinas-increased-coercion/
34. Defence Cyber Agency (DCA) - GKToday. https://www.gktoday.in/defence-cyber-agency-dca/
35. https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-editorials/quad-3

Refereed & Peer Reviewed Research Magazine
RNI-UPHIN/2018/77444 ISSN-2582-1288
त्रैमासिक मूल्य २००
शोधादर्श
संदर्भित एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिक पत्रिका
वर्ष : ८ अंक : ३, जून-अगस्त २०२६
doi.org/10.5281/
इम्पेक्ट फैक्टर(२०२६) : १०.१६
पंजीकृत कार्यालय
शोधादर्श, ए-७, आदर्श नगर, तातारपुर लालू, नजीबाबाद-२४६७६३ ज़िला बिजनौर (उ.प्र.)
संपादकीय कार्यालय/पत्रव्यवहार
शोधादर्श, साईं एंक्लेव, निकट देवता धनौरा, नजीबाबाद-२४६७६३ बिजनौर (उप्र)
https://shodhadarsh.in/

ट्रांसजेंडर समुदाय के समक्ष सामाजिक अवरोधों का समाजशास्त्रीय अध्ययन

शोधकर्ता

तृप्ति अग्रवाल

नंदनी पवार

आंचल

समाजशास्त्र विभाग,
साहू जैन कॉलेज नजीबाबाद

डॉ. उमेश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र विभाग)
साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद

सारांश

यह शोध पत्र ट्रांसजेंडर समुदाय के समक्ष उपस्थित सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक अवरोधों का समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करता है। प्राचीन भारतीय समाज में किन्नरों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, किंतु समय के साथ उनकी सामाजिक स्थिति कमजोर होती गई। वर्तमान में ट्रांसजेंडर समुदाय को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सामाजिक सम्मान प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक भेदभाव, उपेक्षा एवं रूढ़िवादी सोच के कारण यह समुदाय मुख्यधारा से अलग-थलग रह गया है। इस अध्ययन में ट्रांसजेंडर समुदाय की सामाजिक अपवर्जन की स्थिति, उनके अधिकारों की सुरक्षा तथा सरकारी प्रयासों का विश्लेषण किया गया है। १५ अप्रैल २०१४ को उच्चतम न्यायालय द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को 'तृतीय लिंग' के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद उनके अधिकारों को कानूनी संरक्षण प्राप्त हुआ। इसके बावजूद व्यवहारिक स्तर पर उन्हें समान अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं।यह शोध द्वितीयक स्रोतों, जैसे पुस्तकों, शोध पत्रों, सरकारी रिपोर्टों एवं दस्तावेजों पर आधारित है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याएं केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक एवं संरचनात्मक असमानताओं का परिणाम हैं। शोध में सुझाव दिया गया है कि शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, छात्रवृत्ति तथा आवास जैसी सुविधाओं को प्रभावी रूप से लागू कर ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मानपूर्ण एवं समान जीवन प्रदान किया जा सकता है।

मुख्य शब्द- ट्रांसजेंडर समुदायों, सामाजिक अवरोध, अधिकार ।

प्रस्तावना

प्राचीन काल में किन्नरों को एक विशेष सम्मान प्राप्त था। प्राचीन भारतीय मान्यताओं के अनुसार इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी की छाया से मानी जाती है। महाभारत काल में भी शिखंडी नमक किन्नर का उल्लेख मिलता है। सन १८७१ से पहले किन्नर को ट्रांसजेंडर के रूप में पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे परंतु सन् १८७१ में किन्नरों को जनजाति के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। वर्तमान समय में भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कानूनी रूप से यहां रहने वाले सभी नागरिकों को सम्मान अधिकार प्राप्त है भारत सरकार ने किन्नर को सन् १९५१ में जनजाति से बाहर निकला परंतु किन्नर को कोई लैंगिक पहचान न होने के कारण उन्हें अपमान एवं समाज की मुख्य धारा से वंचित होते हुए शिक्षा से भी वंचित होना पड़ता है। जनगणना २०११ के अनुसार भारत में ४.९ लाख तीसरे लिंग के नागरिक हैं जो वर्तमान से भी सामाजिक,शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से अति पिछड़े हुए हैं वर्तमान में किन्नर का कार्य मांगलिक कार्यों में नृत्य तथा संगीत प्रस्तुत करना तथा भीख मांगने तक ही सीमित है। जो कि उनके पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है जबकि भारत सरकार द्वारा इन्हें समस्त स्कूल एवं कॉलेज में तीसरे लिंग के समस्त शैक्षिक क्रियाकलापों में। सरकार द्वारा २५ प्रतिशत आरक्षण कभी प्रावधान है परंतु वर्तमान में किन्नर शिक्षा रोजगार की मुख्य धारा से वंचित है।किन्नर समुदाय द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के पश्चात २०१४ में इस समुदाय से जुड़े लोगों को तृतीय लिंग के रूप में ही राष्ट्र में अपनी पहचान मिली।

भारतीय समाज में किन्नरों की शैक्षिक एवं सामाजिक अपवर्जन की दशा एवं दिशा

प्राचीन काल में किन्नरों को भी समाज में विशेष सम्मान प्राप्त था। भारत में किन्नरों की विस्तृत

शृंखला है। हिजड़ा,कोठी एवं शिव भक्त आदि के रूप में है। वर्तमान समय में उनकी आजीविका का प्रमुख साधन मांगलिक अवसरों पर नृत्य करना संगीत प्रस्तुत करना तथा भीख मांगने तक ही सीमित रह गया है। जिसका प्रमुख कारण सामाजिक एवं शैक्षिक अपवचन ही है। वर्तमान समय में किन्नर समुदाय को विभिन्न प्रकार की सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है जिम सार्वजनिक स्थलों पर विश्राम एवं शौचालय का अभाव सबसे बड़ी समस्या है। जो उनके उपहास का कारण भी बन जाती है शैक्षिक रूप से इन्हें विद्यालय एवं विश्वविद्यालय में समान अवसर प्राप्त न होने के कारण भी किन्नरों की इस दैन्य दशा को दूर करने के लिए १५ अप्रैल २०१४ को माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला लिया इसके बाद किन्नरों को अपवर्चित वर्ग में शामिल करते हुए तीसरे लिंग का दर्जा प्रदान किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००६ के तहत निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ प्राप्त हो गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों से किन्नरों को पूरे भारतवर्ष में चिकित्साकिय सामाजिक एवं शैक्षिक लाभ प्राप्त होने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। भारत सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर बिल २०१६ एवं राज्य सरकारों एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक सुधार का प्रयास किया जा रहा है। इसके उपरांत भी वर्तमान भारत के समाज में तीसरे लिंग किन्नरों के प्रति पर्याप्त भिन्नता प्राप्त है। अनुच्छेद २१ में वर्णित शिक्षा का अधिकार भी उन्हें समान रूप से प्राप्त है परंतु किन्नरों के सामाजिक अपवचन केकारणउन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं हो सका।

अध्ययन का महत्व

'ट्रांसजेंडर समुदाय के समक्ष सामाजिक अवरोधों का समाजशास्त्रीय अध्ययन' वर्तमान भारतीय समाज के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। ट्रांसजेंडर समुदाय लंबे समय से सामाजिक उपेक्षा, भेदभाव, असमानता और बहिष्करण का सामना करता आया है। यद्यपि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, फिर भी वास्तविक सामाजिक जीवन में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं, आवास तथा सामाजिक सम्मान प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।यह अध्ययन समाज में व्याप्त रूढ़िवादी सोच, लैंगिक असमानता तथा सामाजिक पूर्वाग्रहों को समझने में सहायता करेगा। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह शोध यह स्पष्ट करेगा कि किस प्रकार परिवार, शिक्षा संस्थान, कार्यस्थल तथा सामाजिक संरचनाएं ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देती हैं। साथ ही यह अध्ययन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को उजागर करेगा। इस अध्ययन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह समाज में जागरूकता एवं संवेदनशीलता विकसित करने में सहायक होगा। इसके माध्यम से नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों तथा सामाजिक संगठनों को ऐसी योजनाएं एवं नीतियां बनाने में सहायता मिलेगी जो ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक समावेशन और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।इसके अतिरिक्त यह शोध सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों की अवधारणा को सुदृढ़ करने में योगदान देगा। यह अध्ययन समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने तथा ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास सिद्ध हो सकता है।

शोध का उद्देश्य

१. ट्रांसजेंडर समुदायों के समक्ष सामाजिक अवरोधों का समाजशास्त्रीय अध्ययन

२. ट्रांसजेंडर समुदाय अधिकारों का संरक्षण

शोध पद्धति

यह अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, जिसमें पुस्तकों, शोध पत्रों, रिपोर्टों एवं सरकारी दस्तावेजों का विश्लेषण किया गया है।

स्वतंत्रता पूर्ण भारत में ट्रांसजेंडर की स्थिति

अंग्रेजो द्वारा हिजड़ो का उल्लेख हमें मराठा पेशवा रघुनाथराव (१७७३-७४) के शासन काल मैं मिलता है। जेम्स फोर्स नामक एक व्यापारी लिखते हैं। मराठा सेवा के लिए बावर्ची नियुक्त होते थे। मराठा साम्राज्य में पश्चिमी भारत के किन्नरों को राजस्व हिस्सेदारी जैसे वंशानुगत अधिकार प्राप्त थे। मराठों ने अपनी प्रजा में किन्नरों को भी राजस्व में निश्चित आय एवं कुछ अधिकार जैसे- भीख मांगना प्रदान किए थे।

किन्नरों के अधिकार संरक्षण

किन्नरों के अधिकार संरक्षण के दायित्व का आगे भी उसी रूप से निर्वाह करना अंग्रेजो को स्वीकार था। १८४२ में अंग्रेजों ने हिजड़ों के लिए ४१ एकड़ भूमि का इनाम घोषित किया। इसके साथ ही उनके राजस्व एवं अपने अधिकार निरस्त कर दिए। नई विधान (अनुसंधान १८५२) के अनुसार बॉम्बे इनाम कमीशन की स्थापना हुई।

स्वतंत्र भारत में किन्नर की स्थिति

अंग्रेजों के शासन में भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्थिति में जो क्षय हुआ भारत की स्वतंत्र हो जाने के बाद भी उसमें कोई विशेष सुधार नहीं देखा गया भारत में हिजड़ों का एक लंबा इतिहास रहा है। आज भी वर्तमान में इनका कार्य जब समाज में किसी घर में कोई बच्चा पैदा होने पर या घरों में शादी जैसे विशेष अवसरों पर घर-घर जाकर दुआएं देना और आशीर्वाद देना शुभ माना जाता है। जहां इनका इस कार्य के लिए समाज में शुभ माना जाता है। वहीं इस समाज में जब यह अपने लिए शिक्षा ग्रहण करने स्कूलों या विद्यालयों में जाते हैं तो इनको गलत दृष्टि से देखा जाता है तथा भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्ष

इस शोध का प्रमुख उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के समक्ष उपस्थित सामाजिक अवरोधों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करना है। भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लंबे समय से भेदभाव, उपेक्षा, सामाजिक बहिष्कार तथा असमान व्यवहार का सामना करना पड़ता है। परिवार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें अनेक कठिनाइयों का अनुभव होता है। यह अध्ययन उन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारंपरिक मान्यताओं को समझने का प्रयास करेगा जो ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं। साथ ही यह शोध यह भी स्पष्ट करेगा कि सामाजिक संरचना एवं संस्थाएं किस प्रकार उनके जीवन, आत्मसम्मान तथा सामाजिक सहभागिता को प्रभावित करती हैं।

इस शोध का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता एवं वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता एवं गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, किंतु व्यवहारिक स्तर पर ट्रांसजेंडर समुदाय को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह अध्ययन शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पहचान तथा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित अधिकारों की स्थिति का विश्लेषण करेगा। साथ ही सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों एवं नीतियों, जैसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, २०१९, की प्रभावशीलता का भी अध्ययन किया जाएगा। यह शोध सामाजिक न्याय एवं समान अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में उपयोगी सुझाव प्रदान करेगा।

ट्रांसजेंडर समुदाय के समक्ष उपस्थित सामाजिक अवरोधों का समाजशास्त्र के अध्ययन यह स्पष्ट

करता है कि भारतीय समाज में आज भी लैंगिक विविधता को पूर्ण सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी है। परिवार शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य तथा सामाजिक संस्थाओं में भेदभाव अपेक्षा और असमान व्यवहार के कारण ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक रूढ़ियों धार्मिक मान्यताएं तथा पारंपरिक लैंगिक ध ारणाएं उनके सामाजिक बहिष्कार को और अधि ाक बढ़ती हैं। समाजशास्त्र दृष्टि से देखा जाए तो ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याएं केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि संरचनात्मक और सांस्कृतिक असमानताओं का परिणाम है। सामाजिक कलंक पहचान का संकट आर्थिक सुरक्षा तथा शिक्षा और रोजगार के सीमित अवसर उनके सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। यद्यपि सरकार द्वारा कानूनी अधिकार और कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई है फिर भी सामाजिक मानसिकता में अपेक्षित परिवर्तन अभी पर्याप्त नहीं है। अतः आवश्यक है कि समाज में जागरूकता संवेदनशीलता और समानता की भावना को बढ़ावा दिया जाए शिक्षा मीडिया सामाजिक संस्थाएं तथा सरकार मिलकर ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति संरचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करें ताकि उन्हें सम्मान सम्मान अवसर और गरिमा पूर्ण जीवन प्राप्त हो सके एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति की लैंगिक पहचान का सम्मान किया जाए।

सुझाव

१. ट्रांसजेंडर के लिए शिक्षा का अधिकार प्राप्त तो है, किंतु उनको शिक्षा दी नहीं जाती उनका अपमान होता है। तो उनका अपमान और शर्म का सामना न करना पड़े तो उसके लिए उनके लिए विद्यालय और स्कूलों का निर्माण करना चाहिए।

२. इनकी सुरक्षा के लिए कानून तो है लेकिन फिर भी इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है इनके साथ भी बलात्कार जैसा अपराध किया जाता है तो इनके लिए भी कुछ ऐसे कानून होने चाहिए कि इनको बुरी नजर से देखने वाले और दुर्व्यवहार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

३. इनके लिए नौकरी करने का कानून है उसको और तेजी से कार्य अवधि में लाएं ताकि यह भी अपनी खुशी से नौकरी करें और अपना अधिकार और सम्मान प्राप्त करें और खुशहाल जिंदगी जिए।

४. ट्रांसजेंडर के लिए पेंशन और स्कूल कॉलेज में स्कॉलरशिप भी होनी चाहिए।

५. ट्रांसजेंडर की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन्हे रेंट पर घर देने से मना ना करें और इन्हें सरकारी आवास योजना में प्राथमिकता मिले।

६. ट्रांसजेंडर के लिए मासिक पेंशन तथा राशन कार्ड सुविधा भी प्राप्त होनी चाहिए।

संदर्भ सूची

१. अग्रवाल, जी.के. (२०१८). 'भारतीय समाज और लैंगिक विविधता'. नई दिल्ली : रावत पब्लिकेशन।

२. शर्मा, आर.एन. (२०२०). 'ट्रांसजेंडर समुदाय और सामाजिक न्याय'. जयपुर : पॉइंटर पब्लिशर्स।

३. सिंह, एस.पी. (२०१६). 'भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर की सामाजिक स्थिति।' 'समाजशास्त्र समीक्षा', १२(३), ४५-५८।

४. कुमार, दीपक. (२०२१). 'ट्रांसजेंडर अधिकार एवं भारतीय संविधान।' 'भारतीय विधि जर्नल', ८(२), ६६-७६।

५. नंदा, सेरेना. (१६६६). 'भारत में हिजड़ा समुदाय का सामाजिक अध्ययन'. नई दिल्ली : वाड्सवर्थ प्रकाशन।

६. रेड्डी, गायत्री. (२००५). 'दक्षिण भारत में हिजड़ा पहचान और सामाजिक संघर्ष'. शिकागो : यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस।

७. चक्रपाणि, वी. (२०१७). 'भारत में ट्रांसजेंडर अधिकार एवं सामाजिक समावेशन।' 'इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क', ७८(४), ५२१-५३४।

८. पांड्या, ए. एवं रेडके, ए. (२०१६). 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच।' 'एलजीबीटी परामर्श जर्नल', १३(२), ७६-६२।

६. मिश्रा, पी.के. (२०२२). 'मानवाधिकार एवं ट्रांसजेंडर समुदाय'. लखनऊ : हिंदी ग्रंथ अकादमी।

१०. राव, टी.एस.एस. एवं जैकब, के. एस. (२०१२). 'ट्रांसजेंडर पहचान और मानसिक स्वास्थ्य।' 'भारतीय मनोरोग जर्नल', ५४(३), २२७-२२६।

११. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी). (२०१०). 'भारत में हिजड़ा/ट्रांसजेंडर महिलाओं की सामाजिक बहिष्करण की स्थिति'. नई दिल्ली : यूएनडीपी।

Refereed & Peer Reviewed Research Magazine
RNI-UPHIN/2018/77444 ISSN-2582-1288
त्रैमासिक मूल्य २००
शोधादर्श
संदर्भित एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिक पत्रिका
वर्ष : ८ अंक : ३, जून-अगस्त २०२६
doi.org/10.5281/
इम्पेक्ट फैक्टर(२०२६) : १०.१६
पंजीकृत कार्यालय
शोधादर्श, ए-७, आदर्श नगर, तातारपुर लालू, नजीबाबाद-२४६७६३ ज़िला बिजनौर (उ.प्र.)
संपादकीय कार्यालय/पत्रव्यवहार
शोधादर्श, साईं एंक्लेव, निकट देवता धनौरा, नजीबाबाद-२४६७६३ बिजनौर (उप्र)
https://shodhadarsh.in/

अपराध एवं अपराध नियंत्रण के उपाय एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

कुनाल

दीपांशु

मन्तशा

रुक्शा
डॉ. सूर्यकांत भारती
समाजशास्त्र विभाग
साहू जैन कालेज, नजीबाबाद

सारांश

अपराध प्रत्येक समाज में कहीं न कहीं पाए जाने वाली एक गंभीर सामाजिक समस्या है। यह केवल कानूनी नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों, मानदंडों और संरचना से जुड़ी हुई घटना भी है। आधुनिक समाज में औद्योगीकरण, नगरीकरण, बेरोजगारी, पारिवारिक विघटन और नैतिक पतन जैसे कारणों से अपराध की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। इस शोध-पत्र में अपराध की परिभाषा, प्रकार, कारण तथा प्रमुख समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के माध्यम से अपराध की व्याख्या की गई है। साथ ही अपराध की वर्तमान स्थिति तथा उसके नियंत्रण हेतु उपायों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्द - अपराध, सामाजिक विचलन, नियंत्रण, दण्ड, समाजशास्त्र।

प्रस्तावना

अपराध समाज के विरुद्ध किया गया वह कृत्य है जो कानून द्वारा दंडनीय है। प्रत्येक समाज अपने अस्तित्व और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियम और कानून बनाता है। जब कोई व्यक्ति इन नियमों को तोड़ता है, तो उसे अपराध कहा जाता है। समाजशास्त्र में अपराध को केवल कानूनी दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भी देखा जाता है।

अपराध की परिभाषाएं

सेलिन (१९३८) के अनुसार - 'अपराध वह आचरण है जो सांस्कृतिक मानदंडों का उल्लंघन करता है।'

सदरलैंड (१९३९) के अनुसार - 'अपराध वह व्यवहार है जो कानून द्वारा निषिद्ध और दंडनीय है।'

इलियाट एवं मेरिल (१९५०) के अनुसार - 'अपराध वह व्यवहार है जिसे समाज समाज-विरोधी मानता है।' (अस्वीकार्य) अपराध वह कृत्य है जिसके माध्यम से कानून का उल्लंघन है। सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध होता है। जिसके लिए दंड का प्रावधान होता है। अपराध समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है।

सामाजिक दृष्टिकोण

- कार्यात्मक दृष्टिकोण
- संघर्ष दृष्टिकोण
- अंतः क्रियात्मक दृष्टिकोण

अपराध सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है।

अपराध के कारणों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

अपराध के पीछे अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक कारण कार्य करते हैं। इस तरह देखा जाए तो अपराध के प्रमुख कारणों में आर्थिक कारण सबसे बड़ा होता है जिसमें गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता जैसे तत्व किसी सामान्य व्यक्ति को अपराध की ओर ले जाते हैं। दूसरा बड़ा कारण पारिवारिक भी होता है। जिसमें टूटता हुआ परिवार या फिर परिवार में अनुशासनहीनता मुख्य भूमिका निभाती है। प्राणी चूंकि सामाजिक है। समाज में रहना उसकी मजबूरी है। अपराध की ओर प्रवृत्त होने के लिए सामाजिक कारण भी होते हैं। जैसे- बुरी संगति, नगरीकरण, सामाजिक नियंत्रण की कमी। जिसके कारण व्यक्ति की मानसिक स्थिमि खराब होने लगती है और उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है। जैसे- तनाव, कुंठा, आक्रामकता। इस प्रकार देखा जाए तो अपराध रोकने के लिए सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों की आवश्यकता है। जिसके लिए सरकार और गैरसरकारी संगठनों को समावेशी भाव से जाग्रति लाने की आवश्यकता है। किंतु ऐसा भी नहीं है कि अपराध के मात्र उपरोक्त ही कारण हों। उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त सफेदपोश एवं शक्तिशाली लोगों के द्वारा भी जघन्य अपराधों को अंजाम दिया जाता है।

श्वेतपोश अपराध आधुनिक समाज में तेजी से बढ़ती हुई एक गंभीर समस्या है। यह अपराध सामान्य अपराधों से अलग होता है क्योंकि इसे समाज के उच्च पदों पर बैठे शिक्षित और प्रभावशाली लोग करते हैं। ऐसे अपराधों में भ्रष्टाचार, कर चोरी, घोटाले आदि शामिल हैं। इस शोध-पत्र में श्वेतपोश अपराध की अवधारणा, विशेषताएं, कारण बताये गये हैं।

श्वेतपोश की परिभाषा -

सदरलैंड के अनुसार - 'श्वेतपोश अपराध वह अपराध है जो समाज में उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मानित पेशे से जुड़े व्यक्ति द्वारा अपने कार्य के दौरान किया जाता है।'

श्वेतपोश अपराध के कारण पर देखें तो इनमें आर्थिक लाभ मुख्य उद्देश्य होता है। यह अपराध अक्सर छिपे हुए तरीके से किए जाते हैं। अपराधी अक्सर सजा से बच जाते हैं। इन अपराधों का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता

श्वेतपोश अपराध के प्रकार-

- भ्रष्टाचार
- कर चोरी
- बैंक धोखाधड़ी
- घोटाले और वित्तीय धोखाधड़ी
- मिलावट और नकली वस्तुओं का व्यापार

श्वेतपोश अपराध नियंत्रण के उपाय-

- कठोर कानून और सख्त दंड
- प्रशासनिक पारदर्शिता
- भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं को मजबूत करना
- जनजागरूकता और नैतिक शिक्षा

साइबर अपराध : एक सामाजिक समस्या

साइबर अपराध आधुनिक तकनीकी युग की एक गंभीर समस्या बन चुका है। इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ-साथ साइबर अपराध में भी वृद्धि हुई है। साइबर अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर, इंटरनेट या अन्य डिजिटल माध्यम से किया जाता है। इसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग, पहचान की चोरी और साइबर बुलिंग जैसे अपराध शामिल हैं।

साइबर अपराध के प्रकार-

हैकिंग - किसी कंप्यूटर या वेबसाइट में बिना अनुमति के प्रवेश करना।

ऑनलाइन धोखाधड़ी - इंटरनेट के माध्यम से लोगों को ठगना।

पहचान की चोरी- किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग करना।

साइबर बुलिंग - इंटरनेट के माध्यम से किसी को परेशान करना।

फिशिंग - नकली ईमेल या वेबसाइट के माध्यमों से बैंक जानकारी प्राप्त करना।

साइबर अपराध के प्रभाव

- आर्थिक नुकसान
- व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन
- समाज में असुरक्षा की भावना
- संस्थाओं और सरकार पर विश्वास में कमी

साइबर अपराध नियंत्रण के उपाय

- मजबूत साइबर सुरक्षा प्रणाली।
- लोगों को जागरूक करना।
- साइबर अपराध के खिलाफ कठोर कानून।
- पुलिस और जांच एर्जेसियों को तकनीकी प्रशिक्षण।

अपराध निवारण के सामाजिक एवं सरकारी उपाय

अपराध आधुनिक समाज की एक गंभीर सामाजिक समस्या है। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था के लिए भी खतरा है। अपराध को रोकने के लिए केवल दंड देना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि समाज और सरकार दोनों को मिलकर कार्य करना पड़ता है। इस अध्ययन में अपराध निवारण के सामाजिक एवं सरकारी उपायों जैसे रू- शिक्षा, नैतिक मूल्यों का विकास, सामुदायिक भागीदारी, कठोर कानून, रोजगार योजना का विश्लेषण किया गया है।

अपराध निवारण के सामाजिक उपाय

शिक्षा का प्रसार - शिक्षा समाज में जागरूकता और नैतिकता को बढ़ाती है। शिक्षित व्यक्ति सही और गलत के बीच अंतर समझ सकता है। शिक्षा से लोगों में कानून के प्रति सम्मान और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है।

नैतिक मूल्यों का विकास

समाज में नैतिक मूल्यों जैसे - ईमानदारी, सत्य और सहानुभूति का विकास अपराध को कम करने में सहायक होता है। परिवार, विद्यालय और समाज को मिलकर बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करने चाहिए।

सामुदायिक भागीदारी - अपराध रोकने में समाज की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। मोहल्ला समितियां, स्वयंसेवी संगठन और सामाजिक संस्थाएं लोगों को जागरूक कर सकती हैं तथा पुलिस की सहायता कर सकती हैं।

परिवार की भूमिका - परिवार व्यक्ति का पहला सामाजिक संस्थान होता है। यदि परिवार बच्चों को सही दिशा और संस्कार देता है, तो वे अपराध की ओर नहीं बढ़ते।

अपराध निवारण के सरकारी उपाय

कठोर कानून और दंड व्यवस्था - सरकार अपराधों को रोकने के लिए कठोर कानून बनाती है। जब अपराधी को सख्त दंड मिलता है, तो अन्य लोग अपराध करने से डरते हैं।

रोजगार योजनाएं - गरीबी और बेरोजगारी कई बार अपराध का कारण बनती है। इसलिए सरकार रोजगार योजनाएं और आर्थिक विकास कार्यक्रम चलाकर लोगों को काम के अवसर प्रदान करती है।

प्रभावी पुलिस व्यवस्था - पुलिस अपराध की रोकथाम और जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण के माध्यम से पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाती है।

पुनर्वास कार्यक्रम - कई अपराधी सामाजिक परिस्थितियों के कारण अपराध करते हैं। सरकार ऐसे लोगों में सुधार के लिए पुनर्वास कार्यक्रम और प्रशिक्षण केंद्र चलाती है ताकि वे समाज में फिर से सामान्य जीवन जी सकें।

निष्कर्ष

अपराध समाज के लिए एक गंभीर समस्या है, जिसका समाधान केवल कानून और दंड से संभव नहीं है। इसके लिए सामाजिक, आर्थिक और नैतिक मूल्यों का विकास, सामुदायिक सहयोग, रोजगार के अवसर, कठोर कानून और पुनर्वास कार्यक्रम अपराधा कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए अपराध निवारण के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर कार्य करना चाहिए।

संदर्भ सूची

१. राम आहूजा (२०००). भारतीय समाज में सामाजिक समस्याएं. जयपुर : रावत पब्लिकेशन।

२. एम. एन. श्रीनिवास (१९९८). 'भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन एवं अपराध।' सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, ४७(२), १४५-१६२।

३. ए. आर. देसाई (१९९४). 'भारत में नगरीकरण और किशोर अपराध।' इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, ५५(३), २८७-३०१।

४. के. एस. शुक्ला (२०१२). 'भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध - एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण।' इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, ४(७), १९६-२०२।

५. एन. वी. परांजपे (२०११). 'भारत में अपराधशास्त्र एवं आपराधिक न्याय प्रणाली।' जर्नल ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी, ६(१), ५५-७०।

६. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (२०२३). भारत में अपराध रिपोर्ट २०२२. नई दिल्ली : गृह मंत्रालय, भारत सरकार।

७. एस. पी. श्रीवास्तव (२०१५). 'शहरी भारत में गरीबी, बेरोजगारी और अपराध।' रिसर्च जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, ३(४), ४४-५२।

८. मीनाक्षी स्वामी (२०१८). 'भारत में साइबर अपराध : उभरती चुनौतियां एवं रोकथाम के उपाय।' इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च, ६(५), ११२-११८

९. योगेन्द्र सिंह (२००४). 'आधुनिकीकरण एवं भारत में अपराध का बदलता स्वरूप।' इंडियन जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ३२(१), २१-३४।

१०. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (२०२१). भारत में पुलिस सुधार एवं अपराध नियंत्रण. नई दिल्ली : गृह मंत्रालय, भारत

Refereed & Peer Reviewed Research Magazine
RNI-UPHIN/2018/77444 ISSN-2582-1288
त्रैमासिक मूल्य २००
शोधादर्श
संदर्भित एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिक पत्रिका
वर्ष : ८ अंक : ३, जून-अगस्त २०२६

doi.org/10.5281/
इम्पेक्ट फैक्टर(२०२६) : 10.16
पंजीकृत कार्यालय
शोधादर्श, ए-७, आदर्श नगर, तातारपुर लालू, नजीबाबाद-२४६७६३ ज़िला बिजनौर (उ.प्र.)

संपादकीय कार्यालय/पत्रव्यवहार
शोधादर्श, साईं एंक्लेव, निकट देवता धनौरा, नजीबाबाद-२४६७६३ बिजनौर (उप्र)
https://shodhadarsh.in/

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन की स्थिति

प्रतिभा चौधरी

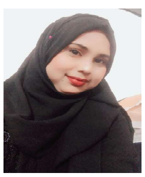
फरहाना

कविता

राजकुमारी

कुमकुम

डॉ. उमेश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र विभाग)
साहु जैन कॉलेज, नजीबाबाद

सारांश

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन एक-दूसरे के पूरक बन गये है। वर्तमान समय में महिलाएं केवल सामाजिक बंधनो को ही नही तोड़ रही, बल्कि देश की अर्थ व्यवस्था की मुख्यधारा में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है।

मुख्य बिंदु - आर्थिक स्वावलंबन और उद्यमशीलता

प्रस्तावना

'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' अर्थात जहां नारियों का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। प्राचीन काल के इस गौरवशाली दर्शन से लेकर आधुनिक डिजिटल युग तक, समाज में महिलाओं की भूमिका में एक युगांतरकारी बदलाव आया है। आज २१वीं सदी में महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक नारा नहीं अपितु वैश्विक विकास की अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण की परिभाषा केवल सामाजिक अधिकारों या चारदीवारी से बाहर निकलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा सम्बंध आर्थिक स्वावलंबन से है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना ही वास्तविक सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जब एक महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है, तो निर्णय लेने की क्षमता और आत्म-सम्मान में अद्‌भुत (अभूतपूर्व) वृद्धि होती है।

कार्यबल में बढ़ती भागीदारी - भारत में महिला कार्यबल भागीदारी दर में खासी वृद्धि देखी गई है। महिला श्रम बल भागीदारी दर २०१७-१८ में २३.३ प्रतिशत से बढ़कर २०२३-२४ में ४१.७ प्रतिशत हो गई।

स्टार्टअप और बिजनेस : 'स्टार्टअप इंडिया' और 'मुद्रा योजना' जैसी पहलों ने महिलाओ को नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बना दिया है। छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों तक, महिलाएं खुद के व्यवसाय अपने कौशल खड़े कर रही है।

स्वयं सहायता समूह : ग्रामीण क्षेत्रो में महिलाओ के स्वयं सहायता समूह (जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) ने जमीनी स्तर पर वित्तीय स्वतंत्रता लाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सूरत बदल दी है।

कॉर्पोरेट और उच्च पदों पर बढ़ती पैठ नेतृत्वकारी भूमिकाएं

अब महिलाएं केवल पारंपरिक क्षेत्रों (जैसे - टीचिंग या नर्सिंग) तक सीमित नहीं हैं। कॉर्पोरेट जगत के बोर्ड रूम, आईटी सेक्टर, बैंकिंग और तकनीकी क्षेत्रों में महिलाएं उच्च पदों (CEOs और प्रबंधक) पर अपनी योग्यता साबित कर रही हैं।

गिग इकोनॉमी : Work from home and freelancing के अवसरों ने महिलाओं को घर और करियर के बीच संतुलन बनाने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के नए रास्ते दिए हैं।

गैर-पारंपरिक क्षेत्रों और सेना में प्रवेश

सशस्त्र बल और अंतरिक्ष : भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन मिलना और फाइटर पायलट के रूप में उनकी तैनाती उनके बढ़ते हौसले को दिखाती है। इसरो जैसे अंतरिक्ष संस्थानों में भी महिला वैज्ञानिकों का नेतृत्व दुनिया में फैला है।

नीतिगत और डिजिटल बदलाव

डिजिटल साक्षरता : स्मार्टफोन और डिजिटल बैंकिंग के प्रसार ने महिलाओं को अपने वित्तीय फैसले खुद लेने की हिम्मत दी है।

कानूनी और सरकारी प्रयास : मातृत्व लाभ अधिनियम, कार्यस्थल पर सुरक्षा कानून और वित्तीय समावेशन (जैसे जनधन खाते) ने महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल माहौल तैयार किया है।

मजबूत कानूनी सहायता : मातृत्व लाभ अधिनियम, यौन उत्पीड़न अधिनियम और सामाजिक सुरक्षा संहिताएं, PMKVY (पीएमकेवीवाई) और

मिशन शक्ति जैसे कानून सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करते हैं।

सशक्तिकरण पहल : PMKVY (६८ प्रतिशत महिलाएं), Stand&up India (२.०१ लाख खाते) और मिशन शक्ति के क्रैच और केन्द्र, विकसित भारत /२०४७ के लिए कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे हैं।

विकसित भारत के केंद्र में नारी शक्ति का महत्व

एक ऐसे देश की कल्पना करें, जहां ग्रामीण कारीगर से लेकर शहरी नवप्रवर्तक तक हर महिला समाज के कार्यबल में एक भागीदार के रूप में नहीं, बल्कि आर्थिक बदलाव को रफ्तार देने वाली एक शक्ति के रूप में शामिल हो जाए। यही विकसित भारत का वादा है, जो २०४७ तक एक विकसित भारत की कल्पना करता है। जिसमें महिलाओं के आर्थिक समावेशन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और उन्हें शिक्षा, कौशल, सुरक्षा और उद्यमिता के जरिए सशक्त बनाया जाता है, ताकि राष्ट्रीय विकास के लिए नारी शक्ति को साकार किया जा सके।

आंकड़े- १५ वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) २०१७-१८ में २२ः से बढ़कर २०२३-२४ में ४०.३ प्रतिशत हो गया है, और LFPR २३.३ प्रतिशत से बढ़कर ४१.७ प्रतिशत हो गया है।

हालिया रुझान- हाल ही में, महिला WPR जुलाई २०२५ में ३१.६ प्रतिशत और जून २०२५ में ३०.२ प्रतिशत से बढ़कर अगस्त २०२५ में ३२.० प्रतिशत हो गई और भारत में महिला कार्यबल भागीदारी दर में खासी वृद्धि देखी गई है

मुख्य आर्किटेक्चर और रुझान (२०१७-१८ से २०२३-२४)

महत्वपूर्ण वृद्धि - भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) २०१७-१८ में २३.३ प्रतिशत से बढ़कर २०२३-२४ में ४१.७ प्रतिशत हो गई।

श्रम जनसंख्या अनुपात (**WPR**)- १५ वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए WPR, २०१७-१८ में २२ प्रतिशत से २०२३-२४ में ४०.३ प्रतिशत की वृद्धि हुई

२०२५ में मध्य प्रदेश के आंकड़ों के माध्यम से लगातार वृद्धि सामने आई है-

माह (२०२५)/महिलाWPR/महिला एलएफपीआर

जून / ३०.२ प्रतिशत / ३२.० प्रतिशत

जुलाई / ३१.६ प्रतिशत / ३३.३ प्रतिशत

अगस्त / ३२.० प्रतिशत / ३३.७ प्रतिशत

डेटा रोजगार में वृद्धि (ईपीएफओ)

औपचारिक क्षेत्र- ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) का डेटा महिलाओं के लिए रोजगार रोजगार में सकारात्मक भूमिका निभाता है।

सदस्यता वृद्धि- २०२४-२५ के दौरान कुल २६.६ लाख नई महिला सदस्य ईपीएफओ से जुड़ीं।

जुलाई २०२५ का डेटा- अकेले जुलाई २०२५ में, लगभग २.८० लाख नई महिला सदस्य जुड़ीं, और उस महीने में महिलाओं के पेरोल में कुल वृद्धि लगभग ४.४२ लाख रही।

ब्रिक्स देशों में भारत का प्रदर्शन

सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि- विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक दशक में ब्रिक्स (BRICS) देशों में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में भारत ने सबसे उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।

तुलनात्मक स्थिति- २०१५ से २०२४ के बीच भारत की दर में २३ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत, अन्य ब्रिक्स देशों (जैसे ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका) में या तो आंकड़े स्थिर रहे, मामूली गिरावट आई या बहुत कम वृद्धि दर्ज की गई।

प्रेरक कारक - यह प्रगति कौशल विकास, ऋण तक पहुंच और औपचारिक रोजगार बढ़ाने वाली लक्षित सरकारी नीतियों का परिणाम है।

महिलाओं के लिए प्रमुख कानूनी सुरक्षा- मातृत्व लाभ अधिनियम, १९६१ (संशोधित २०१७) महिलाओं को कार्यस्थल पर सशक्त बनाने और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए भारत में मजबूत कानूनी ढांचा मौजूद है, जिसका एक प्रमुख उदाहरण मातृत्व लाभ अधिनियम है। इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं-

मातृत्व अवकाश- २०१७ के संशोधन के माध्यम से मातृत्व अवकाश की अवधि को १२ सप्ताह से बढ़ाकर २६ सप्ताह कर दिया गया है।

क्रेच (**Creche**) सुविधा- ५० या उससे अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए कार्यस्थल पर शिशुगृह (क्रेच) की सुविधा अनिवार्य कर दी गई है। इसका उद्देश्य कामकाजी माताओं को काम के दौरान अपने बच्चों की देखभाल का सुरक्षित विकल्प देना है।

समावेशिता - अब इस अधिनियम में सरोगेट माताओं के लिए भी प्रावधान शामिल किए गए हैं, ताकि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को और अधिक समर्थन मिल सके।

मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, २०१७- मुख्य विशेषताएं

यह अधिनियम कामकाजी माताओं के लिए एक सहायक वातावरण तैयार करने पर केंद्रित है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं-

मातृत्व अवकाश में वृद्धि - सवैतनिक मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर २६ सप्ताह (लगभग १८२ दिन) कर दिया गया है।

व्यापक दायरा- यह संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में १० या उससे अधिक कर्मचारियों वाले व्यवसायों पर लागू होता है।

गोद लेना और सरोगेसी - दत्तक (adoptive) और कमीशनिंग माताओं को भी १२ सप्ताह का मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है।

क्रेच (**Creche**) सुविधा- ५० या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए कार्यस्थल पर क्रेच सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है।

घर से काम (**Work from Home**)- नियोक्ता मातृत्व लाभ अवधि समाप्त होने के बाद महिलाओं को घर से काम करने की अनुमति दे सकते हैं।

वैश्विक तुलना और अन्य सुरक्षा कानून

ब्रिक्स महिला विकास रिपोर्ट २०२५- रिपोर्ट के अनुसार, भारत का १८२ दिनों का मातृत्व अवकाश ब्रिक्स देशों के समूह में दूसरा सबसे लंबा अवकाश है (ईरान २७० दिनों के साथ पहले स्थान पर है)। यह अन्य देशों जैसे ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका (१२० दिन), मिस्र, इंडोनेशिया (९० दिन) और संयुक्त अरब अमीरात (६० दिन) से काफी अधिक है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, २०१३- यह अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने और उनका समाधान करने के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करता है, जो महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

१. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, २०१३ (**POSH Act**)

यह कानून कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए निम्नलिखित तंत्र प्रदान करता है-

आंतरिक शिकायत समिति (ICC)- हर संगठन में ICC का गठन अनिवार्य है। यह समिति यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निष्पक्ष और गोपनीय समाधान सुनिश्चित करती है। इसमें पीठासीन अधिकारी, कर्मचारी प्रतिनिधि और किसी NGO/संस्था का सदस्य शामिल होता है।

स्थानीय शिकायत समिति (**LCC**)- जिला प्रशासन द्वारा गठित यह समिति उन मामलों को देखती है जहां-

नियोक्ता के खिलाफ ही शिकायत हो।

संगठन में १० से कम कर्मचारी हों और ICC का गठन न किया गया हो।

२. समान पारिश्रमिक अधिनियम, १९७६

यह कानून कार्यस्थल पर लैंगिक समानता सुनिश्चित करने का आधार है-

समान कार्य के लिए समान वेतन- यह अधिनियम लिंग-आधारित वेतन भेदभाव को रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि समान काम के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन मिले।

निष्पक्षता- इसका उद्देश्य एक ऐसा कार्य वातावरण तैयार करना है जहां अवसर की समानता हो और किसी भी आधार पर भेदभाव न हो।

लैंगिक वेतन समानता- वैश्विक स्थिति (ब्रिक्स महिला विकास रिपोर्ट २०२५) दस्तावेज में लैंगिक वेतन समानता के संदर्भ में भारत की स्थिति की तुलना अन्य देशों से की गई है-

देश	वैश्विक रैंकिंग *(लैंगिक वेतन समानता)*
संयुक्त अरब अमीरात	१०वीं
चीन	१४वीं
दक्षिण अफ्रीका	११३वीं
ईरान	११४वीं
ब्राजील	११८वीं
भारत	१२०वीं

१. सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२०

यह संहिता असंगठित और संगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है-

उद्देश्य- महिलाओं के लिए मातृत्व, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा लाभों को मजबूत करना।

कर्मचारी राज्य बीमा - यह बागान श्रमिकों (विशेष रूप से चाय और कॉफी बागानों में कार्यरत महिलाओं) को ईएसआई योजना के तहत लाकर उन्हें महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सहायता और सुरक्षा प्रदान करती है।

२. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां संहिता, २०२०

यह संहिता कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए व्यापक प्रावधान करती है-

स्वास्थ्य देखभाल- महिलाओं की विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी श्रमिकों के लिए निशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच अनिवार्य की गई है।

रात्रि शिफ्ट में काम- महिलाओं को उनकी सहमति से रात्रि शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है, लेकिन यह अनिवार्य है कि-

नियोक्ता उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे।

नियोक्ता द्वारा परिवहन की व्यवस्था की जाए।

खतरनाक व्यवसायों में सुरक्षा- खतरनाक कार्यों में लगी महिलाओं के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अनिवार्य हैं।

क्रेच सुविधा- ५० से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में ६ वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्रेच सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है।

सरकारी क्षेत्र में कार्यस्थल समावेशिता

सरकार ने सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाओं के समग्र कल्याण और कार्यस्थल पर समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न महिला-केंद्रित पहल शुरू की हैं।

प्रमुख सरकारी पहल और प्रावधान

यहां इन पहलों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है-

बाल देखभाल अवकाश- महिला कर्मचारियों के लिए ७३० दिनों के बाल देखभाल अवकाश का प्रावधान। दिव्यांग बच्चों के मामले में २२ वर्ष की आयु सीमा हटा दी गई है। अवकाश की न्यूनतम अवधि १५ दिन से घटाकर ५ दिन कर दी गई है। CCL के दौरान मुख्यालय छोड़ने की अनुमति और विदेश यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। CCL के दौरान 'लीव ट्रैवल कंसेशन' (LTC) का लाभ भी लिया जा सकता है।

मातृत्व और विशेष अवकाश

१८० दिनों का मातृत्व अवकाश।

सरोगेसी के जरिए संतान होने पर मातृत्व, बाल देखभाल और पितृत्व अवकाश का विस्तार।

शिशु के जन्म के तुरंत बाद मृत्यु या मृत जन्म (stillbirth) की स्थिति में ६० दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश।

अन्य विशेष सुविधाएं-

दिव्यांग महिलाओं के लिए- दिव्यांग महिला कर्मचारियों को २ वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए ३,७५०/माह का 'चाइल्ड केयर अलाउंस'।

सुरक्षा और सुविधा- यौन उत्पीड़न की शिकायत होने पर पीड़ित महिला सरकारी सेवक को ९० दिनों तक का अवकाश।

तैनाती - पति और पत्नी को एक ही स्टेशन पर पोस्टिंग देने का प्रावधान।

शिक्षा और प्रशिक्षण- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए 'चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस' दोगुना किया गया है। सिविल सेवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 'जेंडर सेंसिटाइजेशन' (लैंगिक संवेदनशीलता) मॉड्यूल शामिल किए गए हैं।

अन्य- महिलाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में शुल्क से छूट और कार्यालयोंध्आवासीय क्षेत्रों में डे-केयर केंद्रों/क्रेच की स्थापना। ये पहल सरकारी सेवा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और उन्हें कार्यस्थल पर एक समावेशी वातावरण प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

कौशल और रोजगार के जरिए महिला सशक्तिकरण सरकार का उद्देश्य महिलाओं को बाजार-आधारित कौशल, उद्यमिता के अवसर और आर्थिक आजादी प्रदान करके कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। इसके लिए प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं-

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

संचालन- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय।

उद्देश्य- युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।

प्रभाव- इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाले उम्मीदवारों में से ४५ प्रतिशत महिलाएं हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना -

संचालन- वित्त मंत्रालय।

उद्देश्य- छोटे उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

प्रभाव- इसके ६८ प्रतिशत से अधिक खाताधारक महिलाएं हैं, जिससे पूरे भारत में महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है।

स्टैंड-अप इंडिया-

संचालन- वित्त मंत्रालय।

उद्देश्य- उद्यमिता को बढ़ावा देना, विशेष रूप से महिलाओं के बीच।

लक्ष्य- इस योजना के अंतर्गत मार्च २०२५ तक २.०१ लाख से अधिक महिलाओं के स्वामित्व वाले खाते खोले गए हैं।

ये योजनाएं महिलाओं के लिए वित्तीय समावेश और कौशल विकास सुनिश्चित कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

स्टार्ट-अप इंडिया

संचालन- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।

उद्देश्य- देश भर में नवाचार को बढ़ावा देना और स्टार्ट-अप्स के विकास को गति देना।

लक्ष्य- ७५,००० से अधिक महिला-नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप्स को सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना।

वाइज-किरण

संचालन- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग।

उद्देश्य- करियर के विभिन्न चरणों में STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) क्षेत्रों

में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित और समर्थ बनाना।

नव्या

संचालन- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय।
लक्ष्य समूह- १६-१८ वर्ष की आयु की किशोरियां।
प्रशिक्षण क्षेत्र- डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सुरक्षा और अन्य उभरते क्षेत्र।
कौशल विकास- इसमें स्वच्छता, संघर्ष प्रबंधन, संचार कौशल, कार्यस्थल सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल भी शामिल हैं। ये पहल विशेष रूप से उभरते हुए तकनीकी क्षेत्रों और युवा अवस्था में ही कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करके भविष्य की महिला कार्यबल को तैयार करने में मदद कर रही हैं।

कार्यबल भागीदारी में वृद्धि

आंकड़े- २०१७-१८ से २०२३-२४ के बीच भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर २३.३ प्रतिशत से बढ़कर ४१.७ प्रतिशत हो गई है। २०२५ में भी यह सकारात्मक रुझान जारी है।
ब्रिक्स देशों में स्थिति- विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक दशक में ब्रिक्स देशों में भारत ने महिलाओं की श्रम भागीदारी में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है।

कानूनी सुरक्षा और कार्यस्थल सशक्तिकरण

महिलाओं को सुरक्षित और समावेशी कार्य वातावरण देने के लिए प्रमुख कानूनी प्रावधान किए गए हैं-
१. मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, २०१७- मातृत्व अवकाश को १२ सप्ताह से बढ़ाकर २६ सप्ताह कर दिया गया है। ५० या उससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों पर क्रेच (शिशुगृह) सुविधा अनिवार्य है। इसमें सरोगेट माताओं के लिए भी प्रावधान जोड़े गए हैं।
२. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, २०१३- इस कानून के तहत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए आंतरिक शिकायत समिति और स्थानीय समिति का प्रावधान है।
३. **She-Box** पोर्टल- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया यह पोर्टल एक ऑनलाइन प्रणाली है। यह यौन उत्पीड़न अधिनियम, २०१३ के बेहतर कार्यान्वयन में मदद करता है। यह कार्यस्थलों पर बनी समितियों से संबंधित जानकारी का एक केंद्रीकृत भंडार है और शिकायतों की निगरानी के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है। यह स्पष्ट है कि भारत सरकार कौशल विकास, वित्तीय सहायता (जैसे मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया) और मजबूत कानूनी ढांचे के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है।

मिशन शक्ति

मंत्रालय- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
प्रारंभ तिथि- १ अप्रैल, २०२४।
मुख्य उद्देश्य- महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यों को मजबूत बनाना।
लक्षित समूह- सभी महिलाएं और लड़कियां, विशेषकर वे जो दिव्यांग हैं, सामाजिक या आर्थिक रूप से हाशिए पर हैं, या जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है।
लक्ष्य- महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक सेवाएं तथा जानकारी प्रदान करना।
मिशन शक्ति के दो मुख्य स्तंभ- मिशन शक्ति को दो भागों में बांटा गया है- 'संबल' और 'सामर्थ्य'।
१. संबल (महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा) यह घटक संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल सुरक्षा और सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं-
वन स्टॉप सेंटर - हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही स्थान पर चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना।
महिला हेल्पलाइन- आपातकालीन सहायता के लिए २४/७ चलने वाली सेवा।
२. सामर्थ्य (महिलाओं का सशक्तिकरण) यह घटक महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है। इसमें शिक्षा, कौशल विकास और अन्य सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच को आसान बनाना शामिल है।
मिशन शक्ति
मंत्रालय- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
उद्देश्य- महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यों को सुदृढ़ करना।
लक्ष्य- महिलाओं के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक सेवाएं प्रदान करना, ताकि वे राष्ट्र निर्माण में समान भागीदार बन सकें।

दो मुख्य उप-योजनाएं

१. संबल- महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए।
२. सामर्थ्य - महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए।

संबल (संबल - सुरक्षा और संरक्षा)

यह घटक संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल सुरक्षा और सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है-
वन स्टॉप सेंटर - हिंसा से प्रभावित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और आश्रय जैसी सेवाएं एक ही छत के नीचे प्रदान करना।
महिला हेल्पलाइन - आपातकालीन स्थिति में २४/७ टोल-फ्री सहायता सेवा।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ - बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा और शिक्षा को सुनिश्चित करना।
नारी अदालत- गांव के स्तर पर महिलाओं के छोटे-मोटे विवादों को हल करने और न्याय दिलाने हेतु एक सामुदायिक मंच।

सामर्थ्य (सशक्तिकरण और पुनर्वास)

यह घटक महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए है-
शक्ति सदन- संकटग्रस्त महिलाओं (जैसे तस्करी की शिकार) के लिए आश्रय, भोजन और पुनर्वास की सुविधा।
सखी निवास - कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास।
पालना - कामकाजी माताओं के बच्चों (६ महीने से ६ वर्ष तक) के लिए गुणवत्तापूर्ण डे-केयर (क्रेच) सुविधा।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना - गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से वित्तीय सहायता।
संकल्प- हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन- यह राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी के बीच की दूरी को कम करता है और उन्हें लाभ प्राप्त करने में मदद करता है।
२. सामर्थ्य (**Samarthya** - सशक्तिकरण और पुनर्वास)
यह घटक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान पर केंद्रित है।
शक्ति सदन- संकटग्रस्त या तस्करी से बचाई गई महिलाओं के लिए आश्रय और पुनर्वास।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना - गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए वित्तीय सहायता (विशेषकर दूसरी संतान लड़की होने पर प्रोत्साहन)।
सखी निवास- कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास।

पालना- कामकाजी माताओं के लिए ६ साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल हेतु गुणवत्तापूर्ण 'क्रेच' सुविधा।

संकल्प - सरकारी योजनाओं की जानकारी महिलाओं तक पहुंचाना और मिशन की प्रगति की निगरानी करना।

यह ढांचा महिलाओं के जीवन चक्र के हर चरण में उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

२. भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति

आपके नोट्स के अनुसार, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति विरोधाभासों से भरी है। एक ओर वे राजनीति और कॉर्पोरेट जगत के शिखर पर हैं, तो दूसरी ओर ग्रामीण और रूढ़िवादी परिवारों में उन्हें अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

शिक्षा और साक्षरता- आधुनिक भारत में महिला साक्षरता दर तेजी से बढ़ रही है। लड़कियां अब तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं, हालांकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा का अंतर अभी भी एक चुनौती है।

राजनीतिक भागीदारी- देश के उच्च पदों पर महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। आपने उल्लेख किया है कि १८वीं लोकसभा में १४ प्रतिशत (७४ महिला सांसद) हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। साथ ही, १०६वें संविधान संशोधन (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) का जिक्र भी बहुत महत्वपूर्ण है।

संसदीय समितियां- लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित 'संसदीय महिला अधिकारिता समिति' की अध्यक्षता वरिष्ठ नेता डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी कर रही हैं।

न्यायपालिका- सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों का प्रतिशत १२.५ प्रतिशत है।

प्रशासनिक सेवा - भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़कर १५.४ प्रतिशत हो गया है।

भारतीय समाज में महिलाओं के समक्ष चुनौतियां

लैंगिक वेतन अंतर - समान कार्य के बावजूद पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अक्सर कम वेतन मिलना।

दोहरा बोझ - कामकाजी महिलाओं पर घर और कार्यस्थल दोनों की जिम्मेदारियों का मानसिक और शारीरिक दबाव।

सुरक्षा और रूढ़िवादिता- विशेष रूप से ग्रामीण या सुदूर इलाकों में आज भी महिलाओं को सुरक्षा सम्बंधी चिंताओं और सामाजिक रूढ़ियों का सामना करना पड़ता है।

सांस्कृतिक और सामाजिक चुनौतियां- पितृसत्तात्मक मानसिकता के कारण आज भी कई परिवारों में निर्णय लेने का अधिकार पुरुषों के पास है। इसके अतिरिक्त, लैंगिक हिंसा और स्वास्थ्य व पोषण (विशेषकर ग्रामीण व निम्न आय वर्ग में कुपोषण) गंभीर चिंता के विषय हैं।

२. महिलाओं के लिए संवैधानिक अधिकार

भारतीय संविधान महिलाओं को समानता और सम्मान के साथ जीने की गारंटी देता है।

अनुच्छेद १४- यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

अनुच्छेद १५- यह राज्य को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने से रोकता है। यह विशेष रूप से महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने का संवैधानिक आधार है।

सामाजिक चुनौतियों का अंत

यह महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक सुधार है जो १९वीं और २०वीं सदी में भारतीय समाज में बदलाव लाने के लिए किए गए थे-

सामाजिक सुधार/मुख्य सुधारक/अधिनियम/विवरण

सती प्रथा निषेध / राजा राम मोहन राय / उनके अथक प्रयासों से १८२९ में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया।

बाल विवाह पर रोक / शारदा एक्ट (१९२९) / इस अधिनियम के तहत विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु १४ वर्ष और लड़कों की १८ वर्ष तय की गई।

विधवा पुनर्विवाह / ईश्वर चंद्र विद्यासागर / १८५६ में 'हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम' लागू हुआ, जिससे विधवाओं को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिला।

निष्कर्ष-

महिला सशक्तिकरण अब केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण वर्तमान में 'आंशिक सफलता' और 'असीम संभावनाओं' के बीच खड़ा है। किसी भी राष्ट्र का विकास तब तक अधूरा है, जब तक उसकी आधी आबादी आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सुरक्षित न हो। स्थिति 'आश्रित' से 'आत्मनिर्भर' की ओर तेजी से बदल रही है। महिलाओं को केवल 'लाभार्थी' के रूप में नहीं, बल्कि विकास प्रक्रिया में 'समान भागीदार' के रूप में देखा जाना चाहिए। सशक्तिकरण की अंतिम सफलता के लिए समाज, परिवार और प्रशासन, तीनों की बराबर भागीदारी आवश्यक है।

सशक्तिकरण के प्रमुख स्तंभ

महिला सशक्तिकरण की राह को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इन तीन पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है- रूढ़िवादी मानसिकता में बदलाव और सुरक्षा का वातावरण। कौशल विकास, शिक्षा और समान वेतन सुनिश्चित करना। सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी। यह निष्कर्ष बहुत प्रभावी ढंग से यह संदेश देता है कि सशक्तिकरण का अर्थ केवल आत्मनिर्भरता नहीं, बल्कि समाज के हर स्तर पर बराबरी की भागीदारी है। यह स्पष्ट करता है कि 'नारी शक्ति' राष्ट्र के विकास को गति देने वाली प्राथमिक शक्ति है। ग्रामीण स्तर की महिला उद्यमी से लेकर कॉर्पोरेट जगत तक, महिलाओं की भागीदारी भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदल रही है। कार्यस्थल पर सुरक्षा, न्याय और समान अवसर प्रदान करना ही वह मार्ग है जिससे भारत एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बन सकता है।

संदर्भ

१. समावेशी कार्यस्थलों का निर्माण : विकसित भारत के लिए महिला सशक्तिकरण (१२ अक्टूबर २०२५)।
२. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
३. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना २०१७
४. नारी शक्ति वंदन अधिनियम २०२३
५. मिशन शक्ति २०१९
६. प्रधानमंत्री आवास योजना
७. अकादमिक स्रोत और लेखक
८. डॉ. आशा कौशिक महिला सशक्तिकरण : अवधारणा एवं यथार्थ।
९. राम आहूजा भारतीय समाज में नारी।
१०. सुशीला कौशिक Women Empowerment in India.
११. जैनट मोमसेन (Janet Momsen): Women and development?
12.https://www.business-standard.com/economy
13. https://www.nature.com/articles/s41599-025-04592-7?utm_source=chatgpt.com
14. https://www.business-standard.com/budget/news
15.https://www.ijirct.org
16.https://www.dbs.com/newsroom
17.https://papers.ssrn.com/sol3
18. https://bfsi.economictimes.indiatimes.com/news/banking/credit-access-and-investments-empower-rural-women-entrepreneurs-economic-survey-2025/117792999?utm_source=chatgpt.com
19.https://wcd.gov.in/?utm_source=chatgpt.com
20.https://www.niti.gov.in/?utm_source=chatgpt.com

Refereed & Peer Reviewed Research Magazine
RNI-UPHIN/2018/77444 ISSN-2582-1288
त्रैमासिक मूल्य २००
शोधादर्श
संदर्भित एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिक पत्रिका
वर्ष : ८ अंक : ३, जून-अगस्त २०२६
doi.org/10.5281/
इम्पेक्ट फैक्टर(२०२६) : १०.१६
पंजीकृत कार्यालय
शोधादर्श, ए-७, आदर्श नगर, तातारपुर लालू, नजीबाबाद-२४६७६३ ज़िला बिजनौर (उ.प्र.)
संपादकीय कार्यालय/पत्रव्यवहार
शोधादर्श, साईं एंक्लेव, निकट देवता धनौरा, नजीबाबाद-२४६७६३ बिजनौर (उप्र)
https://shodhadarsh.in/

किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव

शोधकर्ता
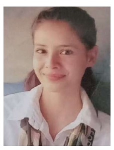
अलफिशा

लाएबा

आलिया

अफशा

सईदा

डॉ. उमेश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र विभाग)
साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद

सारांश

वर्तमान डिजिटल युग में सोशल मीडिया किशोरों के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के गहने प्रभाव डालता है। जहां एक और यह मंच किशोर ऑन की आत्म अभिव्यक्ति वैश्विक संपर्क और सूचना प्राप्ति के अवसर प्रदान करता है। वहीं दूसरी ओर इसका अत्यधिक उपयोग गंभीर मनोविज्ञान की चुनौतियों को जन्म दे रहा है। आभासी दुनिया में दूसरों के फिल्टर्ड जीवन से अपनी तुलना करना किशोर में हीन भावना बॉडी डिस्मोर्फिया और निम्न आत्म सम्मान का कारण बन रहा है। इसके साथ साइबर बुलिंग फोमो (छूट जाने का डर) और नींद की कमी जैसे कारक उनमें चिंता और अवसाद के स्तर को बढ़ा रहे हैं। अंत यह अनिवार्य है कि किशोरों को डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूक किया जाए ताकि वह तकनीक का उपयोग मानसिक तनाव के बजाय अपने व्यक्तिगत विकास और स्वास्थ्य सामाजिक जुड़ाव के लिए कर सकें।

अध्ययन का महत्व

किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन करना आज के डिजिटल युग में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नई पीढ़ी के मनोवैज्ञानिक संकटों (जैसे डिप्रेशन और एंग्जायटी) के मूल कारणों को समझने में मदद करता है। यह शोध माता-पिता और नीति-निर्माताओं को किशोरों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल गाइडलाइंस तैयार करने के वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। इसके अलावा, यह अध्ययन भविष्य के नागरिकों के मानसिक कल्याण (Mental Well-being) को सुनिश्चित करने और समय रहते परामर्श (Counseling) व सुधारात्मक कदम उठाने के लिए आवश्यक है।

आभासी समुदाय (**Virtual Community**)

यह डिजिटल व्यवहार संचार पैटर्न जनमत और सूचना के प्रसार को समझने में मदद करता है। यह शैक्षिक अवसरों मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक राजनीतिक सक्रियता और व्यावसायिक रणनीतियों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है।

मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव - किशोरों और वयस्कों पर इसके सकारात्मक सामाजिक समर्थन और नकारात्मक साइबर बुलिंग तनाव प्रभावों को समझने के लिए इसका अध्ययन आवश्यक है।

सोशल मीडिया के प्रति किशोरों का आकर्षण -

किशोरों का मस्तिष्क विकास की प्रक्रिया में होता है, विशेषकर 'प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स', जो निर्णय लेने और भावनाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। सोशल मीडिया निम्नलिखित कारणों से उन्हें आकर्षित करता है-

पहचान की खोज- किशोर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, जिसके लिए सोशल मीडिया उन्हें मंच देता है।

सामाजिक स्वीकृति- दूसरों से प्रशंसा (Likes/ Comments) पाने की इच्छा इस उम्र में बहुत तीव्र होती है।

मनोरंजन और जुड़ाव- अकेलापन दूर करने और दोस्तों के साथ हर समय जुड़े रहने की सुविधा।

सकारात्मक प्रभाव (Positive Impacts) -

सोशल मीडिया को पूरी तरह से नकारात्मक नहीं माना जा सकता। इसके कुछ महत्वपूर्ण लाभ भी हैं-

डिजिटल साक्षरता और कौशल- किशोर नई तकनीक सीखते हैं, जो भविष्य के करियर में सहायक है।

समान विचारधारा वाले समूह- वे उन समुदायों से जुड़ सकते हैं जो उनके शौक (जैसे संगीत, कोडिंग, कला) को साझा करते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता- वर्तमान में कई प्रभावशाली व्यक्ति (Influencers) मानसिक स्वास्थ्य, तनाव और अवसाद पर खुलकर बात करते हैं, जिससे किशोरों को मदद मिलती है।

संकट के समय सहायता- कई बार किशोर अपनी समस्याओं को माता-पिता से छिपाते हैं लेकिन ऑनलाइन सहायता समूहों (Support Groups) में साझा कर देते हैं।

शोध की पद्धति -

साहित्य अवलोकन- सोशल मीडिया एक डिजिटल मंच है जो उपयोगकर्ताओं को सामग्री (Content) साझा करने संवाद करने और समुदाय बनाने की अनुमति देता है। जिसमें Facebook, Twiter (X) और स्पदामकपद जैसे मंच शामिल है। यह साहित्य पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। The Impact of Social Media on Literature Research Gate vkSj Social Media and Literacy Expression . Digital Revolution in Research Gate के अनुसार यह नए साहित्य को जन्म दे रहा है।

नकारात्मक प्रभाव और मनोवैज्ञानिक चुनौतियां (**Negative Impacts**) -

यह इस शोध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अत्यधिक उपयोग निम्नलिखित गंभीर समस्याओं को जन्म देता है-

तुलनात्मक संस्कृति (The Comparison Trap)- सोशल मीडिया पर लोग केवल अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण साझा करते हैं। किशोर इन्हें देखकर अपने वास्तविक जीवन की तुलना दूसरों के 'आभासी' जीवन से करने लगते हैं। इससे उनमें 'इनफिरियोरिटी कॉम्प्लेक्स' (हीन भावना) पैदा होती है।

साइबर बुलिंग (Cyber Bullying)- यह एक अत्यंत गंभीर समस्या है। ऑनलाइन उत्पीड़न, अपमानजनक भाषा का प्रयोग और निजी जानकारी को सार्वजनिक करने की धमकियां किशोरों को आत्महत्या जैसे चरम कदम उठाने पर मजबूर कर सकती हैं।

बॉडी डिस्मोर्फिया (Body Dysmorphia)- विभिन्न फिल्टर्स और ब्यूटी ऐप्स के कारण किशोरों में अपने प्राकृतिक स्वरूप को लेकर असंतोष पैदा हो गया है। वे 'परफेक्ट' दिखने के चक्कर में खान-पान के विकारों (Eating Disorders) का शिकार हो रहे हैं।

फोमो (FOMO - Fear of Missing Out)- दूसरों की पार्टी, ट्रिप या गतिविधियों से पीछे छूट जाने का डर किशोरों को मानसिक रूप से थका देता है। वे रात-रात भर जागकर अपडेट्स चेक करते रहते हैं, जिससे उनकी नींद प्रभावित होती है।

शारीरिक और न्यूरोलॉजिकल प्रभाव -

नींद का अभाव- स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी (Blue Light) मेलाटोनिन हार्मोन को रोकती है, जिससे नींद नहीं आती। नींद की कमी चिड़चिड़ेपन और डिप्रेशन का प्रमुख कारण है।

डोपामाइन लूपरू हर 'नोटिफिकेशन' मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है, जो जुए की लत जैसा ही शक्तिशाली होता है। जब यह प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो किशोर उदास महसूस करते हैं।

भारतीय संदर्भ और डेटा -

भारत में लगभग ४५ करोड़ से अधिक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता हैं, जिनमें एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है। हालिया सर्वे बताते हैं कि भारतीय किशोर प्रतिदिन औसतन ३ से ५ घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यह प्रभाव अलग-अलग हैं, लेकिन मानसिक तनाव दोनों जगह बढ़ रहा है।

माता-पिता और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका -

इस समस्या से निपटने के लिए एक सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता है-

डिजिटल वेलबीइंग- फोन में श्स्क्रीन टाइमश लिमिट सेट करना।

खुला संवाद- माता-पिता को बच्चों को डांटने के बजाय सोशल मीडिया के खतरों के प्रति जागरूक करना चाहिए।

शिक्षण संस्थानों में परामर्श- स्कूलों में काउंसलर होने चाहिए जो बच्चों को डिजिटल लत से बाहर निकलने में मदद करें।

समाधान और सुझाव (Recommendations) -

डिजिटल डिटॉक्स- सप्ताह में एक दिन बिना इंटरनेट के बिताना।

सक्रिय बनाम निष्क्रिय उपयोग- केवल स्क्रॉल करने के बजाय रचनात्मक चीजें बनाना।

वास्तविक सम्बंध- फोन के बजाय आमने-सामने की मुलाकातों को महत्व देना।

निष्कर्ष (Conclusion) -

सोशल मीडिया आधुनिक युग का एक उपकरण है, जिसे न तो पूरी तरह से छोड़ा जा सकता है और न ही इसे अनियंत्रित छोड़ा जा सकता है। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए 'डिजिटल साक्षरता' और 'संयम' अनिवार्य हैं। यदि हम तकनीक को अपने जीवन का स्वामी बनाने के बजाय उसे एक सेवक की तरह उपयोग करें, तभी किशोरों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है।

बिब्लियोग्राफी (**Bibliography**)

१. अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन (२०२३)- 'हेल्थ एडवाइजरी ऑन सोशल मीडिया यूज इन एडोलसेंस'
२. लॉन्सेट चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ- 'सोशल मीडिया, स्लीप एंड मेंटल हेल्थ आऊटकम्स'
३. एन.आई.एम.एच.ऐ.एन.एस. इंडिया- 'मैनुअल ऑन डिजिटल डिटॉक्स एंड हेल्थी इंटरनेट यूज'
४. ट्वेंज जे.एम. (२०१७)- आई-जेन- वाई टूडेज सुपर कनेक्टेड किड्ज आर ग्रोइंग अप लेस रिबेलियस, मोर टॉलरेंट, लेस हैप्पी'

।। फेल विद्यार्थी साल बचाएं ।।
UP / CBSE / ICSE एवं अन्य बोर्ड से
फेल विद्यार्थी के लिए सुनहरा अवसर!
अपना कीमती साल बचाएं
NIOS
(National Institute of Open Schooling)
द्वारा इसी वर्ष 10वीं /12वीं फेल विद्यार्थी केवल फेल होने वाले विषय की परीक्षा देकर अपना कीमती साल बचाएं।
फेल नहीं, एक मौका है आगे बढ़ने का!
8वीं पास या फेल छात्र → सीधे 10वीं करें।
10वीं पास या 11वीं फेल छात्र → सीधे 12वीं करें।
प्रमाण पत्र सभी सरकारी / प्राइवेट नौकरियों एवं उच्च शिक्षा हेतु पूर्णतः मान्य।
बुद्धा डिजिटल सेवा केंद्र
बुद्धा डिजिटल सेवा केंद्र
पता - आर्यन कॉन्वेंट एकेडमी के सामने
कोतवाली रोड, नजीबाबाद, जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश
मोबाईल :- 9412361392, 9286126392

बुद्ध संस्कृति विश्वविद्यापीठ

(भाषा,संस्कृति एवं शोध संस्थान)

(Established under the rules of the Indian Constitution)

परिचय - बुद्ध संस्कृति विश्वविद्यापीठ की स्थापना भारतीय संविधान के प्रावधानानुसार एक स्वायत्त संस्था के रूप में भगवान बुद्ध की शिक्षा, संस्कृति, भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार, उत्थान एवं विकास और जनकल्याणार्थ कार्यों के लिए की गई है।

संस्थान का उद्देश्य - भगवान बुद्ध की शिक्षा और संस्कृति, पालि भाषा और साहित्य के साथ राष्ट्र भाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार करना। भारतीय संविधान और उसके अंतर्गत जन उपयोगी अधिनियमों का प्रचार-प्रसार करना। समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के मेधावी बच्चों की शिक्षा हेतु सहयोग प्रदान करना। समाज में व्याप्त कुरीतियों व अंधविश्वासों को दूर करने हेतु कार्य करना तथा ग़रीब और असहाय व्यक्तियों की मदद करना। वर्तमान में प्रचलित विभिन्न शिक्षा पद्धतियों के माध्यम से भाषाई शिक्षा के साथ व्यवसायिक एवं रोज़गारपरक शिक्षा प्रदान करना। विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को उत्साहवर्धन हेतु सम्मानित करना। राष्ट्रभाषा हिंदी और साहित्य व पालि भाषा और साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले विद्वानों एवं साहित्यकारों के उत्साहवर्धन के लिये उनको सम्मानित करना।

संस्थान का पता- बुद्ध संस्कृति विश्वविद्यापीठ, तिरुपति बालाजी, कॉलोनी कोतवाली रोड, नजीबाबाद-246763 जिला बिजनौर, उ.प्र.

संपर्क - 9412361392

बुद्ध संस्कृति विश्वविद्यापीठ को दान/सहयोग करने हेतु बैंक का विवरण -

Account Name : BuddhaSanskriti Vishwavidyapeeth,

Bank Name : State Bank of Inida ,

Account Number : 39576501117

IFS Code: SBIN0018564,

Branch : Dhanaura, Najibabad - 246763, District Bijnor, U.P.

SCAN & PAY

• Fund Transfer : NEFT / RTGS / IMPS / Quick Pay • चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट/UPI

नोट- बुद्ध संस्कृति विश्वविद्यापीठ को आप द्वारा दिया गया दान/सहयोग आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के अंतर्गत आयकर में छूट के लिए मान्य है।

शोधादर्श

संदर्भित एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिकी

SHODHADARSH

जनजागरूकता अभियान

हर घर में हो

भारतीय संविधान

त्रैमासिक RNI - UPHIN/2018/77444 ISSN 2582-1288
शोधादर्श
संदर्भित एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिक पत्रिका
SHODHADARSH
A Quarterly Peer Reviewed and Refereed Research Magazine

राष्ट्रवादी विचारों के 'शोधादर्श शोध संस्थान' अभियान से जुड़ें और राष्ट्र के विकास में सहयोग करें

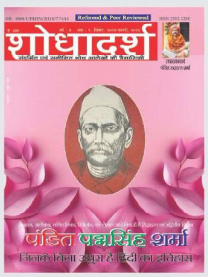

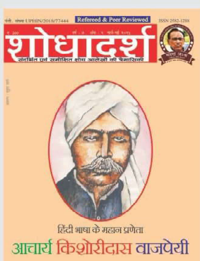

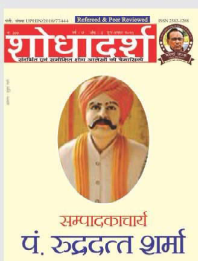

आप भी जुड़ें, साथ हमारे।

राष्ट्रवादी विचारों का 'शोधादर्श शोध संस्थान'

('शोधादर्श' पत्रिका द्वारा नियंत्रित)

जुड़ने वाले लोग

- कोई भी, जो व्यसनी/अपराधी/ पागल न हो। सकारात्मक विचार वाला हो। किसी भी राजनीतिक अथवा अराजनीतिक संगठन से जुड़ा हो। कहीं भी कार्यरत हो। किसी भी धर्म और जाति का हो। रहता कहीं भी हो मगर भारतीय हो। किसी भी आयु का हो। अपने विचार लिखकर और बोलकर व्यक्त कर सकता हो। अनुशासन का पालन करने वाला हो। दूसरे के विचार सुनने वाला हो। राष्ट्र और समाज के प्रति किसी निर्णय पर पहुंचने वाला हो। सहयोग करने वाला हो, चुगलखोर और मजाक बनाने वाला न हो। शिक्षक, पत्रकार, चिकित्सक, वकील आदि कोई भी हो। कोई भी भाषा-भाषी हो सकता है। शिक्षित अथवा अशिक्षित हो। अनिवार्यतः 'शोधादर्श' पत्रिका की कम से कम वार्षिक सदस्यता प्राप्त की हो।

हमारे उद्देश्य

- राष्ट्र और राष्ट्र की समस्याओं पर विधिपूर्वक चर्चा की जाएगी। राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए विचार व्यक्त किए जाएंगे। शिक्षा और शोध पर विशेष ध्यान रहेगा। सरकार की नीतियों और उसमें सुधार पर चर्चा कर सरकार को अवगत कराया जाएगा।
- लगभग एक लाख पुस्तकों, पत्रिकाओं, रिपोर्ट आदि की पीडीएफ 'शोधादर्श' की वैबसाइट पर निशुल्क उपलब्ध कराने का प्रयास।

क्या नहीं होगा

- यह संस्था कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेगी। यह संस्था देश में किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं फैलाएगी।

आय

- उद्देश्यपूर्ति के लिए दान, चंदा, सहयोग आदि के रूप में धन स्वीकार किया जाएगा।

व्यय

- प्रचार, प्रसार, प्रकाशन, यातायात, आयोजन, मदद, सहयोग आदि पर व्यय किया जाएगा

पंजीकरण

- यह संस्थान त्रैमासिक पत्रिका 'शोधादर्श' का सहयोगी नॉन कॉमर्शियल संगठन (वैचारिक) होगा। इसलिए अलग से संगठन के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है किन्तु भविष्य में जब भी संगठन को रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता होगी तब विधिपूर्वक नीति अपनाई जाएगी। फिलहाल संगठन में कोई स्थाई अध्यक्ष या पदाधिकारी नहीं होगा। जहां कहीं भी कोई कार्यक्रम कराया जाएगा वहां की अस्थाई कार्यकारी समिति बनाई जाएगी जो कार्यक्रम के तुरंत बाद भंग मान ली जाएगी।

https://www.shodhadarsh.page/ के अतिरिक्त एक और अन्य वैबसाइट पर काम चल रहा है, जिसमें शोध प्रवृत्ति को बढ़ाने संबंधी अनेक सुविधाएं होंगी

संपादक (शोधादर्श) सचलभाष – 9897742814 (वाट्सएप)

आपकी सदस्यता हमें बड़ा सहयोग प्रदान करेगी

वार्षिक सदस्यता : 1000 रु.   पांच वर्ष सदस्यता : 4500 रु.

भुगतान करें

SHODHADARSH

INDIAN OVERSEES BANK, NAJIBABAD AC- 368602000000186 IFSC- IOBA0003686

भुगतान पर्ची 9897742814 पर भेजें